राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का तियालीसवां दिवस [संख्या : 25

गुरुवार

दिनांक 04 मई, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 716

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 633

श्री शांतिकुमार धारीवाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री रामचन्द्र रावत।

कोटपूतली-बहरोड-बानसूर मार्गों पर निगम बस सेवा

717. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) [**श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) के स्थान पर] : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली से पावटा, पाटन, चिमनपुरा, बहरोड़, बानसूर आदि स्थानों के लिये सरकारी बसों के अभाव की वजह से यहां अवैध रूप से जीपें, मेटाडोर, मिनी बसे बहुतायत से चल रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इन क्षेत्रों की जनता की सुविधा हेतु पर्याप्त सरकारी बसों का संचालन करने का विचार रखती है ?

(3) यदि नहीं, तो क्या सरकार अवैध रूप से चल रही इन जीप, मेटाडोर, मिनी बसों को सिटी बस जैसी व्यवस्था में उपयोग करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री रोहिताश्व) : (1 व 2) वर्तमान में इन मार्गों पर उपलब्ध यात्री भार के अनुरूप पर्याप्त बस सेवाएं संचालित हैं। इन मार्गों पर अवैध वाहन चलते पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) जिन शहरों में नगर परिवहन सेवा का प्रावधान है वहां वर्तमान नीति के अनुसार शहरी क्षेत्र में जीप, मेटाडोर, मिनी बसों के स्वामी परमिट प्राप्त कर वाहन संचालन हेतु स्वतंत्र हैं, अगर राज्य सरकार को समय-समय पर नीति परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो उन पर विचार किया जाता है।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि वर्तमान

(श्री रामस्वरूप)

में इन मार्गों पर उपलब्ध यात्री भार के अनुरूप पर्याप्त बस सेवाएं चलती हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगा कि आपकी वहां कितनी बस सेवाएं चल रही हैं और कितनी नहीं चल रही हैं ? ....(व्यवधान) मेरा मतलब यह है कि कितनी खड़ी हुई हैं ? दूसरा, क्या इनकी कमी के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रहे हैं ? क्या सरकार इन क्षेत्रों की जनता की सुविधा हेतु पर्याप्त सरकारी बसें संचालित करने का विचार रखती है ? मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया। खाली छोड़ दिया है इसको, इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानकारी करना चाहूंगा कि आप इन क्षेत्रों की जनता की सुविधा के लिये सरकारी बसें संचालित करने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं ? क्या विचार रखते हैं और कैसी बसें आप इन क्षेत्रों में चलायेंगे ? डीलक्स चलायेंगे, या साधारण चलायेंगे ? यह आप बतावें। नयी चलायेंगे कि पुरानी चलायेंगे ? यह भी स्पष्ट करें।

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वर्तमान में जिन मार्गों का जिक्र किया है, उन पर पर्याप्त मात्रा में बसें चला रखी हैं। कोटपूतली से पाटन 58 परिचक्र हैं जिसमें 33 प्रतिशत यात्री भार है। कोटपूतली से पावटा 122 परिचक्र हम चलाते हैं जिसमें 71 प्रतिशत यात्री भार है। कोटपूतली से बहरोड 132 परिचक्र हम चलाते हैं जिसमें 70 प्रतिशत यात्री भार है। कोटपूतली से बानसूर 82 परिचक्र हम चलाते हैं जिसमें 60 प्रतिशत यात्री भार है। अवैध वाहन संचालन की माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है उसकी हमारा विभाग समय-समय पर चैकिंग करता है और हमने चालान भी किये हैं। करीब 82 के लगभग बसों को हमने सीज किया है और उनसे हमने जुर्माना राशि भी वसूल की है।

श्री रामस्वरूप : आपके कर्मचारी प्राइवेट बसों को चलवाते हैं। वह बसें वहां खड़ी रहती हैं। जब वह बसें भर जाती हैं उसके बाद आपकी बसें रवाना होती हैं। इसके बारे में क्या आप कोई कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री रोहिताश्व : माननीय सदस्य, अगर कहते हैं तो मैं इसकी जांच करा लूंगा। या तो आप पर्टिक्यूलर नाम बताइये कौन कर्मचारी करता है। फिर भी मैं जांच कराऊंगा और उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही करूंगा।

श्री रामस्वरूप : अब से पहले आपने उनकी कितनी जांच करायी है ? पहले भी ऐसा होता था।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : इनसे पूछो यह कोटपूतली क्यों गये थे ?

श्री रामस्वरूप : कोटपूतली, मैं हमेशा जाता रहता हूं। हमेशा मिलता रहता हूं। मंत्री महोदय से भी मैं कई बार मिला हूं। मैंने इसके बारे में शिकायतें की, कार्यवाही आपने क्या की ?

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय रामचन्द्र जी जो कि कोटपूतली की जन समस्याओं को नजदीक से जानते हैं, वह मेरे मित्र भी हैं, अगर वह होते तो मैं उनको इमिजिएट सेटिस्फाई कर देता। लेकिन यह तो.......

श्री रामस्वरूप : नहीं तो मैं आपका दुश्मन हूं क्या ? मैं आपका दुश्मन हूं क्या ? क्या मैं आपका मित्र नहीं हूं ? आप मेरे को सेटिस्फाई क्यों नहीं करते। पूरे राजस्थान की यही हालत है। कोटपूतली के साथ-साथ पूरे राजस्थान की यही हालत है। आप मेरे को भी सेटिस्फाई करिये। मुझे विश्वास दिलाइये कि आप ऐसी अवैध बसों को बंद करेंगे। क्या जहां पर आपने बसें बंद कर दी उनको चालू करेंगे ?

श्री रोहिताश्व : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं .....

श्री गोपीचन्द (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अवैध बसों के सम्बन्ध में तो पूरे राजस्थान का हाल यही है। कहीं पर कोई रूकावट नहीं है। करीब 80 बसें तो अवैध तरीके से भरतपुर से जयपुर चलती हैं। अब पता नहीं, यह इनको क्यों नहीं बंद करना चाहते ?

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्यों यह बसें चलती हैं, क्या इसके पीछे कारण हैं ? माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि पाटन, नीमकाथाना, कोटपूतली में जो बसें चलती हैं, वह खाली चलती हैं। प्राइवेट बसें सवारी ले जाती हैं उसके बाद वह बसें आती हैं, एक बात।

दूसरी बात, शाम के 8 बजे बाद पाटन, कोटपूतली इधर जाने के लिये कोई बस नहीं है। कोटपूतली से आने के लिये नहीं है। इसलिये मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान देकर कार्यवाही करें। अवैध वाहन बंद करने के सम्बन्ध में एक बात बता रहा हूं कि यह आपके विभाग से तो होगा नहीं, माननीय गृह मंत्रीजी चाहें तो एक मिनट में यह बसें बंद हो सकती हैं। यह सारे थानों को आदेश दे दें कि जिस थानेदार के सर्कल में यह बसें चलती पायी जायेगी। उसको सस्पैंड कर दिया जायेगा तो एक भी अवैध बस नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी (व्यवधान) बिराजें .... (व्यवधान) माननीय बैठें (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, अवैध वाहनों के बारे में मंत्री महोदय जो जवाब देते हैं, हमेशा इनका एक ही जवाब होता है कि अवैध वाहनों को रोका जा रहा है। उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। मैं तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप तो कोटपूतली और यहां की बात करते हैं, इनके खुद के इलाके में इतनी बसें चल रही हैं जिनमें एक को नहीं रोक सकते, वह राजस्थान की क्या रोकेंगे ?

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे जिले से ही आते हैं और हम घण्टों तक बात करते तो कभी यह जिक्र नहीं करते लेकिन विधान सभा में जरूर इनकी निगाह कहीं और लगी हुई है जो मेरे पास इलाज नहीं, मुख्य मंत्रीजी के पास इलाज है।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में जितनी भी अवैध बसें चलती हैं, वह + + + और जितनी भी वहां पर कमाण्डर गाड़ियां चलती थीं (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : बिराज जायें, माननीय (व्यवधान) रामनारायण जी की बात आ जाने दीजिये.... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटपूतली और बानसूर की बात कर रहे हो, जयपुर की नाक के नीचे, राजधानी की नाक के नीचे से रात और दिन में हजारों बसे जाती हैं, उनको रोकिये। बाहर की बातें क्यों कर रहे हो ? राजधानी में दिन में आती है और रात को बस जाती है, उनको कोई नहीं रोक रहा है। जिससे जाहिर होता है कि सरकार की मंशा है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी कोई बात कह रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सीधा-सा प्रश्न गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि यह सवाल पहले भी आया है। आज भी बहुत अहम् मसला है। माननीय परिवहन मंत्रीजी, सरकार में आप बिराजमान हैं। क्या आप गृह मंत्रीजी से मिलकर इस बारे में कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं ? आप ऐसी चैकिंग नहीं कर सकते, रोडवेज का स्टाफ नहीं कर सकता तो राजस्थान की पुलिस सोयी हुई क्यों है ? आपको क्यों नहीं को-आपरेट कर रही है ? क्या सरकार इस बारे में व्यवस्था करेगी ? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुझे ऐसा आभास होता है कि क्या राज्य सरकार राजस्थान पथ परिवहन निगम को घाटे में लाकर प्राइवेट बस ओनर्स के कब्जे में राजस्थान को देना चाहती है और यदि नहीं देना चाहती है तो चैकिंग की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है ? सारा सदन ही नहीं, पूरा राजस्थान इस बात को चाहता है। इसके बारे में आप स्पष्ट जवाब दे दीजिये। यह पूरे राजस्थान का मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, जवाब आने दें।

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अवैध वाहन संचालन के विषय में जो चिन्ता व्यक्त की है मैं भी इसमें शामिल हूं और निश्चित तौर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में यातायात नीति का भी जिक्र किया है। हम इन सारी प्राब्लम्स.को सोर्ट आउट करके निश्चित तौर पर शीघ्र ही यातायात नीति बनाने जा रहे हैं और उसके बाद हम और गृह मंत्रीजी मिलकर निश्चित तौर पर अवैध वाहन संचालन समाप्त कर देंगे।

श्री गोपीचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा मानना तो यह है कि चिन्ता में शामिल होने से काम नहीं चलेगा। या तो वैध बसों को बंद कर दिया जाय और अवैध ही चलायी जायें। राजस्थान रोडवेज की डिपो को बंद ही कर दिया जाए, इन अवैधों को ही चलने दो। कभी भी बंद होने की संभावना तो है ही नहीं। रटा-रटाया जवाब मिलता है। या तो अवैध वाहन बन्द हो या प्राइवेट वाहन बन्द हो। चोर और साहूकार दोनों एक ही जगह क्यों रखते हो। एक के ही कब्जे में रखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री गोपीचन्द : भारी मात्रा में करोड़ों-अरबों रुपयों का सरकार को नुकसान हो रहा है।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी

(श्री राधेश्याम)

से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो लोग प्राइवेट बसें चलाते हैं उसी किराये पर हम जब प्रोफिट में जा रहे हैं, हमें और प्रोफिट बढ़ाना है तो प्राइवेट को आप ज्यादा सहारा क्यों दे रहे हो ? आप क्यों नहीं रोडवेज की नयी से नयी और अच्छी से अच्छी बसें चलायें, उनसे कम किराया लेकर आप ज्यादा कमाई कर सकते हैं, लोगों को ज्यादा सुविधा दे सकते हैं।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि, जैसा कि पूर्व में सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। यह सही बात है कि आगे-आगे तो प्राइवेट बस चलती है और पीछे हमारी रोडवेज की बस चलती है। दूसरा, मेरे डूंगरपुर में दो प्राइवेट बसें जो अनुबंधित हैं, चल रही हैं उनमें से एक बस बिल्कुल थर्ड क्लास है उस बस में आगे पैर अड़ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें।

श्री नाथूराम अहारी : 14 घंटे की जर्नी है। तो उस जर्नी के लिये रोड़वेज की डिलक्स गाड़ी को आप चालू करवायें, यह मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य 8–10 सप्लीमेंट्री हो गये हैं। माननीय किशनाराम जी।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अवैध बसों के बारे में कुछ व्यक्तिगत आक्षेप मंत्रीजी पर लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मीणाजी, बिराजें।

श्री किशनाराम नाई : यह टोटल ही गलत है। राजस्थान में जब तक नयी बसें नहीं चलायेंगे, 60 और 40 का रेशो नहीं देंगे तब तक यह अवैध बसें आपसे बन्द नहीं होंगी। नया चैंज करना पड़ेगा उसके बाद ही इसमें कुछ सुधार हो सकता है नहीं तो जैसे शराब की दुकानें अवैध चल रही हैं उसी तरह से ये अवैध गाड़ियां चलेंगी। सरकार न तो वह कन्ट्रोल कर सकी है और न ही यह कन्ट्रोल कर सकेगी, सच्ची बात तो यह है।

श्री अध्यक्ष : माननीय इसमें काफी चर्चा हो चुकी है, काफी सप्लीमेंट्री आ चुके हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, 1–5–1995 से रोडवेज के मुख्यालय पर चार कर्मचारी अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिनके नाम हैं मेघर भाटी, कालीराम राजपुरोहित, दयाराम रोशन अली है। ये चार दिन से आमरण अनशन पर बैठें हैं इसी तरह की अव्यवस्थाओं को लेकर।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें। माननीय श्री राजेन्द्रजी।

श्री श्रवण लाल (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 40 रुपये में डेली वेजेज पर ड्राइवर रखते हैं और 40 रुपये में ही कन्डक्टर को रखते हैं। वे तीन-चार साल से नौकरी कर रहे हैं। आज इस मंहगाई के जमाने के अन्दर उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है। इसलिए उनको कम से कम परमानेंट तो करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय यह क्या प्रश्न

(श्री अध्यक्ष)

पूछ रहे हो, कोटपूतली की बात चल रही है। मैं ने काफी सप्लीमेंट्री अलाउ कर दिये हैं। आप बिराजें। माननीय राजेन्द्रजी।

श्री दलीचन्द (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि रोडवेज के साथ-साथ....

श्री अध्यक्ष : माननीय दलीचन्दजी, बिराजें।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यातायात मंत्रीजी से मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या जो अवैध वाहन चल रहे हैं... (व्यवधान)

श्री दलीचन्द : अवैध या प्राइवेट बसें हैं उनके ड्राइवर को 100 रुपये दे रहे हैं

श्री अध्यक्ष : दोनों का मिक्स हो रहा है। मिक्स हो जायेगा, बात ही समझ में नहीं आयेगी। माननीय दलीचन्दजी, बिराजें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : जो अवैध वाहन चह रहे हैं उनका किराया हमारी रोडवेज की बसों से कम है। क्या यह बहुत बड़ा कारण है (व्यवधान) प्राइवेट बसें, निजी बसें मुनाफे में चलती है कम किराये पर तो राजस्थान रोडवेज का किराया भी उनके किराये के बराबर रखने का विचार रखते हैं ?

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : आज बिराजें। 12 सप्लीमेंट्री हो गये हैं।

श्री महावीर भगोरा : एक बहुत जरूरी है, एक बहुत ही आवश्यक है, परसों की घटना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। ऐसा है फिर सभी माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे।

श्री महावीर भगोरा : मेरे विधान सभा क्षेत्र में दस बसें अवैध चल रही हैं और परसों की तारीख में स्वयं डी. टी. ओ. ने....

श्री अध्यक्ष : यह कोटपूतली की बात हो रही है, आप कहां गोगुन्दा का बीच में ले आये।

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा मेरे यहां हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय मंत्री जी, आपको कुछ कहना है ?

श्री महावीर भगोरा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बसे अवैध रुप से चल रही है, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चल रही हैं और डी. टी. ओ. के स्वयं की साझेदारी से चलती हैं। परसों चैक नहीं किया, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय मंत्रीजी आपको कुछ कहना है। (व्यवधान) आप बिराजें, माननीय सदस्य, फिर आप कहेंगे कि को-आपरेट करें। कृपया को-आपरेट तो आप मुझे करें।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 40 साल से अवैध बसें चल रही हैं, बन्द नहीं हुई और न आज बन्द होंगी। मेरा आपसे निवेदन है कि और गाड़ियों की व्यवस्था की जाय नहीं तो बन्द करेंगे तो पब्लिक धरना देगी। आज कोई भी हो,

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

विधायकगण भी हो कोई साधन ले जाने का नहीं है। इसलिए व्यवस्था की जाय। व्यवस्था नहीं होगी जब तक अवैध वाहन बन्द नहीं हो सकते, कोई बन्द नहीं कर सकता, न ही पिछले 40 साल से बन्द हुई है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दूसरा प्रश्न आने दें।

श्री नाथूराम अहारी : गाड़ियों की, डीलक्स गाड़ियों की व्यवस्था तो करनी ही होगी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, आप बहुत नर्म पड़ रहे हैं। क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : अब आप कहेंगे कि कड़ाई कर रहे हैं।

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अवैध वाहन संचालन के विषय में अल्हदा-अल्हदा तरह की बातें कही हैं, बात एक ही है, एक ही चिन्ता व्यक्त की है। मैंने निवेदन किया कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसे कि घोषणा की कि हम यातायात नीति बना रहे हैं। वित्तीय संसाधन के अभाव के कारण सदस्य चिन्ता तो करते हैं लेकिन रोडवेज के पास फण्ड्स भी नहीं है कि हम इतनी व्यवस्था कर दें। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर से रोडवेज के साथ बसें जुडें, ज्यादा से ज्यादा कान्ट्रेक्ट पर।

श्री गोपीचन्द : प्राइवेट बसें चलती है टैक्स की चोरी करते हैं और उनको आप परमिट दे देते हैं। अन-अथोराइज्ड तरीके से चल रही हैं, यह कौन से तुक की बात है। इसका मतलब यह है कि आपको पैसे मिलते हैं.

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री गोपीचन्द : + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री गोपीचन्द : विधायकों की गाड़ी के आगे-आगे प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं। आपको चाहिये, उसको आप क्यों नहीं रोकते ? + + + (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : माननीय गोपी चन्द जी बिराजें।

श्री गोपीचन्द : राजस्थान की जनता की खून पसीने का पैसा आपकी जेबों में जाता है वह सरकार के खजाने में जाना चाहिये। अरबों रुपयों का नुकसान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय गोपी चन्द जी, बिराजें। श्रीमती बीना काक।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री मदन मोहन : एक पाइंटेड प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : 25 सप्लीमेंट्री हो गये हैं। आप बिराजें।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन मोहन : एक पाइंटेड प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय सदस्य आपका कोई उत्तर आने वाला नहीं हैं।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकृत मार्गों की बात कह रहा हूं

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लेना, आप रोज ही मिलते हो....

श्री मदन मोहन : राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राजस्थान परिवहन निगम की बसें चल रही हैं....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। श्रीमती बीना काक।

मैसर्स बी.बी.जी. बिल्डर्स एण्ड डवपलमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उदयपुर द्वारा फ्लेट निर्माण

718. **श्रीमती बीना काक** (सुमेरपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मैसर्स बी.बी. जी. बिल्डर्स एण्ड डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उदयपुर ने उदयपुर शहर में मल्टी स्टोरी फ्लैट निर्माण करने की स्वीकृति चाही है ?

(2) यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिस भूमि पर यह स्वीकृति चाही जा रही है वह भूमि राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति के अनुसार फतहसागर तालाब के पेटे की सरकारी भूमि है ?

(3) क्या सरकार इस खूबसूरत एवं आकर्षक झील पर सम्भावित अतिक्रमण को रोकने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) अध्यक्ष महोदय, जी नहीं। मैसर्स बी. बी. जी. बिल्डर्स एण्ड डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उदयपुर द्वारा नगर विकास प्रन्यास में मल्टी स्टोरी निर्माण हेतु आज दिनांक तक भवन निर्माण के मानचित्र नगर विकास प्रन्यास में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) जब न्यास में मानचित्र ही प्राप्त नहीं हुए हैं तो स्वत्व की जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) अतिक्रमण रोकने के लिये सरकार सजग है एवं हर प्रकार की क़ानूनी कार्यवाही करती है और करेगी।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इतने सीनियर मंत्रीजी से इस तरह की गलत बयानी और गैर–जिम्मेदाराना जवाब की उम्मीद नहीं थी। अगर आपको सरकारी मुलाजिम गुमराह करते हैं तो जानकारी मैं आपको दे देती हूं कि कहां कौन–सी फाइल पड़ी है और कौन से नक्शे दिये गये हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको दूंगी जानकारी कि कहां पड़ी हुई वह फाइल तीसरे जवाब में आपने बताया है कि अतिक्रमण रोकने के लिए सरकार सजग है एवं हर प्रकार की क़ानूनी कार्यवाही करेंगे। आज से

(श्रीमती बीना काक)

5–7 दिन पहले मैंने 295 के अन्तर्गत एक मुद्दा उठाया था....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। इनका दखल इनके दफ्तर में बहुत गहरा लगता है और यह अच्छी स्थिति नहीं है। इनसे सावधान रहें।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैंने 1985 से 1990 तक सीनियर बहन माननीय उज़ला से ही सीखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 295 में मैंने एक सवाल उठाया था और उसमें यह कहा था कि निजी लोगों को परमिशन नहीं दे रहे हैं और सरकारी महकमे, उदयपुर की झीलों के आसपास अतिक्रमण करते जा रहे हैं। आप लिख दीजिये, जरा नोट फरमा दें अधिकारियों को कि वे नोट कर लें।

उदयपुर में तालाब के आसपास सोलर आब्जर्वेटरी में आगे से आगे अतिक्रमण करके बिल्डिंग बनायी जा रही हैं, बिना किसी परमिशन फोरेस्ट विभाग अतिक्रमण करता जा रहा है। पी.एच.ई.डी. की टंकी बन गयी है, उसके नीचे दफ्तर बनते जा रहे हैं। रोटरी भवन बन गया है और मेरे 295 उठाने के बाद पुलिस अन्वेषण ब्यूरो, डी.जी. पुलिस ने उसका शिलान्यास किया है, सरकारी जमीन के ऊपर ग्रीन बैल्ट के अन्दर। मैं आपसे तीन-चार सवाल पूछना चाहती हूं कि जो जमीन है, जिसका मैंने अभी खास तौर से जिक्र किया है, खसरा नम्बर 1283 ग्राम देवली, तहसील गिरवा, 1948 में रिकार्ड में दर्ज हुई बिला नाम पेटा tank bed government land in the revenue records. और लगती हुई जमीन जो आबादी की है, जिसका 1974 में म्यूटेशन हुआ, 1994 में इनीशियली जिसको खरीदा था, उसका बेचान हुआ, 32 फ्लैट्स की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिये और पास की आबादी की जो जमीन थी उसे रिक्लीन करके, तालाब को भरकर के तैयार कर लिया। इसके अन्दर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 40 लाख रुपये की सेल डीड दिखायी गयी जब कि एक करोड़ का लेनदेन हुआ। इसकी फाइल माननीय मंत्रीजी पता करवाइये। Evasion of Stamp duty on transaction के तहत क्या केस डी.आई.जी. स्टेम्प्स के पास पेंडिंग है, जिसका पार्टी को नोटिस दिया है ? आप कह रहे हैं कि आपके पास किसी प्रकार की जानकारी नहीं है कि कोई फाइल ही नहीं है। मैं बताऊं कि यू.आई.टी. में फाइल कहां पड़ी है। क्या यह भी सही है कि यू. आई. टी. की फाइल की किसी एक आला अफसर के दफ्तर के अंदर जब्त की गयी ? यह आप बतायें। यह आपको पता नहीं चले तो आपको जवाब दूंगी। 1974 में म्यूटेशन के बाद पुनः 1995 में दुबारा पट्टा तहसीलदार को रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज करने के लिये क्यों दिया गया ? पहले इन तीनों सवालों का जवाब दे दें, फिर दो सवाल छोटे-छोटे और हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो सारा विवरण दिया है, वह विवरण अलग-अलग है। जो मुख्य प्रश्न किया उसका उत्तर आप लेंगी ? इसमें कौन–सा गैर जिम्मेदारी का उत्तर मैंने दे दिया। आपने लिखा है कि क्या यह सही है कि मैसर्स बी.बी. जी. बिल्डर्स एण्ड डवलपमेंट प्रा. लि., उदयपुर ने उदयपुर शहर में मल्टी स्टोरी फ्लैट निर्माण करने की स्वीकृति चाही है। मैंने कहा, ऐसी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कोई स्वीकृति नहीं चाही गयी है, अभी तक हमारे नगर विन्यास में कोई दरख्वास्त नहीं दी है। अब यह उत्तर क्या गलत हो गया ?

श्रीमती बीना काक : तीसरे पर आइये न।

श्री भंवरलाल शर्मा : Let it be clear. अगर कोई बात ऐसी है, जो मेरी जानकारी में नहीं लायी गयी है तो समझा दीजिए, इसमें क्या गलत हो गया। यदि आपकी जानकारी में है कि यू.आई.टी. में नक्शा पास कराने के लिए कोई दरख्वास्त दी गयी है, Please, tell me. मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे को गलत जानकारी है, तो आप ठीक कर दें। फिर आपने कहा कि यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिस भूमि पर यह स्वीकृति चाही जा रही है वह भूमि राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति के अनुसार फतह सागर तालाब के पेटे की सरकारी भूमि है ? जब परमिशन ही नहीं चाही गयी है तो किस जमीन का उत्तर देना चाहिये मुझको। ऐसी कोई बात नहीं है। अब आगे जो बात आप कर रही हैं, वह प्रश्न का भाग नहीं है कि पुलिस अन्वेषण कर लिया, किस ने कर लिया। यह प्रश्न अगर आप पूछती, तो हो सकता है कि मैं उसका उत्तर देने की स्थिति में होता। अब आप जिसका वर्णन कर रही हैं, उसकी थोड़ी-सी सूचना मेरे पास है, पूरी अधिकृत नहीं है। यह ख़सरा नम्बर जो आप बता रही हैं, उसका नम्बर 1283 है या 89 है, यू करेक्ट इट 11.64 हैक्टेयर भूमि जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश दिनांक 5-8-94 से सैट-अपार्ट कर सार्वजनिक प्रायोजनार्थ सिंचाई विभाग को आबंटित की है। कलक्टर उदयपुर के उस आदेश के विरूद्ध मैसर्स बी.बी.जी. बिल्डर्स एण्ड डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान, भू-राजस्व अधिनियम की धारा 83 के तहत राजस्व मंत्री को प्रार्थनापत्र दिया हुआ है, यह बात मेरे विभाग में सम्बन्धित नहीं है। आपने उत्तर ठीक नहीं दिया, यह चार्ज तो न लगायें। बाकी कोई ऐसी जानकारी आपके पास है जो मुझे नहीं मिली है और कोई एक्शन चाहती हैं, तो आप मुझे बतायें, निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे, इसमें बचाने का क्या सवाल है ?

श्री गोपीचन्द : प्लाजा और के.के. कॉम्प्लेक्स को बहुमंजिला बिल्डिंगें बना रहे हैं, उनका क्या इंतजाम है ? उदयपुर और कोटा की (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस उत्तर से कतई सेटिस्फाई नहीं हूं। मेरे तीसरे प्रश्न का ज़वाब आपने नहीं दिया है। जिसमें मैंने पूछा कि अतिक्रमण रोकने के लिए सरकार सजग है माइक ऑफ कर दिया तो मैं क्या करूं ? तीसरे सवाल में पूछा है कि क्या सरकार अतिक्रमण के बारे में सजग है ? तो क्या आपने यह सब चीजें मैंने कहीं, इसके बारे में जानकारी थी कि इस तरह से अतिक्रमण हो रहे हैं ? यदि हो रहे हैं तो आप रोकेंगे कि नहीं ? अगर मैं आपको यह जानकारी दूं तो क्या आप इसे रुकवाने का यहां पर मुझे आश्वासन देंगे, जिम्मेदारी से और एक्शन लेंगे ? जब यह बहुत हल्ला मचा, इस तरह जो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आने से, जिसका सारा पोल्यूशन सारे पोल्यूटेंटस के साथ उन सारे तालाबों के अंदर जाएंगे, केचमेंट एरिया कम होगा, इस सब वजह से जब उदयपुर के लोगों ने हल्ला

(श्रीमती बीना काक)

मचाया तो हो सकता है कि उन्होंने इस फाइल के नाम परमिशन नहीं देकर जो फाइल पुनः चलायी हो, इनीशियल बेचान जिसका किया हो, उसके नाम से चलायी गयी हो। लेकिन मैं हण्ड्रेड परसेन्ट हूं। यह नक्शा जो मेरे पास है, यह उसी बिल्डर का है जिसको स्वीकृति के लिए मांगा गया है। 1948 में रामगोपाल त्रिवेदी के नाम से यह जमीन थी, जिनसे इन्होंने खरीदी है बी.बी.जी. बिल्डर्स ने। आप कृपया इसकी मुस्तैदी से जांच करायें कि क्या पेरेलल फाइल किसी और नाम से चल रही है, लोगों का गुमराह करने के लिये ताकि इन लोगों का काम हो जाय ? इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। माननीय मंत्री महोदय, इसकी आप जानकारी करायें। और तीसरा सवाल है अतिक्रमण का, उसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है। पुलिस अन्वेषण ब्यूरों ने ग्रीन बेल्ट के अंदर, माननीय मंत्री महोदय, डी.जी. पुलिस ने जाकर इसका शिलान्यास किया है। इस प्रकार का जो नो कंस्ट्रक्शन जोन के अंतर्गत आता है, क्या किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन अवांछनीय है, चाहे वह सरकारी हो या गैरसरकारी हो। आप प्राइवेट को तो मना कर रहे हैं। कामची होटल था, उस पर आपने रोक लगा दी। आपने क्या रोक लगायी, हाईकोर्ट से स्टे आ गया था। तो सरकार भी नियमों की पाबंद है या नहीं, प्राइवेट को आप मना कर दें और सरकार अतिक्रमण पर अतिक्रमण करती रहे, इसका मुझे जवाब दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण चाहे व्यक्ति करे, चाहे कोई विभाग करे, वह अतिक्रमण है। आपने जो प्रश्न किया है, मैं उसके उत्तर तक ही सीमित हूं। आपका प्रश्न काल्पनिक है कि क्या सरकार इस खूबसूरत एवं आकर्षक झील पर....

श्रीमती बीना काक : गोल-गोल घुमाकर आप बात किये जा रहे हैं, आप कमाल कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय सदस्या ने जो प्रश्न उठाया है, किन टैक्नीकली ठीक है, उसका भी तो, उत्तर दीजिये।

श्रीमती बीना काक : अगर सरकारी कर्मचारी आपको गलत इंफोर्मेशन दे देते हैं तो आप एक्सेप्ट करके रेक्टीफाई करायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे तो सुनो साहब।

श्रीमती बीना काक : आप लफ्जों में क्यो उलझ रहे हैं, अलफाज में क्यों उलझ रहे हैं ? माननीय मंत्री महोदय आप अलफाज में क्यों उलझ रहे हैं ? अगर अधिकारियों ने आपको गलत इंफोर्मेशन दे दी है तो आप क्यों नहीं कार्यवाही करते हैं, रेक्टीफाई कराइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप पूरा सुनें।

श्री भंवरलाल शर्मा : यदि मुझे बोलने देंगे तो मैं यही कहूंगा जो आप कह रही हैं। क्या सरकार इस खूबसूरत एवं आकर्षक झील पर संभावित अतिक्रमण को रोकने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? मैंने कहा, रखती है। अब आपने सूचना दी है कि अमुक-अमुक स्थानों में अमुक-अमुक विभागों ने भी अतिक्रमण किया है तो निश्चित रूप से

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मैं इसकी जानकारी करूंगा और अगर यह अवैध निर्माण हैं तो इसको रोकेंगे, निश्चित रूप से रोकेंगे।

श्रीमती बीना काक : क्या पुलिस अन्वेषण भवन का जो शिलान्यास हो गया है, सिर्फ इसलिए कि डी.जी. पुलिस जा रहे थे, उनको राजी करने के लिए, क्या आप उसको रूकवायेंगे ? या जो ग्रीन बेल्ट के अंदर माना गया तो आप उसे तुड़वायेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर वह अवैध होगा तो निश्चित रूप से तुड़वायेंगे।

श्रीमती बीना काक : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शिव किशोर जी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने यह तो कह दिया कि हमारी इच्छा है उसको रुकवाने की लेकिन जिस तरीके से पुलिस विभाग को वह जमीन दी गयी और उन्होंने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, फोरेस्ट वालों ने उस पर बिल्डिंग बना ली, इरिगेशन वालों ने भी बना ली और एक बड़े सीनियर आई. ए. एस., जो हिन्दुस्तान जिंक में मिस्टर बधावन लगे हुए हैं, उनका मकान झील के किनारे बन रहा है, जिसे कलक्टर ने रोक दिया। ये सारे आई.ए.एस. उस कलक्टर के खिलाफ हो गये, उन अधिकारियों के खिलाफ हो गये कि उन्होंने आई. ए. एस. का मकान रोक दिया। क्या आप उस बधावन के मकान को जो तोड़ दिया गया है, उसकी फिर से बनाने की इजाजत देंगे ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यदि उस झील के किनारे किसी प्रकार की बिल्डिंग्स और अतिक्रमण हो रहे हैं, 1989 में एक आई. ए. एस. और एक आई. पी. एस. अधिकारी ने मिलकर मि० बाफना का मकान जो झील के ऊपर पहाड़ी पर बना हुआ था उसका सामान नहीं निकालने दिया और डाइनेमाइट (डाइनेमो) लगाकर सारे मकान को उड़ा दिया गया और सारी छत आकर नीचे गिर गयी, तो क्या उस आई.ए.एस. अधिकारी का और जो पुलिस विभाग वहां बनाने जा रहा है, इन मकानों को भी, इसी तरह से डाइनेमो (डाइनेमाइट) लगाकर आप गिरायेंगे ?

श्रीमती बीना काक : सरकार के डाइनेमो कैसे लगेगा, श्री शिव किशोर जी सरकार को डाइनेमो लगते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मान्यवर, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपकी जो कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग है उसकी जो दीवार है, उस दीवार के ऊपर एक होटल की दीवार खड़ी हो गयी और कलक्टर साहब सो ही रहे हैं, कलक्टर कोई इन्तजाम नहीं कर रहे हैं। वहां हांडी होटल बन रहा है। दिल्ली दरवाजे के ऊपर एक सार्वजनिक मंदिर था आदमी ने उसके ऊपर बिल्डिंग बना ली और वह मन्दिर उसके अन्दर दाब लिया। नेशनल हाइवे पर पारस सिनेमा के पास में पारस होटल की इजाजत दे दी गयी, यहां सेक्रेटेरियट से उसकी इजाजत मिली और उसकी जो जमीन थी उसमें चारों तरफ रोड निकालने के लिए रोड निकाली गयी यू. आई. टी. ने खर्चा किया और इस जमीन के एवज् में उसकी और जमीन दे दी गयी क्योंकि उसमें कुछ

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

आई. ए. एस. लोग इन्टरेस्टेड हैं। इस तरीके से शापिंग सेन्टर भी बन गया जो कि आवासीय भूमि थी इन सब की तरफ अगर आप ध्यान देंगे और मल्टी बिल्डिंग्स तो उदयपुर में बनती चली जा रही हैं 45 फुट से ऊंची कोई बिल्डिंग बननी नहीं चाहिये लेकिन यह जितनी बिल्डिंग बनी हैं वह 45 फुट से ऊपर बन रही हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन पर रोक लगाने का प्रयत्न करें क्योंकि बहुत दिक्कतें पैदा होने वाली हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि चाहे कोई आई.ए.एस. अधिकारी हो या कोई अन्य अधिकारी हो यदि वह अवैध निर्माण करते हैं, एन्क्रोचमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके रोका जाएगा और जिसका जिक्र आपने अभी किया आपकी जानकारी में है कि वह फाइल मेरे पास ही आयी है तो मैंने उसको रोक दिया, उसकी मैंने इजाजत नहीं दी। यह आप की जानकारी में है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनियां।

जिला श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा एलोपैथिक औषधियों का प्रयोग

719. **श्री रामप्रताप कासनियां** (पीलीबंगा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में जो वैद्य कार्यरत हैं, वह एलोपैथी दवाई प्रयोग करते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ऐसे वैद्यों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री अचलाराम मेघवाल) : (1) जी नहीं।

(2) जी हां, जब भी किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के विरुद्ध एलोपैथी औषधियों के प्रयोग की शिकायत प्राप्त होती है अथवा अधिकारियों के द्वारा औषधालय के निरीक्षण पर उक्त शिकायत मिलती है तो सम्बन्धित चिकित्सक के विरूद्ध नियमानुसार शीघ्र अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने खण्ड (1) में कहा है, जी नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर आयुर्वेदिक विभाग के जो औषधालयों में वैद्य लगे हुए हैं वह सारे के सारे आयुर्वेदिक औषधियां यूज नहीं करके एलोपैथी दवाइयां यूज करते हैं। सरकार का वैद्य तैयार करने में कितना खर्चा होता जा रहा है इससे एक तो आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ लोगों का रूझान कम होता जा रहा है और सरकार उनको जिस परपज़ के लिए औषधालयों में नियुक्ति देती है उस परपज़ से परे हट करके यह वैद्य एलोपैथिक दवाइयां यूज करके आयुर्वेद विभाग की छवि बिल्कुल ही खतम कर रहे हैं

श्री अध्यक्ष : कोई प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य,

श्री रामप्रताप कासनियां : प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नया हूं और अभी तक अनुभव नहीं है इसलिए थोडी बहुत गलती हो जाये तो माफ करें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ इन दिनों में पुलिस ने एक अभियान चला रखा है ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो प्राइवेट वैद्य हैं या डाक्टर हैं, जहां डिस्पेंसरी और प्राथमिक चिकित्सालय उपलब्ध नहीं हैं वहां आर. एम. पी. डाक्टर पिछले बीस-बीस और तीस-तीस वर्षों से काम कर रहे हैं। गांव के अन्दर अचानक ही रात को कोई व्यक्ति बीमार हो जाय तो यह जरूर नहीं है कि वहां सारे ही खराब हैं, उनमें भी कुछ आदमी हैं। तो जब तक सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर डिस्पैन्सरीज या प्राथमिक चिकित्सालय केन्द्र उपलब्ध नहीं करा दे तब तक इस तरह के आर.एम.पी. डाक्टर जो कि ग्रामीण क्षेत्रों और दूर-दराज के क्षेत्रों में बैठे हैं उनके खिलाफ जो पुलिस ने अभियान चला रखा है, यह बन्द किया जाये और दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में जो वैद्य हैं और जो एलोपैथी दवाइयां यूज करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। वह आर.एम.पी. डाक्टरों के खिलाफ जो अभियान चला रखा है, इसमें पुलिस लूटखसोट कर रही है और महीने के पैसे पुलिस डाक्टरों से बांध रही है, तो यह भी बन्द किया जाये। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का भी ध्यान इस मामले में आकर्षित करना चाहूंगा।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है मैं उनसे सहमत हूं और मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप रेड कीजिए, अपने आयुर्वेदिक औषधालयों को और चैक कीजिये कितनी ही डैकाड्रोन, एम्पीसिलीन और टेरामाइसिन की वायल्स मिलेंगी उनके पास। इसकी भयवहता को मैं आपको बताना चाहता हूं आज जो यह क्वैक्स और आयुर्वेदिक औषधालय वाले सारे हैं, यह एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने जा रहे हैं स्टोराइड रेसिस्टैन्ट पीढ़ी, डेकाड्रोन एक ऐसी भयंकर दवा है जो कि अन्तिम स्टैज पर काम में आती है। डेकाड्रोन की क्लैक्स जैसा कि माननीय कासनिया जी बता रहे थे एक ऐसी डैंजर्स दवा है कि अगर फर्स्ट स्टेज पर यूज कर दी गयी कि 100 पर्सेंट आयुर्वेदिक औषधालयों में इस्तेमाल की जा रही है और अगर इसको फर्स्ट स्टेज में इस्तेमाल कर ली गयी तो बच्चे और युवक और बच्चों की जो नौजवान पीढ़ी है यह हमेशा के लिए खतम हो जायेगी और यह अगर एस. एम. एस. मेडिकल कॉलेज में पहुंचे तो वह भी इलाज नहीं कर सकेंगे। We are preparing drug-resistant family this way तो सबसे पहले रेड इनकी जाकर कीजिए। आप देखिये क्या होने जा रहा है।

मंत्री महोदय एक और कहना चाहूंगा कि आप वैद्यराजों को तो सबको करिये ही करिये साथ ही जो क्वैक्स हैं उनकी भी रेड करके, क्योंकि उनके पास न तो कोई सर्टीफिकेट्स हैं। तो नम्बर एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक हजार जो भी हैल्थ वर्क्स बना रहे हैं आप उनको प्रतिबंधित इसके लिए कीजिए कि वह कोई दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वह सिर्फ आपका प्रचार करेंगे। महोदय इसको बहुत गम्भीर दृष्टि से लिया जाये, Steroid is going to kill the whole generation.

श्री अचलाराम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय,

(श्री अचलाराम मेघवाल)

प्रश्न में उठा है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक एलोपैथी दवाओं का उपयोग करते हैं। विभाग की आचार संहिता में पेज 6 पर यह स्पष्ट कर दिया है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक आयुर्वेदिक औषधियों के अलावा, अपनी वैद्यक के अलावा अन्य दवाओं का उपयोग नहीं करेंगे। फिर भी माननीय सदस्य को किसी विशेष औषधालय अथवा व्यक्ति विशेष चिकित्सक के प्रति कोई शिकायत है तो निश्चित रूप से मैं जांच करवाऊंगा (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : सारे ही औषधालय वाले आयुर्वेदिक दवा इस्तेमाल नहीं करते ...

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : क्या मंत्रीजी और सरकार ऐसी मंशा रखते हैं कि पूरे राजस्थान में निरीक्षण का कार्य हो कि मैं पच्चीसों जगह ऐसी बता दूंगा कि जहां एलोपैथी दवायें यूज करते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बता दें कि ऐसे कौन से औषधालय हैं जिनमें वैद्य की दवायें यूज नहीं करते ? एक भी वैद्य का नाम बता दें राजस्थान में एक भी नहीं मिलेगा जो कि एलोपैथी दवायें यूज नहीं करते हों। एक का भी नाम बता दें।

श्री अचलाराम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न आया है कि आर. एम. पी. डाक्टर्स हैं वह इन दवाओं का विशेष उपयोग करते हैं। आर.एम.पी. आयुर्वेद के अधीन नहीं आते हैं और डेकाट्रोन आदि का भी उपयोग होता है और वह खतरनाक दवाई के रूप में साबित हो रही है तो हम आपके सुझावों का स्वागत करते हुए राजस्थान में आयुर्वेद विभाग द्वारा, जिसमें माननीय चिकित्स मंत्री जी का सहयोग लेना चाहेंगे और एक अभियान चलायेंगे कि यह व्यवस्था ठीक हो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जवाब दिया कि आयुर्वेदिक चिकित्सक एलोपैथी दवाइयां का यूज ही नहीं करते। मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक अस्पताल नहीं है जहां आयुर्वेदिक चिकित्सक एलोपैथी का यूज न करते हों

श्री अध्यक्ष : यह बात आ गयी है, बिराजें माननीय सदस्य।

श्री अचलाराम मेघवाल : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरीके की जो बात कही जा रही है इस सम्बन्ध में जो चिकित्सक अपराधी पाये जाएं तो आप वापस उसके लिए सिफारिश नहीं करें, मैं कठोर कार्यवाही कर लूंगा।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि आपको किसी पर्टिक्यूलर वैद्य से शिकायत है। यह शिकायत पूरे राजस्थान में है। माननीय मंत्री महोदय, आप तो सिर्फ यह बताएं कि आज तक आपने कितने वैद्यों के खिलाफ कार्यवाही की और इस तरह की अनियमितता में कितने वैद्य पाये गये ?

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं दोनों मिलकर के ड्राइव करेंगे, बिराजिए आप। श्री रामनारायण जी डूडी।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में तो यह 15-15 वर्ष से खाते डाल रखे हैं 1000–1000, 15000–15000 रुपये की वसूली लोगों से करते हैं जिस

(श्री रामप्रताप कासनियां)

प्रकार बनिया खाता रखता है उस तरह से वैद्य अपने खाते रखते हैं। मेरी किसी पर्टिक्यूलर वैद्य से द्वेषणता नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपने यह व्यवस्था दी थी कि 716 और 717 के बीच में स्थगित प्रश्न लेने की बात कही थी, माननीय श्री धारीवाल जी का प्रश्न था। उस प्रश्न को नहीं लिया गया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, उस समय श्री धारीवाल जी एण्टर ही हो रहे थे और उनका नाम बोल दिया गया था। वापस देख रहा हूं, बिराजो आप। श्री रामनारायण डूडी।

निर्वाचन क्षेत्र भोपालगढ़ में बालिका माध्यमिक विद्यालय

720. **श्री रामनारायण डूडी** (भोपालगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भोपालगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में बालिका माध्यमिक विद्यालय है ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या भोपालगढ़ में पंचायत समिति एवं तहसील व अन्य विभागों के मुख्यालय होते हुए भी यहां बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने को सरकार उचित नहीं मानती ?

(3) सरकार बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य एवं शिक्षा को समुचित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भोपालगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में कहां-कहां बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) :

(1) भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, आसोप चल रहा है।

(2) वर्ष 1995–96 में विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने के प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं, प्राप्त प्रस्तावों में से मापदण्डों के अनुरूप प्रस्तावों पर वित्तीय साधनों तथा वर्ष 1995–96 के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता के आधार पर क्रमोन्नति के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

(3) बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1994–95 में राज्य में 51 बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय, 20 बालिका माध्यमिक विद्यालय तथा 99 बालिका उच्च प्राथमिक किये गये थे। वर्ष 1995–96 में विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं, प्राप्त प्रस्तावों में से मापदण्डों के अनुरूप प्रस्तावों पर वित्तीय साधनों तथा वर्ष 1995–96 के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नति के प्रस्ताव देखे जायेंगे।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज पूरे राजस्थान के अन्दर बालिकाओं की शिक्षा के प्रति चिन्तित हैं और मंत्री जी ने जो मेरे प्रश्न का जवाब दिया है कि वह गुणावगुण के आधार पर यदि मापदण्ड होंगे तो बालिका विद्यालय खोल दिए जायेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि भोपालगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में ही बालिका विद्यालय आसोप में खोला गया, वह तो बहुत ही पहले खोल दिया गया था, क्या भोपालगढ़ पंचायत

(श्री रामनारायण डूडी)

समिति में खुद भोपालगढ़ गांव में पंचायत समिति, तहसील और अनेक राजकीय कार्यालयों का केन्द्र होते हुए भी और इसकी आबादी करीब 12–13 हजार की है क्या यह मापदण्ड बालिका विद्यालय खोलने के क्राइटेरिया में नहीं आता है ? साथ ही बावड़ी एक बहुत बड़ा गांव है जिसके आसपास में काफी गांव लगते हैं, जहां बालिकाओं की शिक्षा को देखते हुए क्या मापदण्ड में नहीं आता है ? तीसरी बात जो पंचायत समिति के अन्दर रक्तूड़िया गांव है, वहां 1982 के अन्दर एक मिडल स्कूल हमने बनवायी जहां 300–350 के करीब आज भी बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं क्या यह आपके बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने की क्राइटेरिया में नहीं आता है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी मुझे यह बता दें कि जोधपुर जिले के अन्दर आपने पिछले साल ग्रामीण क्षेत्र में कितने उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय खोले ? इससे स्पष्ट हो जायेगा कि आपकी बालिकाओं की शिक्षा के प्रति ग्रामीण क्षेत्र की नीति क्या है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जोधपुर सम्भाग में जो विद्यालय हमने खोले हैं उसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय 197 हैं, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक 22 हैं और माध्यमिक से सीनियर माध्यमिक 21 हैं। इससे पहले राजस्थान में अब तक 47 साल में....

श्री रामनारायण डूडी : मैं केवल ग्रामीण क्षेत्र जोधपुर की बात कर रहा हूं सम्भाग की नहीं कर रहा हूं। मैं स्पष्ट आपसे पूछ रहा हूं और मुझे स्पष्ट जवाब चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आपको एक-एक एम.एल.ए. के अनुसार बता रहा हूं। आप जिसको ग्रामीण मानें, मान लें। लूणी–सात उच्च प्राथमिक, दो माध्यमिक। फलोदी–तीन उच्च प्राथमिक, एक सीनियर। बिलाड़ा–दो उच्च प्राथमिक, एक सीनियर। शेरगढ़–तीन उच्च प्राथमिक, एक सैकण्डरी। ओसियां–दो उच्च प्राथमिक, तीन सैकण्डरी। भोपालगढ़–चार उच्च प्राथमिक.... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मंत्री महोदय, ओसियां पर अन्याय क्यों ? संख्या बढ़ायें।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा खोल दिये हैं वह यह कह रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ग्रामीण क्षेत्र में ही पिछली बार सबसे ज्यादा विद्यालय खुले हैं। अगर आप शहरी दृष्टि से लें तो वह भी मैं बता देता हूं कि हमने कितने कम खोले हैं।

श्री रामनारायण डूडी : मैं शहरी नहीं पूछ रहा हूं, शहरों में आप खोलिए मुझे कोई गिला नहीं है। मगर पांचवी करने के बाद में आपके शहरों में पढ़ने के लिए व्यवस्था हो नहीं सकती न उनके मां बाप शहरों में पढ़ाने के लिए अकेले भेजते हैं। क्या आप इसको दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जहां आठ-आठ, दस-दस साल से मिडल स्कूलें खुली हुई हैं, भोपालगढ़ 50 गांवों के इर्द-गिर्द आया हुआ है वहां 5–7 मिडल स्कूलें भी हैं। गचकूड़िया के अन्दर 82 के अन्दर मिडल स्कूल बनवायी उसके उपरान्त भी इनको क्रमोन्नत नहीं किया जा रहा है। क्योंकि यह

(श्री रामनारायण डूडी)

राजनैतिक दृष्टि से किया जा रहा है और यदि क्राइटेरिया के अन्दर आता है तो मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले क्राइटेरिया उन गांवों के अन्दर जायेगा जहां 300–300 बालिकाएं पढ़ रही हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय, कोई पाइंटेड बात पूछनी हो तो पूछें।

श्री रामनारायण डूडी : यह मेरा बिल्कुल स्पेसिफिक पाइंटेड प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे, आप सुन ही नहीं रहे थे। बिराजें आप।

श्री रामनारायण डूडी : जहां तीन-तीन सौ बालिकाएं पढ़ती हों, जहां मिडल स्कूल हैं जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनको क्रमोन्नत नहीं कर रहे हैं, यह कौन–सा क्राइटेरिया है ?

श्री श्रवण कुमार : अध्येक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है।

माननीय मंत्री जी आप बतायें कि क्या झुंझुनूं जिले में एक भी सीनियर माध्यमिक विद्यालय नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सदस्य, अगर आप शांति से सुनेंगे कि एक-एक एम.एल.ए. के यहां कौन-कौन से विद्यालय खोले, उसकी सारी सूची पढ़ देता हूं।

श्री श्रवण कुमार : झुंझुनूं जिले में तो एक भी नहीं खोला।

श्री रामनारायण डूडी : या तो आप यह बता दें कि भोपालगढ़ क्राइटेरिया में नहीं आता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सदस्य, आपकी यह भावना बिल्कुल सही है कि भोपालगढ़ पंचायत समिति हैड क्वार्टर है, वहां सब कुछ होते हुए भी वहां आज भी लड़कियों का सैकण्डरी स्कूल नहीं है यह आप जो कह रहे हैं यह वास्तव में बिल्कुल सच है लेकिन यह कोई मैं एक साल में तो पूर्ति कर नहीं पाऊंगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर पंचायत समिति में इस साल लड़कियों की सैकण्डरी स्कूल की दृष्टि से निश्चित रूप से पूर्ति कर दूंगा.... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा बालिकाओं के लिए सवाल है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : राजस्थान में इस समय केवल 9 पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां लड़कियों का अभी तक सैकण्डरी स्कूल भी नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : एक छोटा-सा जनरल सवाल है। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस बार उसमें यह नार्म है कि हम पूर्ति कर देंगे।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक बात और है, चिड़ावा के अन्दर इतनी जनता रहती है और वहां एक भी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल सरकार की नहीं है। इसका कारण बतायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सदस्य, हमने बच्चियों की शिक्षा को ही प्राथमिकता दी है और उसको ध्यान में रखकर 51 जो सीनियर पिछले साल खोले हैं, इससे पहले 48 साल में केवल 129 थे राजस्थान में। हमने पिछले साल लड़कियों का 51 और खोलकर के 28 पर्सेंट विद्यालय एक साथ खोले। ऐसा नहीं है कि नहीं खोले। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : मुझे यह बतायें कि 9 पंचायत समितियां कौन-कौन–सी हैं ?

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा–सा सवाल है।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप जो स्कूल खोल रहे हैं, उनमें 50 परसेन्ट बालिकाओं के लिए रिजर्वेशन करना चाहेंगे ? वह नीतिगत है।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मेरे को हल्ला मचाना तो आता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक छोटा–सा सवाल पूछने की अनुमति मुझे भी दे दें। जोर से मुझे बोलना आता नहीं।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : कभी कांस्टीट्यूएंशी में मुड़कर गयी नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये माननीय।

श्रीमती बीना काक : मेरे ख्याल से ताराजी सपोर्ट करने आती हैं मुझे, जब मैं जीतकर आती हूं, क्यों ?

एक छोटा–सा सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्कूल खोलने को जो आधार इन्होंने बताया है कि वित्तीय होता है, बालिकाओं की संख्या से होता है, राजनीतिक होता है। यह गुणावगुण का आधार क्या होता है, यह मेरी समझ में नहीं आया। यह बतायें। गुणावगुण का आधार क्या होता है, मंत्रीजी ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ऐसा है, जो आज दिन तक आप समझी थीं, इस राज्य सरकार के सैट-अप में 48 वर्ष में जो आप समझी इस शब्द को, वही अर्थ इस शब्द का आज भी है।

श्रीमती बीना काक : इसका मतलब हमारे ही पदचिन्हों पर चल रहे हैं न आप लोग ? वही पदचिन्हों पर आप फालो कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शांति कुमार जी धारीवाल, आपका प्रश्न जब आप एण्टर हुए थे तब काल किया गया था और आप आधा सैकण्ड देर से थे। यह बार-बार इंसिस्ट कर रहे हैं मुझे। मुझे अनुमति देने में मुश्किल रहेगी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : प्रश्न को गौण करने का विचार है क्या आपका ?

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन का प्रश्न है, उसी को लिया जाए। वह बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शिव किशोर जी सनाढ्य, अल्प सूचना प्रश्न।

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रीज से सम्बन्धित सवाल है उसी को लिया जाय (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी उस दिन नहीं थे (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान सरकार ने इस इण्डस्ट्री को बन्द कर दिया है। 495 एम्पलोई (व्यवधान) उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन का सवाल है, उसको लिया जाए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं स्वीकारूंगा, बिराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रश्न संख्या 721 ले लें, क्योंकि राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रीज से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज मंत्री जी से बात कर लें। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, कारपोरेशन को बन्द कर रहे हैं, सैकड़ों कर्मचारियों का क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अल्प सूचना प्रश्न का मामला है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : 500 कर्मचारियों की छंटनी का मामला है। सरकार लोगों में बेरोजगारी फैला रही है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : देखिये तो सही। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सरकार जान-बूझकर इनकी सेवा नहीं ले रही है और रिट्रेंचमेंट कर रही है स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए... (व्यवधान) और ना ही इनको दूसरी सेवा में ले रही है। इसलिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है (व्यवधान) राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रीज बन्द होने का, इसी को लिया जाय। यह एक अहम् सवाल है (व्यवधान) इनकी जिन्दगी और मौत का सवाल है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो दो रोज तक स्थगित कर दिया। मैं यहां पर आया और आप बुला नहीं रहे हो। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : 500 कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है जिसको आप गौण करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये एक सैकण्ड। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा तो सवाल लग गया कैसे बिराजें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर रहा हूं क्योंकि आप उस समय...

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आप लेट आये ही क्यों ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मंत्रीजी नहीं आये तो दो रोज तक आपने स्थगित रख दियां, जब मंत्री महोदय आये तो आपने बाई-पास कर दिया। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, यह देरी से आये हैं उनके प्रश्न नहीं लिये जाएं और माननीय सनाढ्य जी का अल्प सूचना प्रश्न लिया जाय। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : समय पर आप नहीं पधारते तो इसका दोष किसका है ? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो अन्दर आ गया था। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अन्दर और बाहर क्या होता है, सीट पर तो आप थे नहीं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, खुद कह रहे हैं कि मैं अन्दर आ गया था। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यों तो हमारे प्रश्न भी लगे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : चम्बल कमांड एरिया के जिन लोगों ने ओ.एफ.डी. वर्क्स करवाये, वहां पर मुख्य मंत्रीजी स्वयं जाकर के कर्जे माफी की घोषणा करके आये और आज जवाब यह दिया जा रहा है कि 6-3-91 को भूमि....

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें आप। आप मेरी मजबूरी मानें, आप समझ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ....वसूली नहीं करेंगे और इन किसानों को नोटिस पर नोटिस दिये जा रहे हैं, यह कर्जा और इस पर ब्याज पर ब्याज पड़ रहा है और आप कहते हैं कि मैं बैठ जाऊं। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अल्प सूचना प्रश्न संख्या 10।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, किसान मर रहा है, 19 करोड़ रुपये का.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : थोड़ा-सा आप जल्दी पधार जाते तो सारी बात आ जाती। आप बिराजें.... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहां बिराजें ? (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आप समय पर आते तो.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी से बात कीजिये। (व्यवधान) आप दीपेन्द्र सिंह जी को आने दीजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोटा के किसानों पर रोज नोटिस निकल रहे हैं मंत्री महोदय.... (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : जब तक शांतिकुमार जी खड़े रहेंगे तब तक.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका रिकार्ड आ जाय। आप बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 19 करोड़ रुपये का.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : कम से कम इस मामले में आप कुछ तो करिये। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अल्प सूचना प्रश्न संख्या 10।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह जी का आने दीजिये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 19 करोड रुपये का ब्याज लग चुका है। (व्यवधान)

(22)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें धारीवाल साहब।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अध्यक्ष जी, पहले मेरा प्रश्न है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जवाब दिलवायें आप। 12 बजा दूंगा पर आप इसका जवाब दिलवाइये। यह नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय समय बहुत कम है। आपको जवाब देना है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके कहने पर मैं दो रोज तक बैठा रहा इनके इन्तजार में कि मंत्री नहीं हैं और आज मैं मौजूद हूं तो आप कह रहे हो कि बिराजिये। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : जब सवाल पुकारा गया तब आप सीट पर नहीं थे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जब मंत्री नहीं है यहां पर, सरकार ने घोषणा की 1991 में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दीपेन्द्र सिंह जी का प्रश्न आ जाय। आपकी बात रिकार्ड हो गयी है आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और ब्याज पर ब्याज काटा जा रहा है। (व्यवधान) वसूल नहीं करेंगे और वसूल कर रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : अगर आप सीट पर होते जब सवाल पुकारा गया था तो पूरी सरकार तैयार होकर आयी है जवाब देने के लिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का अवसायन

721. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्री माधोपुर) एवं **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन जो कि एक राजकीय उपक्रम है, को बन्द करने का निर्णय सरकार द्वारा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और बन्द करने की क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि निगम के समस्त जिला स्तरों का कार्यरत कार्यालयों में लगभग 500 कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो निगम में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के बारे में सरकार क्या विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि निगम की समस्त सम्पत्तियों का बाजार मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक का है ? यदि नहीं, तो निगम की स्थायी सम्पत्तियों, भूमि, भवन, मशीनरी, स्टोर आदि कहां-कहां पर स्थित हैं और उनकी वर्तमान बुक वैल्यू एवं मार्केट वैल्यू क्या-क्या हैं ? इन सम्पत्तियों के निष्पादन की सरकार क्या योजना रखती है ? क्या सरकार इन सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु विधान सभा की कोई उप समिति गठन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी, हां। यह सही है कि राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन को बन्द करने का

(श्री कैलाश मेघवाल).

निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। निगम को पिछले वर्षों में निरन्तर हो रही हानि के कारण यह निर्णय लिया गया है। बन्द करने हेतु प्रक्रिया कम्पनी के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तथा विभिन्न अधिनियमों के तहत अपनायी जा रही है।

(2) निगम में कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 496 है। निगम के समापन की स्थिति में सर्वप्रथम कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अवसर प्रदान किया गया है। जो कर्मचारी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्राप्त नहीं करेंगे उनकी औद्योगिक विवाद अधिनियम अथवा कम्पनी के सेवा नियमों के तहत छंटनी की जाएगी। ऐसी छंटनी किये गये कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के तहत संविदा के आधार पर रोजगार के लिए योग्य होंगे।

(3) जी, नहीं। निगम की स्थायी सम्पत्तियां, भूमि, भवन मशीनरी, स्टोर आदि के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" के अनुसार संलग्न है। इनकी 1993–94 की बैलेंस शीट के आधार पर बुक वैल्यू 908.33 लाख रुपये है। मार्केट वैल्यू का आंकलन नहीं किया गया है। सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इसके समापन प्रक्रिया का एक भाग होगी। सम्पत्ति के निस्तारण हेतु विधान सभा की कोई उप समिति गठन करने का राज्य सरकार का विचार नहीं है क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें।)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : आधा सैकण्ड ही है, आप एक प्रश्न पूछ लें। ....(व्यवधान) आप बैठें, माननीय सदस्य। आप पूछिये, माननीय सदस्य।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैं पूछ रहा हूं। मैं माननीय मंत्रीजी से जानकारी करना चाहूंगा कि क्या बी.आई.एफ.आर. ने इसके लिए सिक यूनिट डिक्लेयर किया है या बी. आई.एफ.आर. की बिना स्वीकृति के ही आप इसको सिक यूनिट मानकर बन्द कर रहे हैं ? क्या इस तरह के घाटे के कारपोरेशन आपके यहां और भी चल रहे हैं उनको भी बन्द करना चाहते हैं या केवल इसे ही बन्द करना चाहते हैं ? दूसरा प्रश्न है, इसके कर्मचारियों के भविष्य के बारे में आपकी आगे क्या रूप-रेखा है ? दूसरे कारपोरेशन में आप उनको शिफ्ट करेंगे या छुट्टी करेंगे ? आप नये कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं, जैसे पावर कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : क्योंकि नहीं आप इनको दूसरे कारपोरेशन में शिफ्ट कर दें ? दूसरा जिन कर्मचारियों को....

श्री अध्यक्ष : अब वह समय पूरा हो रहा है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : जिन कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का लिखकर दे दिया है

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उनको आप

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

राशि कितने समय में लौटा देंगे ? और करोड़ों रुपये की जो अचल सम्पत्ति है उसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ? और कर्मचारियों का....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : और सम्पत्ति का स्पेसिफिक जवाब दें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कम्पनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कम्पनी है और जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अन्तर्गत बाइण्डिंग अप प्रोसिडिंग्स जो हैं राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से ही हो सकती है। इसलिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया वह बहुत सोच-समझकर लिया है जिसमें ललित किशोर चतुर्वेदी समिति का भी है, जिसमें नेशनल काउंसिल फार एप्लाइड एकोनोमिक रिसर्च की भी सिफारिश है और जिसमें योजना आयोग द्वारा गठित इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कन्सलटेशन का प्रतिवेदन भी है। इस तरह से बहुत ही सोच समझकर, क्योंकि 15 करोड़ का घाटा हो चुका है इसको बन्द करने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों के लिए पूरा ध्यान रखा गया है, गोल्डन हैण्ड शेक की जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना दी है, इसमें कर्मचारियों को वैसे तो 9 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं लेकिन हम इसमें 15 करोड़ रुपये तक देने की व्यवस्था रख रहे हैं। इसके बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो छंटनी हो जायेंगे, जो दूसरे कर्मचारी होंगे उनको कांट्रेक्ट बेसिस पर जो दूसरे हमारे अण्डर टेकिंग्स हैं वहां पर भी और जो सरकार में है वहां पर भी उनको नौकरी में खपाया जायेगा। कर्मचारियों के प्रति राज्य सरकार पूरी संवेदनशील है, उनके रोजगार के प्रति जागरूक है और उनको किसी तरह से दु:खी नहीं होने दिया जायेगा। परिसम्पत्तियां जो हैं, उसका जैसा मैंने निवेदन किया कि यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभी तक बुक वैल्यू आयी है, बुक वैल्यू के बाद मार्केट वैल्यू क्या होगी, पूरी पुख्ता सही तरीके से परिसम्पत्तियों का निस्तारण किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब स्पष्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब स्पष्ट नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : मैंने भी नोटिस दिया था, सप्लीमेंट्री करने का। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप, मेरी मजबूरी है... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, परिसम्पत्तियों के बारे में गोलमाल जवाब दिया है, कोई स्पष्ट जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों से ....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : इसको आप पूरा करवाइये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां गलत जानकारी दी है रिट्रेंच

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

अधिकारी को कोई वाइस का राइट नहीं होगा सेवा में, यह लिखा हुआ है, सर्कुलर में और इस सर्कुलर के अंगेस्ट में मंत्री महोदय ने जानकारी दी है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : कब तक क्या कर देंगे इसका स्पष्ट जवाब नहीं है। कर्मचारियों के लिए भी गोलमाल जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : The Contractual appointment shall not be a right of the retrenched employees of the Public Sector Undertakings. माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने गलत बयानी की है। यह सर्कुलर 28–12–1994 का है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का, इसमें साफ लिखा हुआ है कि....

श्री अध्यक्ष : समय निकल चुका है। मेरी मजबूरी है। आप बिराज जायें। आप बिराज जायें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप पूरा करवाइये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : The contractual appointment shall not be a right of the retrenched employees of the Public Sector Undertaking. (व्यवधान) इस तरीके से एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन के बारे में छंटनी के 495 कर्मचारी हैं उनको सेवा का अधिकार होगा दुबारा होने का, यह अधिकार नहीं है इसमें मेंडेटरी प्रोविजन नहीं है, इनके खिलाफ आपने कहा है कि केवल उनको सेवा के लिए योग्यतापात्र माना गया है।

श्री रामस्वरूप : प्रश्न का जवाब दिलवाया जाय।

श्री जगदीप धनखड़ : प्रश्न पूरा करवाइये। ....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : 500 एम्प्लाइज हैं, उनकी जिन्दगी और मौत का सवाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सेवा निवृत्ति फोर्सफुल की गयी है...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मंत्री महोदय, आपका सर्कुलर है, इस सर्कुलर में लिखा है कि यह राइट नहीं होगा किसी रिट्रेंच कर्मचारी का। ...(व्यवधान)...

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : सम्पत्ति के बारे में गोल-माल जवाब दिया गया है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, हम मेंडेटरी प्रोविजन चाहते हैं 495 कर्मचारियों का ...(व्यवधान) उनको सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं मिले उनको सेवा मिले। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है, बैठ जाइये।

श्री रामस्वरूप : स्पष्ट जवाब चाहते हैं, जवाब सही दिलवाइये।

श्री जगदीप धनखड़ : मात्र 9 लाख की भूमि दिखा रखी है, करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है। इस प्रश्न को आप पूरा डिस्कस होने दीजिये। मैंने भी एक नोटिस दिया था सप्लीमेंट्री.... इस प्रश्न को आप पूरा करवाइये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बिराजिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जवाब स्पष्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मेरा नम्र निवेदन सुन लें। मेरी मजबूरी है 12.05 हो गये हैं, लिस्ट ऑफ बिजनस लेनी है। प्रश्नकाल को 2–3 मिनट और किया है और मैं पहले से निवेदन कर रहा था माननीय सदस्यों से कि...

श्री राजेन्द्र पारीक : 500 कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, इस पर आप आधे घण्टे की चर्चा करवा लें। सरकार ने बिल्कुल गोलमाल जवाब दिया है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 495 कर्मचारियों का सवाल है।

एक माननीय सदस्य : आप आसन की अवमानना नहीं करें। आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य, आप बैठ जायें। आसन पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष : आप सुनना भी नहीं चाह रहे हैं, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि प्रश्न में ज्यादा देर तक उलझें नहीं... (व्यवधान)...

श्री शैलेन्द्र जोशी : 495 कर्मचारियों को रिट्रेंच किया जा रहा है और उनको कोई भी सेवा का हक नहीं दिया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : कोई भी एम्प्लायमेंट की गारण्टी नहीं दी है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आखिरी प्रश्न का जो अभी सदन के सामने उत्तर दिया जा रहा है इस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी माननीय सदस्यों ने उसमें समय निश्चित करने के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। क्योंकि क्वेश्चन आवर समाप्त हो गया है, कल सदन चल रहा है इसलिए आधे घण्टे के लिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है, उसमें आधे घण्टे के लिए चर्चा हो जाय। क्या नेता महोदय ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष नेता की तरफ देखिये, सदन की नेताओं की तरफ नहीं। (व्यवधान)... विपक्ष के नेता बोल रहे हैं आप इधर देखिये +++

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं देख रहा हूं। आप बिराजिये। मैं इधर ही देख रहा हूं। श्री मदेरणा साहब को अच्छी तरह से देख रहा हूं। आप बिराजिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : थोड़ा आप इधर देखें।

श्री अध्यक्ष : आप प्रस्ताव लायेंगे, तो विचार करेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करके आधे घण्टे की चर्चा करवा दें इस पर।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि 3–4 दिनों से इस प्रकार के कई बार प्रश्न आ गये हैं कि राजकीय उपक्रम किस प्रकार से बन्द किये जा रहे हैं, उसकी सम्पत्तियां कितनी है, उसमें सारे कर्मचारियों की संख्या कितनी है, उनको किस प्रकार रिहेबिलिटेट किया जाय, यह सब कुछ हो रहा है। लेकिन साथ ही कांग्रेस पार्टी के वयोवद्ध सदस्यों ने भी इस बात का भी बार-बार इस सदन में जिक्र किया है कि घाटा जिन उपक्रमों में हो रहा है उनको तत्काल बन्द किया जाय। बल्कि कुछ सदस्यों ने मुझे कहा कि आप में साहस नहीं है बन्द करने के लिए। अब बन्द करने की प्रक्रिया में यह सही है कि सब आदमी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। बन्द करने की प्रक्रिया में एक बात का निश्चित रूप से ध्यान रख कर चलना पड़ेगा, जैसा अभी गृह मंत्रीजी कह रहे थे कि जिन लोगों को आउट ऑफ एम्प्लायमेंट जाना है उनके साथ सरकार की सहानुभूति है कि किस प्रकार से वे लोग रोजगार में लगे रहें, किस प्रकार से उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिले या गोल्डन हैंड शेक इस प्रकार की जो प्रक्रिया भारत सरकार ने निश्चित की है। उस प्रक्रिया से उन लोगों को लाभ पहुंचाया जाय। वह एक आस्पैक्ट है, लेकिन दूसरा एक सैद्धान्तिक आस्पैक्ट है कि क्या हम किसी कारपोरेशन में घाटा खाये और काम वहां पर हो नहीं, काम नहीं होते हुए भी हम लोगों को तनख्वाह चुकायें और तनख्वाह चुका कर राजस्थान के आम टैक्स पेयर से उनकी तनख्वाह का हम रुपया वसूल करें। यह दोनों सिद्धान्त चलने वाले नहीं हैं। आज चाहे आप मानें या नहीं मानें कौन–सा कारपोरेशन बन्द होगा और कौन–सा कारपोरेशन चलेगा, जहां फ्री मार्केट इकोनोमी की व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में इस प्रकार के कारपोरेशन खड़े रहेंगे ? इसकी भी सम्भावना से मुझे तो डर रहता है और मुझे लगता है कि ये खड़े नहीं रह पायेंगे। इसलिए इस हाउस का मानस इस प्रकार का बनना चाहिये या जो मैंने अपने भाषण में कहा था कि तीन प्रकार के कारपोरेशन चल रहे हैं। जो बिल्कुल स्टेचुअरी कारपोरेशन हैं जिनको बन्द नहीं कर सकते।

दूसरी बात, जो मैंने कही थी कि बहुत–सी सरकारी कम्पनियां बनी हुई हैं जिनमें हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, वह भी बन्द करना बहुत मुश्किल है। को-आपरेटिव सैक्टर में भी इस प्रकार की कम्पनियां चल रही हैं. आखिर बन्द करने की प्रक्रिया चलेगी तो यहां पर कई बार मांग की गयी है, मुझे कटघरे में खड़ा किया गया है कि आपने मथुरादास कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों को क्यों नहीं माना ? अब मथुरादास कमेटी की रिपोर्ट भी इसी आधार के ऊपर चल रही है इसलिए अगर सदन चाहे आप लोग चाहें तो आपस में बैठ जायं। कारपोरेशन कौन–सा बन्द करना है उसको बन्द करो, कौन–सा कारपोरेशन चालू रखना है उसको चालू रखो, कारपोरेशन में जितने एम्प्लारज पर प्रभाव पड़ता है, उनको किस प्रकार से रिहेबिलिटेट किया जाय, वह कर लें ताकि यह चर्चा खत्म हो। यह दोनों तरह की चर्चा नहीं चल सकती। एक तो आप कहो कि मथुरादास माथुर कमेटी की रिपोर्ट को मानी क्यों नहीं, दूसरी तरफ आप यहां भाषण देओ कि घाटे के कारपोरेशन बन्द किये जायं और जब बन्द करने की स्टेज आती है, उस समय किसी न किसी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बहाने से यह कहा जाय कि गवर्नमेंट ने परिसम्पत्तियों का अभी तक पूरा हिसाब नहीं लगाया। लाइबिलिटीज कितनी हैं, इनका हिसाब नहीं लगायां असैट्स कितनी हैं, इनका हिसाब नहीं लगाया। कितने कर्मचारी बेकार होंगे, उनको एम्प्लोयमेंट किस प्रकार से मिलेगा, इसकी व्यवस्था नहीं की। यह एक साथ व्यवस्था नहीं हो सकती लेकिन अब तक मैं कहता हूं कि जितने कारपोरेशन या कम्पनीज हमने बन्द की हैं, उन सब लोगों को हमने रिहेबिलिटेट किया है और रिहेबिलिटेट करने के साथ ही मैं फिर आश्वासन देता हूं कि उन लोगों के पेट की रोटी छीन ली जाय, इसके हम पक्ष में नहीं हैं लेकिन मैं यह भी मांग कर सकता हूं कि पेट की रोटी की व्यवस्था किसी अन्य प्रकार से की जाय ताकि यह घाटे का बोझ इस सरकार पर नहीं रहे। इस पर आप विचार कर लें। आपकी जो भी राय होगी, मैं उसके अनुसार काम करने को तैयार हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने गोल्डन हैंड शैक को एक्सेप्ट कर लिया और लिखकर दे दिया, उनको राशि कितने समय में दे देंगे, इस बात के लिए निश्चित अवधि तय कर दें।

दूसरा, इनके सहारे के लिए आपने फर्माया कि बैठकर बात कर लें तो क्या आप विधान सभा के सदस्यों को समिति बनाने को तैयार हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं नहीं, कोई समिति बनाने की जरूरत नहीं है। आप आ जाइये, मैं आपसे बात कर लूंगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : यह कोई जवाब थोड़े ही हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आ जाइये आप।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मेरे से बात करने से सन्तोष कहां हुआ, प्रोब्लम सोल्व कहां हुई ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एग्रो इण्डस्ट्री कारपोरेशन है ...(व्यवधान) जो भी सदस्य बात करना चाहें, मैं सबको ले लूंगा। धनखड़ साहब आ जायं, आप आ जायं, कोई भी आ जाय। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर सबकी सर्वसम्मति से होता है तो सबसे बढ़िया काम होगा। दीवान साहब एक्सपर्ट हैं, दीवान साहब को भी ले लीजिये, दीपेन्द्र सिंह जी भी आ जायं, धनखड़ साहब आ जायं और बता दें कि किस तरह से बन्द करना है और किस तरह से इनको गोल्डन हैण्ड शैक देना है, मैं दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये। बिराजिये आप माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम देबावास (जालौर) में 33 के.वी. ग्रिड स्टेशन की स्थापना

716. **श्री भगराज चौधरी** (आहोर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि आहोर से सेखवाली (पंचायत समिति–आहोर) एवं गोधन से ओडवाड़ा (पंचायत समिति जालौर) की विद्युत् लाइनों पर अत्यधिक भार होने के कारण

(श्री भगराज चौधरी)

काश्तकारों के कुओं पर बहुत कम वोल्टेज मिलता है और नये कृषि विद्युत् कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इन लाइनों पर विद्युत् भार कम करने के लिए सरकार ग्राम देबावास (पंचायत समिति जालौर) में नया 33 के. वी. का ग्रिड सब स्टेशन कब तक बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी, हां, आहौर से सेखवाली की विद्युत लाइन पर जो अधिक भार था, अब सेखवाली फीडर की विद्युत् प्रणाली में सुधार कर माह जनवरी, 95 से भार कम कर दिया गया है। जिसके फलस्वरूप अब वोल्टेज सही मिल रहा है एवं अब नये विद्युत कृषि कनेक्शन दिये जा रहे हैं गोधन बादनवाड़ा फीडर भी ओवर लोड होने के कारण काश्तकारों के कुओं पर वोल्टेज कम मिलता है एवं नये विद्युत कृषि कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं क्योंकि इस फीडर पर वोल्टेज रेगुलेशन निर्धारित सीमा से अधिक है। गोधन के बादनवाडी ओडपाडा फीडर के वोल्टेज सुधरने हेतु 10 किलो मीटर की अलग 11 के.वी. लाइन की स्वीकृत दिनांक 18–6–94 को प्रदान कर दी गई है: संसाधनों की उपलब्धता अनुसार लाइन का कार्य पूरा होने पर काश्तकारों को विद्युत कनेक्शन दिये जा सकेंगे। वर्तमान में ग्राम देवास में 33 के.वी. का ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 2 मई, 1995)

चम्बल कमाण्ड एरिया के किसानों की कर्जा माफी

633. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चम्बल कमाण्ड एरिया के सिंचित क्षेत्र में आने वाले किसानों के कर्जे माफ करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई घोषणा की गयी थी ? यदि हां तो किन-किन किसानों के, कितनी-कितनी राशि के कर्जे अब तक माफ कर दिये गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि ऐसे किसानों के कर्जे उक्त घोषणा के पश्चात भी अब तक माफ नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा कर्ज माफ करने के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की गई। मुख्य मंत्री (वित्त मंत्री) महोदय ने अपने बजट भाषण दिनाकं 6–3–91 में भूमि विकास सम्बन्धी ऋणों की वसूली नहीं करने की घोषणा की है।

(2) उपरोक्त आधार पर कर्जे माफ करने सम्बन्धी कोई कार्यवाही वर्तमान में अपेक्षित नहीं है। सरकार काश्तकारों से ऋणों की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं कर रही है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नमक उद्योग ताल छापर (चूरू) की भूमि का स्थानान्तरण

1068. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ताल छापर जिला चूरू में

(आराम)

बना हा है ? यदि हां, तो सम्ब नमक भूमि का आवं व क्या आबंटन की शर्तें क्या

क्या कुछ आबंटियों नाम से भूमि का दूसरे नाम न्तरण भी ? यदि हां, तो नान्तरण के में क्या प्रक्रिया ई जा रही है ? सम्बन्ध में बनाये नियमों व जारी आदेशों व यां सदन की

सही है विभाग के अभी थानान्तरण यदि हां, तो क्यों ?

नान्तरण की चार रखती

क्षेत्र 3 से वण ने

(2) जी हां, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लवण भूखण्डों के स्थानान्तरण की स्वीकृतियां राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्रों का आंबटन) नियम, 1970 तथा हस्तान्तरण नीति दिनांक 6-6-81 के अन्तर्गत दी गयी है वर्तमान में प्रचलित नियम 1970 के नियम 2 (VII) तथा हस्तान्तरण नीति दिनांक 6-6-81 की प्रतियां संलग्न है (परिशिष्ट

(3) जी हां, राज्य सरकार व उद्योग विभाग के पास ताल छापर लवण क्षेत्र के स्थानान्तरण के चार प्रकरण विचाराधीन है जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "स" में दिया गया है।

(4) विचाराधीन उपरोक्त प्रकरणों में स्थानान्तरण की मंजूरी बाबत निर्णय प्रकरणों में पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर शीघ्र लिया जा सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

रुग्ण इकाइयों में विनियोजित राशि

1069. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) व **श्री अमराराम** (धोद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पिछले 3 वर्षों में राजस्थान वित्त निगम द्वारा कितनी इकाइयों को रूग्ण इकाइयों के रूप में घोषित किया गया एवं इनका अनुमानित मूल्य क्या था ? वर्षवार विवरण दन की मेज पर रखें।

(2) पिछले 3 वर्षों में राजस्थान वित्त द्वारा कितनी इकाइयों का विक्रय किया

(श्री बाबूलाल वर्मा)

गया ? मय कीमत वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 को निगम के पास कितनी रूग्ण इकाइयां विद्यमान थीं ? उनकी अनुमानित कीमत क्या है तथा उनमें कितनी धन राशि राजस्थान वित्त निगम, रीको व अन्य बैकिंग संस्थाओं की विनियोजित है या कर्ज के रूप में बकाया है ?

उत्तर

(1) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान वित्त निगम द्वारा घोषित रूग्ण इकाईयों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में)

वर्ष	रूग्ण घोषित इकाईयों की संख्या	परियोजना लागत
1992–93	13	595.02
1993–94	16	775.43
1994–95 (1-1-95 तक)	9	316.41

(2) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान वित्त निगम द्वारा राज्य वित्त निगम अंधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अधिग्रहित की गयी इकाइयों में से विक्रय की गई इकाइयों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में)

वर्ष	विक्रय की गई इकाइयां संख्या	विक्रय मूल्य
1992–93	152	748.01
1993–94	192	880.21
1994–95	429	1826.21

(3) दिनांक 31-12-94 को निगम के पास 1048 रूग्ण (अधिग्रहित) इकाइयां थी, जिनकी अनुमानित कीमत 130.00 करोड रुपये है, इनमें राजस्थान वित्त निगम का 85.70 करोड़ रुपया बकाया है, रीको के साथ संयुक्त रूप से वित्त पोषित 10 औद्योगिक इकाइयों में रीको का 10.63 करोड़ रुपया बकाया है एवं बैंकों के साथ संयुक्त रूप से वित्त पोषित 3 इकाइयों में बैकों का 1.65 करोड़ रुपया बकाया है।

नवनिर्मित हैण्डलूम भवन, जयपुर

1070. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि हैण्डलूम भवन, जयपुर का नवीन भवन निर्मित किया गया है ? यदि हां, तो कब तथा उसके लिए फर्नीचर एवं अन्य सामान यथा कालीन इत्यादि के क्रय किये जाने बाबत क्या प्रक्रिया अपनाई गयी।

(2) सामान क्रय किये जाने के संबंध में वित्त एवं राजकीय उपक्रम विभाग (बी. पी. ई.) ने क्या-क्या दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि हैण्डलूम भवन के नवनिर्मित भवन में सामान के क्रय के सम्बन्ध वित्त एवं राजकीय उपक्रम द्वारा प्रसारित आदेशों की अनदेखी कर सामान खरीदा गया एवं अधिकांश बिलों का भुगतान कर दिया गया ? क्रय किये गये एवं भुगतान किये गये बिलों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही

(श्री कुबेर सिंह)

की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या सरकार भुगतानार्थ प्राप्त शेष बिलों का भुगतान इस सम्बन्ध में जांच कर लेने के उपरान्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्या बिना जांच के भुगतान हो जाने से नियमों की अवहेलना एवं वित्तीय अनियमितता नहीं होगी ?

(6) नव निर्मित हैण्डलूम भवन के अनुमोदित भवन के नक्शे में बोर्ड के अनुमोदन के अभाव में प्रबन्ध संचालन के कक्ष में निर्माणोपरान्त एडीशन अलट्रेशन की क्या आवश्यकता थी तथा इसके लिए किस अधिकारी स्तर पर निर्णय लिया गया तथा क्या वे इस हेतु अधिकृत थे ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? एडीशन आलट्रेशन में कितनी राशि व्यय हुई ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान राज्य बुनकर संघ के भवन का निर्माण वर्ष 1993–94 व 1994–95 में हुआ। यह निर्माण राजस्थान राज्य पुल व निर्माण निगम के माध्यम से कराया गया है। भवन के लिये फर्नीचर एवं अन्य सामान यथा कालीन इत्यादि भी राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं।

(2) भण्डार क्रय के बारे में वित्त विभाग व राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमशः परिशिष्ट "अ" और "ब" तथा राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम के माध्यम से निर्माण कार्य कराये जाने बाबत जारी आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "स" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) जी नहीं। बुनकर संघ द्वारा भवन के लिए कोई सामान नहीं खरीदा गया है। बुनकर संघ ने उक्त भवन के निर्माण एवं साज–सज्जा के लिए राजस्थान पुल व निर्माण निगम को उनके मोबिलाइजेशन अग्रिम एवं रनिंग बिलों के आधार पर अब तक 87.24 लाख रुपये का भुगतान किया है। प्राप्त रनिंग बिलों की प्रतियां परिशिष्ट "द" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) जी नहीं। बुनकर संघ द्वारा भवन के लिये कोई सामान सीधा क्रय नहीं किया गया है।

(5) बिन्दु संख्या 3 में दी गयी स्थिति अनुसार पुल व निर्माण निगम को अभी रू. 18.34 लाख का भुगतान करना शेष है। अन्तिम बिल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। बिन्दु 3 और 4 के उत्तर के अनुसार जांच का प्रश्न नहीं उठता।

(6) प्रबन्ध संचालक के लिये प्रशासनिक आवश्यकता के अनुरूप स्पेशियश रूम उपलब्ध कराने की दृष्टि से अन्य दो कमरों के बीच की एक परदी को हटाया गया है तथा प्रबन्ध संचालक के इस कक्ष के साथ टायलेट व पी.ए. का कक्ष का निर्माण एवं कक्ष के फर्नीशिंग कराया गया है एवं प्रबन्ध संचालक के लिए पूर्व में तैयार कराये गये लघु कक्ष को संयुक्त पंजीयक स्तर के अधिकारी महाप्रबन्ध को उपलब्ध कराया जाना है। यह निर्णय प्रबन्ध संचालक के स्तर पर लिया गया

(उद्योग मंत्री)

है जो एक प्रशासनिक निर्णय है। इस एडीशन/आलट्रेशन का बिल पुल निर्माण निगम से प्राप्त नहीं हुआ है।

(सूची विस्तृत हाने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पाली शहर के उद्योगों में वित्त निगम की बकाया

1071. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान वित्त निगम ने पाली शहर में वर्ष 1970–71 से 1994–95 तक किन-किन औद्योगिक इकाइयों को कितना-कितना ऋण, किन–किन नियमों के अर्न्तगत उपलब्ध करवाया है ? सूची मय राशि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन औद्योगिक इकाइयों ने उपरोक्त निर्धारित नियमों के अनुसार ऋण राजस्थान वित्त निगम को नहीं लौटाया है ? यदि हां, तो इन औद्योगिक इकाइयों की सूची मय बकाया राशि के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नियमानुसार ऋण नहीं लौटाने वाली दोषी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो सरकार इन दोषी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध क्या व कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा पाली शहर में उनकी शाखा वर्ष 1979 में चालू होने के पश्चात से वर्ष 1994–95 तक 537 औद्योगिक इकाइयों को, जिनमें मुख्यतः कपड़े की रंगाई एवं छपाई से सम्बन्धित है को 11.34 करोड़ रुपये का ऋण निगम का विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उद्योग स्थापित करने हेतु स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन एक्ट, 1951 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उपलब्ध करवाया गया है, सूची मय राशि परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। निगम द्वारा दी गयी राशि का भुगतान उद्यमी द्वारा निगम को निश्चित अवधि में ही किया जाता है, जो सामान्यतः 7 से 8 वर्ष तक होती है, विभिन्न इकाइयों की बकाया एवं वर्तमान स्थिति की इकाईवार सूचना परिशिष्ट "क" में उल्लेखित है।

(3) जी हां। निगम द्वारा दोषी इकाइयों के विरुद्ध स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन एक्ट, 1951 के तहत निर्धारत प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(सूची विस्तृत हाने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगर पालिका नैनवां द्वारा कराये गये निर्माण कार्य

1072. **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जवाहर योजना तथा अन्य योजनाओं के तहत निर्माण कार्य करवाये जाने के लिए नगर-पालिका नैनवां को राशि उपलब्ध करायी गयी है ? यदि हां, तो 1990 से अब तक कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी ? योजना एवं कार्य के नाम सहित वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण)

(2) क्या उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पेश किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो इस बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) नेहरू रोजगार योजना व अन्य योजनाओं पर वर्ष 1990 से अब तक कुल 5,53,253.00 की राशि स्वीकृत की गई थी। योजना व कार्य का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें।)

नगरपालिका जहाजपुर में अनियमित नियुक्तियां

1073. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जहाजपुर नगर-पालिका किस श्रेणी में वर्गीकृत है और स्टाफ का पैटर्न क्या निर्धारित है ? क्या पैटर्न के आधार पर स्टाफ के पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृति के अनुसार ही स्टाफ कार्यरत है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत पद से अधिक पदों पर भर्ती विभागीय स्वीकृति से की गयी ? यदि हां, तो कब-कब, क्या-क्या पद स्वीकृत किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नगर-पालिका अधिनियम एवं नियमों में रिश्तेदारों को भर्ती करने के प्रावधान नहीं हैं ? यदि हां तो, विगत 4–5 वर्षों में किस-किस सदस्य के कौन-कौन रिश्तेदार नियम विरुद्ध भर्ती किये गये ? क्या नियम विरुद्ध नियुक्ति के सम्बन्ध में विभाग को शिकायत मिली थी ? यदि हां, तो विभाग ने कब क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि रिश्तेदारों को नगर-पालिका में भर्ती करने से सदस्यों की योग्यता प्रभावित होती है ?

उत्तर

(1) नगर-पालिका जहाजपुर चतुर्थ श्रेणी में वर्गीकृत है। इसके लिए स्टाफिंग पैटर्न निर्धारित है। स्टाफ पैटर्न के अनुसार है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) नगर-पालिका जहाजपुर में वर्तमान में कोई सदस्य का रिश्तेदार नियुक्त नहीं है। केवल दैनिक वेतन पर एक व्यक्ति लगाया गया था, जिसे आदेश दिनांक 28-10-92 द्वारा हटा दिया गया था, जिन्होंने उच्च न्यायालय, जोधपुर में अपील कर स्थगन प्राप्त कर रखा है।

(4) इस पालिका में किसी भी सदस्य के रिश्तेदार की नियुक्ति नहीं की गयी है इसलिए सदस्यों की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

नगरपालिका जहाजपुर द्वारा व्यय

1074. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर-पालिका जहाजपुर द्वारा वर्ष 1991–92 से 1994–95 तक स्वागत एवं समारोह में विभिन्न प्रकार का खर्चा किया गया है ? यदि हां, तो इसमें कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस बाबत नगर-पालिका मण्डल की बैठक में निर्णय किया गया है ? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह खर्चे अधिनियम/नियम/आदेशों के अन्तर्गत किये गये हैं ? इस बाबत अंकेक्षण विभाग ने कब-कब क्या एतराज किये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिस-जिस मद पर राशि व्यय की गयी उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। बोर्ड बैठक दिनांक 27-5-93 को प्रस्ताव सं० 4 के द्वारा 26-5-93 तक के खर्चे के वाउचर्स का अनुमोदन कर पुष्टि की गयी है। प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) नगर-पालिका द्वारा किये गये व्यय के सम्बन्ध में जांच करवायी जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें।)

माउण्ट आबू में आवासीय भवनों का निर्माण

1075. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) माउण्ट आबू में आवासीय भवन निर्माण की अनुमति देने बाबत क्या नियम बने हुए हैं तथा इन नियमों के बनाने के पीछे मुख्य मकसद क्या रहा है ?

(2) उक्त क्षेत्र में भवन निर्माण हेतु पिछले एक वर्ष में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ? उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में से कितने भवन, होटल, रेस्टोरेन्ट, आवासीय मकान इत्यादि हेतु थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में भवन का नक्शा रिहायशी उपयोग हेतु स्वीकृत करवाया जाता है व बाद में अन्य व्यापारिक कार्य हेतु उपयोग लेते हैं ? इसकी स्वीकृति कौन व कैसे देते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जयपुर शहर की तरह माउण्ट आबू में भी भू-खण्ड की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वे कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इन नियमों के बनाने का मुख्य उद्देश्य भवनों की एकरूपता एवं नियन्त्रण रखना था।

(2) माउन्ट आबू नगर-पालिका सीमा क्षेत्र में भवन निर्माण हेतु गत एक वर्ष में कुल

(स्वायत्त शासन मंत्री)

93 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए इनमें एक होटल के लिये तथा 92 आवासीय भवन के थे। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(3) जी हां। इनकी स्वीकृति नगर-पालिका द्वारा होटल उपविधियों के तहत दी जाती है। व्यवसायिक उपयोग के लिये भवनों के मामलों में 20 प्रतिशत रूपान्तरण शुल्क की राशि ली जाकर नियमित करने की कार्यवाही की जाती है। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) नगर-पालिका मण्डल की आगामी बैठक में माउन्ट आबू स्थित भूखण्डों के सर्वे बाबत प्रकरण रखा जा रहा है। मण्डल के निर्णयानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।

(सूची एवं आदेश की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

स्वायत्त शासन मंत्रालयिक आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए आमंत्रित आवेदन-पत्र

1076. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : **क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-**

(1) क्या यह सही है कि स्वायत्त शासन मंत्रालयिक सेवा आयोग द्वारा जुलाई, 1984 को विभिनन पदों के लिये आवेदन-पत्र मांगे गये थे ? यदि हां, तो किन-किन पदों के लिये ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही किये बिना ही पुनः जनवरी, 1990 में आयोग द्वारा दुबारा आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये ? यदि हां, तो पूर्व में भरे गये आवदनों का क्या किया गया ?

(3) क्या सरकार अब इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? सरकार का अब इस बारे में क्या विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1984 में राजस्थान पंचायत एवं स्वायत्त शासन अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा आयोग, जयपुर द्वारा जिन पदों के लिए आवेदन पत्र मांगा गया था उसकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 1987 में प्रश्न के भाग-1 में वर्णित आयोग समाप्त होने से उक्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही नहीं की गयी। रतनसिंह बनाम राज्य सरकार डी.बी. स्पेशल अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को पालना में जनवरी, 1990 में वर्तमान स्वायत्त शासन अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन आयोग द्वारा पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये जिनमें वर्ष 1984 के आवेदकों से भी आवेदन पत्र निःशुल्क तथा 5 वर्ष की आयु सीमा में शिथिलता देते हुए आमंत्रित किये गये थे किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार पुनरावलोकन आवेदन में उच्च न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय में इस विज्ञापन की बाध्यता से इस आयोग को विमुक्त कर दिया गया था।

(3) इस प्रकरण में कोई कर्मचारी/ अधिकारी दोषी नहीं है। न्यायालय के निर्णयानुसार ही कार्यवाही की गयी है। राज्य

(स्वायत शासन मंत्री)

संरकार द्वारा वर्तमान में उक्त पदों की पूर्ति नहीं करने के निर्णय लेने के पश्चात् आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन को विथड्रा किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

अलवर बस अड्डे पर सुलभ काम्पलैक्स

1077. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार का अलवर बस अड्डे पर सुलभ काम्पलैक्स बनाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। सुलभ काम्पलैक्स बनाने का विचार है।

क्षतिग्रस्त सीवरेज लाइनें

1078. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि कालोनियों में सीवर लाइन के ढक्कन आदि के टूटने से अन्दर कूड़ा आदि भर जाता है जिससे लाइन चोक होकर रूक जाती है ? यदि हां, तो इनको सुधारने के प्रयास कब तक प्रारम्भ कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

यह सही है कि कालोनियों में सीवर लाइन के ढक्कन आदि टूटने से अन्दर कूड़ा आदि भर जाता है। परन्तु सीवर लाइन जो चोक होकर रूक जाती है उन्हें जानकारी होने पर सफ़ाई कराकर सीवर लाइन चालू करा दी जाती है तथा यदि ढक्कन आदि टूटे मिलते हैं तो उनकी मरम्मत करा दी जाती है। इस बारे में निदेशालय स्तर से समस्त नगर निगम/परिषद व पालिकाओं को परिपत्र जारी कर समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

नगर-पालिकाओं/नगर परिषदों के कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण

1079. **श्री पूराराम चौधरी** (भीनमाल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि नगर-पालिकाओं/नगर परिषदों में वर्षों से कार्यरत स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों का सरकार अन्यत्र स्थानान्तरण करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो उक्त विचार को कब तक क्रियान्वित करने का सरकार का मानस है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

अधिकारियों/कर्मचारियों की शिकायत होने अथवा उनकी स्वेच्छा पर एवं प्रशासनिक दृष्टि से स्थानान्तरण किये जाते हैं।

किरायेदारों से प्रपत्र भरवाकर थानों में सूचना

1080. **श्री खेत सिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या नगरीय विकास एंव आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में किरायेदारों को बिना किसी जमानत पर एवं सरकारी अभिलेखों में बिना किसी उल्लेख के मकान किराये पर आसानी से मिल जाने से अपराधी तत्वों की पहचान नहीं हो पाती

(श्री खेतसिंह राठौड़)

है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई प्रपत्र निर्धारित कर मकान मालिकों से प्रत्येक किरायेदार का पूर्ण पता मय फोटो भरवाकर सरकारी दस्तावेज के रूप में क्षेत्रीय थाना अथवा चौकियों में जमा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ऐसे किरायेदारों, जो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के कर्मचारी है, व जिनका स्थाई पता व पूर्व विवरण आसानी से प्राप्त नहीं होता है, से निर्धारित प्रपत्र पर दो जमानती (मकान मालिक तथा दूसरा कोई जो आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित हो सके) के हस्ताक्षर करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर एवं राज्य के अन्य शहरों के निजी भवन किराये पर देने एवं किरायेदार से औपराचिकताओं की पूर्ति करवाने के समबन्ध मे राज्य सरकार का कोई दखल नहीं है। मकान मालिक चाहे जिसे किरायेदार रखे एवं अपनी सन्तुष्टि हेतु जिस प्रकार चाहे किरायेदार से जमानत प्राप्त करें। किरायेदारों से निर्धारित प्रपत्र में सूचनाएं प्राप्त करने हेतु मकान मालिक को बाध्य करने का राज्य सरकार को कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

(2) राज्य सरकार का इस प्रकार की कार्यवाही करने का कोई विचार नहीं है। क्योंकि वर्तमान नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

आवासन मण्डल की मानसरोवर योजनान्तर्गत आबंटित आवास

1081. **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल की मानसरोवर योजना के अन्तर्गत आबंटित आवास संख्या 54/176 की पत्र संख्या 2367 दिनांक 27 जून, 1994 द्वारा मांगी गई राशि यथा समय आबंटी द्वारा जमा करा दी गयी ? यदि हां, तो कब-कब ? चालानों की प्रतियां सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पत्र संख्या 3486 दिनांक 22 फरवरी, 1995 से पुनः आबंटी से और धनराशि की मांग की गयी है ? जबकि पूर्व आबंटी द्वारा मांगी गई राशि जमा करायी जा चुकी थी ? क्या मण्डल आबंटी को दिनांक 23 सितम्बर, 1994 से 22 फरवरी, 1995 तक का ब्याज देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल द्वारा जनता द्वारा निर्धारित तिथि तक राशि जमा नहीं कराने पर ब्याज प्राप्त किया जाता है ? यदि हां, तो क्या मण्डल द्वारा जनता को उस द्वारा जमा कराई गई राशि पर ब्याज देने का विचार रखता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या आबंटी ने मण्डल कार्यालय में अनेक बार भवन के कब्जे के लिये निवेदन किया है ? यदि हां, तो मण्डल ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(5) जिन आबंटियों ने पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया है, उन्हें कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मकान संख्या 54/176 का आबंटन पत्र कार्यालय पत्र संख्या 2367 दिनांक 27-6-94 को जारी किया गया था। आबंटन पत्र में मकान की शेष राशि 1,72,144.00 रुपये मांगी गयी थी। आबंटी द्वारा दिनांक 21-9-94 को 1,53,138.00 रुपये चैक से जमा करवाये एवं इस कार्यालय के पत्र सं0 220 दिनांक 10-10-94 के सन्दर्भ में कल्पतरु योजना के अन्तर्गत जमा करायी गई राशियों के चालनों की प्रतियां रु0 17,580/– की प्रस्तुत की। इस तरह आवेदक ने जमा राशि पूर्व ब्याज की राशि को समायोजित करते हुए रु० 1,71,987/– जमा कराये। यह राशि मांग की गई राशि से रू. 158/– कम थी। प्रतियां सलंग्न है।

(2) जी हां। इस कार्यालय के पत्र संख्या 3486 दिनांक–22-2-95 से बकाया रु0 156/– जमा कराने की मांग की गयी। जी नहीं। आबंटी ने दिनांक 28-4-95 तक पूरी राशि जमा नहीं करवाई थी, इसलिये नियमानुसार उन्हें कोई ब्याज देय नहीं है।

(3) जी हां, ऐसा नहीं है कि मण्डल ही आबंटी से ब्याज लेता है। मण्डल आबंटी द्वारा जमा कराई गयी राशि पर भी ब्याज नियमानुसार देता है।

(4) यह सही है कि कल्पतरु योजना में जमा करायी गयी राशि के सत्यापन के लिये आबंटी ने दो पत्र लिखे थे। इस राशि का समायोजित करके ही असंशोधित आबंटन पत्र दिनांक 22-2-95 को जारी किया गया।

(5) आबंटियों द्वारा पूर्ण राशि जमा करवा कर चालान की तीसरी प्रति, आबंटन का स्वीकृत पत्र, शोध-पत्र अन्डर टैकिंग व हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र सत्यापित करवा कर प्रेषित कर देने एवं जमा करायी गयी राशि के सत्यापन के पश्चात मण्डल द्वारा कब्जा पत्र जारी कर दिया जाता है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के हैण्ड पम्पस्

1082. **श्री फूल चन्द** (सलूम्बर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में कितने हैण्ड पम्प कहां-कहां पर लगे हुए हैं ? इसमें से कितने मरम्मत योग्य हैं ?

(2) कितने हैण्ड पम्प बिल्कुल ही खराब हालत में है तथा क्या उनके स्थान पर नये हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता है ?

(3) पिछले चार वर्ष में कहां-कहां और कितने हैण्ड पम्प लगाये ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त हैण्ड पम्पस् किस-किस विभाग व योजना के अन्तर्गत लगाये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री फूल चन्द)

(5) सलूम्बर नगर पेयजल की क्या स्थिति है, पेयजल स्त्रोत कौन-कौन से हैं ? कब से पाइप लाइन बिछाई गयी है ? क्या आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक आरम्भ करने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उल्लेखित क्षेत्र में संकलित सूचना के आधार पर, 208 ग्रामों में 1207 विभागीय हैण्ड पम्प लगे हुए हैं। इनमें से वर्तमान में लगभग 312 हैण्ड पम्प मरम्मत योग्य हैं। स्थापित हैण्डपम्पों की सूची परिशिष्ट "क" पर अंकित है।

(2) उक्त विधानसभा क्षेत्र में 42 हैण्ड पम्प परित्यक्त है। परित्यक्त हैण्ड पम्प के स्थान पर आवश्यकतानुसार संसाधन उपलब्धता एवं तकनीकी औचित्यता के आधार पर नये हैण्ड पम्प लगाये जा सकेंगे।

(3) उल्लेखित क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में कुल 122 विभागीय हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर है।

(4) विवरण परिशिष्ट "ख" पर है।

(5) वर्तमान में नगर योजना जो वर्ष 65–66 में प्रारम्भ की गयी थी में पेयजल के स्त्रोत 3 खुले कुएं एवं 4 नलकूप हैं। समय-समय पर आवश्यकतानुसार आपूर्ति में बढ़ोत्तरी हेतु अतिरिक्त पाइप लाइनें भी डाली गयी। नगर की वर्तमान पेयजल आपूर्ति को दृष्टि कर योजना के संवर्धन के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं जिन्हें तकनीकी औचित्यता एवं धन उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत किया जाकर चरणबद्ध तरीके से क्रियान्विति की जायेगी।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र के गाँवों में पाइप लाइनें

1083. **श्रीमती इन्दिरा मायाराम** (सांगानेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

पिछले एक वर्ष में सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र के किन-किन गांवों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मोहल्लों, ढाणियों में सरकारी खर्चे से पीने के पानी की पाइप लाइन डाली गयी ? इन मौहल्लों व ढाणियों में कितने हैण्ड पम्प पिछले एक वर्ष में लगाये गये ? गांव के नाम व हैण्ड पम्पों की संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वित्तीय वर्ष 94–95 में उल्लेखित क्षेत्रों में इस प्रकार की कोई विभागीय पाइप लाइन नहीं डाली गयी। पिछले एक वर्ष में 6 गांवों में विशेष रूप से अनुसूचित जाति एंव जनजाति के मौहल्ले एवं ढाणियों में कुल 7 हैण्ड पम्प लगाए गए, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड सं.	तहसील	हैण्डपंप लगाने का स्थान	हैण्डपंप की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	केशुपुरा	62	सांगानेर	श्री मदन के मकान पास	हैण्ड पम्प चालू है।
2.	कल्याणपुरा उर्फ–खातीपुरा	161	" "	कमलों की ढाणी	" " " "
3.	जयसिंहपुरा रोपवास	101	" "	बैरवा की ढाणी	" " " "
4.	मनोहरपुरा	142	" "	1. हरीजन बस्ती	" " " "
				2. मीणा रैगर बस्ती	बोर ड्रिल हो चुका है
5.	जगतपुरा	143	" "	मीणा ढाणी	" " " "
6.	जगन्नाथपुरा	109	" "	बलाई ढाणी	" " " "

जोधपुर शहर में पेयजल हेतु टंकी निर्माण

1084. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजनत) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में किले की घाटी जसवंत थड़ा के पास एवं सूरसागर मेघवालों के श्मशान के पास पानी के स्टोरेज हेतु एक-एक टंकी का निर्माण करवाया गया था ? यदि हां, तो इसकी भराव क्षमता कितनी है एवं इसके निर्माण का आदेश कब तक कितनी राशि का किसको दिया गया, इसका कार्य कब पूर्ण करवाया जाना था तथा यह कार्य कब पूर्ण हुआ ? उपरोक्त टंकियों में पहली बार पानी कब भरवाया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त टंकियों में पानी भरते ही चारों तरफ से पानी निकलने लगा ? यदि हां, तो इसमें किस अधिकारी की जिम्मेदारी है ? टंकी निर्माण का कितना भुगतान कर दिया गया व कितना बाकी है ? इस टंकी के उपयोग हेतु सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) किले की घाटी जसवंत थड़ा तथा सूरसागर मेघवालों के श्मशान में एक–एक टंकी का निर्माण करवाया गया है जिनकी

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

भराव क्षमता क्रमशः 22.70 लाख लीटर एवं 11.25 लाख लीटर थी। उक्त टंकियों के आदेश क्रमशः रु. 9,22,000/– एवं रुपये 7,95,000/– के औसियां मां बिल्डर्स को 16-6-92 को एवं मै. स्ट्रक्चरल एवं डिजाइन को 10-12-92 को दिये गये। इनका कार्य क्रमशः दिनांक 23-7-93 एवं दि. 9-5-93 को पूर्ण करवाना था जो उक्त समयानुसार पूर्ण हुआ। इनमें पहली बार पानी क्रमशः मार्च, 1994 व जुलाई, 1994 को भरा गया था।

(2) इन टंकियों में पानी भरने पर किले की घाटी की टंकी में कोई रिसाव नहीं पाया गया था। सूरसागर की टंकी में कुछ रिसाव पाया गया था जिसे ठेकेदार द्वारा ही ठीक करवा दिया गया था। इन टंकियों के निर्माण में क्रमशः रुपये 9.45 लाख व रुपये 7.96 लाख का भुगतान कर दिया गया है व क्रमशः रुपये 2.00 लाख लगभग व रु. शून्य का भुगतान शेष है। उक्त दोनों टंकियों का उपयोग किया जा रहा है।

जामा ग्राम (शेरगढ़) की ट्यूबवैल स्कीम

1085. **श्री खेत सिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य आभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शैतान सिंह नगर (शेरगढ़) के लिए सन् 1967 में जाम्बा गांव में ट्यूबवैल स्कीम स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो क्या वह स्कीम 12 लाख रुपये की थी ?

(2) क्या यह सही, है कि स्कीम के लिए जो पाइप लाइन लगायी गयी थी, वह पूरी की पूरी चोरी हो गयी ? यदि हां, तो कब व क्या इसके अपराधियों को पकड़ लिया गया ? यदि हां, तो वह कौन-कौन हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पाइप लाइन वहां के जमीदारों द्वारा अपने निजी प्रयोग में लायी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त जमीदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) संकलित सूचना के आधार पर तहसील फलौदी की एक क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना जाम्बा शैतानसिंह नगर, वित्तीय वर्ष 1972–73 में 12.10 लाख रुपये की स्वीकृत की गई थी। शेरगढ़ तहसील में इस प्रकार की कोई योजना नहीं है जैसा कि प्रश्न में उल्लेखित किया गया है।

(2) उपरोक्तानुसार (1) में वर्णित योजना के लिए पाइप लाइन यथा स्थान पर लगी हुई है, और कोई भी पाइप चोरी होने की सूचना अभी नहीं है।

(3) उपरोक्त (2) के अनुसार, प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) उपरोक्त (3) के अनुसार।

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर की जल प्रदाय योजनायें

1086. **श्री बनवारी लाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

(1) धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन–सी क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना स्वीकृत एवं कार्यरत है ?

(2) किस क्षेत्रीय योजना में कौन-कौन से ग्राम आते हैं ? सूची योजनावार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या योजना में आने वाले सभी ग्राम पेयजल का लाभ उठा रहे हैं ? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो कौन-कौन से ग्राम लाभ वंचित हैं और क्यों ?

(4) क्या सरकार सभी स्वीकृत ग्रामों में पेयजल उपलब्ध करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) वर्ष 1995–96 में धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में अन्य कौन-कौन–सी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं को स्वीकृत करने के प्रस्ताव हैं ? सूची सदन मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उल्लेखित क्षेत्र में निम्नलिखित जल योजना स्वीकृत है :–

1. लुहारी जाटोली 2. करीमपुर पुरैनी 3. सरानी खेडा 4. बरेहमोरी 5. पथरोला खुर्द 6. भमरोली सहानपुर उक्त योजनाओं में लुम्हारी जाटोली, बरेहमोरी, पथरोला खुर्द, पूर्ण रूप से कार्यरत है। करीमपुर पुरैनी जल योजना में सिर्फ कुरैनी गांव में पानी चालू है।

(2) वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) उक्त योजनाओं में ग्राम लुहारी, जाटोली, पुरैनी, बरेहमोरी, पथरोला खुर्द, सिंधावशी में पानी नलकूप से वितरण किया जा रहा है। शेष ग्रामों में पाइप लाइन डाली जा चुकी है तथा पाइप लाइन टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। सभी गांवों में दिसम्बर, 1995 तक पानी वितरण कर दिये जाने हेतु प्रयास जारी है।

(4) (3) के उपरोक्तानुसार।

(5) वित्तीय वर्ष 95–96 के लिए क्षेत्र की निम्नलिखित क्षेत्रीय योजनाएं अभी तकनीकी औचित्यता जांच/स्वीकृति आदि, प्रक्रिया में है :– क्षेत्रीय योजना तगावली भैसेना, जिनमें भैसेना तगावली में भैसाख, तमौला गांव सम्मिलित हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के अधूरे ट्यूबवैल एवं हैण्डपम्प

1087. **श्री बनवारीलाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1994–95 के ग्रीष्म आकस्मिकता योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, मजरा ढ़ाणी एवं तीस जिला तीस काम मद में धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल कहां-कहां के लिये स्वीकृत किये गये ? मदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल में कितनों को पूरा कर दिया गया और अभी कितने बकाया हैं ? यदि बाकी हैं, तो क्यों ? क्या सरकार इन स्वीकृत अधूरे ट्यूबवैल एवं

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

हैण्ड पम्पों को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) उक्त मदों के अन्तर्गत खोदे गये ट्यूबवैलों को कब चालू किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन्हें कब तक चालू करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में कुल स्वीकृत विभागीय 55 हैण्डपम्पों में से 43 हैण्डपम्पों का कार्य पूरा कर दिया गया है। 6 स्वीकृत नलकूपों में से 2 नलकूपों का भी कार्य पूरा कर दिया है। शेष कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरे करने के प्रयास जारी है।

(3) धौलपुर (शहर) के नलकूपों को अगस्त, 1994 में चालू कर दिया गया तथा विरौदा के नलकूपों को मार्च,1995 में चालू कर दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 1088

(स्थगित)

तहसील फागी के हैण्डपम्प

1089. **श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा** (फागी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1994–95 में फागी तहसील में कुल कितने हैण्डपम्प कहां-कहां लगाये गये ?

(2) फागी तहसील में कुल कितने हैण्डपम्प खराब अवस्था में हैं ? सरकार उन्हें कब तक ठीक कराने का विचार रखती है ?

(3) वर्ष 1994–95 में फागी तहसील में पेयजल आपूर्ति के लिए किस-किस पंचायत की योजना प्रस्तावित है तथा सरकार कब तक उन्हें शुरू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "क" पर है।

(2) संकलित सूचना के आधार पर फागी तहसील में स्थापित विभागीय 720 हैण्डपम्पों में से 292 हैण्डपम्प खराब अवस्था में हैं जिसमें से 152 हैण्डपम्प मरम्मत योग्य है तथा शेष 140 हैण्डपम्प परित्यक्त/सूखे हैं। सामान्यतया हैण्डपम्प संधारण का कार्य पंचायत समिति स्तर पर होता है। मरम्मत योग्य सभी हैण्डपम्पों को वर्तमान में चल रहे विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के अन्तर्गत 31 मई, 1995 तक ठीक कराने के प्रयास जारी है।

(3) वित्तीय वर्ष 94–95 में फागी तहसील में स्वीकृत योजना का विवरण परिशिष्ट "ख" में दिया गया है। इन पर चालू वित्तीय वर्ष में संसाधनों को दृष्टिगत कर कार्य प्रारम्भ करना लक्षित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें।)

जायल (नागौर) की पेयजल योजनाएं

1090 **श्री रामेश्वर लाल भाटी** (सुजानगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रामेश्वरलाल भाटी)

(1) नागौर जिले की जायल तहसील क्षेत्र में खारे पानी से मीठे पानी उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में कब एवं कहां की पेयजल योजनाएं बनायी गयी तथा उनमें से कितनी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं एवं शेष की क्या स्थिति है ? योजनावार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तहसील जायल के ग्राम तरनाऊ की उक्त योजनान्तर्गत बनायी गयी योजना पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या जनता को पेयजल सप्लाई किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में बिछायी गयी पाइप लाइन उपयोगी नहीं होने के कारण पेयजल में बाधा आ रही है ? यदि नहीं, तो योजना की क्रियान्विति में क्या कठिनाई है ? सरकार अब कब तक मीठा जल सप्लाई कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नागौर जिले की जायल तहसील क्षेत्र में खारे पानी से मीठे पानी उपलब्ध करवाने हेतु तकनीकी मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार ने कुल 12 संवर्धन योजनाएं वर्ष 1989 में स्वीकृत की गयी थीं। इन स्वीकृत योजनाओं में से 6 योजनाओं पूर्ण की जा चुकी है शेष 6 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। योजनावार पूर्ण विवरण संलग्लन परिशिष्ट "क" में दिया जा रहा है।

(2) ग्राम तरनाऊ के सम्बन्ध में माननीय विधायक श्री रूपाराम जी द्वारा नियम 131 के अन्तर्गत पूछे गये प्रस्ताव दि. 25-3-95 के तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुरूप है (प्रति संलग्न है)

(3) (2) के उपरोक्तानुसार।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

पुस्तकालयों को श्रेणीबद्ध किये जाने के मापदण्ड

1091. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न श्रेणी के विभागीय पुस्तकालयों को श्रेणीबद्ध करने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किये हुए हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें, यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा जुलाई, 1990 में विभागीय पुस्तकालयों को श्रेणीबद्ध किये जाने हेतु निर्धारित मानदण्ड के आधार पर सरकार अपने विभागीय पुस्तकालयों को श्रेणीबद्ध किये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं तो, क्यों ?

(3) सरकार द्वारा विभागीय पुस्तकालयों को श्रेणीबद्ध किये जाने हेतु निर्धारित मानदण्डों के परिप्रेक्ष्य में जांच हेतु क्या कोई प्रक्रिया निश्चित की हुई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार जांच प्रक्रिया निर्धारण के सम्बन्ध में विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं, पुस्तकालयों को श्रेणीबद्ध करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(96)

(शिक्षा मंत्री)

(2) पुस्तकालय अधिनियम सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है। तनदुसार पुस्तकालयों को श्रेणीबद्ध किया जा सकेगा।

(3) जी नहीं, श्रेणीबद्ध किये जाने का निर्णय अभी राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

(4) जी हां, श्रेणीबद्ध किये जाने का निर्णय अभी राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

शिक्षकों से हितकारी निधि में राशि की वसूली

1092. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के शिक्षकों से हितकारी निधि में राशि ली जा रही है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि ली जाती है ?

(2) क्या उप-जिला शिक्षा अधिकारी, दूदू के अधीन शिक्षकों से गत 2–3 वर्षों से राशि ली जा रही है ? यदि हां, तो गत 3 वर्षों का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या शिक्षकों से ली गयी राशि बीकानेर भिजवाई गयी है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, जयपुर जिले के समस्त शिक्षकों एवं अन्य वर्ग के कर्मचारियों से हितकारी निधि योजनांतर्गत कर्मचारियों के निधन एवं बीमारी पर सहायता दिये जाने हेतु निर्धारित वार्षिक अंशदान के रूप में निम्नानुसार राशि प्राप्त की जाती है :–

1. प्राचार्य एवं उससे ऊपर (सभी सामान रेंक के) 50/– रु.

2. प्रधानाध्यापक, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक 35/– रु.

विद्यालय, एवं इसके समक्ष वेतन वाले।

3. व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) एवं समकक्ष वेतनमान 25/– रु.

4. वरिष्ठ अध्यापक एवं तत्समान पद 20/– रु.

5. तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक एवं तत्समान पद 10/– रु.

6. कार्यालय अधीक्षक/कार्यालय सहायक एवं समकक्ष पद वाले 25/–रु.

7. वरिष्ठ लिपिक एवं समकक्ष पद 20/– रु.

8. कनिष्ठ लिपिक एवं समकक्ष पद 10/–रु.

9. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं समकक्ष पद से 5/– रु.

(2) जी हां।, वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, दूदू के अधीन कार्यरत शिक्षकों से प्राप्त अंशदान राशि का विवरण निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	राशि
1992–93	रु. 6220/–
1993–94	रु. –––
1994–95	रु. 4670/–
योग :	10890/–

(शिक्षा मंत्री)

(3) शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों से प्राप्त राशि को अध्यक्ष, हितकारी निधि बीकानेर भिजवायें जाने का विवरण निम्न प्रकार है :–

राशि	ड्राफ्ट संख्या व दिनांक
रु. 6220/–	265505 दि. 4-5-92
रु. 4670/–	266345 दि. 15-3-95

अतारांकित प्रश्न संख्या 1093

(स्थगित)

प्रधानाचार्य, हरसोली (अलवर) द्वारा प्रदत्त फर्जी प्रमाण-पत्र

1094. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, हरसोली (अलवर) में दिनांक मई 13, 1994 को प्रधानाचार्य द्वारा एक छात्र श्री पुष्पेन्द्र कौशिक का हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण का फर्जी प्रमाण-पत्र जारी किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यार्थी ने पिछली कक्षाओं में उत्तीर्ण हुए बिना तथा उक्त फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ में कक्षा 12 में जुलाई, 1994 में प्रवेश लिया ?

(3) क्या सरकार उक्त प्रधानाचार्य राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय हरसोली (अलवर) के विरुद्ध फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जांच करायी जा रही है।

(2) जी, हां।

(3) प्रधानाचार्य, राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, हरसोली (अलवर) के विरुद्ध फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करने की जांच प्रक्रियाधीन है।

मन्दिर श्री राधा दामोदर, करौली की सम्पत्ति

1095. **श्री हंस राम** (करौली) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मन्दिर श्री राधा दामोदर जी बड़ा बाजार, करौली, मुख्य बाजार में स्थित राजकीय मन्दिर और उसकी अन्य जायदाद 28 दुकान और रिहायशी मकान को पुजारी द्वारा हड़पने की नीयत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर न्यायालय में उक्त मन्दिर व जायदाद स्वयं की बताते हुए दावा पेश किया है ?

(2) क्या देवस्थान विभाग के निरीक्षकों की लापरवाही व मिलीभगत से मुकदमों में कोई पैरवी न करने से एकपक्षीय आदेश हो गये ?

(3) क्या इससे सरकार की करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति को पुजारी द्वारा हड़पने की साजिश सफल होने जा रही है ?

(4) क्या देवस्थान विभाग इस सम्पत्ति को बचाने का विचार रखता है ? यदि हां, तो किस प्रकार और नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार लापरवाह अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) श्री राधा दामोदर जी, बड़ा बाजार, करौली जिला सवाईमाधोपुर राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी का मंदिर है। पुजारी द्वारा राजस्थान राजपत्र 25 जून, 1981 में प्रकाशित विज्ञप्ति के विरुद्ध 179/90 मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली में वाद दायर कर रखा है जो विचाराधीन है।

(2) प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के निरस्तीकरण के विरुद्ध पूर्व के विचाराधीन वाद सं. 77/86 में नियम पेशी दिनांक 14-8-92 को निरीक्षक को जवाब प्रस्तुत करना था। निरीक्षक के उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा दि. 27-8-92 को एकतरफा निर्णय पारित कर दिया जो विभाग के विरुद्ध हुआ। दिनांक 27-8-92 के निर्णय के विरुद्ध अपील अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश करौली में प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 27-10-94 को निरस्त कर दी गयी। दि. 27-10-94 के निर्णय के विरुद्ध पुनः न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनि. खण्ड) करौली में दि. 12-12-94 को प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल्स 13 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन होकर आगामी पेशी दि. 21-7-95 नियत है।

(3) जी, नहीं। वादी द्वारा दायर वाद सं. 1799 में विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है व वाद विचाराधीन है। प्रकरण सं. 77/86 अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली के निर्णय दि. 27-8-92 के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश, करौली में अपील भी दायर की गयी थी व अपील निरस्त होने के कारण पुनः प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आगामी पेशी दि. 21-7-95 नियत है।

(4) जी हां। देवस्थान विभाग मंदिर के सम्पत्ति की पूर्ण सुरक्षा करने हेतु न्यायिक कार्यवाही कर रहा है। न्यायालय के निर्णय के पश्चात निर्णयानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध लापरवाही हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

मदुआजी मन्दिर मुंगथला, रेवदर (आबू रोड) की सम्पत्ति

1096. **श्री जयन्ति लाल कोली** (रेवदर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर के ग्राम मुंगथला तहसील आबू रोड के मदुआजी मन्दिर की चल व अचल सम्पत्ति कितनी है तथा इस मन्दिर के अधीन लगभग 200 बीघा सिंचित जमीन का आय-व्ययक का लेखा जोखा कौन रखता है ?

(2) प्रति वर्ष उक्त जमीन से कितनी आय होती है ? इसमें से मन्दिर मरम्मत हेतु कितनी खर्च किया जाता है यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या मन्दिर की हालत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं ? यदि हां, तो सरकार कब तक मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर के ग्राम मुंगथला तहसील आबू रोड के मदुआजी की अचल संपत्ति की कुल कृषि भूमि 164 बीघा 4 बिस्वा है जो ग्राम मुंगथला में स्थित है। उक्त

(देवस्थान मंत्री)

जमीन की आय-व्यय लेखा जोखा देवस्थान बोर्ड सिरोही द्वारा रखा जाता है। जो राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अंतर्गत पंजीकृत है।

(2) प्रति वर्ष इस जमीन से लगभग 1.50 लाख रु. की आय होती है। इस राशि में से मंदिर के पूजा, भोगराज एवं अन्य खर्चे के अतिरिक्त शेष रही राशि को मंदिर के मरम्मत कार्य हेतु जमा की जा रही है। क्योंकि मंदिर मरम्मत हेतु कार्य करवाने में अधिक राशि का व्यय होने की संभावना है। गत पांच वर्षों में आय व्यय के अतिरिक्त मरम्मत कार्य हेतु 1,88,000/– रु. जमा हुए हैं।

(3) हां। मंदिर अभी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उक्त मंदिर राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित न होने से राज्य सरकार द्वारा मरम्मत करवाया जाना अपेक्षित नहीं है परंतु यह मंदिर देवस्थान बोर्ड सिरोही के अधीन होने से बोर्ड के सचिव को मंदिर की मरम्मत करवाने हेतु पांबद कर दिया गया है एवं उनके द्वारा वर्ष 1995–96 से मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

सहकारी शुगर मिल, केशोरायपाटन का विस्तार

1097. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या केशोरायपाटन में सहकारी शुगर मिल कार्यरत है ? यदि हां, तो यह कब स्थापित हुई थी तथा इसके कितने सदस्य हैं ? कुल कितना पूंजीनिवेश है तथा पूंजी की व्यवस्था कहां-कहां से की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस इकाई के आधुनिकरण, विस्तार आदि की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो समुचित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उत्पादक सदस्यों को निरन्तर लाभांश वितरण किया जाता रहा है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार का प्रदेश में इस प्रकार की सहकारी शुगर मिल अन्यंत्र भी स्थापित करने का विचार है ? यदि हां, तो कहां-कहां और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि. का पंजीयन 15-11-65 को हुआ। मिल्स में उत्पादन वर्ष 1971–72 में प्रारम्भ हुआ। मिल्स की 31-3-94 को सदस्यता निम्नानुसार है :–

1. कृषक	2783
2. कृषि ऋणदात्री समितियां	148
3. विपणन सहकारी समितियां	2
4. पंचायत व पंचायत समितियां	2
5. राज्य सरकार	1
6. सहानुभूमि सदस्य	31
योग :	– 2967

अंशपूंजी के रूप में कुल 6,78,57,500 रु. की राशि विनियोजित है। मिल्स संचालन हेतु अंशपूंजी के अतिरिक्त निम्न से सुरक्षित

(सहकारिता मंत्री)

एवं असुरक्षित ऋण प्राप्त किये गये हैं।

1. जीवन बीमा निगम	40,00,000.00
2. बून्दी सैन्ट्रल कोआप. बैक लि.	1,80,77,400.00
3. राजस्थान वित्त निगम	14,40,000.00
4. भारत सरकार	2,07,97,532.83

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(4) जी नहीं। नेशनल फैडरेशन ऑफ को–ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लि. की रिपोर्ट के अनुसार 2500 टन क्षमता की शुगर मिल ही लाभ में चल सकती है। राजस्थान में इस साइज की मिल चलाने के लिए किसी भी स्थान पर गन्ना उपलब्ध नहीं है। अतः अन्य गन्ना मिल लगाने की संभावना नहीं है।

बहुधंधी सेवा सहकारी समिति, कूदन (सीकर) का अवसायन

1098. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सीकर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत अध्यक्षों जिन्हें लगातार 6 वर्ष से अधिक की अवधि हो गयी है, क्या उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सीकर जिले के ग्राम कूदन में ग्राम सेवा सहकारी या बहुधंधी सहकारी समिति बनी हुई थी ? यदि हां, तो उस समिति का क्या हुआ ? यदि समिति अवसायन में है तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस समिति के विरुद्ध केन्द्रीय सहकारी बैंक, सीकर का ऋण बाकी है ? यदि हां, तो वसूली की क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां। कूदन ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. का वर्ष 1959 में पंजीयन किया गया था। इस समिति द्वारा वर्ष 1961 तक ऋण वितरण का कार्य गया था। वर्ष 1961 में सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सीकर से ऋण प्राप्त किया, जिसके वितरण करने में गबन दुरुपयोग का मामला पाया जाने पर पुलिस में प्रथम सूचना रपट, सहायक राजिस्टार, सहकारी समितियां, सीकर द्वारा दर्ज करवायी गयी। जिसका मामला माननीय मुंसिफ कोर्ट न्यायालय, सीकर में मुकदमा नम्बर 17/1963 चल रहा है। वर्ष, 1961 से यह समिति निष्क्रिय अवस्था में थी। समिति के चलने की कोई संभावना नहीं होने की अवस्था इस समिति को दिनांक 12-1-71 को अवसायन लाया गया है। मुंसिफ कोर्ट सीकर से रिकार्ड प्राप्त करने के प्रयास किये गये, परन्तु रिकार्ड प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अभी तक अवसायन कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पायी है।

(3) इस समिति की ओर सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. सीकर का रुपये 5460/– बकाया है। समिति का रिकार्ड प्राप्त नहीं होने एवं मुंसिफ कोर्ट से मुकदमे का निस्तारण नहीं होने की अवस्था में अभी तक वसूली कार्यवाही नहीं हुई है।

(51)

भूमि विकास बैंक में कर्मचारियों/ अधिकारियों के स्वीकृत पद

1099. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य भूमि विकास बैंक में 1980-81 एवं 1981-82 में पदवार स्वीकृत कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या क्या थी एवं अब क्या है ?

(2) बैंक में कार्यरत अनुसूचित जाति एंव जन-जाति की पदवार केडरवाइज कितने कर्मचारी कार्यरत है एवं रोस्टर पाइंट प्रणाली के आधार पर पदवार कितने होने चाहिए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नाबार्ड द्वारा स्वीकृत 8 क्रेडिट आफिसर के पदों की क्या स्थिति है।

(4) भूमि विकास बैंक की वर्ष 1981–82 में व्यापारिक ऋण वितरण स्थिति क्या थी ?

उत्तर

(1) राज्य भूमि विकास बैंक में 1980–81 में पदवार स्वीकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या एवं वर्तमान स्थिति का विवरण संलग्न परिशिष्ट (1) पर उपलब्ध है।

(2) बैंक में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं जन–जाति की पदवार केडरवाइज कार्यरत स्टाफ का विवरण एवं रोस्टर पाइन्ट प्रणाली के आधार पर पदों का विवरण संलग्न परिशिष्ट (2) में अंकित हैं।

(3) नाबार्ड द्वारा स्वीकृत 08 क्रेडिट आफिसर्स के पद 1 जनवरी. 1992 तक ही स्वीकृत थे। अतः इनको समाप्त कर दिया गया है।

(4) राज्य भूमि विकास बैंक की वर्ष 1980–81 में व्यवसायिक दृष्टि से ऋण वितरण आदि की स्थिति निम्न प्रकार थी :–

वर्ष 1981–82 में ऋण वितरण	2117.52 लाख
कार्यशील पूंजी	11459.34 लाख
लाभ	134.58 लाख

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें।)

सहकारी क्षेत्र की दाल मिलें

1100. **श्री भरतसिंह** (खानपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सहकारी क्षेत्र में स्थापित कुल कितनी दाल मिलें हैं तथा कहां-कहां पर हैं ?

(2) इन दाल मिलों की स्थापना किस-किस वर्ष में हुई तथा कितने वर्ष चली व कब से बन्द हैं ?

(3) इनके लाभकारी नहीं होने के क्या कारण रहे तथा इन पर कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

(4) क्या सरकार इन बन्द दाल मिलों को निजी क्षेत्र में देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) छः यह दाल मिलें जयपुर कुम्हेर. सूरतगढ़, केकड़ी कोटा एवं अंता में स्थापित हैं।

(2) सहकारी क्षेत्र की दाल मिलों की

(सहकारिता मंत्री)

स्थापना की वर्ष एवं संचालन अवधि की सूचना परिशिष्ट –1 के अनुसार है।

(3) सहकारी दाल मिलों के लाभ में नहीं होने के प्रमुख कारण हैं :–

1. स्वायित्व वाली संस्थाओं के पास पूंजी का अभाव।
2. दलहनों एवं दालों के भावों में भारी उतार चढ़ाव।
3. दाल मिलों को कतिपय वर्षों में कच्चे माल की स्थानीय उपलब्धि की कठिनाई।
4. समिति संचालन अवधि।
5. तैयार माल के विक्रय हेतु स्थानीय बाजार की कमी।
6. दाल मिलों की स्थापना पर व्यय राशि का ब्यौरा परिशिष्ट–1 में अंकित अनुसार है।

(4) दाल मिलों के बेचने का निर्णय सम्बन्ध संस्थाओं को लेना है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें।)

सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, पाली

1101. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में इस वक्त कुल कितने कर्मचारी हैं वे किस-किस ग्रेड के हैं ? ग्रेडवाइज वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बैंक में अनुसूचित जाति/अनुसूचति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कितने कर्मचारी हैं व किस-किस ग्रेड के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार सहकारी विभाग के आदेश के रिजर्व बैंक के पैटर्न अनुसार शाखा व्यवस्थापकों एवं अन्य अधिकारियों की सीधी भर्ती 40 प्रतिशत व पदोन्नति 60 प्रतिशत की आज तक पालना नहीं की गयी है ?

(4) क्या यह भी सही है कि कनिष्ठ लिपिक ही कार्यवाहक शाखा व्यवस्थापकों का कार्य लम्बे समय से कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि पाली सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक में कर्मचारियों की नयी भर्ती हेतु रजिस्ट्रार सहकारी विभाग से मांग की है, जो लम्बे समय से विचाराधीन है ? कितने किस-किस ग्रेड के कर्मचारी रखने की मांग की गयी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि नयी भर्ती करने के पूर्व उक्त बैंक में सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जन जाति की भर्ती को पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) दी पाली सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. पाली में इस समय 202 कर्मचारी कार्यरत हैं। जिनकी ग्रेडवाइज वरिष्ठता सूची परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) उक्त बैंक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के 110 कर्मचारी बैंक में कार्यरत हैं जिनकी ग्रेडवाइज सूची परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है।

(3) जी, हां।

(4) बैंक की 8 शाखाओं में लिपिक कार्यवाहक शाखा व्यवस्थापक का कार्य कर रहे हैं। शाखा व्यवस्थापकों के रिक्त पदों की पदोन्नति की कार्यवाही बैंक स्तर पर विचाराधीन है।

(5) जी, नहीं। बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का निर्धारण हेतु गठित शिक्षा कमेटी की सिफारिश के आधार पर आदेश दिनांक 23-2-95 के अनुसार विभिन्न पदों के अधिकारी एवं कर्मचारियों की संख्या दी गई है। जिसके अनुसार नयी भर्ती हेतु कोई रिक्त स्थान नहीं है।

(6) संस्था द्वारा रिक्त पद होने पर भर्ती की जावेगी। उस समय नियमानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भर्ती की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

नगर निगम क्षेत्र, जयपुर के पंजीकृत कंज्यूमर स्टोर्स

1102. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगर निगम क्षेत्र, जयपुर में कितने कंज़ूमर स्टोर्स किस-किस स्थान पर पिछले पांच वर्षों से पंजीकृत हैं ? पंजीकृत कंजूमर स्टोर्स के पदाधिकारियों के नाम, पद, वर्तमान पते, इनके कार्यों एवं इन पंजीकृत कंजूमर स्टोर्स के निमयों/उप नियमों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कंजूमर स्टोर्स में से कौन-कौन से कंजूमर स्टोर्स किन कारणों से बन्द हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन बन्द कंजूमर स्टोर्स को पुनः चालू किया जा सकता है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? इस हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) नये कंजूमर स्टोर्स पंजीकृत कराने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा इस सम्बन्धी प्रपत्रों व उसके आदर्श नियम/उप नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि कर्मचारी साख सहकारी समिति के अतिरिक्त अन्य साख सहकारी समितियां भी पंजीकृत करवाई जा सकती है ? यदि हां, तो इस हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, प्रपत्रों एवं इसके आदर्श/उप नियमों की प्रतियां सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम क्षेत्र में कुल 103 प्राथमिक कंजूमर स्टोर्स पंजीकृत है। पंजीकृत भण्डारी एवं उनके पते की सूचना परिशिष्ट एक पर संलग्न है। पदाधिकारियों के सम्बन्ध में चाहा गया विवरण विभाग स्तर पर संकलित नहीं किया जाता है। अतः देना संभव नहीं है। उपनियमों की प्रति परिशिष्ट "दो" पर उपलब्ध है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) बंद प्राथमिक सहकारी भंडारों की सूचना परिशिष्ट "एक" पर उपलब्ध है। बंद रहने के मुख्य कारण निम्न हैं :–

1. इन भंडारों के सदस्यों में सामूहिक रूचि का अभाव।
2. कार्यशील पूंजी का अभाव।
3. उपभोक्ता सामग्री के क्षेत्र में बाजार में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा।
4. इन भण्डारों के कार्य क्षेत्र में जिला रसद अधिकारी द्वारा उचित मूल्य की दुकानें निजी व्यक्तियों को आबंटित करना। जिससे भंडार द्वारा किये जाने वाले नियंत्रित वस्तुओं के व्यापार में कमी आना।

(3) जी, हां। भण्डारों के पदाधिकारी/सदस्यों द्वारा व्यवसायिक योजना बनाकर उसके लिए संसाधन जुटाकर इन्हें चालू किया जा सकता है।

(4) विभागीय निर्देशानुसार इन बस्तियों, औद्योगिक संस्थानों की बस्तियों, राज्य कर्मचारियों व अन्य कर्मचारियों की सुविधा हेतु जहां और कोई भंडार न हो व होलसेल भंडार ने शाखा खोलने से मना कर दिया हो, ऐसी स्थिति में नये भंडार का पंजीयन किया जा सकता है। ऐसे भंडारों के पास बिक्री स्थान 400 से 500 वर्गफुट होना चाहिये। इनकी सदस्यता पंजीयन के समय 300 होनी चाहिये, किन्तु सदस्यता का स्कोप 1000 का होना चाहिये तथा हिस्सा राशि दस हजार रु. होने चाहिये। उपनियम परिपत्र की प्रति क्रमशः परिशिष्ट दो व 3 पर उपलब्ध है।

(5) राजस्थान सहकारी संस्थान अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप बचत व साख सहकारी समितियां पंजीकृत करायी जा सकती है। वर्तमान में कर्मचारी बचत एवं साख सहकारी समितियों के अतिरिक्त कोई साख सहकारी समितियां पंजीकृत नहीं की गयी है। अतः इसके आदर्श उपनियम नहीं बनाये गये हैं।

(प्रति एवं सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

कृषि एवं औद्योगिक कनेक्शन नीति के सम्बन्ध में जारी आदेश

1103. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार ने जनवरी 1991 से अब तक कृषि कनेक्शन नीति एवं औद्योगिक नीति से सम्बन्धित कोई आदेश विद्युत मण्डल को जारी किये हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जनवरी, 1991 से अब तक राज्य सरकार द्वारा विद्युत मण्डल को या राज्य सरकार की नीति के अनुरूप विद्युत मण्डल द्वारा निम्नलिखित आदेश कृषि कनेक्शन हेतु जारी किये गये :–

1.	वर्ष 1991–92	राज्य सरकार से कोई आदेश जारी नहीं हुए। विद्युत मण्डल ने आदेश संख्या 11159 दिनाक 26-4-91 जारी

(ऊर्जा मंत्री)

		किये (प्रतिलिपि प्रपत्र–"1") संलग्न है।
2.	वर्ष 1992–93	राज्य सरकार से कोई आदेश जारी नहीं हुए विद्युत मण्डल ने आदेश संख्या 941 दि. 24-8-92 जारी किये (प्रतिलिपि–प्रपत्र "2" संलग्न है)
3.	वर्ष 1993–94	राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 4-6-1993 (प्रतिलिपि प्रपत्र "3" संलग्न है)। द्वारा वर्ष 1993–94 के लिये कृषि कनेक्शन नीति जारी की।
4.	1994–95	राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 19-4-1994 एवं 22-4-1994 (प्रतिलिपियों प्रपत्र "4" व "5" संलग्न है) द्वारा वर्ष 1994–95 के लिये कृषि कनेक्शन नीति जारी की।

उपरोक्त के अलावा मण्डल ने आदेश संख्या 2913 दिनांक 15-12-1994 (प्रतिलिपि प्रपत्र "6" संलग्न के द्वारा) 10 हार्स पावर से अधिक सम्बद्ध भार वाले कृषि उपभोक्ता को भी 10 हार्स पावर से कम सम्बद्ध भार वाले उपभोक्ताओं के समक्ष पोल अनुदान देने के आदेश जारी किये।

2. राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति 1990 एवं औद्योगिक नीति 1994 जारी की थी। इनकी अनुपालना में मण्डल ने निम्नलिखित आदेश जारी किये :–

औद्योगिक नीति 1990

1. आदेश संख्या 11729 दिनांक 29-6-91 (प्रतिलिपि प्रपत्र "7" संलग्न है।)
2. आदेश संख्या 11731 दिनांक 29-6-91 (प्रतिलिपि प्रपत्र "8" संलग्न है।)
3. आदेश संख्या 11733 दिनांक 29-6-91 (प्रति-लिपि प्रपत्र "9" संलग्न है।)
4. आदेश संख्या 1455 दिनांक 30-6-1993 (प्रतिलिपि प्रपत्र "10" संलग्न है।)

औद्योगिक नीति-1994

इसके अन्तर्गत औद्योगिक नीति 1990 में दी गई सुविधाएं जारी रखते हुए विभिन्न सुविधाओं के अन्तर्गत मण्डल द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी किये गये :–

1. आदेश संख्या 1401 दिनांक 7-6-1994 (प्रतिलिपि प्रपत्र "11" संलग्न है।)
2. आदेश संख्या 1402 दिनांक 7-6-1994 (प्रतिलिपि प्रपत्र "12" संलग्न है।)
3. आदेश संख्या 1403 दिनांक 7-6-1994 (प्रतिलिपि प्रपत्र "13" संलग्न है।)
4. आदेश संख्या 1404 दिनांक 7-6-1994 (प्रतिलिपि प्रपत्र "145" संलग्न है।)
5. आदेश संख्या 1428 दिनांक 10-6-1994 (प्रतिलिपि प्रपत्र "15" संलग्न है।)
6. आदेश संख्या 1439 दिनांक 13-6-1994 (प्रतिलिपि प्रपत्र "16" संलग्न है।)

(ऊर्जा मंत्री)

7. आदेश संख्या 1446 दिनांक 14-6-1994 (प्रतिलिपि प्रपत्र "17" संलग्न है।)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

केन्द्रीय भण्डार जयपुर द्वारा ट्रान्सफार्मर्स जारी करने की प्रक्रिया

1104. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मण्डल के केन्द्रीय भण्डार जयपुर द्वारा सर्किल स्टोर की ट्रांसफार्मर जारी करने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) एक जनवरी, 1994 तक अधीक्षण अभियन्ता, नागौर को केन्द्रीय भण्डार, जयपुर द्वारा कितने-कितने ट्रांसफार्मर किस–किस क्षमता के जारी किये और वे कब-कब सर्किल भण्डार नागौर में दर्ज हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मण्डल के विभिन्न सर्किल स्टोर्स को उस सर्किल को वार्षिक आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफार्मर मण्डल के क्रय विभाग द्वारा सप्लायर्स से सीधे भिजवा दिये जाते हैं। मण्डल द्वारा क्रय की गयी मात्रा का कुछ भाग केन्द्रीय भण्डार में आपातकालीन आवश्यकताओं के लिये रखा जाता है। जब सर्किल स्टोर में ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं होते तथा आपात-कालीन आवश्यकता होती है तो उसको पूर्ति के लिये केन्द्रीय भण्डार से ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा दिये जाते हैं। यह प्रक्रिया मण्डल द्वारा निर्धारित "स्टोर मेन्युअल" के आधार पर अपनाई जाती है। "स्टोर मेन्युअल" का सम्बन्धित अंश संलग्न प्रपत्र "अ" पर उद्वरित कर दिया गया है।

(2) एक जनवरी, 1994 से 15 मार्च, 1995 तक केन्द्रीय भण्डार, जयपुर द्वारा नागौर सर्किल स्टोर को विभिन्न क्षमता के समय-समय पर भेजे गये ट्रांसफर्मरों का विवरण तथा नागौर सर्किल स्टोर में कब-कब दर्ज हुए ट्रांसफार्मस् का ब्यौरा संलग्न सूची "ब" में दर्ज है।

(प्रपत्र व प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें।)

33 के. वी. विद्युत केन्द्र, जायल

1105. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम झाडेली, तहसील जायल जिला नागौर में 33 के. वी. विद्युत केन्द्र स्थापित करने की योजना किस वित्तीय वर्ष में कुल कितनी लागत पर स्वीकृत हुई ?

(2) इसका कार्य किस वित्तीय वर्ष में शुरू हुआ था और अब तक किस-किस वर्ष में क्या-क्या कार्य हुआ और वर्षवार कितना-कितना खर्चा हुआ ?

(3) अब इसका क्या-क्या कार्य बकाया है और बकाया कार्य पर कितना-कितना खर्चा होगा ? इसको पूर्ण करके कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

(4) क्या विद्युत मण्डल ने इस बात का कभी विचार किया कि इस पर इतने लम्बे समय तक जो निवेश किया गया, उसका कोई रिटर्न नहीं मिला और बोर्ड पर फालतू आर्थिक भार पड़ा ? यदि हां, तो इसके लिए किस अधिकारी को दोषी ठहराया गया और नहीं, तो क्यों ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(5) क्या इस प्रोजेक्ट की प्रगति को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी ? क्योंकि इतने लम्बे समय तक इतना भारी खर्चा होने के बाद भी अभी तक इसे चालू नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसमें किसको दोषी ठहराया गया है और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम झाडेली तहसील जायल ज़िला नागौर में 33 के.वी. विद्युत केन्द्र स्थापित करने की योजना एस.यू.आर.आई.सी. स्कीम 170299 मार्च, 1983 के अन्तर्गत 26.638 लाख रुपये की लागत पर स्वीकृत हुई थी।

(2) वित्तीय वर्ष 1991–92 में यह कार्य फेज प्रोग्राम मे मण्डल द्वारा लिया गया था तथा इसका कार्य वर्ष 1992–93 में नागौर से झाडेली तक पोल खड़े किये गये तथा 1993–94 में सब स्टेशन का कार्य पूर्ण किया पोलों पर पर तार खींचने बाकी हैं, वर्षवार खर्च निम्न प्रकार हुआ है :–

1999–93	1993–94	1994–95
लाइन 13,43,418.00	--	--
एस/एस 45,000.00	9,1543.00	50,0000.00

(3) इस लाइन पर तार खींचने का तथा 11 के.वी. फीडर निकालने का व 1.6 एम.वी.ए. का ट्रान्सफार्मर रखने का कार्य बकाया है। इस पर करीबन 40 लाख रुपये खर्च होगा। सामान उपलब्ध कराकर शीघ्र ही इस कार्य को पूरा करने का प्रयास किया जावेगा।

(4) वित्तीय संसाधनों की कमी व मैचिंग सामान उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है। इसमें कोई अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी नहीं है।

(5) समिति संसाधन होने के कारण सभी प्रस्तावित 33 के.वी. कार्य एक साथ पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं होता है। अतः उपलब्ध बजट प्रावधानों के अनुसार कार्य की प्राथमिकता को देख कर मैचिंग सामान की उपलब्धता के अनुरूप कार्य किया जाता है। इसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

अजमेर जिले के रूरल फीडर्स

1106. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डौली) एवं **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अजमेर जिले में कृषि कार्यों हेतु किसानों को एक दिन में 8 घण्टे बिजली देने की विधान सभा में दिनांक 6-1-94 को की गयी घोषणा के पश्चात् अब तक 8 घण्टे बिजली दी जाती रही है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और कृषकों को दी जाने वाली बिजली में व्यवधान किन-किन तारीखों में पड़ा ?

(2) अजमेर जिले में कुल कितने रूरल फीडर्स है और उनको कब-कब और कितने-कितने समय के लिये उक्त तिथि के पश्चात् काटा गया है ?

(3) उपरोक्त अवधि में किसानों को कृषि कार्यों हेतु दी गयी बिजली से मीटर्स के अनुसार तथा फ्लेट रेट के अनुसार बिजली व्यय की कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ?

(4) क्या यह सही है कि किसानों को निर्धारित अवधि के अनुसार बिजली सप्लाई

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

नहीं किये जाने की स्थिति में भी फ्लेट रेट के अनुसार बिजली की राशि वसूल की गयी है ? यदि हां, तो ऐसी राशि कितनी है और किसानों से जो राशि अधिक वसूल कर ली गयी है, उसका समायोजन किस प्रकार किया जायेगा ?

उत्तर

(1) घोषणा के अनुकूल कृषि कार्यों हेतु मोटे रूप से 8 घण्टे विद्युत की आपूर्ति यथा सम्भव की गयी है। लेकिन माह दिसम्बर, 1994 से मार्च, 1995 की अवधि में राज्य में विद्युत की उपलब्धि में काफी कमी आ गई जिससे न केवल कृषि हेतु 8 घण्टे बिजली उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो पाया अपितु उद्योगों पर भी 50 प्रतिशत से लेकर शत प्रतिशत तक विद्युत कटौती (लोड शेडिंग) की गयी। इस अवधि में दिनांक 31-1-1995 से 13-2-1995 तथा 22-2-1995 से 26-3-1995 तक कृषकों को कभी-कभी 5 घन्टे ही विद्युत आपूर्ति किया जाना सम्भव हो पाया। बाहर के स्त्रोतों से एवं पड़ौसी राज्यों से महंगी दर पर बिजली खरीद कर कृषि एवं अन्य कार्यों हेतु बिजली उपलब्ध कराई गई। महंगी दर पर बिजली खरीदने से विद्युत मण्डल को वर्ष 1993–94 के मुकाबले गत वर्ष में लगभग 230 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा। अपरिहार्य कारणों से जब–जब भी विद्युत की स्थिति खराब रही तब भी यह प्रयास किया गया कि किसानों को अधिक से अधिक विद्युत उलब्ध करायी जाये। पिछले कई वर्षों से विद्युत उत्पादन में मांग की तुलना में वृद्धि काफी कम रही है। अतः यह स्वाभाविक है कि प्रति उपभोक्ता को मिलने वाली बिजली में कमी आवे।

(2) अजमेर जिले में कुल 129 ग्रामीण फीडर्स है जिनको तकनीकी व अपरिहार्य कारणों को छोड़कर निर्धारित घन्टे प्रतिदिन ब्लाक्स में विद्युत आपूर्ति की गई है तथा ब्लाक्स के अनुसार सभी फीडरों को बारी-बारी से काटा गया है। किन्तु राज्य में उक्त तिथियों में विद्युत उपलब्धि में अत्यधिक कमी होने से निर्धारित घंटे से अधिक समय तक फीडरों को काट कर विद्युत वितरण करना पड़ा।

(3) उपरोक्त अवधि में किसानों से कृषि कार्य हेतु मीटर्स सप्लाई वाले उपभोक्ताओं से लगभग 202.84 लाख व फ्लेट रेट उपभोक्ताओं से 43.07 लाख रुपये वसूल किये गये हैं।

(4) उपरोक्त अवधि में किसानों से कृषि कार्य हेतु मण्डल नियमानुसार रही विद्युत उपभोग की राशि चार्ज की गयी है। इससे अधिक राशि किसानों से कृषि कार्य हेतु वसूल नहीं की गयी है। अतः समायोजन का प्रश्न ही नहीं है। फ्लेट रेट में यदि 7.5 हार्स पावर या इससे अधिक का उपभोक्ता औसतन 3 घण्टे 48 मिनट प्रतिदिन बिजली का उपभोग करले तो वह फ्लेट रेट के अधीन निर्धारित राशि के बराबर विद्युत का उपभोग कर लेगा। (इससे कम हार्स पावर के उपभोक्ता के लिये इससे भी कम समय में फ्लेट रेट के बराबर विद्युत का उपभोग हो जावेगा।) दूसरे शब्दों में 3 घण्टे 48 मिनट से अधिक समय मिलने वाली बिजली उसे निःशुल्क ही कही जा सकती है। वास्तव में विद्युत की कटौती आदि के बावजूद भी इससे अधिक समय बिजली

(विद्युत मंत्री)

उपलब्ध कराई गयी है। अतः राशि अधिक वसूल करने का प्रश्न ही नहीं है। वैसे फ्लेट रेट का तात्पर्य भी यही है कि अमुक मात्रा से अधिक भी बिजली ली जा सकती है जिसके लिये कृषकों को कोई अतिरिक्त राशि नहीं देनी पड़ती। उसी अनुसार यदा-कदा कम उपभोग होने पर राशि रिफण्ड करने का मामला नहीं बनता है।

ऊर्जा विकास प्राधिकरण द्वारा चयनित ग्राम

1107. **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ऊर्जा विकास प्रधिकरण द्वारा कितने ऊर्जा ग्रामों का चयन किया जा चुका है तथा उनमें से कितने पूर्ण ऊर्जा ग्राम के रूप में स्थापित हो चुके हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रामों को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए अब तक कौन से उपकरण कितनी-कितनी संख्या में किस-किस ग्राम में लगाये गये हैं ? उपकरणों की लागत सहित वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार की वर्ष 1994–95 में नये ग्रामों को ऊर्जा ग्राम में परिवर्तित करने की योजना है ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम की ? जिलेवार नाम सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पूर्ण विकसित ऊर्जा ग्रामों बावत केन्द्रीय सरकार द्वारा रिपोर्ट मांगी गयी है ? यदि हां, तो प्राप्त पत्र एवं प्रेषित रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा राजस्थान के 25 ग्रामों का ऊर्जा ग्राम हेतु चयन किया गया है जिसकी वर्षवार स्वीकृति निम्न प्रकार है:–

वर्ष	ऊर्जा ग्रामों की संख्या
1980–89	15
1989–90	6
1990–91	1
1991–92	3

विभिन्न ऊर्जा ग्रामों में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास किये गये हैं। सोलर फोटोवोल्टाइक लांइट, रंगीन, टी.वी., व डिश एन्टीना के शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं। 40 हैक्टेयर ऊर्जा वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। उपयुक्त भूमि प्राप्त नहीं होने के कारण 14 ग्रामों में यह कार्य नहीं हो पाया है। तीन पवन चक्की स्थापित हो चुकी है तथा शेष सात ग्रामों में कार्यवाही चल रही है। उन्नत चूल्हा कार्यक्रम में 78 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं।

(2) विवरण सारणी संख्या (1) व (2) संलग्न है।

(3) नये ऊर्जा ग्रामों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होती है। वर्ष 1994–95 में भारत सरकार से किसी भी नये ऊर्जा ग्राम की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध पे निरंतर पत्र प्राप्त रहते हैं। अन्तिम पत्र 6-3-95 को प्राप्त हुआ था। जिसका जवाब भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

(सारणी विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विद्युत छीजत को रोकने के उपाय

1108. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे -

(1) क्या विद्युत चोरी को रोकने के उद्देश्य से सरकार की नये कनेक्शन एवं पुराने कनेक्शनों को 11 के.वी. लाइन से जोड़ने की योजना है ? यदि हां, तो यह योजना कब से प्रारंभ करने का सरकार विचार रखती है ?

(2) विद्युत चोरी और छीजत को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्युत चोरी रोकने, लाइन लोसेज कम करने व विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार हेतु एल.टी.लैस सिस्टम जिसमें नये व पुराने उपभोक्ताओं को 11/0.4 के.वी. ट्रांसफार्मर से ही या 11/0.4 के. वी. ट्रांसफार्मर से 2–3 पोल की उपभोक्ता की अलग सर्विस लाइन से कनेक्शन दिये जाने की योजना विचाराधीन है। संसाधनों की उपलब्धि अनुसार उसे क्रियान्वित किया जायेगा।

(2) विद्युत लाइन में विद्युत छीजत लाइन पर विद्युत भार (लोड), पावर फैक्टर, लाइन की लम्बाई व लाइन के कण्डक्टर पर निर्भर है। विद्युत तंत्र में छीजत विभिन्न लाइनों की छीजत पर निर्भर रहती है। लम्बी प्रसारण एवं वितरण लाइनों में छीजत ज्यादा होती है। कई बार मल्टीपल ट्रांसफार्मेशन अर्थात 400 के.वी. से 220 के.वी., 220 के.वी. से 132 के. वी., 132 के.वी. से 33 के.वी., 33 के.वी. से 11 के.वी. एवं 11 के.वी. से 400 वोल्ट्स के कारण भी क्षति में बढ़ोत्तरी होती है। कृषि के उपयोग में काम आने वाली मोटरों के कारण विद्युत तंत्र का पावर फैक्टर कम हो जाता है और कम पावर फैक्टर भी छीजत में बढ़ोत्तरी का एक कारण है। चोरी रोकने व विद्युत तंत्र में छीजत को कम करने के विभिन्न प्रयास किये गये हैं और किये जा रहे हैं जो निम्न प्रकार हैं :–

1. बिजली की चोरी रोकने के लिये राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में सुरक्षा एवं सतर्कता निदेशालय कार्यरत है जिसके निदेशक, भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यतया औद्योगिक उपभोक्ताओं के मामलों में जांच करने के लिये स्पेशल आफीसर (सर्तकता) कार्यरत है। इन अधिकारियो की देख-रेख में विद्युत चोरी रोकने हेतु निदेशालय में पदस्थापित तकनीकी अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों का संयुक्त दल भेजा जाता है।

2. समय-समय पर मण्डल के संचालन के संधारण वृतों में कार्यरत तकनीकी अभियन्ताओं के द्वारा विद्युत चोरी रोकने हेतु सघन अभियान चलाया जाता है।

3. विद्युत मण्डल की सर्तकता इकाइयों के अतिरिक्त वितरण खण्ड एवं उप खण्ड अधिकारी जिन्हें कि मण्डल के आदेश द्वारा खण्डीय सतर्कता अधिकारी

(ऊर्जा मंत्री)

घोषित किया गया है के द्वारा भी सभी जिला मुख्यालयों पर विद्युत चोरी रोकने हेतु जांच की जाती है।

4. विद्युत की चोरी रोकने हेतु मण्डल ने अपने कर्मचारियों जिनके द्वारा विद्युत चोरी पकड़ने में सहयोग किया हो उस चोरी के फलस्वरूप की गई वसूली के लिये 10 प्रतिशत नकद प्रोत्साहन राशि एवं विद्युत चोरी की सूचना देने पर पकड़ी गई चोरी के फलस्वरूप सूचना देने वाले को भी नगद प्रोत्साहन राशि देने के आदेश प्रसारित किये हैं। वसूल की गयी राशि का 10 प्रतिशत स्थानीय पुलिस जो चोरी पकड़ने में सहयोग प्रदान करती है को भी दिया जाता है!

5. विद्युत चोरी पकडे जाने पर विद्युत चोरी के मामले पुलिस में दर्ज करवाये जाते थे, जिसके निपटारे में काफी समय लगता था एवं इससे मण्डल को राजस्व वसूल भी समय पर नहीं हो पाती थी। अत: मण्डल ने विद्युत चोरी के मामलों में एक समझौता योजना के आदेश प्रदान किये, जिसमें विद्युत चोरी पकड़े जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस थानों/न्यायालयों में वाद प्रस्तुत करने के बजाय, यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समझौता राशि जमा करा देता है तो समझौता कर वाद समाप्त करने की योजना शुरू की गयी है।

6. हाल ही में मण्डल ने एक आदेश प्रसारित कर सभी व्रतों पर कार्यरत अधिशासी अभियन्ता (वसूली) को भी सर्तकता जांच का कार्य करने हेतु आदेश दिये हैं तथा प्रतिमाह मुख्य अभियन्ता को बिजली चोरी प्रभावित क्षेत्रों में आकस्मिक जांच करने के आदेश भी दिये हैं।

7. उपभोक्ताओं के यहां फिलफर फ्रूप मीटर लगाये जावेंगे व छेड़-छेड रहित (टेम्पर प्रूफ) मीटर बक्सों का प्रावधान किया जावेगा। विशेष अभियान द्वारा मीटरों पर सील तथा टर्मिनल प्लेट्स भी लगायी जावेगी। विद्युत चोरी रोकने हेतु कनिष्ठ अभियन्ता की उत्तरदायी होंगे।

8. विद्युत वितरण लाइनों का उच्च क्षमता में परिवर्तन व उप प्रसारण तंत्र का विकास करना।

9. उचित भार केन्द्रों पर शंट केपेसिटर स्थापित करना।

10. बन्द एवं क्षतिग्रस्त मीटरों को उपभोक्ताओं के परिसर में जाचं करना एवं बदलना।

11. विद्युत मीटरों का नवीनीकरण।

12. एल.सी. लैस सिस्टम का विकास एवं गुच्छ बिल लाइनों की शुरुआत

(ऊर्जा मंत्री)

13. विभिन्न शहरों के लिये वितरण तंत्र में सुधार हेतु योजना बनायी गयी है।

14. विभिन्न औद्योगिक उपभोक्तओं के लिये न्यूनतम पावर फैक्टर की सीमा 0.85 से बढ़ाकर 0.9 करना।

राज्य सरकार ने ऊर्जा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में विधान सभा के सदस्यों की एक समिति का प्रसारण व वितरण की छीजत को रोकने के लिये दिनांक 26-8-1994 को गठन किया है। उक्त समिति की कुछ बैठकें भी हुई हैं।

विद्युत कर्मचारियों (अलवर) का प्रदर्शन

1109. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अलवर में अगस्त, 1994 में विद्युत कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया उस समय क्या वे छुट्टी पर थे ? यदि हां, तो उनके हाजिरी रजिस्टर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी ड्यूटी पर थे तो किस-किस ने प्रदर्शन किया था तथा सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अलवर में विद्युत कर्मचारियों ने माह अगस्त, 1994 में कोई योजनाबद्ध प्रदर्शन नहीं किया। तथापि दिनांक 17-8-94 को कुछ व्यक्तियों ने सहायक अभियन्ता के कार्यालय में जाकर अभद्र व्यवहार किया जिस पर कर्मचारियों एवं आगन्तुक व्यक्तियों के बीच कहा सुनी हुई। आगन्तुक व्यक्तियों के साथ-साथ कार्यालय के कर्मचारी भी दफ्तर के बाहर आ गये एवं कुछ समय के लिये आपस में नारे बाजी करने लगे। स्थानीय विधायक का निवास भी विद्युत मण्डल कार्यालय के पास ही है। स्थानीय पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को शीघ्र ही शान्त कर दिया।

(2) उपस्थित कर्मचारी छुट्टी पर नहीं थे एवं कोई योजनावद्ध प्रदर्शन नहीं किया। कर्मचारियों ने विशेष परिस्थितियों में अपने बचाव में प्रतिक्रिया की। अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल एक साधन है – अन्तिम लक्ष्य नहीं है। कई बार शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये आन्दोलनात्मक कार्यवाहियों को अनावश्यक महत्व देने के बजाय उनकी अनदेखी करना ज्यादा युक्ति संगत होता है।

प्रदेश की विद्युत समस्या का समाधान

1110. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डौली): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की विद्युत समस्या के समाधान के संबंध में सुझाव दिये जाने के लिए ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और अब तक कुल कितनी बैठकें हुई तथा समिति ने क्या-क्या सुझाव दिये हैं ?

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

(2) इस समिति को और अधिक क्रियाशील व प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार भविष्य में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक प02/11/ऊर्जा/94 दिनांक 26–8–94 के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसके निम्न सदस्य हैं :–

1.	माननीय ऊर्जा मंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री परसराम मदेरणा, मा. विपक्षी दल के नेता	सदस्य
3.	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी मा. सा. नि. मंत्री	सदस्य
4.	श्री रामनारायण चौधरी, मा. विधायक	सदस्य
5.	श्री चन्दनमल वैद, मा. विधायक	सदस्य
6.	श्री विष्णु मोदी, मा. विधायक	सदस्य
7.	श्री वी.पी. सिंह, मा. विधायक	सदस्य
8.	श्री घनश्याम तिवाडी, मा. विधायक	सदस्य
9.	श्री नरपत सिंह, मा. विधायक	सदस्य
10.	विशिष्ट सचिव (ऊर्जा)	सदस्य सचिव

अब तक समिति की 3 बैठकें दिनांक 31–10–94, 14–3–1995 एवं 21–3–1995 को हुई हैं। इस समिति के माननीय सदस्यों ने विभिन्न बैठकों में विजली के उत्पादन में वृद्धि की सम्भावना, प्रसारण एवं वितरण में होने वाली छीजत में कमी, एवं बिजली की चोरी रोकने, राजस्व वसूली बढ़ाये जाने एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु चर्चा की तथा अपने विचार व्यक्त किये।

(2) समिति द्वारा किये जाने वाले सुझावों को राज्य सरकार गम्भीरता से लेकर उनके क्रियन्वियन का प्रयास करेगी।

जिला आयोजना समन्वय समितियों का गठन

1111. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या पचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 127 के अन्तर्गत जिला आयोजना समन्वय समितियों का गठन कब तक करने का विचार रखती है ?

(2) उपरोक्त जिला आयोजना समन्वय समिति में सरकार कुल कितने निर्वाचित एवं कितने नामजद सदस्य रखने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार उक्त समितियों में जिले के विधायकों को भी सम्मिलित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 के अन्तर्गत जिला आयोजना समितियों का गठन शीघ्र करेगी।

(2) अधिनियम की धारा 121 (2) के प्रावधानों के अनुसार जिले की जिला परिषद एवं नगर पालिका के चुने हुए सदस्यों की संख्या 4/5 होगी तथा सरकार द्वारा मनोनीत

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

सदस्यों की संख्या 1/5 होगी। कुल सदस्यों की संख्या सरकार द्वारा शीघ्र तय की जावेगी।

(3) मनोनीत सदस्यों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति लोक सभा तथा विधान सभा एवं राज्य सभा के सदस्य ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होंगे जो सरकार द्वारा तय किये जावेंगे। किन सदस्यों को इन समितियों का सदस्य मनोनीत किया जाना है, यह सरकार शीघ्र तय करेगी।

पूर्व सरपंच, जाड़ोता (आमेर) के विरुद्ध लंबित जांच

1112. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत जाड़ोता पंचायत समिति आमेर के पूर्व सरपंच की शिकायत हुई थी ? यदि हां, तो शिकायती पत्र और जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जांच में भ्रष्टाचार के आरोप थे और उनमें जांच अधिकारियों ने बचाने की चेष्टा की है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उसको बचाने के लिए पक्षपातपूर्ण जांच की है ? यदि हां, तो क्यों, सरकार पुनः निष्पक्ष अधिकारी से इसकी जांच कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत पत्र एवं जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) विकास अधिकारी की टिप्पणी के अनुसार पूर्व सरपंच द्वारा आरोपित राशि पंचायत कोष में जमा करा देने के कारण मामला दिनांक 15-10-94 को समाप्त कर दिया गया है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

संविदा अध्यापकों को प्रशिक्षण

1113. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा संविदा अध्यापकों को प्राथमिकता से प्रशिक्षित किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस अवधि तक अध्यापन करने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है ?

(2) क्या संविदा के आधार पर कार्य करने वाले अध्यापकों की कोई सूची सरकार ने बनवाई है ? यदि हां, तो उसका क्या आधार है ?

(3) क्या प्रशिक्षण में उसी सूची के अनुसार एवं वरीयता का क्रम तय कर ही प्रशिक्षण में भेजा गया है ? यदि नहीं, तो क्या वर्तमान में प्रशिक्षण में भेजे गये अध्यापकों से वरिष्ठ एवं निर्धारित अवधि तक सेवारत बचे हुए आध्यापकों को भी प्रशिक्षण देने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक एवं उनकी नियुक्ति की वरीयता का क्रम क्या रहेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। 16-12-89 को सेवारत तदर्थ अध्यापकों को जो निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखते हों को विशेष बैंच चलाकर पत्राचार द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(2) जी, हां। 16-12-89 को तदर्थ सेवारत एवं प्रशिक्षण की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताधारी।

(3) जी, हां। निर्धारित मानदण्डों की शर्तों की पूर्ति करने वाले सभी संविदा अध्यापकों को प्रथम एवं द्वितय बैंच में प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। दिनांक 16-12-89 को कार्यरत संविदा अध्यापकों को ही प्रशिक्षण में सम्मिलित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने भी निर्णय दिया है। अतः निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने वाले संविदा आध्यपकों को ही राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जावेगा।

पंचायत समिति, भोपालगढ़ एवं औसियां में कार्यरत ग्राम सेवक

1114. **श्री रामनारायण डूडी** (भोपालगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री बतानें की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति भोपालगढ़ एवं औसियां में कितने-कितने ग्राम सेवक कार्यरत हैं ? उक्त पंचायत समितियों में कितनी-कितनी पंचायतें हैं एवं कितने पद स्वीकृत पदों के विपरीत रिक्त हैं ?

(2) उक्त पंचायत समितियों में ग्राम सेवकों के पद कब से रिक्त चले आ रहे हैं तथा रिक्त पद अब कब तक भर दिये जायेंगे ?

(3) क्या एक पंचायत में एक ग्राम सेवक से विकास कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो रहे हैं ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, भोपालगढ एवं औसियां में क्रमशः 12 एवं 17 ग्राम सेवक कार्यरत है। उक्त पंचायत समितियों में क्रमशः 36 एवं 67 पंचायतें हैं एवं क्रमशः स्वीकृत पदों के विपरीत 5 एवं 13 पद ग्राम सेवकों के रिक्त हैं।

(2) उक्त पंचायत समितियों में ग्राम सेवकों के पद वर्ष 1989 से रिक्त चले आ रहे हैं। ग्राम सेवकों की नई भर्ती पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है जो निरस्त (वैकेंट) होते ही रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) विभागीय पैटर्न के अनुसार 4000 की आबादी वाली ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक तथा 4000 से कम आबादी वाली दो ग्राम पंचायतों में एक ग्राम सेवक का पद स्वीकृत है। विकास कार्यों के सुचारू रूप से चलने में दिक्कत आती है यदि एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक नहीं है।

जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ एवं बाड़मेर में अध्यापकों का साक्षात्कार

1115. **श्री रेवती प्रसाद कोली** (वैर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ व बाड़मेर में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रिक्त पदों को भरने हेतु पिछड़े संवर्ग का वर्ष 1994 में साक्षात्कार लिया गया था ?

(श्री रेवती प्रसाद कोली)

(2) यदि हां, तो उपरोक्त साक्षात्कार के आधार पर 31 मार्च, 1995 तक किन-किन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि श्री शिवराम सिंह धाकड़ (मैरिट नं. 27) व मैरिट नं. 95 भी उक्त साक्षात्कार में सम्मिलित हुए ? यदि हां, तो उनको अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गयी ?

(4) क्या यह सही है कि श्री शिवराम सिंह धाकड़ की डिग्री सत्यपान हेतु जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ से कोई पत्र जारी किया गया था ? यदि हां, तो कब ? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी, हां। जिला स्थापना समिति द्वारा उनके पत्रांक 84 दिनांक 3-4-95 के द्वारा नियुक्ति हेतु पंचायत समिति प्रतापगढ़ आबंटित की जा चुकी है। जिला स्थापना समिति बाड़मेर को श्री शिवराम सिंह धाकड़ की डिग्री का सत्यापन कानपुर से दिनांक 31-3-95 को प्राप्त हुआ है। दि. 31-1-95 को माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण सम्बन्धी निर्णय देने फलस्वरूप विभाग से निर्णय की पालना करने हेतु निर्देश दिनांक 5-4-95 को जारी किये गये हैं जिनकी पालना में महिला एवं पुरुष अभियार्थियों की सूची को इन्टरलैस कर नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही चल रही है।

(4) जी, हां। जिला परिषद चित्तौडगढ़ से श्री शिवराम सिंह की डिग्री के सत्यापन हेतु दिनांक 13-7-94 को भेजा गया जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र घाटोल के प्राथमिक विद्यालय

1116. **श्री जितेन्द्र नीनामा** (घाटोल) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ऐसे कितने और कौन से गाव विधान सभा क्षेत्र में घाटोल में हैं जिनकी जनसंख्या निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप होने के बावजूद भी सरकार ने वहां प्राथमिक शालाएं नहीं खोली हैं ?

(2) क्या सरकार इन गांवों में प्राथमिक-शाला खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) वर्ष 1995–96 में बजट में 614 ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान रखा गया है, यदि ग्राम निर्धारित मानदण्ड में आवेंगे तो उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नियमानुसार प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट – 13 देखें।)

केन्द्रीय बस स्टैण्ड, जयपुर का कम्प्यूटरीकरण

1117. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और कम्प्यूटर लगाने वाली संस्था के मध्य केन्द्रीय बस स्टैण्ड जयपुर पर कम्प्यूटर लगाने का क्या करार हुआ है ?

(2) जब से रिजर्वेशन व्यवस्था शुरू हुई है इस कम्पनी को अब तक कितने रुपयों का भुगतान किया गया है ? भुगतान की दर क्या है ? कम्प्यूटर सिस्टम से निगम और यात्रियों को क्या लाभ एवं सुविधा प्राप्त हुई है ?

उत्तर

(1) जी, हां। करार की प्रतिलिपि परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) कम्प्यूटर लगाने वाली कम्पनी को अब तक 90,746 रुपये भुगतान किया गया है। भुगतान की दर प्राप्त राजस्व का 0.74 प्रतिशत है। कम्प्यूटर सिस्टम से निगम व्यय में कमी एवं लेखा व्यवस्था में लाभ हुआ है तथा यात्रियों को टिकिट आरक्षण में सुविधा हुई है।

(करार की प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जयपुर में संचालित टैम्पो, विक्रम और मिनी बसों के परमिट

1118. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर में अवधिपार कितने टैम्पों, विक्रम और मिनी बसें किस-किस रूट पर पुराने मॉडल के चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपरोक्त किस्म के वाहनों की परमिट अवधि बढाती रही है ? यदि हां, तो परमिट अवधि बढ़ाने या नये परमिट देने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि पुराने वाहनों के चलने से प्रदूषण फैल रहा है ? यदि हां, तो ऐसे वाहनों को सरकार कब तक परमिट देना बन्द कर देगी ?

(4) उपरोक्त वाहनों से सरकार को वार्षिक आय कितनी होती है तथा प्राप्त आय की कितना प्रतिशत राशि सरकार प्रदूषण निवारण हेतु व्यय करती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर में अनुज्ञापत्र जारी करने के मॉडल कंडीशन निर्धारित है। पुराने मॉडल के 46 टैम्पों हैं जिनका विवरण परिशिष्ट–1 पर है। इन्हें संविदा वाहन अनुज्ञापत्र जारी है तथा कोई निश्चित मार्ग निर्धारित नहीं है।

(2) इन वाहनों को अनुज्ञापत्र जारी करने या अवधि बढ़ाने का मामला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा तय किया जाता है जो कि अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण है।

(3) यह आवश्यक नहीं है कि सभी पुराने वाहन प्रदूषण फैलाते हैं। वाहन का प्रदूषण फैलाना उसके यांत्रिक रख-रखाव

(राज्य मंत्री, यातायात)

पर निर्भर करता है। जयपुर में चलने वाले सभी परिवहन यानों का फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व प्रदूषण जांच की जाती है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।

(4) उक्त 46 वाहनों का एक वर्ष का कर 68540/– रुपये प्राप्त होता है। प्रदूषण निवारण हेतु किये जाने वाले व्यय का इस आय से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें।)

कृषि उपज मण्डी समिति घड़साना एवं जैतसर (सूरतगढ़) द्वारा निर्माण कार्य

1119. **श्री अमरचन्द मिढ्ढा** (सूरतगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सूरतगढ़ के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति, घड़साना एवं जैतसर द्वारा वर्ष 1993–94 में निर्माण हेतु जो प्रस्ताव भेजे गए थे, उनमें से कितने प्रस्ताव मंजूर कर लिये गये व उनके निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1993–94 की आय क्या रही ? इस आय का संस्थापन व्यय घटाने के पश्चात् राशि कितनी रही ?

(3) उपरोक्त शेष रही राशि का 60 प्रतिशत सम्पर्क सड़कों के निर्माण में व्यय कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस सडक पर कितना व्यय हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) शेष बचे हुए प्रस्तावों को सरकार कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सूरतगढ़ के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति, घड़साना द्वारा वर्ष 1993–94 में नवीन सम्पर्क सड़कों के कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये हैं एवं जैतसर द्वारा भेजे गये प्रस्तावों में से मंजूर किये प्रस्तावों का विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	सम्पर्क सड़क का नाम
1.	सलेमपुरा से मसाणीवाला
2.	10 जी.बी. 4 बी.जी.एम.
3.	3 जी.बी.
4.	6 जी.बी.
5.	3 एल.सी.
6.	जैतसर फार्म कालोनी से सलीमपुर
7.	मंगलगढ़ से सलीमपुर रोड़
8.	7 बी.बी. विस्तार
9.	चक्र महाराजा का से 4 एल.सी.

(2) वर्ष 1993–94 में कृषि उपज मण्डी समिति, घड़साना की आय 1,51,74,983.00 रुपये हुई एवं संस्थापन व्यय घटाने के पश्चात् 1,27,89,208.00 रुपये की राशि शेष रही एवं जैतसर की आय 41.16 लाख रुपये हुई एवं संस्थापन व्यय घटाने के पश्चात् 33.77 लाख रुपये की राशि शेष रही है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति, घड़साना द्वारा वर्ष 1993–94 से पूर्व की स्वीकृत सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर वर्ष 1993–94 में 43.78 लाख रुपये का व्यय ही हुआ है एवं

(राज्य मंत्री, कृषि)

जैतसर के द्वारा प्रश्न के भाग संख्या 1 में दर्शायी गयी सम्पर्क सडक क्रमांक 3 से 9 तक की वित्तीय स्वीकृति वर्ष 1994–95 में दी गई है। वर्ष 1993–94 में पूर्व में स्वीकृति सड़को पर व्यय की गयी राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

कृषि उपज मण्डी समिति, घड़साना :–

क्र.सं.	नाम सम्पर्क सड़क	व्यय 93–94 (लाखों में)
1.	घड़साना रावला रोड से 1 एस.के.एम. वाया 281 आर.डी.	0.20
2.	1 जी.डी.–7 जी.डी. सड़क से 2 जी.एम.	2.65
3.	अनूपगढ़–बीकानेर सड़क से 3 जी.डी.	1.24
4.	अनूपगढ़ बीकानेर सड़क से 2 जी.डी.	1.33
5.	घड़साना–रावला रोड से चक 1 एल.के.एम. वाया 281 आर.डी.	1.26
6.	सतराना एम.डी. केनाल आर.डी. नं. 11–12 से 5 एन.डी.	5.98
7.	12 एम.एल.डी. से 2 आर.के.एम. विस्तार	0.94
8.	1 जी.डी.–7 जी.डी0 का विस्तार	0.50
9.	5 के.डी. से 2 के.डी. का विस्तार	2.50
10.	25 ए.एस. से 23 ए.एस. तक	4.07
11.	घड़साना सखी रोड से 6 जी.डी.	2.46
12.	घड़साना सखी रोड से 22 एम.डी.	5.38
13.	4 एम.डी.–5 एम.डी. सडक से 1 एम.डी.	13.12
14.	घड़साना नई मण्डी से सतराना गांव	1.54
15.	घड़साना बीकानेर रोड से चक 2 एस.टी.आर.	0.29
16.	अनूपगढ़ बीकानेर रोड से चक 3 एस.टी.आर.	0.32
	योग :–	43.78

क्रं सं.	नाम सम्पर्क सड़क	व्यय 93–94 (लाख में)
	कृषि उपज मण्डी समिति, जैतसर :-	
1.	6 जी.बी. (ए)	0.39
2.	6 जी.बी. (बी)	1.50
3.	10 जी.बी. से 4 बी.जी.एम.	1.92
4.	1 जी.बी. (ए)	4.50
5.	मघोवाली ढाणी	1.42

(राज्य मंत्री, कृषि)

6	3 जी० बी0	0.12
7.	मघोवाली ढाणी (विस्तार	0.22
8.	2 जी.बी.	1.58
9.	2 जी.बी. (हिन्दी)	4.37
10.	3 एल.सी (विस्तार)	0.35
11.	मसानीवाली	0.35
12.	4 जी.बी.	0.71
13.	मंगलगढ़	1.97
14.	फार्म कालोनी	0.94
	योग –	20.34

(4) कृषि उपज मण्डी समिति, घड़साना के वर्ष 1993–94 के लम्बित प्रस्तावों को राज्य सरकार की सड़क नीति परिपत्र दिनांक 10-03-95 के अन्तर्गत परीक्षण कर मण्डी समिति द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकेगी एवं कृषि उपज मण्डी समिति, जैतसर का कोई प्रस्ताव वर्ष 1993–94 का लम्बित नहीं है।

जिला उदयपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याणार्थ कार्यरत संस्थाएं

1120. **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र में सराड़ा, सलूम्बर, धरियावद, फलासिया, खैरवाड़ा एवं लसाड़िया जिला उदयपुर में कौन-कौन-सी संस्थाएं अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ कार्यरत है तथा इनकी शाखाएं किस-किस गांव में किस-किस नाम से चल रही हैं तथा प्रत्येक शाखा का संचालन/प्रबन्धक कौन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थाओं को विगत 4 वर्षों में कितनी-कितनी राशि की सहायता किस-किस माध्यम से प्राप्त हुई तथा उसका व्यय किस-किस मद पर किया गया ? प्रत्येक शाखावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त संस्थाओं के लेखों का ऑडिट कराया गया ? यदि हां तो कब-कब तथा उसमें क्या-क्या ऑडिट आक्षेप रहे ? प्रत्येक शाखा का विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्थाओं में भारी गबन/घोटाले पाये गये ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन दोषी पाये गये। क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र में सराड़ा, सलूम्बर, धरियावद, फलासिया, खैरवाड़ा एवं लसाड़िया जिला उदयपुर में अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ कार्यरत संस्थाओं,

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

जिनको जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा विगत 4 वर्षों में आर्थिक सहायता दी गयी, की सूची संचालक/प्रबंधकों के नाम सहित परिशिष्ट–अ पर उपलब्ध है।

(2) उक्त संस्थाओं को विगत चार वर्षों में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग समाज कल्याण विभाग एवं राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दी गयी सहायता राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट–ब पर उपलब्ध है।

(3) अनुदानित संस्थाओं को जिन कार्यों के लिए राशि दी जाती है उनके लेखों की जांच संबंधित विभाग द्वारा करवायी जाती है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा इन संस्थाओं के लेखों की जांच नहीं करायी गयी है। क्योंकि अधिकांश संस्थाओं को वर्ष 1994-95 में ही राशि दर दी गई है। समाज कल्याण विभाग द्वारा विभागीय अनुदान नियमानुसार चार्टेड अकाउण्टेंट से लेखों की जांच करवाने की शर्त पर ही संस्था को अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागीय अंकेक्षण दल द्वारा भी आवश्यकता अनुसार अंकेक्षण/विशेष अंकेक्षण समय पर कराया जाता है।

विभागीय अंकेक्षण की स्थिति निम्नानुसार है :–

1. अनुदानित जवाहर छात्रावास खैरवाड़ा 3/91 तक
2. निराश्रित बाल कल्याण केन्द्र, झाड़ोल 8/91
3. निराश्रित बालगृह, झाड़ोल 8/91
4. निराश्रित बाल सदन, सलूम्बर वर्ष 91 तक
5. निराश्रित बाल कल्याण केन्द्र, सलूम्बर वर्ष 91 तक
6. कन्या छात्रावास, झाड़ोल (फलासिया) वर्ष 91 तक
7. जनजाति छात्रावास, सलूम्बर 6/91 तक

(4) उक्त संस्थाओं में गबन/घोटाले का कोई ठोस प्रकरण सामने नहीं आया है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

गोठड़ा आश्रम विद्यालय

1121. **श्री फूल चन्द** (सलूम्बर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गोठड़ा आश्रम विद्यालय मुख्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय गोठड़ा मुख्यालय में 3–5 किलोमीटर की दूरी है ? यदि हां, तो क्या यह उचित है यदि नहीं तो क्या सरकार इसका समाधान करने का विचार रखती है ?

(2) क्या वर्षा काल एवं साधारण समय में भी छात्रों को आने जाने में कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) यह छात्रावास 15 वर्षों से भी अधिक समय से इसी स्थान पर चल रहा है। छात्रावास व विद्यालय दोनों एक ही राजस्व ग्राम में स्थित हैं।

(2) वर्षाकाल में कच्ची सड़क होने के

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

फलस्वरूप छात्रों को आने-जाने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन साधारण समय में छात्रों को सामान्यतः कोई कठिनाई नहीं होती है।

विधान सभा क्षेत्र अलवर के आंगनबाड़ी केन्द्र

1122. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : क्या महिला बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अलवर विधान सभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं ? उनमें से कितने चालू हैं एवं कितने बन्द हैं ?

(2) अलवर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990 से 1995 तक कितनी राशि इन केन्द्रों को दी गयी तथा उसका क्या उपयोग हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना शहरी क्षेत्र में कुल 100 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं, इसमें से 98 केन्द्र चालू हैं तथा 2 केन्द्र (दीवाकरी एवं धौलीदूब) बाल विकास परियोजना उमरैन में चले जाने के कारण बन्द हो गये हैं।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों को सीधे ही कोई राशि नहीं दी जाती है। बजट का आबंटन आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी को किया जाता है। वर्ष 1990–95 तक जो राशि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर व्यय एवं उपयोग की गयी, उसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.	नाम उप मद	व्यय हुई राशि (रुपये में)				
		1990–91	91–92	92–93	93–94	94–95
1.	मानदेय	431842	418409	408500	713584	685998
2.	आंगनबाड़ी आर्वतक व्यय	15821	17997	15468	18000	16914
3.	" अनावर्तक व्यय	–	–	–	50000	–
4.	विज्ञापन, प्रचार, प्रसार	–	1496	250	3498	2425
5.	दवाइयां	–	–	–	2890	2880
6.	आंगनबाड़ी भवन किराया	141260	138040	139320	141194	139740
7.	खाद्यान्न एवं अन्य	133332	125990	94409	95630	93706
8.	परिवहन एवं अन्य	21834	37933	16488	2927	14153
	योग :–	744089	734865	674435	1027723	955816

कोटा सम्भाग के पुरातात्विक स्थल

1123. **श्री भरत सिंह** (खानपुर) : क्या कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री भरत सिंह)

(1) कोटा सम्भाग में विभाग द्वारा घोषित स्मारक एवं पुरातत्व महत्व के स्थल कौन-कौन से हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। गत दो वर्षों में इनके संरक्षण पर कुल कितनी राशि खर्च की गई तथा वर्ष 1995–96 में क्या कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है ?

(2) क्या बृज विलास भवन कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक इसे पूर्ण कर लिया जावेगा तथा इस वर्ष इस पर कितनी राशि किस कार्य हेतु खर्च किया जाना प्रेस्तावित है ?

(3) क्या विभाग द्वारा संरक्षित घोषित स्मारक व पुरातात्विक स्थल के अलावा प्रदेश के उन स्थानों व स्मारकों को भी इस सूची में शामिल करेगा जो वर्तमान में इस सूची में शामिल नहीं है मगर संरक्षण के अभाव में नष्ट हो रहे हैं ? यदि हां, तो कोटा संभाग के ऐसे कौन से स्मारक व पुरातत्व हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग जिसमें कोटा, बारां, बूंदी झालावाड़ एवं सवाईमाधोपुर जिले सम्मिलित हैं में राज्य के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा कुल 43 स्मारक एवं स्थल (38 स्मारक तथा 5 स्थल) संरक्षित घोषित हैं। जिलेवार सूची संलग्न है। गत 2 वर्षों में इनकी मरम्मत पर कोई राशि खर्च नहीं की गयी है।

शिव मंदिर, कांवलजी (कमलेश्वर महादेव मंदिर), (इन्द्रगढ़), बून्दी की संविशेष मरम्मत/जीर्णोद्वार के लिए विभाग ने 1995–96 के बजट में 2.00 लाख रुपये के राशि का प्रावधान रखा गया है।

(2) कोटा स्थित गढ़ पैलेस में राजकीय संग्रहालय को बृज विलास भवन में स्थानान्तरित किया गया है। इस भवन की मरम्मत कार्य चरणबद्ध रूप से अभी भी किया जा रहा है। इस भवन को संग्रहालय की दीर्घाओं के अनुरूप बनाने पर विगत चार वर्षों में (1991–92, 1992–93, 1993–94, 1994–95) 4,00,607/– रुपये की राशि मरम्मत पर खर्च की गयी है। चालू वित्तीय वर्ष में 2.00 लाख रु. का प्रावधान रखा गया है।

उक्त भवन के विकास एवं संग्रहालय परिसर के बाह्य सौन्दर्यकरण हेतु जिला कलक्टर, कोटा के द्वारा भी वर्ष 1994–95 में 6,48,347/– रुपये की राशि का आबंटन किया गया है।

(3) विभाग के समिति बजट तथा तकनीकी साधनों को मध्य नजर रखते हुए कोटा संभाग के सभी असंरक्षित स्मारकों/स्थलों को संरक्षित घोषित करना संभव नहीं है चूंकि कोटा का बृज विलास भवन, पुरातत्व विभाग के कब्जे में है और वहां संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। अतः उसे संरक्षित स्मारक घोषित करना विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें।)

हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन विकास

1124. **श्री भरतसिंह** (खानपुर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन को

(श्री भरत सिंह)

विकसित करने के संदर्भ में सरकार के क्या प्रयास रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि झालावाड़ पर्यटन मेला चालू करने के बाद से झालावाड़ जिले में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रहे ?

(3) झालावाड़ जिले के गढ़ में बनी दीवार चित्रांकन की सुरक्षा हेतु क्या सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन की सम्भावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से विभाग ने मै. टाटा कन्सलटैन्सी सर्विस, नयी दिल्ली से सर्वेक्षण कराया गया है।

(2) जी, हां।

(3) वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। विभाग अपने सीमित वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं को मद्देनजर रखते हुये विकास की योजना बनाता है।

पर्यटन विकास निगम में आरक्षण

1125. **श्री हरिनारायण बैरवा** (खण्डार) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का एक भी वरिष्ठ प्रबन्धक राजस्थान पर्यटन विकास निगम में नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम में अनुसूचित जनजाति का मात्र एक ही प्रबन्धक है ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को नियमानुसार हक क्यों नहीं दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण अवशेष कोटा पूरा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार आरक्षण अवशेष पूरा करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कब तक लाभ देने का विचार रखती है ?

(4) राज्य में राजस्थान पर्यटन विकास निगम में कितने प्रबन्धक व वरिष्ठ प्रबन्धक हैं ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई भी प्रबन्धक पात्रता सूची में उपलब्ध नहीं होने के कारण वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर नहीं है।

(2) जी, हां। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार पद एवं योग्य व्यक्ति उपलब्ध होने पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा नियुक्ति दी जाती है।

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का आरक्षण नियमानुसार अवशेष कोटा पद एवं योग्य व्यक्तियों के उपलब्ध होने पर पूर्ण किया जाता है।

(4) सूची परिशिष्ट "क" एवं "ख" संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें।)

स्थगित प्रश्न

(मंगलवार, दिनांक 18 अप्रेल, 1995)

शैतान सिंह नगर (शेरगढ़) के विकास अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

551. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) क्या यह सही है कि शैतान सिंह नगर (शेरगढ़) में प्राइमरी स्कूल में पांच अध्यापकों का स्टाफ स्वीकृत है ?

(2) क्या यह सही है कि यहां के विकास अधिकारी ने दो अध्यापकों को अपने ऑफिस में लगा रखा है तथा दो को गांव में लगा रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार को उक्त विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) शैतानसिंह नगर पंचायत समिति, शेरगढ़ के अधीन न होकर पंचायत समिति, फलोदा के अधीन है। प्राथमिक विद्यालय शैतानसिंह नगर में अध्यापकों के पांच पद स्वीकृत हैं।

(2) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, फलोदा द्वारा प्राथमिक विद्यालय शैतानसिंह नगर में से एक अध्यापक को माह फरवरी, 95 से पंचायत समिति कार्यालय में लगा रखा है व शेष 4 अध्यापक विद्यालय में कार्यरत हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष : उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्ताव। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री समर्थ लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 176) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर लाल जी शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री समर्थ लाल मीणा, सदस्य विधान सभा (विभाजन संख्या 176) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : एक ही बहुत है।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या ख़तरा है सरकार को ?

श्री समर्थ लाल मीणा का उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री समर्थ लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 176) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय ?

(स्वीकृत)

श्री समर्थ लाल मीणा राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : सर्व सम्मति से।

श्री जुबेर खान : सर्व सम्मति से।

श्री अध्यक्ष : हां–हां, सर्व सम्मति से। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सर्व सम्मति से निर्वाचित किये गये, सर्व सम्मति से।

श्री अध्यक्ष : सर्व सम्मति से कहा है मैंने, सर्व सम्मति से इनको विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। यही कहा है मैंने, आपने सुना नहीं पूरा।

(सदन के नेता प्रतिपक्ष के नेता एवं नेता, माकपा द्वारा श्री समर्थ लाल मीणा को उपाध्यक्ष के आसन तक लाकर बैठाया गया।)

श्री जगदीप धनखड़ : सत्ता पक्ष के कोई प्रयास नहीं हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है ...

बधाई एवं आभार

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, बधाई एवं शुभ कामनाएं मुझे कुछ निवेदन करना है। आज बहुत ही अच्छा दिन है और बडी ख़ुशी की बात है कि सर्व सम्मति से उपाध्यक्ष का चुनाव भी हो गया।

श्रीमन, आपका चुनाव भी सर्व सम्मति से हुआ और यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सर्व सम्मति से चुने गये और अध्यक्ष महोदय वहां बिराजमान हैं और ये हमारे पास विराजमान हो गये। मैं इस मौके पर यही निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि आपकी योग्यता पर या आपके एक्सपीरियंस पर, आप बहुत लम्बे समय तक उच्च कोटि के एडवोकेट रहे, बार एसोसियेशन, उदयपुर के प्रेसिडेंट भी रहे और आपका बड़ा लम्बा अनुभव है इसलिए हम आपसे यह एक्सपेक्ट करते हैं, श्रीमन् इस अनुभव और आपकी योग्यता पर कुछ मुझे कहने की आवश्कता नहीं है, मैं तो यही निवेदन करूंगा कि प्रतिपक्ष की तरफ आपका झुकाव नर्म होना चाहिये, ज्यादा होना चाहिये। इसलिए होना चाहिये कि ये तो सत्ता के मालिक हैं, हम प्रतिपक्ष में बैठे हैं। जनता की सही नुमाइन्दगी हम लोग करते हैं। आपके सामने जितनी समस्याएं आज राजस्थान में सामयिक हों या कुछ पहले की भी हैं, वे यहां प्रतिपादित करते हैं। श्रीमन् मुझे भी काफी लम्बा अनुभव है इस विधान सभा में मेम्बर होने का और हमेशा यह रहा है कि अध्यक्ष महोदय का झुकाव हमेशा थोड़ा बहुत प्रतिपक्ष की तरफ रहता है। आखिर प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में विपक्ष का काम यही है कि सत्ता पक्ष में जो कोई भी गलतियां होती हैं, उनको

(श्री खेतसिंह राठौड़)

उजागर करें, उनको सही करें, उनको सही रास्ते पर लायें और जनता की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उजागर करें। इसी के लिए इस प्रजातंत्र के अन्दर हम अपना यह राइट समझते हैं कि प्रतिपक्ष को हर मौके पर ज्यादा समय मिलना चाहिये।

श्रीमन्, मैं 2–3 दिनों से यही महसूस कर रहा हूं। बड़े दुःख के साथ निवेदन कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं कि सचेतक होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पिछले तीन दिनों के अन्दर और खास तौर से कल जिस प्रकार का वातावरण बना, वह किसी के लिए अच्छा नहीं है। हम इसी उद्देश्य से यहां आये थे कि पूरे कार्य में भाग लेंगे। हर बिल पर अपने-अपने अमेंडमेंट दिये थे। माननीय सदस्य चाहते थे कि उनके ऊपर खूब लम्बी विस्तार से चर्चा हो, जो उचित है। वह अमेंडमेंट हमारे भी माने जाने चाहिये लेकिन आपने जीरो-आवर में ही गाड़ी इतनी तेज चला दी कि हमारी तरफ आपने देखा ही नहीं। इतना ही नहीं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता खड़े हुए थे, वे भी अपकी तरफ देखते रहे लेकिन आपका ध्यान उधर ही उधर ज्यादा रहा और सब बातें छोड़कर और एकदम से आप बिलों पर आ गये और बिलों के ऊपर आकर आपने 15 मिनट में ही सारी कार्यवाही कर दी। हम तो यह सोच रहे थे कि एक–आध बिल लेंगे, इतने में हम हाउस में वापस आ जायेंगे लेकिन हम आये तब तक सब यहां से उठकर रवाना भी हो गये, तो यह प्रजातंत्र में अच्छा तरीका नहीं है।

श्रीमन्, मैं इस मौके पर सत्ता पक्ष के और सदन के नेता माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत, मुख्य मंत्री, राजस्थान से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार कल जो कुछ भी हुआ, वह इस हाउस के लिए शोभनीय नहीं था और और इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आइन्दा हमें ऐसा अवसर दीजिये जिससे हम खूब अच्छी तरह से अपनी बात को आपके सामने व्यक्त कर सकें और व्यक्त करके जनता की समस्याओं को उजागर कर सकें। यही मेरा निवेदन है आपसे।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, नेता महोदय से निवेदन है कि अपने वशीकरण मंत्र से इनको मुक्त रखें।

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने विचार प्रस्तुत किया, यह हमारे सदन के लिए और हमारे प्रदेश की लोकतांत्रिक परम्पराओं के लिए गौरव का विषय है कि हमारे अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय, दोनों ही सर्व सम्मति से चुने गये हैं और सदन के सभी माननीय सदस्य यह अपेक्षा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं और उनका हक भी होता है कि वह आपसे उनके आधिकारों के संरक्षण के लिए और जो कुछ वह अपने क्षेत्र की, राजस्थान की कमियों को, समस्याओं को निराकरण के लिए प्रस्तुत करते हैं उनके बाबत और जो कुछ सरकारी तंत्र के माध्यम से सत्ता पक्ष की तरफ से कार्य आते हैं, उनकी नीतियां आती हैं, उनके विविध प्रकार के सम्पादन किये जाने वाले प्रोग्राम आते हैं उनके बाबत जो कमियां-खामियां हैं उनको उजागर करने, उनके बाबत सुझाव देने और अगर कोई ऐसे मुद्दे हैं कि जिनका असर्ट करना जरूरी है तो उनका असर्ट करके जनता के सामने उनको

(श्रीमती कमला)

प्रस्तुत करना, यह प्रतिपक्ष का और मेरी समझ में सत्ता पक्ष के जो माननीय सदस्यों सब का फर्ज है कि वह जनता के सामने जिस प्रकार से चुनाव जीत कर आये हैं उसके संदर्भ में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। इसलिए सभी माननीयं सदस्य यह अपेक्षा रखते हैं कि जिस तरह सर्व सम्मति से दोनों उच्च पदों पर हमारे माननीय अध्यक्षजी और उपाध्यक्षजी विराजमान हैं, तो प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं, जिनका कि कुछ कड़वा उत्तरदायित्व है, उनकी तरफ थोड़ा मीठा रुख रखें तो शायद समन्वय से इस हाउस में एक अच्छा वातावरण चलता रहे और आपसे भी जो हमें अपेक्षाएं हैं उनकी भी पूर्ति होती रहे।

लेकिन जैसा माननीय सचेतक महोदय ने कहा, दो-तीन दिन में कुछ ऐसा अहसास हुआ कि कुछ बहुत तेजी से और जो कोई भी बोलें, उनको जल्दी से बैठा करके, कार्यक्रम को या विषय को जल्दी से पूर्ण करके जैसा उन सदस्यों का जो दायित्व है उसकी पूर्ति होने देने से कुछ कमी खामी रखी। कल आपने जो व्यवस्था दी थी उस व्यवस्था के बाबत माननीय श्री पूनमचन्द जी विश्नोई ने उस पत्र के पढने के बाबत जो प्रस्ताव रखा था, वह आपने चर्चा के बाद में इजाजत नहीं दी। उसमें कोई दिक्कत नहीं कि आपने उसको नहीं माना, आपकी जो व्यवस्था थी वह सदन को शिरोधार्य थी लेकिन उसके बाद में जब आपने माननीय सदस्यों के नाम बोले तो आपने अपनी दृष्टि तो टेबल पर लगा ली और एक के बाद एक नाम बोलते गये और इधर से सब माननीय सदस्य खड़े होते चले गये बोलने के लिए, अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन आपने किसी एक माननीय सदस्य की तरफ भी नहीं देखा और उनको बोलने का भी मौका नहीं दिया और कम से कम दस-पन्द्रह नाम लगातार बोलने के बाद में जिस तरह की स्थिति आयी उससे क्षुब्ध होकर, उसके बारे में अपको अवगत कराने के लिए प्रतिबद्ध के नेता महोदय खड़े हुए, बोलना भी चाह रहे थे, आपको अवगत भी कराना चाह रहे थे लेकिन उनकी तरफ भी आप नहीं देख पाये, नहीं देखे। तो स्थिति यह हुई कि आखिर प्रतिपक्ष मौजूद है कि नहीं, और उसका अस्तित्व है कि नहीं, और उसको आप मान्यता भी दे रहे हैं या नहीं और हमारा जो हक और उत्तरदायित्व है उनकी कहीं मान्यता बनेगी भी या नहीं इस तरह की कल कुछ समय के लिए स्थिति पैदा हुई और इसलिए हम लोगों ने सदन से बर्हिगमन किया।

आज हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं वह मानते हैं कि यह जितनी बड़ी गरिमा का पद है और जितना बड़ा आपका उत्तरदायित्व है, उसी के साथ में सदस्यो का जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन वह आसानी से और सम्मान के साथ कर सकें, उसको प्रोटेक्शन देना भी आपका एक बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए कल जो इस प्रकार का हम लोगों को क्षोभ हुआ और जो एक दुखद दौर उस दौरान में निकला, वह मेरी समझ में नहीं दोहराया जा सके और हम लोग भी महसूस करें, जो प्रतिपक्ष के लोग बैठे हैं, कि हमारा जो हक है, हमारा जो उत्तरदायित्व है उसके निर्वहन में आप किसी प्रकार से भी उसको टालने की चेष्टा नहीं करेंगे कि यह नौबत आये कि हमें बहिर्गमन करना पड़े।

इस बात को हम सब मानते हैं कि जब

(श्रीमती कमला)

कोई भी चर्चा चलती है तो उसमें किसी स्टेज के ऊपर कोई गर्मागर्मी भी होती है, किसी प्रकार से शब्दों की बोलचाल में भी हो सकती है लेकिन उनको बोलने का मौका ही नहीं देना, उनकी तरफ देखना ही नहीं और प्रतिपक्ष के नेता की तरफ भी नहीं देखना और सुनना भी नहीं, यह पहली बार इस तरह की घटना घटी है जिसके बारे में पूरे प्रतिपक्ष को बहुत क्षोभ है और इस मामले में एक बहुत ही अफसोस की बात है। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि माननीय सदस्यों का जो दायित्व है उसके निर्वहन में आप पूरी तरह से प्रतिपक्ष को सम्मान के साथ में उनके अधिकारों का, उनके उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सहयोग आवश्यक रूप से देते रहेंगे, देते रहे हैं लेकिन कल और दो-तीन दिन में क्या घटना घटी, उसके लिए हमको बहुत ही तकलीफ है और आइन्दा इसका पूरा ध्यान रखा जायेगा, ऐसी हम आप से अपेक्षा करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं समझती हूं कि हम अपने हक के लिए वह सारी बातें आपके सामने कह रहे हैं और वह हक आपका भी एक दायित्व बनता है और इसलिए आपसे निवेदन किया है।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, जिस वक्त आपका निर्वाचन इस सर्वोच्च पद के लिए हुआ, खुशी की बात थी, पूरे सदन ने आप में विश्वास व्यक्त किया और विपक्ष ने, इतना मजबूत विपक्ष होते हुए भी परम्पराओं का निवर्हन किया, सर्व सम्मति से इस आसन पर आप बिराजे। आज भी विपक्ष ने सर्व सम्मति से उपाध्यक्ष जी का चुनाव किया। यह कहा जा सकता है कि आप सर्व सम्मति से नहीं मानते तो भी क्या होता, चुनाव तो होता। मैं माननीय सदन के नेता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, उनको जानकारी देना चाहूंगा, जब वह प्रतिपक्ष में बैठा करते थे उस वक्त भी पक्ष बहुत मजबूत था और उनका उपाध्यक्ष चुने जाने का, पक्ष के उम्मीदवार का, निश्चित था लेकिन इधर से उपाध्यक्ष के लिए उम्मीदवार खड़ा किया गया और जो नतीजा आना था वह आया। लेकिन आज जो प्रतिपक्ष है वह जिम्मेदारी से इस सदन में अपना कर्तव्य निभाना चाहता है, पूरी तरह से सरकार का सहयोग करना चाहता है, आसन की पूरी इज्जत करता है। जो भी प्रस्ताव सरकार की तरफ से आये, जिनमें हम सक्रिय योगदान दे सकते हैं, प्रतिपक्ष के नेता ने उन सब को स्वीकार किया। इस स्थिति में पिछले कुछ दिनों से इस सदन में जो वातावरण बना, दुखदायी हुआ। एक रोज पहले भी आया था। हमारे वरिष्ठ सदस्य इस सदन के भूतपूर्व अध्यक्षजी ने आपके सामने एक सबमिशन किया था, जिस समय सदन में इस प्रकार का वातावरण बन जाय उसके कई रास्ते हैं निपटाने के लिए सदन को एडजोर्न भी किया जा सकता है, और भी किया जा सकता है। उस रोज के बाद, हो सकता है वह पहला अवसर आपके सामने आया और उसमें आप वह निर्णय नहीं ले पाये, सदन को एडजोर्न करके बात कराने का, लेकिन उसके बाद में हमारे दिमाग में यह स्थिति आयी कि जब भी सदन में इस प्रकार का वातावरण बनेगा, आप सदन को शांत करने के लिए जो अध्यक्ष के पास अधिकार हैं उन सबका नरमाई से पालन करेंगे।

(श्री शिवनाथ सिंह)

कल, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मन को बहुत पीड़ा हुई। यहां मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारी तरफ से भी कई माननीय सदस्यों ने ओवरएक्ट कर लिया होगा लेकिन जब श्री पूनमचंदजी बिश्नोई ने आपकी उस रूलिंग को स्वीकार करते हुए यह कहा कि ठीक है साहब, आप पत्र को न पढ़ने दीजिये, अब आगे की कार्यवाही चलाइये, उसके बाद में मेरे ख्याल से इधर का सब वातावरण शांत हो गया था। उसके बाद में 295 के नाम पुकारे। श्री परसादीलालजी का अपने नाम पुकारा, श्री गोविन्द सिंह जी का आपने नाम पुकारा। श्री गोविन्द सिंह जी खड़े हुए, आपने ध्यान नहीं दिया। श्री परसादीलालजी खडे हुए, ध्यान नहीं दिया। जिन माननीय सदस्यो का आपने नाम पुकारा, सब खड़े थे लेकिन पता नहीं दिमाग पर क्या प्रेशर था। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि कहीं से प्रेशर आ रहा था माननीय नेता महोदय के कुछ इशारे हमने देखे, पता नहीं वे क्या कहना चाहते थे, इस बात में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन आपने प्रतिपक्ष की तरफ ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार से आपने गाडी दौडाई कि जैसे कोई सदन में है ही नहीं। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि मुझे बहुत पीड़ा हुई। इसी कारण से बहिर्गमन हुआ। उसके बाद में हमारा सब का मन था, खास अच्छे-अच्छे विधेयक पास होने वाले थे, मेरे भी संशोधन थे, मैं वहां जाकर वापस आया और माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात के साक्षी हैं, आपकी नजर नहीं मिल पायी लेकिन मेरी इनसे नजर मिली, मैं वहां गेट में आया, आप खड़े थे, मैंने इंतजार किया कि आसन अपने पैरों से नीचे बैठे तब मैं अपनी सीट पर जाऊं और अपनी बात कहूं। माननीय अध्यक्ष जी, पीड़ा से हम देखते रहे और इस प्रकार से 5 मिनट के अन्दर आपने पूरा बिजनेस खतम कर दिया इसलिए हमारा मन आज इस बात के लिए दुःखी है और हमको सोचने के लिए बाध्य कर रहा है कि क्या हमने जो विश्वास व्यक्त किया था सदन के इस सर्वोच्च आसन में, हमारा वह विश्वास व्यक्त रह पाएगा ? और इस प्रकार की बात रही तो सदन, सदन के नेता और सदन का आसन, प्रतिपक्ष और माननीय सदस्य सब मिलाकर चलेंगे तो सदन चलेगा और नहीं मिलाकर चलेंगे तो उस स्थिति में क्या हो सकता है वह आप देखते हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मन को ठेस हुई और उस पीड़ा को मैं व्यक्त कर रहा हूं। हो सकता है उसमें कुछ कटु बात आ जाए लेकिन मुझे कम से कम इस बात की पीड़ा है कि हमने जो विश्वास व्यक्त किया था उस पर कुठाराघात हुआ है, हमको बहुत पीड़ा हुई है। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज जो सर्व सम्मति से उपाध्यक्ष जी का चुनाव हुआ है। मैं तो आपसे एक ही विनती करता हूं कि आज जैसा आपका व्यवहार रहा है, इस सदन के सदस्यों के प्रति वैसा ही व्यवहार रखें। जैसी घटना कल हुई है वैसी घटनाएं दुबारा नहीं हों। यदि यद्यपि सर्व सम्मति से चुनाव हुआ ? लेकिन यहां प्रतिपक्ष में बैठने वाले तमाम दलों के नेताओं से अगर इसमें पहले राय ली जाती तो मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र के लिए और बैटर होता। यही सर्व-सम्मति होनी थी। अगर विचार लिये जाते तो अच्छा रहता। यही कहना है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष जी, 5 मिनट मैं निवेदन कर दूं। (वयवधान) पहले आप बोल लें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर सौभाग्य से बहुत लम्बे अर्से के और बहुत लम्बे अनुभव के धनी यहां पर विराजमान हैं जिन्होंने सामन्ती युग से आज के वर्तमान विकास के युग को देखा है और कई परिस्थितियों में से अपन निकले हैं। 5–7 सदस्य, नाम किसी का नहीं लेना चाहता, ऐसे हैं जो निरन्तर 1952 से इस सदन से जुड़े हुए हैं। वे न तो बड़े भू–पति के कोई लडके हैं, न वे करोडपति के लडके हैं और न कोई विद्वता की दृष्टि से देश के अन्दर विख्यात हैं, उनका बड़प्पन इस बात में है और इस बात से बना है कि इस सदन के प्रांगण के अन्दर वे किस तरह के और कितने सेवाभावी हैं, जनता की समस्याओं को किस तरह से उठाते हैं, उजागर करते हैं, समस्याओं को कितना समझते हैं इस बात को देखकर साधारण लोगों को लम्बा राजनीतिक जीवन दिया।

आप जानते हैं शुरू से बहुत ही अच्छे माहौल में इस सैशन की शुरुआत हुई। ठीक है, छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं आपस में गरमा-गरमी भी हो जाती है, विवाद भी बढ़ जाता है तो उस अवस्था में आसन का यह दायित्व होता है कि स्थिति को किसी तरह से शांत करें और अधिक से अधिक माननीय सदस्य अधिक से अधिक जनहित के विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकें। नियमों में लिखा हुआ है, सब कुछ है, सर्व अधिकार आपको प्राप्त हैं, आप डिबेट का क्लोजर ला सकते हैं आप किसी को बोलने से रोक सकते हैं, आप किसी को अल्प समय के लिए निष्कासित कर सकते है. कई तरह के संघर्ष की स्थितियां सामने आती हैं आपको, उपाध्यक्ष जी को, हमारे मन में अगर कोई खोट होती तो ठीक दिखावे के लिए हम किसी को खड़ा कर देते तो ठीक है आप बहुमत में हैं, परन्तु हम कोई छोटे से अल्पमत में हैं, ऐसी स्थिति मे नहीं हैं।

सदन के नेता महोदय, कई बार इस सदन के अन्दर आये हैं तो बहुत ही थोडी संख्या में आये हैं लेकिन हमने सदैव उनका आदर किया और वह काफी कठोरता से, यह ऐसे करते हैं, हमारे में वह क्षमता नहीं है कि दोस्तों के विरुद्ध कटु बात कैसे कही जाय लेकिन उनमें यह क्षमता है और यह राजा का गुण है कि राज करने वाला व्यक्ति हो उसको कठोर भी होना पड़ता है। आपमें और हमारे में फर्क यही है कि आपमें वह कठोरता है और कटु से कटु बात भी अपने मित्रों के लिए जनहित के अन्दर कह सकते हैं।

अध्यक्ष जी, कल जिस तरह से सदन को चलाया है या 3–4 दिन से चला रहे हैं उससे मुझे बडा दुःख हुआ। मैं आपके सम्बन्ध में, आसन के सम्बन्ध मे अपनी जिम्मेदारी जानता हूं। लेकिन मैं कुछ नहीं कहता, मेरी नाराजगी मुख्य तौर से सदन के नेता के प्रति है, वो बी. जे. पी. के नेता या कुछ दलों के गठन के नेता नहीं हैं, सदन के नेता हैं और सुचारू रूप से यह सदन चले और अधिक से अधिक माननीय सदस्यों का इसमें पार्टिसिपेशन हो, यह सबसे प्रथम जिम्मेदारी आपकी है और उसके बाद नेतृत्व की है। जैसा मैंने पूर्व में, शुरुआत में कहा कि

(82)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जिन्होंने लम्बा राजनीतिक अवसर पाया है, इसमें राजा-महाराजा भी आये, करोड़पति भी आये लेकिन उनका वापस हमने चेहरा नहीं देखा लेकिन हम साधरण लोग जिस सीढी से ऊपर चढ़े हैं, उस सीढ़ी को ही यदि हम तोड़ देते हैं या कोई उसका नुकसान कर देते हैं तो हम जो सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गये हैं उनका वापस उतरना कैसे होगा क्योंकि सत्ता की आसन तो 9 दिन से ज्यादा तो सम्राटों के समय में भी अव्यवस्था नहीं रहती थी, 9 दिन में कोई न कोई व्यवस्था जम जाती है। नयी बात 9 दिन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो सत्ता में ऊपर चढ़ गये उनको नीचे आने के लिए सीढ़ी क्यों लगा रहे हो ? (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मुझे यही दुःख है कि आपके जैसा समझदार, लम्बे अनुभव वाला जो मैंने कहा, मैंने भू–पति, करोडपति और अति विद्वान यह आपकी ओर ही संकेत करके कहा है। आपको सब बातों का अनुभव है। आपको वारेन–हेस्टिंग्स की ट्रायल का मालूम होगा। वारेन–हेस्टिंग्स ने जब अवध की बेगमों का धन-दौलत और महल उनके आदेश से लुट गये तो बर्क ने उनका इम्पीचमेंट किया, पार्लियामेंट में महाभियोग लगाया, वारेन–हेस्टिंग्स ने यह कहा कि मुझे यह मालूम नहीं था कि मैं जो आदेश दे रहा हूं उसके ये परिणाम होंगे और इतना क्रूर व्यवहार उनके साथ होगा। बर्क ने कहा कि यदि सम्राट के घर में इसने जन्म लिया होता, हमेशा हाजिरी के बीच में रहा होता तो यह अनुभव नहीं कर सकता था लेकिन वारेन–हेस्टिंग्स एक क्लर्क बनकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी में आया और सर्वोच्च पद पर पहुंचा, वह ही यह अंदाजा नहीं लगा सकता था जो वह आदेश दे रहे हैं उसके क्या परिणाम होने वाले हैं। इसलिए मुख्य मंत्रीजी आपकी जिम्मेदारी हमसे और आसन से बड़ी है, आसन भी आखिर आपकी तरफ देखता है तो आप रिमोट–कन्ट्रोल से चलाने की कोशिश मत कीजिये। हमारा अगर इरादा खराब होता तो मैं आपको कहता हूं कि शुरू से ही, कोई हम अनुभवहीन तो हैं नहीं, पहले दिन से यह वातावरण बनाते चाहे आसन से नाराजगी होती तो आसन के प्रति भी इस तरह से कई विधान हो सकते हैं जिन्हें हम करते हैं। आपकी सरकार के विरुद्ध छुट-पुट सवाल पूछकर मामूली अपन लड़ाई कर लें वह एक और बात है लेकिन केस बनाना हम भी जानते हैं। हम आज के 10 दिन पहले या गवर्नर के अभिभाषण के अवसर पर, बजट के सामान्य वाद-विवाद पर एप्रोप्रियेशन बिल के कारण पर या अन्य किसी तरीके से गैर-सरकारी सदस्यों का दिन होता है, उस दिन किसी भी प्रकार से हम कह सकते थे। हमारे में कभी यह दुर्भावना नहीं थी। हमें यह बहुत अफसोस है कि आपकी उपस्थिति होते हुए, अध्यक्षजी बहुत अनुभवी हैं मुझे व्यक्तिगत रूप से इनके खिलाफ कुछ नहीं कहना है लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति बनी कि एक अविश्वास प्रस्ताव का भी नोटिस आ गया, ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिये और आपकी नजर दोनों तरफ बराबर रहनी चाहिये। आप सर्वमान्य और सर्वसम्मति, दोनों दफे जब पदासीन माननीय व्यक्ति ने यह कहा कि उनको चुना गया तो मैंने इस बात पर जोर दिया कि सर्वसम्मति से चुने गये। आज भी जब यह शब्द काम में नहीं लिया तो मैंने यह शब्द दोहराया। सरकार में

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

अगर इतना अविश्वास होता, ठीक है, हम चर्चा करते हैं आलोचना करते हैं, कमजोरियां सामने लाते हैं तो आपको तो इससे मदद मिलती है। अगर आप में जनता का विश्वास नहीं होता तो जो कागज मंत्रियों को उपलब्ध नहीं होते हैं वे आपके बस्ते के अन्दर बंधे हुए हैं। लोगों का विश्वास था इसलिये लाकर के आपको देते थे कि हमारी तकलीफ वहां पर दूर होगी। इसलिये आप कृपया, कितनी जिन्दगी कितनी बार एम.एल.ए. आ गये, 40–45 साल से तो आपका इस विधान सभा से सम्बन्ध है। आप जब अपने पद की पराकाष्ठा पर हैं तो उस वक्त आपको ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिये कि आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा ले और आपको याद करे।

अध्यक्ष महोदय, आपसे यही निवेदन है कि हमको बहुत दुःख हुआ। कल जिस तरीके से मैं यहां से कहकर गया था, मैंने कहा मेरा टैक्निकल ऑब्जेक्शन था। आपने ओवर रूल्ड कर दिया। मै आपके विनिश्चय को चुनौती नहीं देता, अब यह सारी बात समाप्त कर दीजिए और सदन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दीजिए। जब मैं वहां जाकर चाय पीने बैठा तो सुनने आया कि धड़ाधड़ बिल पास हो रहे हैं। हम चले गये, अगर रुठों को दुनिया में नहीं मनाएंगे आप तो संसार कैसे चलेगा। नाराजगी होती है, रुठों को मनाते हैं, दुश्मनों को भी जब ब्याह-शादी होती है, मानते हैं। यह तो एक पंचायत है, बड़े विद्वानों का यहां पर कोई स्थान नहीं है। हमारी पूछ इसलिए नहीं है कि हम बड़े धनपति हैं या बहुत बड़े परिवार में पैदा हुए हैं। हमारी पहचान इसलिए है कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। चाहे अनपढ़ हैं, चाहे ठूंठ हैं, चाहे किसी भी भाषा में कहे जब हम बोलते हैं तब हमारे मुंह से जनता बोलती है। इसलिए उनका भी आप ध्यान रखें। कई दफा क्योंकि मैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष लम्बे समय तक रहा। नये माननीय सदस्य हैं किसी दिन वे बोल रहे हैं। अचानक बोलते हैं तब आपको भी, पदासनी व्यक्ति को भी आश्चर्य होता कि आज ये इतना क्यों बोल रहे हैं। हो सकता है कि उनको कास्टीट्यूएंसी के लोग आये हुए हों। लॉबी में बैठे हों। मैं ध्यान रखता था। उनके घरवाले, घरवाली बच्चे, जंवाई सब आये हुए हों और आप उन सदस्यों को अगर डांट देते हैं, तो वे क्या मुंह लेकर घर जाएंगे। इसलिये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इन सब परिस्थितियों को यह कोई बहुत गहन अध्ययन की चीज नहीं है साधरण कॉमन सेंस की चीज है और जैसे अपन अपने मौहल्ले में बर्ताव करते हैं उसी हिसाब से बर्ताव करें लेकिन सदन के नेता की इसलिए तारीफ करूंगा कि ये कमल की तरह कोमल भी हैं और वज्र की तरह कठोर हो सकते हैं। हमारे में और इनमें कमी यही है कि हमारे में कठोरता नहीं है और ये इस गुण के कारण आगे बढ़ गये।

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रतिपक्ष को आपको सदैव मान्यता दें, लाड़-प्यार करें, अगर हम नाराज होते है तो हमको मनाना चाहिये। सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकते हैं। आपके पास पचासों विकल्प उपलब्ध हैं। आप सीधे ही उस गाड़ी को कच्चा-पक्का देखें बगैर, रोलर की तरह चला दें, यह आप और हम सबके लिए शोभा की बात नहीं है। यही बात कहते हुए मैं

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

आपको कहता हूं कि बहुत भारी शिकायत है, जिस तरह से पिछले 3–4 दिन से सदन चल रहा है और खास तौर से चल रहा है और खास तौर से कल। अब एक-दो दिन और सदन चलेगा इसलिए इस बात को आप बहुत गहराई से लें और नेता महोदय खास तौर से गहराई से लें। आप सदन के नेता हैं, किसी एक पक्ष के नेता नहीं हैं। बस यही निवेदन करता हूं।

श्री महावीरप्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर चर्चा हो रही है, मैं तो अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं और मैं ऐसा समझता हूं कि मेरे सहित कई ऐसे माननीय सदस्य हैं जो इस सदन में राजनीतिक दृष्टि से बहुत कुछ सीखने के लिए आये हैं। मैं अपने आपको और सदन को इसलिए सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस सदन में बहुत सारे ऐसे माननीय सदस्य हैं जिन्होंने इस सदन की बहुत उच्च मर्यादाओं को कायम भी किया है, निर्वाह भी किया है। कई बार मुझे ऐसा लगता है और मैं ऐसा मानता हूं कि एक विद्यार्थी के रूप में हम यहां से जीवन प्रारम्भ करते हैं। लेकिन कल को जो घटनाएं हुई, मुझे लगता था कि कुछ वरिष्ठ माननीय सदस्य इसमें हस्तक्षेप करेंगे और हस्तक्षेप करके इस प्रकार का मार्गदर्शन करेंगे, जो नये माननीय सदस्य आये हैं उनके लिये कि भविष्य में किस प्रकार इस सदन को चलाया जाय। आसन के ऊपर कई प्रकार की बातें कही गयीं। आसन का बड़ा दोहरा दायित्व है। आसन की पीड़ा को, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा माननीय श्री पूनमचन्द जी समझते हैं, कि कई बार ऐसे अप्रिय निर्णय करने पड़ते हैं जो शायद श्री पूनमचन्दजी ने कभी नहीं चाहा होगा और न अभी वर्तमान में विराजमान श्री चपलोत साहब कभी यह चाहते होगें, न सदन के अधिकतर माननीय सदस्य यह चाहते होंगे कि इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं घटें, अलोकतांत्रिक घटनाएं घटें और जिसके लिए हमारे ऊपर कोई भी व्यक्ति अंगुली उठाये। क्योंकि यह सदन प्रदेश की सारी जनता से यह अपेक्षा करता है कि जो नियम हम बनाते हैं उसकी पालना वह करें। यदि उसकी वह पालना नहीं करे तो उसको दण्डित किया जाए। इस सदन में आने वाले सभी माननीय सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। यहां पर कोई भी किसी प्रकार की भी घटना करे, कोई भी अदालत, सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकता और उस पर किसी प्रकार की वह कार्यवाही नहीं कर सकते। यह हाउस ही उस पर कार्यवाही कर सकता है। लेकिन इस हाउस के प्रिविलेज या अपने विशेषाधिकार का प्रयोग जैसा श्री पूनमचन्द जी विश्नोई कह रहे थे कि हम जनता की समस्याओं के लिए आते हैं और यह सारे 200 माननीय सदस्यों का अधिकार है कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को, राजस्थान की समस्याओं को यहां पर रखें। सरकार में जो लेप्सेज हैं, सरकारी मशीनरी में जो लेप्सेज हैं, वे ध्यान में लाएं और सरकार की भी यह मंशा रहती है कि माननीय सदस्यों के माध्यम से इस प्रकार के सुझाव आयें कि जिसके कारण कोई गलतियां या लेप्सेज रह गये हों, उनको दूर किया जाकर जनता के संकट का निवारण किया जाय। लेकिन इस हाऊस को जनता के संकट के निवारण के बजाय व्यक्तिगत संकट के निवारण का माध्यम बना लिया जाय। महाभारत में जिस प्रकार की घटनाएं

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

हुई। जिस प्रकार बडे-बडे महारथियों ने महाभारत के उस सारे काण्ड में अपने आपको मजबूर कर दिया और चुपचाप देखते रहे उस सारे घटनाक्रम को आचार्य द्रोण जैसे लोग असहाय होकर यह समझते हुए कि गलती हो रही है लेकिन किसी प्रकार का कदम उठाना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब मैं कई परम्पराएं पढ रहा था तो मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी की ऐसी उच्च परम्पराएं रही हैं कि जब भी माननीय सदस्यों ने कांग्रेस के अनुशासन के खिलाफ, किसी ने आचरण किया है तो उसको पार्टी से निकाला है और उसके ऊपर भी विशेषाधिकार के सवाल यहां पर आये हैं। मैं तो ऐसा समझता था कि चाहे इधर से कोई माननीय सदस्य आये या उधर से कोई माननीय सदस्य आये किसी भी माननीय सदस्य को हाऊस को या बिजनस को रोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन कोई अधिकार का दुरुपयोग करना चाहे, मैं समझता हू कि यदि उस समय सदन चुप रहे तो अच्छी परम्परा नहीं है और सारा दायित्व केवल अध्यक्ष के ऊपर थोप दें, माननीय अध्यक्ष का बडा दोहरा दायित्व है एक तरफ विपक्ष के माननीय सदस्यों को संरक्षण प्रदान करना होता है। वहीं दूसरी ओर सरकारी बिजनस लेना होता है और जब कल माननीय अध्यक्ष ने यह देखा कि आगे बिजनस चलाया जाना सम्भव नहीं है, माननीय अध्यक्षजी ने नाम पुकारे। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने, माननीय सचेतक ने अपने सदस्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया लेकिन जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी, तो मैं समझता हूं कि आसन ने आगे का बिजनस लेना प्रारम्भ किया और आसन की मजबूरी ऐसी थी और इस मजबूरी को हम समझते हैं।

मैं कल 1981 की घटना देख रहा था। श्री पूनमचंदजी विश्नोई उस समय अध्यक्ष पद पर बिराजमान थे और उधर सुश्री पुष्पाजी और उसकी श्रीमती उजलाजी, इन महिला सदस्याओं को घसीट कर इस सदन से बाहर निकाला गया। आपका हृदय बहुत द्रवित था लेकिन आपकी मजबूरी थी, सरकार के बिजनस को आपको पास करवाना था और आप नहीं चाहते थे कि कोई सदस्य बाहर निकले। अब आसन के ऊपर यही, या तो माननीय सदस्यों को प्रताडित करें या माननीय सदस्य जो हाउस का बिजनस रोकता है उसको बाहर निकालने के लिये कहें। यदि वह नही निकले तो अपने मार्शल से बाहर निकलवायें। यदि वे किसी माननीय सदस्य को मार्शल से बाहर निकलवायें तो वह भी अप्रिय घटना है। यदि वे सरकार के बिजनस को इस प्रकार जल्दबाजी मे करें, वह भी अप्रिय घटना है इसलिए आसन की तो मजबूरी है लेकिन सोचना हमको पडेगा। तीन दिन पहले ही इस सदन ने यह तय किया था कि इस सदन के नेता महोदय प्रतिपक्ष के नेता महोदय और दूसरे दलों के माननीय नेता महोदय मिलकर यह तय करेंगे कि किस प्रकार माननीय सदस्यों का आचरण होगा और किस सीमा तक हम जायेंगे लेकिन मैं समझता हू कि हम यह तय नहीं कर पाये और यही कारण है कि जिसके कारण इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं होती हैं। इस अप्रिय घटना से सारा सदन संवेदनशील है। सारे सदन को वेदना है। एक भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा, जिसको वेदना नहीं होगी लेकिन इसके लिये कौन जिम्मेदार

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

है ? मैं समझता हूं कि उस जिम्मेदारी को हमको ईमानदारी से बिना, मतलब महाभारत में किसी प्रकार का किसी ने मोह कर लिया होगा पर हम किसी मोह से ग्रसित नहीं हों, किसी भय से ग्रसित नहीं हों, किसी भी बात से ग्रसित नहीं हों और जो सदस्य इस सदन की कार्यवाही में बाधा डालता है या अवमानना की कोशिश करता है उसको यदि हम रोकेंगे तो इस प्रकार की अप्रिय घटनाए नहीं होंगी।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जिस प्रकार का आज का वातावरण बना है और जिस प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय का चुनाव हुआ है, मैं अपनी ओर से, सरकारी मुख्य सचेतक के नाते सभी माननीय सदस्यों की ओर से बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

श्री राधेश्याम : हम बधाई देते हैं, आज आप बहुत बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो उपाध्यक्ष महोदय के सर्व-सम्मत चुनाव पर उनको बधाई देता हू और सदन के माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कल की घटना को लेकर चर्चा हुई और उस चर्चा का सार यह है कि विपक्ष को कहने का हक है, उसको कहने दिया जाय और सत्तापक्ष को करने का हक है, उसको करने दिया जाय। इन दोनों के बीच में कहीं लक्ष्मण रेखा नहीं है। कौन उस लक्ष्मण रेखा का किस सीमा तक अतिक्रमण कर रहा है, उसकी मर्यादा निश्चित करने का काम किसी दूसरे पर नहीं है। इस सदन पर है। अध्यक्ष महोदय, कल जिस प्रकार की बात हुई, ऐसी बात कोई सदन में पहली बार नहीं हुई है। इस सदन में माननीय सदस्य जो पहली बार आये हैं, उनके लिये शायद हो सकता है लेकिन जो सदस्य बहुत पुराने हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं इस सदन में कई बार हुई हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : क्षमा करना, एक बार बहुत ही गरमा गरम श्री सुखाडियाजी और सदन के वर्तमान नेता में वाद-विवाद हो रहा था, काफी कटु था। शाम को मैं गया तो दोनों साथ में श्री सुखीडियाजी के घर लड्डू खा रहे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि अच्छा किया आपने इस बात का स्मरण करवाया। मैं अगर अपने बारे में यह सोच कर चलू कि मैंने विधान सभा में जिसके खिलाफ कुछ बात कही है, यदि उससे बोलना बन्द कर देऊं तो मुझे तो जयपुर शहर में कोई बोलने वाला मिलता ही नहीं और यही इस विधान सभा की और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि मैं अपनी ड्यूटी लोकतांत्रिक विधायक के रूप में जो अदा करता हूं, उसके कारण मुझे व्यक्तिगत वैमनस्य और व्यक्तिगत स्नेह उत्पन्न नहीं हो। यह इस हाउस की सबसे बड़ी देन है और कई बार मैं जिक्र कर चुका हूं।

एक बात कहीं, श्री सुखाडियाजी से मेरे सम्बन्ध अच्छे थे, कोई सन्देह नहीं लेकिन इस सदन के माननीय सदस्य इस सदन में प्रत्यक्ष गवाह हैं कि कोई बात ऐसी नहीं होगी, जो मुझे कहनी चाहिये थी और उनके मुंह पर मैंने नहीं कही। श्री हरिदेवजी से मेरा बहुत अच्छा सम्बन्ध था लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं आया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में इस सदन में श्री हरिदेव जी के मुंह पर और राजस्थान की जनता के हित में जो बात मुझे कहनी चाहिये थी, कहने में कभी संकोच किया हो। अब ऐसी स्थिति में दोनों चीजें आती हैं। आज प्रतिपक्ष के नेता यहां बैठे हैं, पहले यहां मंत्री थे : कई विषयों पर ऐसे विवाद खड़े हुए हैं, जिन विवादों को लेकर यदि हम यह समझें कि मैंने इनके लिये कहा और इन्होंने मेरे लिये कहा, उसके कारण से हम बोलचाल बन्द कर दें, तो उस बोलचाल के बन्द करने के, उसमें और संशोधन हुआ पिछले पांच–छह वर्षों में कि इस सदन के अन्दर रोज ईनाम दिया जाने लगा। कोई भी अच्छा भाषण हो, चाहे किसी मंत्री के खिलाफ बोला हो चाहे किसी सदस्य के खिलाफ बोला हो, उस समय यहीं से यह व्यवस्था की जाती थी कि आपका भाषण बहुत अच्छा हुआ है, आप बाहर चलिये और लड्डू लाइये और सबको खिलाइये। यह किस बात का संकेत है ? यह सौ रुपये और दो सौ रुपये का संकेत नहीं है, यह बहुत बडी परम्परा का, एक बहुत बडे परिदृश्य का संकेत करता है कि हाउस में जो कटुता आती है वह कटुता हाउस से बाहर नहीं जाय। हाउस में यदि कटुता रहेगी तो आप यह मान कर चलिये कि लोकतंत्र का विकास होगा। हाउस से यदि कटुता बाहर चली गयी, जिस प्रकार से हम बोलते हैं और उसी कटुता से हम बाहर निकले तो लोकतंत्र का विकास नहीं होगा, निश्चित रूप से मेरी ऐसी मान्यता है, कोई माने या न माने।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस एक डाक्टर है और यह पोस्टमार्टम करता है। डाक्टर जिस समय पोस्टमार्टम करता है उस समय दया उसको नहीं आती है। वह इस बात का प्रयत्न करता है कि इस आदमी के साथ जो सारी घटनाए हुई, उसका मूल कारण क्या है ? वह उस कारण पर पहुंचने की कोशिश करता है। आज हाउस के सब माननीय सदस्य, पक्ष में बैठे हों चाहे प्रतिपक्ष में बैटे हों, जो कुछ भी घटना होती है, उस घटना का पोस्टमार्टम करते हैं और पोस्टमार्टम करते हैं तो डाक्टर के लिये जरूरी नहीं है कि डाक्टर वहां हथोंडा चलाने की आवश्यकता हुई तो हथोड़ा नहीं चलायेगा लेकिन जहां पिन से काम चल जाए, वहां हथोड़ा नहीं चलायेगा और डाक्टर उस समय जब बोलता भी है, उसी प्रकार से हमें भाषा पर अपना नियंत्रण रखना पड़ेगा।

मैं अध्यक्ष महोदय, आज गर्व से कह सकता हूं कि 1952 से राजस्थान विधान सभा का सदस्य हूं। मुझे एक बार भी स्पीकर ने, जैसे यहां करते हैं कि मैं आपको नाम से पुकारता हूं, मुझे एक बार भी सदन में इन पचास वर्षों में किसी ने नाम से नहीं पुकारा। आज तक मुझे यहां से किसी ने निकाला नहीं है। आज तक मैं समझता हूं कि रिकार्ड है कि मेरे शब्द जितने कम से कम एक्सपंज हुए हैं हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी भी इतने बोलने वाले व्यक्ति के नहीं हुए होंगे। मैं नहीं कहता कि नहीं हुए हैं, हुए हैं लेकिन मैंने कोशिश इस बात कि की है और मुझे इस बात की खुशी है कि अभी श्री विश्नोई जी कह रहे थे, मैं कोई अमीर नहीं हूं, कोई सल्तनत से नहीं आया हू गरीब घर से आया हूं। आखिर गरीब घर से आने पर केवल गरीब के संस्कार के कारण से मैं आप लोगों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का स्नेह प्राप्त कर सका हूं तो उसके साथ-साथ इस सदन की मर्यादा बनाये रखने में भी मेरा योगदान रहा है। सदन की मर्यादा किस प्रकार से रहे, उसको बनाये रखने में भी मेरा योगदान रहा है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मुझे कोई याद नहीं आता। मैं आज फिर कहना चाहता हूं, कि जिस विषय को मैंने उठाना चाहा, मैं उठा नहीं पाया, इस सदन के नियम ऐसे हैं कि अगर आप नियमों का अध्ययन करें, कोई विषय नहीं है, जिस विषय को आप उठा नहीं सकते हों। कोई विषय नहीं है जो नियमान्तर्गत आपको उठाने की अनुमति नहीं देता है। प्रश्न इतना–सा आता है कि आप नियमों का अध्ययन करके, कौन से नियम का उपयोग किस समय कर रहे हैं, इसके ऊपर निश्चित रूप से आपका अध्ययन चाहिये और उसी अध्ययन के मार्फत कोई माननीय सदस्य आज यह कहे, हम तो बोलना चाहते थे पर बोल नहीं सके, मैं ऐसा समझता हूं कि सम्भव हो ही नहीं सकता। आज अनस्टार्ड क्वेश्चन से हमारी प्रक्रिया शुरू होती है और अनस्टार्ड क्वेश्चन से प्रक्रिया शुरू होती-होती जनरल डिबेट तक आती है। कोई विषय ऐसा नहीं है कि कोई माननीय सदस्य मन में बहम रखे कि हम तो अमुक माननीय मंत्री के खिलाफ बोलना चाहते थे पर बोल नहीं सके। व्यक्तिगत रूप से मुझे याद है, मैंने कई लोगों के खिलाफ प्रस्ताव रखे हैं, छह-छह महीने तक मुझे इन्तजार करना पड़ा है। मैटेरियल कलेक्ट करने में भी इन्तजार करना पड़ता है लेकिन मेरा नम्बर आ जाय उसके लिये मुझे इन्तजार करना पड़ा है तो समय का थोड़ा धैर्य रखना है।

आज यह सदन 5 वर्ष के लिए है कोई यह समझे कि इस सेशन में मैंने किसी की टोपी नहीं उतारी तो फिर टोपी ही गायब हो जाएगी, इस सोच से काम नहीं चलेगा, धैर्य हमें रखना पड़ेगा। समय किस प्रकार से उपयुक्त आता है रूल्स के हिसाब से उस उपयुक्त समय का हमें इन्तजार करना पड़ेगा और इसलिए मैं माननीय श्री पूनम चन्दजी ने जो बात कही है उस बात के पक्ष में हूं कि हम सदन में कुछ इस प्रकार की गलत परम्पराएं नहीं डाल लें कि लोगों का सदन की कार्यवाही के प्रति विश्वास धीरे-धीरे, शनैः-शनैः घटता जाय।

मैं तो इतना ही आप से कह सकता हूं कि हम सब मिल कर एक बात का निश्चय कर लें, राजनीतिक क्षेत्र से आप आये और मैं भी राजनीतिक क्षेत्र से आया हूं, आप कांग्रेस से आये हैं मैं भारतीय जनता पार्टी से आया हूं राजनीतिक आधार पर हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन एक बात का संकल्प आप हाउस ले लें तो हिन्दुस्तान में यह विधान सभा फिर एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी कि सदन की गरिमा यह राजनीति का विषय नहीं है। एक संकल्प ले लें यह सदन की इस सदन की गरिमा बनाये रखने का काम पूरे 200 विधायकों का है, यह किसी राजनीतिक दल का काम नहीं हो सकता, उसी दिन इस सदन की प्रतिष्ठा को और चार चांद लगेंगे और यह प्रतिष्ठा सदन की बढ़ेगी, हम सब मिल कर संकल्प कर लें। अब यह गरिमा कैसे रहती है कुछ साहस से काम करना पड़ेगा। गरिमा इसलिए रहेगी कि हम उस आधार के ऊपर गरिमा बनाये रखने में किसी प्रकार का कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब उस स्थिति में कम्प्रोमाइज करने की यदि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हमारी संकल्प शक्ति बन जाय तो सदन में किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं जिसकी हम आलोचना करें।

अब अध्यक्ष महोदय के लिए कहा जाए कि अध्यक्ष महोदय, आप हमारी तरफ नहीं देखते। अब यह बात सही है, कि मुझे तो मेरी शिकायत है कि मेरी तरफ तो देखते ही नहीं हैं। (व्यवधान) अब यही तो है। अब आपको मेरी....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसी को रिमोट कण्ट्रोल कहते हैं तो दिखे नहीं और काम कर जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब, अध्यक्ष महोदय, रिमोट कण्ट्रोल का तो आपको अनुभव है मुझे तो है नहीं, या रिमोट कण्ट्रोल का अनुभव है अध्यक्ष महोदय को। इस कुर्सी पर बैठने वाले को पता है रिमोट कण्ट्रोल क्या होता है और इसलिए आपको पता होगा। इसलिए आपकी नोलेज को मैं चैलेन्ज नहीं कर रहा हूं, आपके लिए रिमोट कण्ट्रोल कितना प्रभावी था, कहां था, कैसा था, मैं उस बात का जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन रिमोट कण्ट्रोल का मुझे खुद को एक्सपीरियेंस नहीं है इस कुर्सी पर बैठने वालों को एक्सपीरियेंस होता है।

अब, अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बार जब गिर्राज प्रसादजी तिवाड़ी अध्यक्ष बने तो उनको बधाई दी और बधाई देने के बाद जब उनके कमरे में गया तो कहा कि, आपने बधाई तो मुझे दे दी मेरा ध्यान रखना। मैंने कहा, क्यों, कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं क्रोधित बहुत होता हूं, तो इस बात का ध्यान रखना कि, कहीं मेरे क्रोध की सीमा पार नहीं हो जाय। मैंने कहा, वह कैसे हो, तो फिर मैंने कहा कि मैं अपने आप ही इन्तजाम करूंगा, आपको क्रोधित भी करूंगा लेकिन सीमा पार आप नहीं हो जायं, इसकी भी साथ-साथ व्यवस्था करूंगा। कुछ दिनों के बाद मैंने पूछा, अब कैसा अनुभव कर रहे हैं ? कि इससे तो मैं मेम्बर नहीं होता तो ही अच्छा रहता, विधान सभा का मेम्बर नहीं होता तो ज्यादा अच्छा रहता, इस कुर्सी पर बैठना आसान नहीं। अब, अध्यक्ष महोदय, सब लोग जानते हैं कि यहां पर बैठने वाले अध्यक्ष की 200 विधायकों से उनकी नजर मिलनी चाहिये। अब कई बार गलती हो जाती है कि नजर मिलाने में कभी पक्षपात हो जाए, कभी नजर मिलाने में शर्म भी आ जाती है, कभी नजर मिलाने में संकोच भी हो जाता है। इसलिए हम भी, कई बार मैं कहता रहता हूं, अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ भी देख लिया करो यह सारे अपोजिशन की तरफ ही आप देखते हो। या तो आपकी यह इच्छा हो कि मैं तो सत्ता पक्ष को देखूं ही नहीं, और देखते रहें तो भी कोई चिन्ता नहीं लेकिन इस कुर्सी पर बैठ कर आप यह समझें कि एक दिन में किसी को अनुभव आ जाएगा इस प्रकार की स्थिति नहीं है, एक दिन में अनुभव नहीं आता। इसमें बहुत वर्षों तक जो रह गये उनको भी अनुभव नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि घटनाएं ऐसी नयी होती हैं जो पहले कभी नहीं हुईं। अचानक कोई घटना खड़ी होगी, उसका अंदाज ही नहीं है, उसको कहीं आप किताब उठाकर देखो तो कोई रूलिंग नहीं मिलेगी, आप कोई देखों तो परम्परा नहीं मिलेगी, इस प्रकार की घटनाएं यह नये

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दिन आती हैं और नये दिन आती हैं तो अनुभव के आधार पर ही उन सब चीजों का डिस्पोजल किया जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय, इतना मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि आप दोनों तरफ सब लोगों से नजर मिला कर चलें, वह ज्यादा अच्छा है। (व्यवधान) क्या ? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आपको क्लीयरेंस मिल चुकी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आपकी तरफ तो नजर रहती ही है। (व्यवधान) नहीं, यही तो शिकायत है लोगों की।

मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हमारे सदन की सभी कुछ होते हुए भी बहुत अच्छी परम्पराएं हैं।

अध्यक्ष महोदय, आखरी बात यह कहना चाहूंगा कि यहां कल जो कार्यवाही हुई, मैं ऐसा समझता हूं, मैं नहीं चाहता था, अगर आप रिकार्ड उठा कर देखें कि आज हिन्दुस्तान में जिन विधान सभाओं की बैठक हो रही है, इस विधान सभा की जितनी लम्बी बैठक हुई, वह नहीं हुई। काफी लम्बी बैठक हुई है। और आज फिर कहता हूं कि सदन के माननीय सदस्य यह समझते हैं कि हमारे कुछ मामले हैं जो अब तक प्रकट नहीं कर पाये हैं, मैं फिर सदन की कार्यवाही आप जितने दिन चलाना चाहें, आपके ऊपर छोड़ता हूं। उससे मुझे डर नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं मैं मंत्रियों को कई बार कहता भी हूं, बार-बार कहता हूं कि इस हाउस में बैठेगा वही समझेगा कि मेरे विभाग में क्या हो रहा है और जो इस हाउस में नहीं बैठेगा उसको पता ही नहीं लगेगा कि उनके विभाग में क्या हो रहा है। और मैं आज तक, मेरी पुरानी आदत है, अपोजिशन में बैठता था उस समय भी आदत थी आज भी मेरी आदत है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं जो कुछ बैठ कर हाउस में सुनता हूं उसको नोट कर के नहीं ले जाता, उसी प्रकार के आदेश या जानकारी सेक्रेटरिएट में जाकर मैं नहीं करता हूं। कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि नहीं करता हूं।

अब ऐसी स्थिति में इस हाउस में बैठेगा उसका अनुभव बड़ा रिच होगा, इस हाउस में बैठेगा वह प्रशासन को समझेगा, इस हाउस में जो बैठेगा वह राजनीति की नीतियों को समझेगा, इस हाउस में बैठेगा वह हाउस की परम्पराओं को समझेगा। मैंने कई सदस्यों से पूछा तो उन्होंने कहा, अब तो थक गये, गर्मी के दिन भी हैं हमें कांस्टीट्यूएंसी में भी जाना है, तीन–चार चुनाव हैं फिर भी आप कहें, आप ऐसा दिमाग बनाकर नहीं जाएं कि सत्ता पक्ष तो काम जल्दी करा कर भागना चाहता हूं, मैं तो बिलकुल भागना नहीं चाहता, आप बैठें। 10 दिन बैठें, 15 दिन बैठें, 20 दिन बैठें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं एक कम से कम रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि आप जितने दिन बैठें, 11 बजे विधान सभा शुरू हो 5 बजे विधान सभा एडजोर्न हो जाय और 11 और 5 के बीच में जो समयबद्ध कार्यक्रम हैं, चाहे एडजोर्नमेंट मोशन हो, चाहे जीरो आवर हो, चाहे कालअटेंशन हो, उनकी सीमाएं तय कर दें और इस सीमा के बाहर नहीं जाए तो हाउस की प्रोसीडिंग भी ठीक होगी, हाउस के डेलीबरेशंस भी ठीक होंगे, हाउस से हम लोगों को जानकारी भी मिलेगी और उसके आधार पर सब कुछ चलेगा।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं विश्नोई जी से यह कहना चाहता हूं कि हमारी नीयत जल्दी बिल पास हो जाए, इस नीयत में कोई जाने की या सदन से पीछा छुड़ाने की नहीं है। जब तक बैठे हैं मेम्बर बन कर इस हाउस में रहेंगे, हाउस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और हम भी हाउस का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसी स्थिति में आप यदि आवश्यक समझते हैं कि सदन की कार्यवाही और चलानी चाहिये तो फैसला कर लीजिये. हमारी कार्यवाही चलती रहेगी इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई यह दिमाग में वहम लेकर नहीं जाएं कि सदन की कार्यवाही इसलिए स्थगित कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते इस सदन की कार्यवाही चले। चले, इसमें नुकसान नहीं होगा फायदा होगा और फायदा होगा। लेकिन इस बीच में मैंने कई माननीय सदस्यों से पूछा है, बिजनस खतम हो गया यदि आप चाहें, तो कहा, नहीं, कि, इस समय तो एडजोर्न करने की बात है इसलिए चार की जगह पांच तारीख की है। बाकी इसमें कोई विधान सभा की कार्यवाही स्थगित हो, जल्दी से जल्दी स्थगित हो, हमारी आलोचना नहीं हो इस दृष्टि से मैंने नहीं की है। आलोचना होगी उससे भी लाभ होगा, आलोचना नहीं होगी तो हम धोखे में रहेंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा कि वास्तविकता क्या है।

माननीय शिवनाथ सिंहजी कह रहे थे कि यह बहुत धीरे-धीरे कारीगरी से रिमोट कण्ट्रोल करते हैं, रिमोट कण्ट्रोल तो है नहीं, इशारा करते हैं, इशारेबाजी की आदत मेरी नहीं है आपकी होगी।

मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर सदन की व्यवस्थाएं बना कर रखें, गरिमा बना कर रखें। अपोजिशन का काम है अपनी बात कहने का, अपोजिशन को पूरा मौका मिले और सरकार को भी उसका उत्तर देने का अवसर मिले, इन दोनों के साथ-साथ चलने से सारी व्यवस्था ठीक होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप थोड़े से इस सारी परिस्थितियों को, अब एक महीने हो गया आपको भी, अच्छी तरह से आपने समझ लिया है, मैं समझता हूं कि आयन्दा किसी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहे इस बात का हम सब मिल कर प्राप्त करेंगे। यही आपको आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में तो मैं उपाध्यक्ष जी का जो आज निर्विरोध निर्वाचन हुआ, मैं प्रतिपक्ष की ओर से और अपनी ओर से उनको हार्दिक बधाई अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के अंदर गरिमामय और गौरवपूर्ण सर्वोच्च आसन पर विराजमान हैं। हो सकता है वह आर्डर आफ प्रिसिडेंस के अंदर आप नम्बर दो आते हैं राजस्थान में, लेकिन जहां तक इस सदन का प्रश्न है इस सदन की डिगनिटी है, इस सदन की मेजेस्टी है, उसमें आप सर्वोच्च हैं।

सदन के नेता का दायित्व इस सदन के संचालन में, इस सदन की परम्पराओं में, उसकी मर्यादाओं को कायम रखने में प्रतिपक्ष से ज्यादा है, क्योंकि सत्ता पक्ष बहुमत में है और प्रतिपक्ष अल्पमत में है।

(श्री परसराम मदेरणा)

अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी कल यहां पर सदन की कार्यवाही का जो संचालन हुआ और जिस तरह से हुआ, मुझे बहुत वेदना हुई है। अभी नेताजी कह रहे थे सत्ता पक्ष के कि अध्यक्ष महोदय, आप प्रतिपक्ष की तरफ ज्यादा देखते हैं। मैं तो कल मुख्य मंत्रीजी, खड़ा ही रह गया काफी देर तक। पांच मिनट तक खड़ा रहा। मेरी तरफ तो देखा ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आदत मेरी भी थी।

श्री परसराम मदेरणा : और जब आप इस आसन पर बिराजमान हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : वह आप दोनों की तरफ नहीं देखते हैं तो फिर किसकी तरफ देखते थे ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि आप विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। और माननीय सदस्यों को सम्बोधन करने में बडी शालीनता से आप अभिव्यक्ति देते हैं। मैं दूसरे माननीय सदस्यों से भी यही कह रहा हूं लेकिन कल ऐसी स्थिति नहीं थी। उत्तेजना और गरमागरमी के इस सदन में ऐसे कई मौके आते हैं, अवसर आते हैं। वैल में आ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय को बात भी कहते हैं। कल जिस तरह से जीरो आवर और जीरो आवर की समाप्ति के बाद में विश्नोई जी ने जो कुछ भी उस परिपत्र के पढ़ने की बात कही। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय ने दुबारा यह बात भी कही कि यह परिपत्र मैं एक दफा व्यवस्था दे चुका हूं और अब इस सम्बन्ध में कोई बात करना चाहे या पत्र को देखना चाहे तो मेरे कक्ष में आकर देख सकता है। फिर खड़े होकर कहा कि सदन की कार्यवाही कराइये, कार्यवाही चलनी चाहिये। पहले एक दफा 295 पर श्री गोविन्द सिहं जी को आपने पुकारा था। श्री गोविन्द सिंह जी ने आपसे अनुमति ली थी। आपने न उनको सहमति दी कि आप दो मिनट बोलें। दुबारा आप पुनः सम्बोधित करने लगे, पुकारने लगे तो श्री गोविन्द सिंहजी का आपने पहले नाम लिया था। लेकिन उसके बाद में श्री गोविन्द सिंह जी ही नहीं दूसरों को भी आपने पुकारा। अध्यक्ष महोदय, आप पुकार भी रहे थे और आप नाम भी पढ़ रहे थे। न उधर देख रहे थे, हमारी न तरफ देख रहे थे और बहुत ही इम्पार्टेंट बिजनस था कल हाउस में।

सैल्स टैक्स का पूरा का पूरा बिल था, ट्रिब्यूनल का बिल था। अगर इस सदन के अंदर इतने इम्पोर्टेंट बिल आये, सदन के माननीय सदस्य उसमें हिस्सा नहीं लें और अपना कण्ट्रीब्यूशन नहीं करें और अपने अधिकार का प्रयोग करने से वह वंचित रह जाय तो इससे बड़ी दुःख की बात क्या हो सकती है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर यह विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जब सदन की कार्यवाही जब उस तरह से चलने लगी तो उसके विरोध में हमने बहिर्गमन तो किया था। लेकिन उसके बाद में बहिर्गमन करके और हम फिर वापस आ रहे थे सब। मैं जब सदन में घुसा, मैं जब घुस रहा था तो अध्यक्ष महोदय, आप अपने आसन से उधर पधार रहे थे, फ्रिक्शन आफ सैकिण्ड का जहां सवाल था उसमें। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की परम्परा है, मर्यादा है।

(श्री परसराम मदेरणा)

यहां पर जनता की समस्याओं के लिये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवसर मिले इस सदन में और सरकार के सामने रखने में, ताकि सरकार को भी उनके समाधान में निदान करके एक बहुत ही लाभदायक परिदृश्य उनके सामने रहे।

मुझे अच्छी तरह से मालूम है, अध्यक्ष महोदय, कि इस सदन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे भी ट्रेजरी बेंचेज में करीब सदा [illegible] साल बैठने का अवसर मिला है। जितने भी प्रश्न पूछे जाते थे। प्रश्न जो एक--दो [illegible] आते थे, लेकिन मैं [illegible] लोग आज भी सब [illegible] अनस्टार्ड क्वेश्चन का उत्तर [illegible] रात को चाहे तीन बज जाए, [illegible] करता था ताकि मुझे मालूम रहे कि जिस विभाग का मैं प्रभारी हूं, वह विभाग किस तरह से चल रहा है और लोगों के दिमाग में [illegible] उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है।

मुख्य मंत्री ठीक कह रहे थे। जो इस सदन में बैठा रहेगा उसको रूल्स आफ प्रोसीजर की ही जानकारी नहीं होगी बल्कि सदन के अंदर माननीय सदस्य, एक-एक क्षेत्र से आ रहे हैं, वह केवल अपनी स्थानीय और निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को नहीं रखें बल्कि पूरे राजस्थान के विकास की, राजस्थान के बहबूदी की बहुत--सी बातें और उपयोगी सुझाव इस सदन में प्रस्तुत करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ठीक कह रहे थे कि मुझे कभी सदन से बाहर नहीं निकाला गया। उस समय आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता लम्बे समय तक रहे और कठोर से कठोर भाषा का आप इस्तेमाल करते थे। अब वह कर नहीं सकते। लेकिन आपको निकाला नहीं, यह बड़प्पन है इस आसन का और सत्ता पक्ष ने भी कभी आपको निकालने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखा।

आपको मैं एक बात कहूंगा कि आप अनुभवी हैं अच्छे वक्ता भी हैं और हमको बार-बार प्रश्न पूछकर आप फिर उत्तर देते हैं। विश्नोई जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक गुण जो आप में है, कठोरता वाला उसको हम प्राप्त नहीं कर सकें हम कोशिश भी करें तो फेग एण्ड आफ दी लाइफ में हम उस तरह की भाषा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। उस तरह की हमारी गोल्डन वाइस भी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने यह बिल्कुल गलत प्रचार किया है। मुझ जैसे ही आदमी को कठोर बता रहे हैं आप। हद हो गयी।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन मुख्य मंत्रीजी, मैं आपके बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि थोड़ा-सा आप जिस धारा प्रवाह में बोलते हैं, वह अपनी भाषा को या थोड़ा अहम् को मामूली साथ लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। उसका आप थोड़ा--सा प्रयास करें साधने का।

आप कुछ बात कहते हैं। हमको कई दफा उसकी वेदना भी हो जाती है। परसों भी ऐसी एक स्थिति आने वाली थी। फिर मैं उठकर चला गया बाहर, मैंने कहा कि अभी इस हाउस में कुछ गरमा गर्मी होने वाली है और यह सोचते गये कि वह हाउस की परम्पराओं को, सदन के नेता बोल रहे थे, इस तरह से कोई भी चीज यहां पर खड़ी नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

की जानी चाहिये। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी हुआ और आपने हमारी तरफ देखा ही नहीं, आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को देखना चाहिये।

मैं तो व्यक्तिगत तौर पर इस सदन का एक सदस्य हूं। लेकिन मुझे प्रतिपक्ष ने अपना अगुवा बना रखा है। मैं कुछ आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता था। आपने मेरी ओर देखा ही नहीं। अब यह कह रहे हैं कि मैं दूरी से नियंत्रण तो नहीं करता। अगर आपको दूरी से नियंत्रण नहीं किया तो अध्यक्ष महोदय नीचे ही देखते रहेंगे और उसका परिणाम यह हुआ कि जो कुछ भी आनन-फानन में सुपरसोनिक स्पीड से सारा मामला पांच मिनट में समाप्त हो गया, लेजिस्लेटिव बिजनस पास हो गया, हम विधायक कानून बनाने के लिए यहां पर आये हैं और वह अवसर भी हमको यहां पर कानून बनाने के लिए माननीय सदस्यों और हमने कहा कि बहुत इम्पार्टेंट अमेंडमैंट दिये हुए हैं, मोशन्स दिये हुए हैं, प्रस्ताव हैं हमारे, मैंने कहा कि प्रस्ताव तो है, तो चलो अन्दर चलें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अन्दर कहां, आप तो बायकाट का नाम लेकर गये थे।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, बायकाट कौन सुन रहा था, बायकाट का मैंने वर्ड ही यूज नहीं किया। आपको पता ही नहीं है मैंने तो हाथ का इशारा किया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चर्चा ही यही थी कि बायकाट करके जा रहे हैं फिर करते क्या। दस मिनट बैठें चाहे एक घंटा बैठें।

श्री परसराम मदेरणा : बात यह नहीं थी, मैंने कहा है कि चलो अन्दर चलो हाउस में।

श्री शिवनाथ सिंह : बायकाट करते तो वापिस क्यों आते ?

श्री परसराम मदेरणा : जब सदन की कार्यवाही एक तरफा प्रारम्भ हो गयी उससे व्यथित होकर के मैंने माननीय सदस्यों को इशारा किया था। बहिर्गमन या वाक आउट का मैंने शब्द ही इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि हाउस में थोड़ी–सी गरमा-गर्मी थी और वहां जाने के बाद दुबारा सोचा और सोचकर के कहा कि बहुत इम्पार्टेंट बिल्स सदन में आये हुए हैं। निश्चित तौर पर हाउस में चलना चाहिये। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता यह कह रहे हैं कि सदन व्यवस्थिति ढंग से चले इसके संचालन में हम सहयोग करेंगे। पूर्व में भी करते रहे हैं। मैंने आपको आश्वासन दिया है। आपके प्रति हम हमेशा सर्वोच्च सम्मान भी प्रकट करते रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने उत्तेजनावश कुछ प्रस्ताव कल रख दिया है, मैं उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में आज कुछ भी नहीं कहना चाहता लेकिन आपके प्रति आदर प्रकट करने में हमारे दिमाग में कहीं भी रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर हुई है, कल कोई ऐसी स्थिति नहीं थी इस सदन में, जिसमें हाउस के बिजनस को दो–तीन मिनट में पूरा किया जाय। जैसा कि अभी चीफ व्हिप महोदय कह रहे थे। अध्यक्ष महोदय, दायित्व निभाने के लिए एक तरफ प्रतिपक्ष है दूसरी तरफ सरकार का बिजनस है। केवल सरकार का बिजनस ही नहीं है, यह सदन के दूसरे

(श्री परसराम मदेरणा)

माननीय सदस्य आये हैं, सरकार के बिजनस के अलावा, उनको भी अपनी कांस्टीट्यूएंसी में जो लोगों की समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं उनको रखने का उतना ही अधिकार है जितना अधिकार प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को है इसलिए केवल गवर्नमेंट बिजनस का ही यहां पर संचालन हो, तो मैं समझता हूं कि सदन की जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कर्त्तव्य है इस सदन के अन्दर अपनी बात रखने का उससे बहुत से लोग वंचित रह जायेगे।

सरकारी बिजनस एक आस्पेक्ट है। लेकिन इस सदन में क्वेश्चन आवर है, कालिंग अटेंशन है, एडजोर्नमेंट मोशन है, 295 है। इसमें माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता की समस्याओं को आपके समक्ष रखते हैं।

मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कल अकारण कोई भी यहां पर जिस तरह का वातावरण बना और, अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इम्पार्टेंट लेजिस्लेटिव बिजनस को कुछ ही मिनटों के अन्दर पारित किया गया उससे हम आपकी निष्पक्षता से आश्वस्त थे लेकिन मेरी आस्था कल बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहता हूं, कल वह आस्था हिल गयी थी और जो कुछ भी हुआ आप उसको किसी प्रकार की परम्परा में न लें, अत्यन्त दुःख और वेदना के साथ में कल जिस तरह से सदन की कार्य सूची का संचालन हुआ, मैं उसको न तो उचित मानता हूं, न उपयुक्त मानता हूं और न सदन की परम्पराओं को सदृढ़ करने वाला मानता हूं। इसलिए मैं मेरी भारी दुःख और वेदना से प्रतिपक्ष के साथ पन्द्रह मिनट के लिए इस सदन से उसके प्रोटेस्ट में बहिर्गमन करता हूं।

(कांग्रेस (आई) दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से उपखण्ड मुख्यालय के शहर नैनवां स्थित छात्रा माध्यमिक विद्यालय तथा छात्रा माध्यमिक विद्यालय देई को क्रमोन्नत नहीं कर स्त्री शिक्षा विरोधी भावना प्रदर्शित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से डीलक्स आगार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के आगार प्रबन्धक द्वारा पथ परिवहन निगम को हानि पहुचांने और भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव

(1) श्री प्रभुराम गरासिया, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला दौसा के गांव बापी की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री नरेन्द्र बुडानिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 23 अप्रेल, 1995 को सायंकाल 7.30 बजे गोविन्दगढ़ के पांच किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 11 पर ट्रक–जीप के एक्सीडेंट में कथित दोषी ट्रक ड्राइवर को पुलिस द्वारा अभी तक गिरफ्तार नहीं करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री महादेव सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण निदेशालय में स्टेनों एवं स्टेनों टाइपिस्ट की आयोजित परीक्षा एवं पदोन्नति में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री बनवारी लाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से थाना टोडारायसिंह में दर्ज एफ.आई.आर. नं. 2/95 की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य, सभा की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पुलिस उप निरीक्षण परीक्षा में आयु सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से चिल्ड्रन अकादमी हायर सैकण्डरी स्कूल, टोडरमल मार्ग, बनी पार्क, जयपुर का भवन खस्ता हालत में होने के बावजूद भी उसमें प्रबन्धकों द्वारा एक मंजिल का निर्माण कार्य और करवा लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की [illegible] तहसील मुख्यालय स्थित सभी [illegible] कार्यालयों के भवन बनाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री नारायण लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र [illegible] की तहसील धरियावाद की धरियावाद से खूना, मूंगाणा, पारसोला, किठाऊज, गामड़ी [illegible] वर्षा में क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री शांति कुमार धारीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा नाजायज तरीके से इमारती पत्थर पर विक्रय कर की राशि को 13.50 रु. प्रति ट्रक से बढ़कर 24.00 रु. प्रति ट्रक करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पाली के चक नम्बर 1 [illegible] नम्बर 1035, 1036, 1040, 1041 [illegible] बीघा तीन बिस्वा भूमि जो सोमनाथ [illegible] डोली के नाम से दर्ज थी, को [illegible] व्यक्तियों द्वारा हथियाने से उत्पन्न [illegible] सम्बन्ध में।

(11) श्री अमरराम, सदस्य, विधान सभा [illegible] से पंचायत धोद का भवन बनाने एवं [illegible] मुख्यालय धोद को बनाये जाने के [illegible] में।

(12) श्री रघुवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के [illegible] के हैण्ड पम्पों में प्राप्त होने [illegible] में फ्लोराइड होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(13) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर स्थित गृह निर्माण सहकारी समितियों की भूमि का अभी तक नियमितीकरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से अनुदान प्राप्त गैर–सरकारी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की कठिनाई के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री अमराराम

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

पंचायत मुख्यालय धोद (सीकर) का भवन निर्माण

श्री अमराराम (धोद) : प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत पंचायत समिति धोद का भवन बनाने एवं मुख्यालय को धोद करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय, मैं, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत पंचायत समिति धोद का भवन नहीं है, के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में 237 पंचायत समितियों में से मात्र धोद एक पंचायत समिति है जिसका कार्यालय आज तक नहीं बना है। जो पंचायत राज विभाग एवं राजस्थान सरकार पर आज तक भी एक कलंक है एवं उसका मुख्यालय अधिकतर सीकर रखा गया है जिससे पंचायत समिति के मुख्यालय एवं ग्रामों का जो विकास होना चाहिये था, नहीं हुआ। जिसमें सड़क एवं आवागमन, बैंक एवं अन्य विकास नहीं हुआ। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रश्न के उत्तर में कि धोद मुख्यालय पंचायत समिति के एक कोने पर पड़ता है, मैं समझता हूं कि वह उत्तर बिल्कुल गलत है। वहां के अधिकारियों के सीकर शहर में रहने में अधिक लाभ मिल रहा है। अतः जब भी मुख्यालय धोद किया गया है, अनेक बहाने बना कर वापस सीकर करवा दिया गया है।

अतः धोद पंचायत समिति का मुख्यालय धोद करके उसका भवन बनाया जावे। जहां एक तरफ सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत का भवन बनाना चाहती है तो पंचायत समिति को भवन बनाकर पंचायत समिति धोद की जनता को राहत पहुंचायी जावेगी। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभूराम जी। (अनुपस्थित) श्री महादेव सिंह जी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में स्टेनो एवं स्टेनो टाइपिस्ट की परीक्षा एवं पदोन्नति में अनियमितता

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण निदेशायल में स्टेनो एवं स्टेनो टाइपिस्ट की आयोजित परीक्षा एवं पदोन्नति में अनियमितता के बारे में प्रक्रिया नियम 295 के अनतर्गत प्रस्ताव।

महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण निदेशालय में आशुलिपिक और स्टेनो टाइपिस्ट के पद पर नियुक्ति के लिये निदेशालय द्वारा समय-समय पर आयोजित

(श्री महादेव सिंह)

परीक्षाओं में भेदभाव बरतने और अनियमित कार्यवाही करने के मामले प्रार्थी कर्मचारियों द्वारा उठाये गये हैं और उनमें जांच भी की गयी लेकिन जांच पर लीपापोती कर दी गयी और जांच के निर्णय के अनुसार कार्यवाही नहीं की गयी। इसी प्रकार वर्ष 1993 एवं 1979 में पदोन्नति देने में भी अनियमित कार्यवाही की गयी। परीक्षाएं, 1977 एवं 1970 में आयोजित की गयी थीं और परीक्षाओं के माध्यम से की गयी कार्यवाही में जाचं भी की गयी थी लेकिन जांच सम्बन्धित पत्रावली को ही गुम कर दिया गया। शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्र क्रमांक एफ 1 (158) चि. स्वा./ ग्रुप-83 दिनांक 7-11-84 द्वारा पत्रावली व मूल रेकार्ड निदेशालय को भिजवाया गया लेकिन पत्रावली के एवं टिप्पणियों के पृष्ठ गायब कर दिये गये हैं। निदेशालय के आदेश क्रमांक नि/निदेशक (प.क.) 78 दिनांक 16-8-93 द्वारा जांच व टिप्पणी चाही गयी थी जो दी गयी लेकिन यह टिप्पणी भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर 17-9-93 को प्रस्तुत की गयी और प्रभावित व्यक्तियों को इस पर अभी तक सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है।

पूर्व में इन मामलों को प्रशासन के ध्यान में लाने पर अनियमित रूप से पदोन्नत व्यक्तियों को पदावनत भूतलक्षी प्रभाव से दे दी गयी और अनुचित लाभ अनियमित तरीकों से गलत कर्मचारियों को दे दिया गया।

रेकार्ड में हेराफेरी करना और टिप्पणियों तथा पत्र व्यवहार को फाइल से गायब कर देने का मामला अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है और ऐसी कार्यवाही करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सेवा नियमों के अनुसार क्रिमिनल प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही करना अपेक्षित है लेकिन उच्चाधिकारी इस जघन्य कृत्य के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और टिप्पणियों एवं पत्र व्यवहार गायब कर दिये जाने से प्रभावित व्यक्ति उन्हें नियमानुसार मिलने वाले लाभ से भी वंचित हो गये हैं। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर मेरी सरकार से मांग है कि शासन सचिव द्वारा अपने उपरोक्त पत्र के साथ भेजे गये मूल रेकार्ड से टिप्पणियां आदि गायब करने के मामले की जांच राज्य अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से करवाई जाय और निदेशालय के पत्र दिनांक 16-8-93 के माध्यम से वांछित जांच स्थिति, जो दिनांक 17-9-93 को प्रस्तुत की गयी, में प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर उन्हें न्याय दिलाया जाय।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मामले पर संवेदनशील रुख अपनाकर सदन में प्रस्तुत किये गये तथ्यों को मद्देनजर रखकर शीघ्र कार्यवाही करवायेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र बुडानिया।

दोषी ट्रक ड्राइवर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाना

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

मान्यवर, दिनांक 23 अप्रेल, 1995 को सायंकल श्री मकबूल मण्डेलिया, निवासी, रतनगढ़ (चूरू) अपने परिवार सहित अपनी जीप नं. आर.जे. 10–सी, 0676 जयपुर से रतनगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 11 से जा रहे थे। करीब 7.30 बजे गोविन्दगढ़ से 5 कि.मी. दूर एक ट्रक नं. आर.एस.आर. 3541 जो सामने से बहुत ही तेजी से आ रहा था उपरोक्त जीप के जोर से टक्कर मारी जिसमें श्री मकबूल मण्डेलिया का नौजवन लड़का रुस्तम मण्डेलिया, उम्र 28 वर्ष की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी व आठ अन्य जीप में बैठे व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गये। इन आठ घायल व्यक्तियों में आरिफा पुत्री श्री मकबूल मण्डेलिया को अस्पताल में आने के बाद मृत घोषित कर दिया गया। उपरोक्त ट्रक नं. आर.एस.आर. 3541 जिस रफ्तार से आ रहा था व जिस तरह से जीप के टक्कर मारी उससे स्पष्ट ऐसा लग रहा था कि जीप के जानबूझकर टक्कर मारी है।

श्रीमान् घटना का मुकदमा नं. 63/95 थाना पुलिस गोविन्दगढ़, जिला जयपुर में दर्ज हुआ था। आज दस दिन हो गये परन्तु स्थानीय पुलिस ने अभी तक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया व घायलों का मेडिकल मुआयना स्वयं की प्रार्थना पर कई दिनों बाद में किया। यही नहीं पुलिस द्वारा मृतक एवं घायल व्यक्तियों को नकद एवं आभूषण सम्पत्ति जो निम्न प्रकार थी :–

दो हैण्ड बैग, जिसमें 1700 रुपये, सोने का ब्रासलेट, मृतक रुस्तम की जेब में रखे 15,500 रुपये, दाहिने हाथ की सोने की अंगूठी, दो सोने के चांद बाले आदि दुर्घटना स्थल से पुलिस ने अपने पास ले लिये परन्तु उपरोक्त नकद व आभूषण मांगने पर पुलिस द्वारा इन्कार कर दिया गया जो बहुत ही गंभीर बात है एवं स्थानिय पुलिस नाराज होकर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रही है।

मान्यवर, मैं माननीय गृह मंत्री का उपरोक्त घटना पर ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि मुल्जिम को तुरन्त गिरफ्तार करवायें, मृतकों व घायलों की नकद व आभूषण सम्पत्ति पुलिस से वापस दिलवायें और राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिवारजनों व घायलों को नियमानुसार सहायता तुरन्त दिलायें एवं निष्पक्ष उच्चधिकारी से इस मामले की जांच कराने के भी आदेश प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री बनवारी लाल बैरवा।

थाना टोडारायसिंह में दर्ज एफ.आई.आर. की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से करवाया जाना

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का निवेदन माननीय गृह मंत्री जी से करना चाहूंगा। सरकार जरिये परमानन्द मीणा बनाम हजारी मीणा वगैरह प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 2/95 थाना टोडारायसिंह–आरोप करियादी द्वारा स्वयं को हत्या के जघन्य अपराध से बचाने व बेकसूर लोगों को फंसाने के क्रम में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त विषय में

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में मुझे सही व पुख्ता जानकारी मिली है कि परमानन्द फरियादी इस प्रकरण में खुद ने अपनी औरत गीता को मारपीट कर उसकी हत्या कर दी फिर बाद में एक षड़यंत्र रच कर गांव के निरपराध मीणा लोगों पर हत्या का अपराध मण्ड दिया है। घटना इस प्रकार बतायी जाती है कि परमानन्द देवली कॉलेज से 29-12-94 को कुरासिया अपने गांव में आया उसके भाई रामसिंह व दल्ला भी उसके साथ उसी दिन आये। वह कुरासिया गांव बनास नदी के किनारे पर स्थित है जहां ढाई सौ–तीन सौ मीणा जाति के लोग बसते हैं। यह गांव थाना टोडारायसिंह में पड़ता है जिसमें गम्भीर घटना हुई है। परमानन्द अपनी औरत गीता से अब पढ़–लिख जाने के कारण अपना फंदा छुड़ाना चाहता था तथा दूसरी शादी करना चाहता था। खुद परमानन्द ने 29-12-1994 की रात को गीता के साथ खूब मारपीट की। दूसरे दिन सुबह 30-12-94 को मारपीट करके गीता को परमानन्द ने इस तरह मारपीट करके उसकी हत्या की और गीता की सनयति बना कर खुद अपने भाईयों के साथ गीता को श्मशान घाट ले गया और खुद परमानन्द ने गीता के अग्नि लगायी और उसे जला दिया। उसको ले जाने में परमानन्द व उसके भाई थे। गांव वालों ने जब श्मशान घाट में परमानन्द से गीता के मरने का कारण पूछा तो बताया कि गीता के रात में पेट में दर्द हो गया और मर गयी परमानन्द बाद में दूसरे दिल देवली चला गया वहां जाकर अपने मीणा साथी कालेज के लड़कों से मिल कर एक असत्य षड़यंत्र रच कर गांव के बेकसूर लोगों को फंसाते हुए थाना टोडारायसिंह दिनांक 2-1-1995 को रिपोर्ट दर्ज करवायी। गांव वालों पर गीता को सफाखाने न ले जाने, डाक्टरी डाक्टरी मुआयना नहीं कराने व गीता को जबरन जला देने का आरोप इसलिए लगाया ताकि परमानन्द खुद इस हत्या के मुकदमे से बच जाय और गांव के बेकसूर लोग इसमें फंस जायं। जब इस बाबत एस.पी. साहब, टौंक से गांव वालों परमानन्द के खिलाफ शिकायत की तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। गांव वाले जब तक जयपुर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस बाबत सही निष्पक्ष जांच कराने की फरियाद कर चुके हैं। एस.पी. टौंक परमानन्द व देवली कालेज के मीणा लड़कों के दवाब में हैं और वे भी स्वयं सही जांच नहीं करवाना चाहते हैं। इस मामले में पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस गम्भीर मामले में तीन दिन बाद क्यों रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी ? परमानन्द गीता की जैसे नौजवान आदमी को गीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाने से कौन रोक सकता था। इस प्रककरण में सम्भावना यह है कि वास्तविक हत्यारा परमानन्द स्वयं फरियादी बन कर गम्भीर अपराध से बच रहा है और गांव के बेकसूर लोगों को फंसा रहा है।

अतः इस गम्भीर प्रकरण को विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाते हुए में गृह मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जयपुर स्तर से इस जघन्य अपराध की जांच शीघ्र पूर्ण करवाये और दोषी लोगों को सजा दिलवाने की कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पुलिस उप निरीक्षक भर्ती, परीक्षा में आयु सीमा में बढ़ोतरी

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस उप निरीक्षक भर्ती, परीक्षा आयोजित की जा रही है जिसकी परीक्षा तिथि 14 मई, 1995 निश्चित की गयी है।

(1) इस परीक्षा में आयु सीमा 20 वर्ष से 23 वर्ष रखी गयी है, जो आश्चर्यजनक बात है।

(2) भारत के अन्य राज्यों, दिल्ली पुलिस केन्द्रिय पुलिस संगठनों में आयु सीमा 25 वर्ष है तथा उत्तर प्रदेश में 30 वर्ष है, सिर्फ राजस्थान में ही यह आयु सीमा इतनी कम रखी गयी है जो कि अनुचित है।

(3) राजस्थान पुलिस में सिपाही के पद पर मैट्रिक पास लिया जाता है जिसमें आयु सीमा 21 वर्ष है। उप निरीक्षक में स्नातक लिया जाता है। सिपाही तथा उप निरीक्षक में आयु का अन्तर सिर्फ दो वर्ष है जबकि मैट्रिक के बाद स्नातक करने में पांच वर्ष लगते हैं।

(4) इसी भर्ती का आयोजन 1989 के बाद पांच वर्ष के बाद किया जा रहा है। अनेक आशार्थी इसकी प्रतीक्षा करते-करते आयु सीमा पार कर चुके हैं और जिन्हें एक भी अवसर नहीं मिला है।

(5) 1989 मे आयु सीमा 25 वर्ष थी, उसके बाद भर्ती का आयोजन अब किया जा रहा है। 1989 तक स्नातक करने में 14 वर्ष लगते थे, अब 10+2+3 स्कीम में 15 वर्ष लगते हैं अर्थात उक्त आयु सीमा किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं हैं तथा बेरोजगारों के साथ सरासर अन्याय है। इससे युवा वर्ग में घोर निराशा एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः युवाओं की भावनाओं को मध्य नजर रखते हुए आयु सीमा बढ़ायी जाएं तथा लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित तिथि निरस्त कर नयी तिथि घोषित की जायं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

लालसोट मुख्यालय स्थित सरकारी कार्यालयों की भवन बनाने की वित्तीय स्वीकृति

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन व प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से लालसोट मुख्यालय पर सभी सरकारी कार्यालय एवं सरकारी आवास बनाने की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

दौसा जिले की लालसोट तहसील मुख्यालय सहायक जिलाधीश कार्यालय, मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय का भवन सरकारी नहीं होने के कारण किराये के भवनों में चलाये जा रहे हैं। तहसील कार्यालय अलग से सरकारी भवन में चल रहा है। उक्त तीनों कार्यालय एक–एक किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थापित हैं। जिसके कारण वकील एवं आम-जनता को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय पर आने-जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आम जनता भी एक

(श्री परसादीलाल मीणा)

कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भागती रहती है। वकील साहिबान भी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में आने जाने के कारण परेशान हैं। आम जनता को कभी-कभी तो न्याय भी नहीं मिलता है। सरकार की नीति के अनुसार सभी कार्यालय एक ही परिसर में होने चाहिये। अभी लालसोट के आपसी माननीय न्यायाधीशों के सहयोग के आधे-आधे समय तक अदालती कार्यवाही चलायी जाती है। जिसके कारण आम जनता को शीघ्र न्याय मिलने में कठिनाई आ रही है। सभी सरकारी कार्यालयों के भवन जो किराये के भवनों में चल रहे हैं, उनको बनाने की स्वीकृति जारी कर नगरपालिका, लालसोट ने सभी सरकारी कार्यालय एक ही परिसर में बनाने के लिए मुफ्त में भूमि देने का प्रस्ताव दिनांक 31.3.95 को एक विशेष बैठक में लिया है। सरकारी अधिकारियों के निवास भी उसी परिसर में एक ही जगह पर नगरपालिका लालसोट के परिसर में लाल क्लब मैदान पर बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। सरकारी कार्यालय एवं सरकारी अधिकारियों के आवास एक ही स्थान पर बनावें जिससे जनता को आने-जाने में भारी कठिनाई होती है। सरकारी कार्यालय एवं सरकारी अधिकारियों के आवासों का यदि एक ही जगह नगरपालिका परिसर में नहीं कराया गया तो जनता में भारी प्रतिक्रिया होगी। मैं सरकार को लालसोट नगरपालिका के सदस्यों की सर्वसम्मत प्रस्ताव से अवगत कराते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में भी जो भी कार्यालय एवं सरकारी आवास निर्माण कराये जायें। नगर पालिका, लालसोट की भावना को ध्यान में रखते हुए बनायें।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि लालसोट मुख्यालय पर सभी सरकारी कार्यालय एवं सरकारी आवास बनाने की वित्तीय स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में जारी करने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणलाल जी मीणा।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र लसाड़िया में वर्षा ऋतु में क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण

श्री नारायणलाल मीणा (लसाड़िया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा, कार्य संचालन व प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत धटियावद से सूनां, मूंगाणा, पारसोला, किठाउज, गामडी सड़की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया की तहसील मुख्यालय धरियावद से सूनां, मूंगाणा, पारसोपा, मिठाइवा गामड़ी से साबला मुख्य मार्ग, गत वर्षा ऋतु में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है एवं दो–दो फुट गहरे खड्डे हो जाने से आवागमन में यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क को दुरुस्त करने हेतु सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के मार्फत पूरा प्रकरण अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सलूम्बर से भिजवाया जा चुका है एवं बार-बार आग्रह के बावजूद भी सड़क रिपेयर्स का कार्य आरम्भ नहीं किया गया है, जिससे लोगों में काफी असंतोष है।

मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए रिपेयर्स कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने व अब तक लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेशजी मेघवाल।

मकराना, परबतसर क्षेत्र में सड़क सुधार

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, विधान सभा कार्य संचालन व प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत मकराना, परबतसर क्षेत्र में सड़क सुधार किये जाने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मकराना प्रसिद्ध संगमरमर का औद्योगिक क्षेत्र है, यहां से रॉयल्टी सेल्स टैक्स व एक्साइज ड्यूटी आदि के करीब 45 करोड़ रुपयों की वार्षिक आय राज्य सरकार को होती है। परंतु यहां की सड़कों की दशा बहुत ही दयनीय है। बरसात के पानी का निकास नहीं हैं। मिट्टी इतनी उठती है कि सामान्य मनुष्य का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। जो क्षेत्र सरकार को इतनी बड़ी आय दे, वहां के विकास की तरफ समुचित ध्यान दिया जाना जरूरी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं ने मकराना क्षेत्र का दौरा किया है। उनके मन में मकराना को सुधारने की पीड़ा भी है। परन्तु इसका कार्याकल्प करने की क्रियान्विति अभी तक नहीं हो पायी है। यहां जिस तरह की डामर सड़क बनायी जाती है उसका ठहर पाना मुश्किल है। क्योंकि भारी ट्रेफिक है, बरसात की वजह से पानी भर जाता है। इस वजह से यहां मजबूत पेवर रोड अथवा सीमेंट रोड तथा पानी के निकास के लिए गहरा नाला बनाया जाय। इसका मास्टर प्लान तैयार कर पानी के निकास की समुचित व्यवस्था की जाय।

ग्राम मंडोवरी की जनसंख्या 1991 के अनुसार 1186 है। यह गांव पहाड़ी तलहटी में बसा होने के कारण आने-जाने में काफी तकलीफ है। ग्राम कालेटरा पंचायत हैड क्वार्टर है तथा इसी प्रकार ग्राम बवायचा भी पंचायत हैड क्वार्टर है। कालेटरा से बबायचा सड़क वाया मंडोवरी होकर बनाये जाने पर यह सड़क आगे अजमेर सड़क से जुड़ जाती है। यह सड़क करीब 7–8 किलोमीटर लम्बी है तथा बहुत जरूरी है। दो पंचायत हैड क्वार्टर हैं तथा बीच का बड़ा गांव इससे जुड़ेगा तथा इस जिले से दूसरे जिले में जाने की सड़क भी जुड़ेगी। अतः इसे प्राथमिकता के आधार पर बनाया जावे। ग्राम बेसरोली पंचायत हैड क्वार्टर है तथा ग्राम इटावा बामनियां (गच्छीपुरा) पंचायत हैड क्वार्टर है। दोनों ही बड़ी आबादी के गांव हैं। जिनकी आबादी लगभग 5–6 हजार होगी। परन्तु बेसरोली से गच्छीपुरा वाया इटावा लाखा सड़क अभी तक नहीं बनायी गयी है। यह करीब 10–11 किलोमीटर की सड़क है। इसके निर्माण से गच्छीपुरा से डेगाना भी जुड़ जाएगा। तथा मेड़ता, जोधपुर व डेगाना, नागौर, बीकानेर जाने का सुगम एवं कम दूरी का सड़क मार्ग हो जायेगा। जो बहुत ही आवश्यक है। मकराना कार्य हेतु हजारों मजदूर इस क्षेत्र से प्रतिदिन आते-जाते हैं। जिन्हें इसी सड़क का लाभ मिलेगा।

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने राजस्थान में सड़कों का चहुंमुखी विकास कार्य हाथ में लिया है। जिससे आम जनता को बहुत राहत मिली है व राजस्थान में सड़क निर्माण कार्य काफी प्रशंसनीय है। नागौर जिला काफी पिछड़ा जिला है, पिछले वर्षों से रहा है। इस कारण यहां महत्वपूर्ण सड़कें भी नहीं बन पायी थीं। अतः इस लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि मकराना, कालोटरा

(श्री राकेश मेघवाल)

व बबायचा सड़क वाया मंडोवरी तथा बेसरोली–गच्छीपुरा सड़क इस वर्ष में अवश्य निर्माण करायी जाए तथा मकराना–बोरावड़ बाईपास पर सीमेंट रोड एवं इस क्षेत्र में पानी के निकास का बड़ा नाला अवश्य निर्माण कराया जाय, इस कार्य से आम लोगों के जीवन की रक्षा में राज्य सरकार का बड़ा उपकार होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज जी भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : वह प्रस्ताव लेना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं, तब तक मैं दूसरे को बुला लेता हूं। रघुवीरसिंहजी। आप के बाद में बोल लेना, इनसे ले लें आप।

सराड़ा विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपम्पों के पानी में फ्लोराइड

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा, कार्य संचालन व प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सराड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम ढ़ाकरड़ा में हैण्डपम्पों के पानी में फ्लोराइड होने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में ग्राम पंचायत सगतडा के ढ़ाकरड़ा नाम गांव में हैण्डपम्पों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा होने की वजह से वहां की जनता नदी का बहता हुआ गन्दा पानी पी रहे हैं। वहां के पानी की जांच भी की गयी है। जिससे स्पष्ट हुआ है कि वहां के हैण्डपम्पों में फ्लोराइड है। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान इस गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। क्योंकि यह समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। वहां के लोगों की जिन्दगी का सवाल है। अतः सम्बन्धित मंत्रीजी इस मामले को सहानुभूतिपूर्वक विचार का तुरंत कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

सोमनाथ मन्दिर की जमीन को हड़प किया जाना

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियमों के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

ग्राम पाली के चक नम्बर 1 के खसरा नम्बर 1035, 1036, 1040 व 1041 की 40 बीघा 3 बिस्वा भूमि सोमनाथ मन्दिर की डौली के नाम से दर्ज थी इस जमीन को हड़प करने की नियत से कुछ लोगों ने इसे खरीद–फरोख्त कर लिया। इस बारे में राजस्व विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक प. 21 (97) राज–टी। 79 दिनांक 24-2-82 की पालना में 24–4–82 से एवं आदेश क्रमांक एफ–21 (97) राज टी–79 दिनांक 15–10–93 को जारी किया गया लेकिन देवस्थान विभाग द्वारा दिनांक 13–4–93 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें आदेश क्रमांक एफ 21 (97) राज. टी–79 दिनांक 15–10–87 को अप्रभावी कर दिया है जब कि ऐसा हो नहीं सकता। इस सोमनाथ मन्दिर की डौली में देवस्थान विभाग स्वयं इण्ट्रेस्टेड पार्टी है। इस सोमनाथ मन्दिर की डौली की जमीन जो शहर के बीचों बीच आयी हुई है उस जमीन की कीमत करोड़ों रुपये है और एकदम संभ्रान्त कालोनी के मध्य में स्थित है। इस जमीन को नाजायज तौर पर अपने कब्जे में करने के लिए पाली शहर के बड़े-बड़े भाजपा के नेता यहां जयपुर

(श्री भीमराज भाटी)

में बड़े-बड़े राज नेताओं के घर पर चक्कर लगा रहे हैं। पाली में भी विभिन्न जिलाधिकारियों पर राजनैतिक दबाव डाला जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सोमनाथ मन्दिर की डोली की जमीन को बचाने के लिए राजस्थान की यह धर्मप्रेमी सरकार आवश्यक कदम उठाकर मन्दिरों की सम्पत्ति की रक्षा करावे। और देवस्थान विभाग के दिनांक 13–4–93 के आदेश को रद्द करवाने की व्यवस्था करावें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : छाप तो दिया 131 ही। अब क्या करूं ?

श्री अध्यक्ष : आप 295 पढ़ लें इसको।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 295 में आपने परिवर्तन कर दिया।

श्री अध्यक्ष : हां, कर दिया ...(व्यवधान).

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, एक बात तो मैं कहना चाहूंगी कि अभी थोड़ी देर पहले वहां श्री पूनमचन्द जी विश्नोई ने चर्चा की, माननीय मदेरणा जी ने चर्चा की और मुख्य मंत्री जी ने भी चर्चा की लेकिन मेरे कष्ट को किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आपको अवगत होगा कि सदन में 15 मिनट पहले प्रश्नकाल में स्थगित प्रश्न लिये जाते हैं। मेरा कल 399 स्थगित प्रश्न था। आपने उसे पुकारा नहीं और सारा अवसर आपने विपक्ष को दिया। मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि विपक्ष को अवसर दिया लेकिन मेरे हितों की रक्षा नहीं हुई। सदन में इतना बाबेला हुआ। मुझे मौका नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : आप तो बोलना चालू करें आपके हितों की रक्षा हो जायेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बतायें। 15 मिनट पहले स्थगित प्रश्न लेकर फिर और प्रश्नों को लेना चाहिये था लेकिन आप विपक्ष के प्रश्न तो लेते रहे।

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ...मेरा स्थगित प्रश्न नहीं लिया मेरे स्थगित प्रश्न की क्या स्थिति होगी ? आप इस पर व्यवस्था देंगे यह मैं चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : आप 295 पढ़ें।

आवासीय योजनाओं का नियमन

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मान्यवर, कृषि भूमि रूपान्तरण के नियमों को सरल करने के लिए आदेश क्रमांक व 2181 राज। मू स 90 दिनांक 18–2–94 को नयी विधान सभा के प्रथम सत्र के प्रथम प्रश्न के उतर में बतलाया कि जारी किये गये नियमों के अनुसार जयपुर नगर में 1142 योजनायें गृह निर्माण सहकारी समितियों की थी जिनका नियमन किया जाना था। एतद् विभाग ने बड़े जोर-शोर से शिविर भी लगाये परन्तु खेद है कि अब तक मात्र 135 आवासीय योजनाओं का ही नियमन किया गया है और उक्त योजनाओं के भी सम्पूर्ण क्षेत्रों का नियमन नहीं हुआ है।

कुछ अन्य योजनायें भी परीक्षण कर स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है जैसे शंकर नगर आमेर रोड, कृष्णापुरी कालोनी राधामाधाव, माणिक्यपुरी, आमेर रोड आदि इस और कोई कार्य नहीं हो पाया है। एक

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

ओर तो राजस्व की उपलब्धि नहीं हो रही है और दूसरी और विकास कार्यों के अभाव में असन्तोष चरम सीमा पर है।

विभाग का कहना है कि 996 योजनाएं आवेदित हुईं और 861 योजनाएं शेष हैं। वास्तव में अन्य और योजनाएं यदि सही परीक्षण किया जाये तो 1250 से भी अधिक योजनाएं हैं। यदि समस्या नियमों की जटिलता से हैं तो नियमों में संशोधन होने चाहिये यदि विभाग की अकर्मण्यता है तो विभाग को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। नागरिक रुपया देने को तैयार हैं परन्तु विभाग की जटिल प्रक्रिया व नागरिकों में असन्तोष के कारण यह रुपया जमा नहीं कराया जा रहा है। जिससे विभाग के पास धन का भी अभाव है। विभाग को चाहिये कि नियमों में सरलीकरण करें और नागरिकों को पैसा जमा कराने में पर्याप्त सुविधा प्रदान करें जिससे राजस्व बढ़ेगा और विकास कार्यों में धन का अभाव भी नहीं हो पायेगा।

नियमन से शेष रही योजनाओं का परीक्षण कब तक पूरा कर लिया जायेगा और नियमन की कार्यवाही कब तक पूर्ण होगी यह निश्चित नहीं है।

अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

अनुदान प्राप्त गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की कठिनाइयां

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

महोदय, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी उच्च शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति गैर-सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों व कर्मचारियों की समस्या पर विचार कर निर्णय करने हेतु गठित की गयी थी। लम्बा अर्सा गुजर जाने के बाद भी अभी तक समिति कोई निर्णय नहीं करा पायी है। इन संस्थाओं में कार्यरत अध्यापक काफी कठिनाई भुगत रहे हैं। बोनस तथा अंतरिम राहत का फैसला अभी तक लटका पड़ा है। वर्तमान कानून लागू होने से पहले यह मिलता रहा था जो अब बन्द है। बोनस मिलने का निर्णय 1989 में केबिनेट द्वारा किया गया था। लेकिन अब बोनस भी बिना किसी केबिनेट के निर्णय के बन्द कर दिया गया है। मृत कर्मचारियों के आश्रितों को सेवा में नहीं लिया जा रहा है जैसा कि राज्य सरकार सेवा में लगे कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रावधान है।

मार्च, 1995 का वेतन भी कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। क्योंकि अनुदान राशि अभी तक संस्थाओं को नहीं मिल पायी है। जिससे कर्मचारियों को कठिनाई उठानी पड़ रही है। अतः मैं उक्त संस्थाओं के कर्मचारियों की कठिनाईयों के निराकरण हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी (अनुपस्थित)।

श्री शांतिकुमार जी धारीवाल (अनुपस्थित)।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

अध्यक्ष महोदय, मैंने भी दिया है। अभी मेरा आया नहीं।

श्री अध्यक्ष : कइयों ने दे रखे हैं, बिराजें आप। श्री महावीर जी।

आयुर्वेद विभाग के लापता श्रमिक के योग्य आश्रित को योग्यतानुसार रोजगार नहीं दिया जाना

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से आयुर्वेद विभाग के लापता श्रमिक श्री केसूलाल के योग्य आश्रित श्री ओंकार सिंह को योग्यतानुसार रोजगार नहीं मिलने की ओर माननीय आयुर्वेद मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, आयुर्वेद विभाग की रसायन-शाला कोटा में सेवारत श्रमिक श्री केसू लाल के लापता होने के बाद उसके आश्रित श्री ओंकार सिंह ने अपने पत्र दिनांक 8–9–77 एवं 28–2–79 द्वारा अपने लापता पिता की जानकारी देते हुए अपनी माता श्री की मानसिक रूप से पीड़ित होने और रोजी-रोटी का कोई सहारा नहीं होने से अपनी बीमार मां का उपचार नहीं करवा पाने की सूचना देते हुए स्वयं को नौकरी दिलाये जाने की गुहार की थी। इस पर जिला प्रशासन ने अपने पत्र दि. 13–9–77 एवं 21–1–78 द्वारा श्री ओंकार सिंह की नौकरी हेतु आवश्यक निर्देश दिए, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे क्षुब्ध होकर श्री ओंकारसिंह ने अपने पत्र दिनांक 2–3–78 द्वारा राज्य सरकार एवं आयुर्वेद प्रशासन को पूर्ण हालात से अवगत कराया। प्रभारी रसायन शाला, उदयपुर ने पत्रांक 294 दिनांक 19-1-78 को श्री सिंह को कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु निदेशक आयुर्वेद विभाग को पत्र लिखा। परन्तु श्री सिंह कानूनी दावपेच से अनभिज्ञ एवं नौकरशाही की लापरवाही के कारण नौकरी की तलाश में दर-दर की ठोकरें खाता रहा। इसी बीच भारी मानसिक यातना से त्रस्त एवं आर्थिक तंगी में उपचार की सुविधा के अभाव में लम्बी बीमारी के पश्चात् श्री केसूलाल की पत्नी एवं ओंकार सिंह की माता श्रीमती दरीयावबाई जी जो भी आयुर्वेद रसायन शाला, उदयपुर में भूमिका के पद पर कार्यरत थीं, की जीवन लीला 8 मार्च, 1978 को समाप्त हो गयी।

श्री ओंकार सिंह 25 वर्ष से लापता श्रमिक श्री केसूलाल एवं मृतक राज्य कर्मचारी श्रीमती दरीयावबाई श्रमिक का आश्रित एक मात्र पुत्र सन 1978 में मानसिक यातना से ग्रसित होने के बावजूद स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण कर चुका था एवं मिनिस्ट्यल सर्वोर्डिनेट रूल्ज, 1957 की पात्रता की योग्यता से कहीं अधिक योग्यता थी, परन्तु श्री ओंकारसिंह के प्रार्थना पत्र दिनांक 5–7–78 पर आयुर्वेद रसायनशाला, उदयपुर द्वारा इसी विभाग के एक राजपत्रित अधिकारी की राज्य सेवा में मृत्यु होने पर विभाग द्वारा राजपत्रित अधिकारी के उत्तराधिकारी श्री नाथूलाल सैन, जिनकी योग्यता प्राथमिक या माध्यमिक स्तर की होगी, इसी नियुक्ति का सहारा लेकर आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों ने श्री ओंकारसिंह गरीब पीड़ित राज्य कर्मचारी के आश्रित को जिनके पास कहीं बेहतर योग्यता थी, के अनुरूप नियुक्ति न देकर राज्य सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिनांक 12–7–78 द्वारा चतुर्थ श्रेणी श्रमिक पद पर

(श्री महावीर भगोरा)

श्री ओंकारसिंह की अवैधानिक नियुक्ति के आदेश प्रसारित कर इनके जीवन की आर्थिक मानसिकता को दलदल में धकेल दिया।

श्री ओंकारसिंह द्वारा अपने लापता पिता की तलाश, आयुर्वेद विभाग का सरदर्द बना हुआ था और अधिकारी जो इस कारण श्री सिंह से मेलाफाइड इंण्टेंशन रखते थे, परन्तु श्री ओंकारसिंह ने अपना प्रयास जारी रखते हुए विभाग से न्याय प्राप्त करने की अपनी लगन बरकरार रखी और विभाग द्वारा मनमाने ढंग से श्री ओंकारसिंह को अनियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति जो नियमों के विरुद्ध थी, इसको संघर्ष का रूप दिया, इस पर विभाग द्वारा कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद पर साक्षात्कार हेतु आयुर्वेद निदेशालय ने श्री सिंह को आमंत्रित किया। साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण होने पर अधिकारी वर्ग द्वारा श्री ओंकारसिंह को उनके लापता पिता के प्रसंग में चुप रहने का प्रस्ताव श्री सिंह के सामने रखा। परन्तु कौन पुत्र अपने पिता के लापता हो जाने पर चुप रह सकता था, श्री सिंह ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस पर अधिकारी वर्ग ने लिपिक पद पर नियुक्ति से वंचित कर दिया। पूर्व में की गयी अनियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के लिए राज्य सरकार एवं आयुर्वेद विभाग को प्रेषित पत्रों को निदेशायल द्वारा विभिन्न प्रकार की विपरीत टिप्पणियों के साथ उदयपुर को लौटाया गया, परन्तु बराबर संघर्ष के कारण राज्य सरकार को 21–2–82 को आयुर्वेद विभाग द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति आदेश जारी करने पड़े–इस प्रकार ओंकारसिंह जिन्हें कनिष्ठ लिपिक के पद का लाभ 12–7–78 से मिलना था विभाग ने दिनांक 21–2–82 से दिये जो सरासर गलत एवं सरासर न्याय के प्रतिकूल है क्योंकि जब श्री ओंकारसिंह 5–7–78 को ही जैसा कि पूर्व में अंकित किया है, कनिष्ठ लिपिक के पद से कहीं अधिक योग्यता रखता था, क्यों तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर लगाया गया और यदि लगा भी दिया गया तो जब 21–12–82 को कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति आदेश जारी किए तो कर्मचारी को 5–7–78 से ही क्यों नहीं कनिष्ठ लिपिक के पद के लाभ दिये जा रहे हैं, जो राजकीय नियमों के अनुसार दिया जाना न्यायसंगत है।

मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय का ध्यान 25 वर्षों के लापता श्रमिक के योग्य आश्रित को योग्यतानुसार योग्य पद विभागीय अधिकारियों द्वारा दिलाने के आदेश जारी कराने हेतु आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, माननीय श्री शिवनाथ सिंह जी, माननीय श्री खेतसिंह जी, माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय महावीर जी सभी ने विचार प्रकट किये।

एक माननीय सदस्य : कार्यसूची में नहीं है, काहे पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने सब ने अपनी बात कही है, मैं नहीं कहूंगा तो आप भी दूसरी बात लेंगे और पत्रों में भी दूसरी बात छपेगी। आप नहीं थे इसलिए 295 को मैंने पहले ले लिया। वह खत्म करने के पश्चात् ही मैं यह बात कह रहा हूं।

माननीय, मेरा कभी भी किसी भी माननीय सदस्य का दुर्भावना से या और किसी हिसाब से उनको नीचा दिखाने के हिसाब से या

(श्री अध्यक्ष)

उनकी बात भी नहीं रखने के हिसाब से कभी भी यह मन्तव्य नहीं रहा। मैंने पूरी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति मिले, ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य डेलिब्रेशन में भाग लें और कभी भी किसी माननीय सदस्यों को ओछे शब्दों से मैं नहीं समझता मैंने कभी कुछ कहा हो। मैंने कल पूरा प्रयत्न किया। माननीय सदस्य अड़ गये कि वह पत्र पढ़ाया जाय और जब मैंने एक बार व्यवस्था दे दी। यदि यह बात पहले हो गयी होती तो मैं समझता हूं मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होती, मैं वह जरूर कर देता और कभी भी चेम्बर में आकर भी उन्होंने इस प्रकार की बात नहीं की कि मुझे आप पत्र पढ़ाइये या पत्र दिखाइये। इस लिए मुझे कल की घटनाओं के लिए खेद है। मैंने पूरा प्रयत्न किया, एक बजकर पांच मिनट तक सदन इसी तरीके से चलता रहा। फिर शून्यकाल के लिए मैंने माननीय श्री गोविन्दसिंह जी का नाम पुकारा। उसके पश्चात् फिर माननीय श्री विश्नोई जी ने कहा कि आगे का बिजनस लेवें फिर मैंने श्री गोविन्द सिंह जी को पुकारा और उसके पश्चात एक-एक करके 2-3 माननीय सदस्यों को शून्यकाल के लिए पुकारा। जब कोई नहीं बोले तो फिर 295 लिये। 295 लेते ही कोई बोलने को तैयार नहीं हुए, उसके बाद श्री राजेन्द्र जी मेरे सामने आये पर इतना शोरगुल हो रहा था, हो सकता है कि यह असंसदीय बात हो पर उस समय सारे माननीय सदस्य पूरे के पूरे उस तरीके से हो रहे थे, किसी को कुछ सुनायी नहीं पड़ रहा था। मैंने एक-एक माननीय सदस्य को 295 के लिए पुकारा, उसके पश्चात् माननीय श्री मदेरणा साहब ने भी देखा होगा, मैं यही कहता पर मेरा ध्यान कार्य सूची की तरफ ही था और कार्य सूची में जब 295 के पश्चात् कोई बात बाकी नहीं रह गयी तो मेरे लिए लाजमी हो गया कि जो कल का बिजनस या लिस्ट के अनुसार जो बिजनस था उसके लिए पुकारता। कोई भी माननीय सदस्य यहां बिराज नहीं रहे थे, बाहर पधार गये थे और यह कहकर के पधारे थे कि बॉयकाट है और मैंने यह समझ लिया हो सकता है कि मैं अभी नया हूं, समझने में त्रुटि हो सकती है, मैंने यह समझ लिया कि आप वापस नहीं पधारने वाले हैं और इसलिए मैंने खण्डशः जितने भी ये बिल्स थे, उनको उसी हिसाब से पुकारा और ये पारित किये गये। थोड़ा सा खेद तो मुझे भी है कि मैंने हो सकता है कि आपको पूरा-पूरा मौका नहीं दिया हो। पर माननीय सदस्य आसन की भी अपनी मजबूरी है, आप इस स्थान पर बैठकर यदि स्वयं निर्णय करें, सवा घंटे तक प्रतिदिन हाउस नहीं चलने देना, एक किसी बात पर अडिग हो जाना, यह भी हमारे लिए कोई जिम्मेदारी की बात नहीं है। मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा, विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आसन का सहयोग करें। मेरी कभी भी किसी भी माननीय सदस्य का अपमान करने की या उनको नीचे दिखाने की या उनको नहीं बोलने देने की कोई भी इस प्रकार की आदत नहीं है और न मैं इस प्रकार का प्रिजुडिस पालता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2–4 बार जरूर मुझसे कहा, कि आप हमारी तरफ नहीं देखते, आप बार-बार विपक्ष की तरफ देखते रहते हो और विपक्ष भी कह रहा है कि हमारी तरफ नहीं देखते हैं तो अब जाएं तो कहां जाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपनी क्षमता के अनुसार पूरा काम करने की चेष्टा करूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिवनाथ सिंह : आप सामने देखा कीजिये, ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री रघुवीर सिंह जी। ..(व्यवधान) ...

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 131 के तहत गुलाबपुरा नगरपालिका के अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला रखा था और आपने यह कहा था, इसकी हम जल्दी व्यवस्था कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि सदन का कल लास्ट दिन रह गया है, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के स्थगन प्रस्ताव हमारे आयें और उस बारे में आज तक कोई व्यवस्था हमारी हुई नहीं तो मेरा विनम्र निवेदन है कि इसकी कब व्यवस्था दे रहे हैं। करोड़ों रुपयों का यहां पर घोटाला हुआ है, ऐसा मामला सदन में उजागर नहीं होगा तो कहां होगा ? इसलिए आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसे घोटाले को उजागर करवाया जाय। और उसके बारे में जल्दी से जल्दी व्यवस्था देने की कृपा करें। यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह जी कौशल, पर्यावरण मंत्री, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 एवं 1993–94 सदन की मेज पर रखेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इसमें थोड़ी-सी व्यवस्था हो जाती, सरकार भी इसका रिप्लाई देने को तैयार है।

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा। वहां से आने के बाद देख लूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपकी यह व्यवस्था हो जाती कि इसके ऊपर रिप्लाई आप दिलवा रहे हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 एवं 1993-94

श्री रघुवीर सिंह कौशल (पर्यावरण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं जल अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) के अन्तर्गत राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 एवं 1993–94 सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

बीकानेर पंचायत समिति के कतिपय विद्युतीकृत घोषित गांवों को बिजली प्रदाय करना

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर पंचायत समिति के कतिपय विद्युतीकृत घोषित गांवों को बिजली प्रदाय करने के सम्बन्ध में एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य तीन याचिकायें उपस्थापित करेंगे।

उदयपुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर बाई पास निर्माण

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं (1) उदयपुर शहर में राष्ट्रीय

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

राजमार्ग संख्या–8 पर बाई पास निर्माण बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, लखावली जिला उदयपुर को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना

(2) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, लखावली ज़िला उदयपुर को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं।

हिरणमगरी सेटेलाइट चिकित्सालय, उदयपुर में आम आदमी को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना

(3) हिरणमगरी सेटेलाइट चिकित्सालय, उदयपुर में आम आदमी को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, तीन याचिकाएं उपस्थपित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर जी भगोरा, दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

बदरणा नदी (जिला उदयपुर) पर पुल बनवाया जाना

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं (1) बदरणा नदी जिला उदयपुर पर पुल बनवाये जाने बाबत् चार व्यक्तियों, द्वारा हस्ताक्षरित, एवं।

झाडोल गाँव (फलासिया) जिला उदयपुर में पीने के पानी की टंकी बनाया जाना

(2) गांव झाडोल (फलासिया) जिला उदयपुर में पीने के पानी की टंकी बनाये जाने बाबत् चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, दो याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य : वापस लिया गया विधेयक

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल, प्रभारी मंत्री, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 को वापस लेता हूं।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह जी कौशल, प्रभारी मंत्री, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों

(श्री अध्यक्ष)

तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान गोसेवा आयोग विधेयक, 1995

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन सिंह देवड़ा, प्रभारी मंत्री, राजस्थान गोसेवा आयोग विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (राज्य मंत्री, पशुपालन) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान गोसेवा आयोग विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गोसेवा आयोग विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान गोसेवा आयोग विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1995

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यहां पर संशोधन लाये हैं अच्छी बात है। हमने मैट्रिक प्रणाली प्रारम्भ की है, मील के बजाय किलोमीटर के हिसाब से करने की बात है लेकिन आज राज मार्गों की व्यवस्था क्या है यह भी देखने और चिन्तन करने का विषय है। आम तौर से मैं नहीं कहती हूं कि दिल्ली से पैसा पूरा मिलता है या नहीं, राजस्थान सारा पैसा उपलब्ध कराता है या

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नहीं, मार्गों की दुर्व्यवस्था है। उन व्यवस्थाओं को सुधारे जाने के लिए भी चिन्तन करना चाहिये। जहां हमारे मार्गों के बीच में नदी, नाले आ जाते हैं उन पर व्यवस्था करने की बात सोचनी चाहिये। मार्ग में हम हरियाणा तक जाते हैं और हरियाणा से हम जब राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते हैं तो मालूम पड़ जाता है...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अब कहां मालूम पड़ता है, वह पुरानी बात हो गयी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे दिल्ली गये हुये बहुत दिन हो गये हैं इसलिए मुझे पता नहीं। व्यवस्था यह हो कि राज मार्ग अच्छे हों, चौड़े हों, सुव्यवस्थित हों, उनमें नदी-नाले पर पुलियां बनी हुई हों। और वहां मील के पत्थर, आप चाहे किलोमीटर के पत्थर पर लगा देना लेकिन जो स्थापित हो गये हैं, वह मील के पत्थर के नाम से जाने जाना, वह तो रहेगा लेकिन वह भी सुव्यवस्थित नहीं है। बहुत बार तो हम देखते हुए चले जाते हैं लेकिन वह पत्थर दूर-दूर तक उनके संकेत नजर नहीं आते हैं। इतना ही नहीं जहां, मोड़ है उन मोड़ों पर भी सुनियोजित रूप से जो संकेत चिन्ह रखे जाने चाहिये वह नहीं हैं। राज मार्गों पर जो रात को प्रतिलक्षित होने वाले चिन्ह लगाये जाते हैं उनके नहीं होने से भी दुर्घटनाएं बार-बार हो रही हैं, हम तो भुगत-भोगी हैं, अभी सताये हुये हैं, एक दिन में दो बच्चों को दे बैठे हैं। मार्ग सुव्यवस्थित नहीं है इसलिए इस प्रकार की अव्यवस्थाओं को देखते हुए राज मार्गों के सुधार के बारे में माननीय मंत्री महोदय आश्वस्त करें। हमने पहले के जमाने में देखा था कि पेड़ों पर सफेद–लाल या सफेद–काला पुता हुआ होता था वह भी आज नहीं है। इसलिए इस सबके लिए एक कमेटी गठित करे।

आप गुजरात गये हैं, गुजरात में कहीं मोड़ हो, तो सुबह मोड़ हो तो शाम को मोड़ निकल जाता है। ऐसी सु-व्यवस्था, ऐसी बढ़िया सड़कें गुजरात बना सकता है तो राजस्थान क्यों नहीं बना सकता ? मैंने गुजरात की 17 दिन की यात्रा में कहीं भी कोई टूट-फूट, एक भी खड्डा वहां सड़क पर नहीं देखा, वह आदर्श, मंत्री महोदय स्थापित करें। मैं माननीय मंत्री महोदय से बहुत आशा रखती हूं, वह सब कर पायेंगे इसलिए मैं सुझाव देना चाहती हूं, बिल के माध्यम से ही सही मैं जो आपको सलाह दे रही हूं, परामर्श दे रही हूं, वह आप मानें और इन मार्गों पर सुव्यवस्थित नियमों की व्यवस्थाएं हैं उनका संचालन करते हुए आगे बढ़ें तथा प्रति किलोमीटर जितना अधिक से अधिक हो उन जिलों को भी आप दें। न केवल राज मार्ग बल्कि सड़कों के सम्बन्ध में भी मैं कहना चाहूंगी की आम तौर से आपके विभाग की जो सड़कें हैं उनको भी देखें। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आती हूं, दिल्ली से आने वाले पर्यटक जयपुर में घुसता है, उसको भी आप देखें। उस मार्ग में विदेशी पर्यटक के आने का स्थल आमेर से जब आता है और जयपुर ग्रामीण में प्रवेश करता है और वहां पर ठीक जोरावरसिंह गेट से लेकर जल महल तक की सड़क आम तौर से ध्वस्त रहती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि जहां पर भी ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता पड़े तो वहां पर केवल डामरीकरण ही नहीं डामरीकरण के साथ-साथ आवश्यकता हो तो सीमेंट कक्रीट को मिलाकर के, जहां

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पर सीलन रहती है, सुव्यवस्था करेंगे। यही निवेदन करना चाहूंगी। मैं मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

(14.35)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आभार

श्री उपाध्यक्ष : परम आदरणीय सदन के नेता महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, माननीय सदस्यगण, मुझे आप सब ने उपाध्यक्ष का भार सौंपा है और पूरे सदन ने जिस एक मन से यह भार सौंपा है, मेरा यह प्रयास होगा कि हमारे सदन के मन को एक बनाये रखूं अपने कार्यकाल के अन्तर्गत। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका अभिनन्दन करती हूं, बधाई देती हूं और सदन का भी आभार व्यक्त करती हूं कि उसने एक मन से आपका निर्वाचन किया है, बहुत-बहुत बधाई। मेरे बोलने के बीच में आप आ गये थे, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी। मैं मेरी ओर से बधाई देकर अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी (कुम्हेर)।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्षजी, आपके निर्विरोध निर्वाचन पर आपको बधाई अर्पित करते हुए अपनी बात प्रारम्भ करता हूं।

मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इस राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1995 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय। यह प्रस्ताव इसलिए रखा है, श्रीमन्, कोई तकनीकी प्रस्ताव नहीं है लेकिन वास्तव में इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करना बहुत ही आवश्यक है। वह यह है कि हम राजमार्गों को घोषित करने का, किस भूमि को, किस सड़क को, किस मार्ग को हम राजमार्ग घोषित करेंगे और राजमार्ग घोषित होने के साथ ही इसके जो दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं, श्रीमन्, उनका यदि आप मुलाहिजा करेंगे तो आपको उससे जानकारी यह मिलेगी कि यह राजस्थान की जनता के रहन-सहन में, उनकी सम्पत्ति की अवाप्ति के सम्बन्ध में, उन पर नये टैक्स लगाने के सम्बन्ध में, उनके मकानों को बनाने की मंजूरी देने के सम्बन्ध में, मकान किस हद तक बन सकेंगे, उनमें कितना परिवर्तन और कितना सुधार कर सकेंगे, राजस्थान पंचायतों के अधिकारों पर कितना अतिक्रमण करने जा रहे हैं या कितना आप इण्टरफियर करने जा रहे हैं इस एक्ट के माध्यम से, इस प्रकार की एक नहीं अनेक बातें हैं जो इस विधेयक के अन्दर समाहित हैं और जहां इस प्रकार की बातें किसी विधेयक के अन्दर रखी जाती हैं तो उस विधेयक के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय।

अब मैं आपका थोड़ा समय लेते हुए इसकी एक-एक मुख्य धाराओं की ओर ले जाना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप यह व्याख्या करने जा रहे हैं कि हम यह अधिकार लेने जा रहे हैं कि आप किसी भी भूमि को, किसी भी सड़क को, किसी भी मार्ग को राजमार्ग घोषित कर सकेंगे, उसके लिए आप भूमि अवाप्त कर सकेंगे और भूमि अवाप्ति के साथ-साथ राजमार्ग की सीमा निर्धारित करेंगे,

(श्री हरिसिंह)

भवन रेखा कितनी होगी यह निर्धारित करेंगे और भवन रेखा के बाद में उसके राजमार्ग की नियंत्रण रेखा कितनी होगी, यह निर्धारित करेंगे। यद्यपि इस एक्ट के अन्दर यह प्रावधान कहीं नहीं किया गया है कि भवन रेखा कितनी दूर होगी, सीमा से यह नियंत्रण रेखा कितनी दूर होगी, सीमा के सम्बन्ध में क्या नियम हैं, नियम कौन बनायेगा, यह भी इसके अन्दर नहीं है तथा भवन रेखा और नियंत्रण रेखा के बीच में आपने इसमें यह भी प्रावधान किया है कि कोई भी व्यक्ति के बने हुए मकान के अन्दर अपना सुधार नहीं कर सकेंगे। नया मकान भी नहीं बना सकेंगे। श्रीमन्, नया मकान बनाने की मंजूरी देने का अधिकार आज के कानून के हिसाब से किसी भी पंचायत में समिति है, किसी भी पंचायत संस्था के अन्दर समिति है, किसी भी म्युनिसिपैलिटी के अन्दर समिति है। आपका राजमार्ग जो निकलेगा, किसी पंचायत सीमा में तो होकर निकलेगा। ऐसा कोई स्थान राजस्थान में है नहीं जो म्यूनिसिपैलिटी की सीमा में नहीं हो या पंचायत की सीमा में नहीं हो। किसी न किसी लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन, किसी न किसी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अन्तर्गत होकर निकलेगा तो आज तक तो ये अधिकार थे, उन लोगों के लिए कि वे परमिशन देते थे किसी मकान को बनाने के लिए। अब आप राजमार्ग को घोषित करने के साथ-साथ में यह अधिकार स्वयं उस अथोरिटी को देना चाहते हैं, सरकार को नहीं बल्कि एक अथोरिटी को मुकर्रर करेंगे। जैसे आपके राजमार्ग प्राधिकारी के नाम से सम्बोधित करना चाहता हैं। इस एक्ट के अन्तर्गत उसको आप इन अधिकारों को देंगे। अब उन अधिकारों को आप असीमित रूप में देना चाहते हैं इसलिए आपको जनमत जानने के लिए यह विधेयक भेजना जरूरी है।

दूसरा, तर्क इसमें मेरा यह है कि आप भूमि अवाप्त भी करना चाहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की भूमि अवाप्त करना चाहता हैं तो उस भूमि अवाप्त करने के लिए एक तो सैंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट बना हुआ है। इसमें आप अपने इस प्रोविजन के अन्तर्गत या भूमि अवाप्त करेंगे तो भूमि अवाप्त करने का एक पार्ट एण्ड पार्शल आफ द एक्ट इसमें जब आप प्रावधान करने के लिए जा रहे हैं तो इस प्रकार की भूमि अवाप्ति का क्या नियम होना चाहिये, उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिये। वह प्रक्रिया आज की प्रक्रिया से कितना मेल खाती है कि नहीं खाती है। उसमें कितनी तरमीम करनी चाहिये। यह एक ऐसा विषय है जो जनता को जनमत जानने के लिए भेजना चाहिये आपको। हम लोग यहां पर एक बहुत ही जल्दी के रूप में इस विधेयक को पारित करने जा रहे हैं। इस विधान सभा के अन्दर इतने इम्पोर्टेंट असपेक्ट्स को लेकर आप विधेयक पास करना चाहते हैं। इस विषय पर भी आपको जनमत जानने के लिए इसको परिचारित करना चाहिए। इसके अलावा आप लेवी आफ बैटरमेंट चार्जेज के रूप में आप यहां किसी राजमार्ग को कोई किसी की भूमि पर कुछ संशोधन होगा, उसकी कुछ कीमत बढ़ने जा रही है। आपके हिसाब से तो आप उसका लेवी आफ बैटरमेंट चार्जेज करेंगे तो राजस्थान की जनता पर आप कोई लेवी लगाकर बैटरमेंट चार्जेज के रूप में लगाये और राजस्थान की जनता को आप पूछे नहीं इस बात के लिए। आप जनमत जानना नहीं चाहे इस बात के लिए, क्यों नहीं जानना

(श्री हरिसिंह)

चाहते ? क्या जल्दी है आपको इस प्रकार का कानून बनाने की ? आप एनक्रोचमेंट दूर करने वाली बात कहकर आना चाहते हैं। एनक्रोचमेंट दूर करने का तो जो अधिकार है आपके लिए, कई ऐसे एक्ट्स हैं। म्यूनिसिपैलिटी एक्ट का सैक्शन 203 है, उसमें किसी भी एनक्रोचमेंट को आप दूर कर सकते हैं तो इस प्रकार के कानून को आप जल्दी में पारित नहीं करें बल्कि उस पर जनता का मत जानें।

इसके अलावा आप मार्गों का वर्गीकरण करना चाहते हैं कि कितने प्रकार के राजमार्ग होंगे। उनका वर्गीकरण करना चाहते हैं तो मेरे कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि इस एक्ट के इतने इम्पार्टेन्ट विषयों के ऊपर आप एक कानून बनाने जा रहे हैं। जिसमें जनता की राय का लेना, जनता की राय नहीं, इसमें तो जो आपके एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अधिकारों पर जब आप एक प्रकार से इंटरफियरेंस करने जा रहे हैं, उनकी राय लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त यह जो कानून है, यह वेरी बेडली ड्राफ्टेड है। यह राजमार्ग विधेयक है। इसमें मैं समझता हूं, आजकल भाषा के साथ में तो, कम से कम हिन्दी भाषा पर तो बड़ा अनाचार और अत्याचार होता चला आ रहा है, श्रीमन्, और मैं बा-अदब अर्ज करूंगा कि कोई देखता भी नहीं कि इसमें किस प्रकार से हिन्दी की अंग्रेजी की जा रही है और अंग्रेजी की हिन्दी की जा रही है।

कल की बात का, मैं उदाहरण देना चाह रहा हूं। इसका ताल्लुक है, राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल हमारे सामने आया था और इसमें आप देखिये कि क्या अंग्रेजी की क्या हिन्दी हो रही है और क्या हिन्दी की क्या अंग्रेजी हो रही है। मैं बताऊंगा उसमें आपके लिए, कैसी हिन्दी को कैसी अंग्रेजी हो रखी है, कैसे अंग्रेजी को कैसी हिन्दी हो रखी है ? मैं बताऊंगा कि आपके लिए, इसमें सोसायटी एक्ट में था

The following societies may be registered under this Act, namely :–

Societies established for charitable purposes; ......"

अब इसकी हिन्दी क्या की है, इसमें आप देखिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस बिल की है या दूसरे बिल की की है ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं आपको बता रहा हूं। आज की भाषा के साथ में एक उदाहरण देता हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको (व्यवधान) हां, आपका भी उदाहरण आ जायेगा। अब आप इसको ध्यान से देख लिजिये चतुर्वेदी जी, कि हमारा जो लॉ डिपार्टमेंट है, जो हमारा ड्राफ्टिंग डिपार्टमेंट है, क्या वह सही रूप में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ? इसमें आप यह देखें। यह मैंने पढ़ा है अंग्रेजी में, एक बार फिर पढ़ देता हूं– "Societies established for charitably purposes;..."

अब इसकी हिन्दी क्या करते हैं ये कि "पूर्व प्रयोजनाओं के लिए स्थापित सोसायटियां।" बताइये अब आप कि क्या एटेब्लिशड फार चेरिटेबल परपजेज की हिन्दी यह होगी कि पूर्व प्रयोजनाओं के लिए स्थापित सोसायटियां ? अब आप इस एक्ट में भी देखें। मैं आपको शब्दावली की ओर ले जाना

(श्री हरिसिंह)

चाहता हूं। आप देखें कि आप हिन्दी के विद्वान चतुर्वेदी जी, मैं समझता हूं कि हिन्दी को आप बिल्कुल ही अलग रखना चाहते हैं। आपने कितनी जल्दी में यह एक्ट बनाया है। आप देखिये। पहले आप इसमें पढ़िये। इसके एक्ट के पेज (6) पर पढ़ें। "यदि, आक्षेपों या सुझावों की फाइल करने या उनकी सुनवाई के लिए उप-धारा (2) द्वारा अनुज्ञात समय की समाप्ति के पूर्व ...." सुझावों को फाइल करेंगे, फाइल क्या हिन्दी शब्द है ? यह **शब्द है** फाइल करनी, सुझावों को प्रस्तुत करने के लिए, सुझावों को उर्दु में पेश करने के लिए तो आप इसको फाइल करने के लिए यानी हिन्दी के साथ में एक प्रकार से बलात्कार हो रहा है ....(व्यवधान) हां, मैं आपसे सही निवेदन करना चाहता हूं कि

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी विधायी समिति है जो यही कार्य करती है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : और इमसें कई जगह आपको मिलेगा। अंग्रेजी का एक शब्द है "शेयर"। उसकी हिन्दी हो सकती है। हिस्सा हो सकता है, भाग हो सकता है, अंश हो सकता है, कोई शब्द आ सकता है उसमें शेयर का शेयर लिख रहे हैं आप। मैं आपको जब खण्डवार संशोधन होंगे, मैं समझता हूं कि आप मंजूर थोड़े ही करेंगे। जब खण्डशः विचार होगा तब मैं आपको एक-एक शब्द पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बहुत ही जल्दी में।

Very poorly and badly drafted this Act. इसका हिन्दुरतानी कर दिया। हिन्दुस्तानी, आपने याद दिला दी कि बल्कि वह बात आने लग गयी है। हम अब अपने स्कूल में पढ़ते थे तब एक प्रार्थना बोला करते थे। अंग्रेजों का राज था उस समय। उस समय बहुत चला था यह। हिन्दी हो कि उर्दू हो, फिर एक निकला हिन्दुस्तानी हो। अब हिन्दी की प्रार्थना का एक नमूना पेश करना चाहता हूं आपकी। उस समय था "ए सर्वशक्तिवान कादरे मुतलक" अब देखिये हिन्दी की हिन्दुरतानी कैसे की गयी है "एक सर्वशक्तिमान कादरे मुतलक तालीम के मन्दिर का ये प्राच आज हमको मुबारक फरमायें" हिन्दी और अंग्रेजी सब मिला करके एक भाषा होती है। हिन्दुस्तानी यह भाषा अब **प्रयोग होती है इस एक्ट के अन्दर।** हमारी राजस्थान विधान सभा के अन्दर जो पास हो रहे हैं बिल। अंग्रेजी में तो ड्राफ्ट होते हैं पहले और फिर उनकी हिन्दी की जाती है

श्री परसराम मदेरणा : आपका मतलब है, फाइल की जगह प्रस्तुति हो सकता है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हां, होना चाहिये। क्यों नहीं हो सकता ?

श्री परसराम मदेरणा : उसमें हिन्दुस्तानी हो तो हो सकता है "दाखिल"।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : तो मैं यह कह रहा था कि This Act has been formerly drafted .....

यह सर्वप्रथम एक्ट अंग्रेजी में बनाया गया; फिर उसकी हिन्दी की गयी। जहां अंग्रेजी का शब्द कोई नहीं मिला तो अंग्रेजी में ही लिख दिया। जैसे फाइल लिखा गया। अब अगर ये हिन्दी में पहले ड्राफ्ट होता तो, उसका एक नमूना मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों पहले अंग्रेजी में बनाया गया होगा ? उसका मैं आपको सबूत दे रहा हूं। आप इसका सेक्शन (2) देखिये। परिभाषा जिसमें लिखी गयी है। नम्बर दो है परिभाषाएं। अब किसी

(श्री हरिसिंह)

भी कानून का यह एक सैट तरीका है, मेरे पास लॉ आफ लेजिस्लेशन भी है। इसके अन्दर यह तरीका है, अब आप डेफिनेशन को लिखने बैठेंगे, परिभाषा को लिखने बैठेंगे। अंग्रेजी में आप लिखेंगे ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी. के आधार पर इसमें लिखा भी है। अंग्रेजी का आप एक्ट मुलाहिजा करें मंत्री महोदय, अंग्रेजी में [illegible]शन की गयी है, इसमें शुरुआत [illegible] "बिल्डिंग", "बिल्डिंग लाइन", "कलक्टर", "कंट्रोल लाइन" अंग्रेजी में बनाना, बिल्कुल ठीक है। ए.बी.सी. से आप करिये, अब इसका यों का यों उन्होंने हिन्दी में ट्रांसक्रिप्शन किया तो बजाय इसके कि हिन्दी की वर्णमाला के हिसाब से आपको परिभाषा लिखना लाजिमी है, आवश्यक है कि आप हिन्दी वर्णमाला के हिसाब से इन परिभाषाओं को आप री-अरेंज करेंगे लेकिन आपने वही अंग्रेजी की हिन्दी कर दी। बिल्डिंग का आपने भवन कर दिया, बिल्डिंग लाइन का आपने भवन रेखा कर दिया और फिर कलक्टर और नियंत्रण रेखा, न्यायालय

श्री परसराम मदेरणा : प्रभारी मंत्रीजी, आपकी समझ में आ रही है न बात।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां, समझ में आ रही है। इन सबका जवाब दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं नहीं, वह तो ठीक बात है लेकिन।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह देखिये, क, ख, ग, घ है। देखिये इसका नोमिनक्लेचर।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं नहीं, क, ख, ग, घ कोरा या जो यहां पर 'क' होने से नहीं है। परिभाषा जो है, वह एल्फाबेटिकल आर्डर में अंग्रेजी में है। 'ए' में तो कोई थी नहीं। 'बी' भवन से शुरू हो गया बिल्डिंग। इधर आते ही आपने 'क' तो लगा दिया लेकिन उसके बाद में भवन को यहां पर ले आये। आपको यह पता होना चाहिये कि इसमें अथोन्टिक और अथोरिटेटिव वर्सन कौन-सा है ?

श्री रामनारायण चौधरी : अंग्रेजी वाला।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हिन्दी का है।

श्री परसराम मदेरणा : 1959 के बाद में हिन्दी है। इसको तो ट्रांसलेशन कर दी है 'क' की जगह 'ए', 'बी' लगा करके।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी तक मानसिक स्थिति बदली नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : वह थोड़ा बदलो। बदलो आप। बदलो।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : चतुर्वेदी जी, स्थिति बदल देनी होगी। आपने यहां क के आगे लिखना चाहिये था अभियोगी। 'अ' से शुरू करते आप अभियोगी। परिभाषा लिखते यहां आप। आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं है, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं चतुर्वेदी कि इस बिल के लिए आप या तो जनमत जानने के लिए भेज दो या फिर प्रवर समिति को भेज दो जिससे कि.......

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिए क, ख, ग, घ तो कर दिया

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इसको तसल्ली के साथ में देखा जा सके, कहां क्या कानून है। यों तो आपके पास अधिकार है, अभी आप हां, ना कर देंगे और यह पास हो जायेगा। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस पद पर सर्वसम्मति से आपके निर्वाचन पर आपको हार्दिक बधाई देता हूं। सही मायने में आपका निर्विरोध निर्वाचन नहीं हुआ है, आपका सर्वसम्मत निर्वाचन हो रहा है। हर माननीय सदस्य की आंतरिक राय यह थी आने से पहले कि आप इस पद पर आयें तो सब से उपयुक्त और सबको आनन्द देने वाला होगा और वह हो आप। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे को हमने उपाध्यक्ष के रूप में पाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है। इसके पीछे भावना सही है जो कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यक्त की है। इस कानून की आवश्यकता थी, बहुत पहले आवश्यकता थी और आज माननीय मंत्री महोदय लाये हैं इसका हम स्वागत करते हैं। एक अच्छा कदम है और कानून आपने ड्राफ्ट किया है वह भी अच्छा है लेकिन इसमें बहुत-सी ऐसी बातें हैं कि उससे बड़ी कठिनाई होगी। किसी न किसी स्तर के ऊपर कानून बनाने से पहले अच्छी तरह से विचार हो जाना चाहिये था चाहे तो जनमत के जरिये कर लें, चाहे सलेक्ट कमेटी के जरिये कर लें, यह हो जाना चाहिये था, ताकि उसमें कोई कठिनाई नहीं होती। इसमें आप जो राजपथ डिक्लेयरेशन करने जा रहे हैं उसमें स्टेट हाइवे, स्पेशल, स्टेट हाइवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड हैं। अब विलेज रोड तक आप ले रहे हैं, अच्छा है, लें। लेकिन विलेज रोड तो आज समझौते के द्वारा भी एक गांव से दूसरे गांव के अन्दर गयी है। समझौते से, लोगों के समझाने-बुझाने से। अब यह कानून आ जायेगा उसके बाद में कई तरह के काम्प्लीकेशंस उसमें होंगे। आप इस कानून को एनफोर्स करेंगे, एनफोर्स करेंगे तो गांव वालों को बड़ी भारी तकलीफ होगी। इस तरह से मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, यह तो ठीक है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड– अदर डिस्ट्रिक्ट रोड भी कोई बड़ी रोड नहीं है इसमें भी बहुत तकलीफ होगी और विलेज रोड में तो बहुत ही तकलीफ होगी। मण्डी समिति ने समझौते से बनायी है और आपके विभाग द्वारा पंचायत हैडक्वार्टर को जोड़ा गया है, वह आप ही की सड़कें हैं। लेकिन जब यह कानून आ जायेगा तो स्टेट रोड्स में आ जायेंगे और उसमें बड़ी कठिनाइयां पैदा होंगी। इसमें व्यवस्था की है कि एग्रीव्ड पार्टी, आपके किसी सक्षम अधिकारी के खिलाफ जो एग्रीव्ड पार्टी होगी, दुःखी होगी, वह अपील में जायेगी। अपील में जायेगी तो आपने अपील को प्रयोजन रखा है। सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर। अब झुन्झुनूं का सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर जयपुर है, अब उस छोटी-सी बात के लिए विलेज रोड से एग्रीव्ड पार्टी का कोई व्यक्ति है, वह वहां के किसी अधिकारी के खिलाफ जो इसमें डिटरमीन करेगा, एस.ई. के पास दौड़ कर आये। ऐसे छोटे-छोटे मामलों को वहां भी निपटाया जा सकता था। अब जिला कलक्टर है, जिला कलक्टर बड़े-बड़े मामलों को निपटाता

(श्री रामनारायण चौधरी)

है। अपने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को इसमें फांस दिया। कहां सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर मिलेगा। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तो सड़कों पर रहते है, कोई दफ्तरों में मिलते हैं क्या और दफ्तरों में बैठेगें तो क्या खायेंगे। वह तो जितना घूमेंगे उतना ही फायदा होगा। तो जो आदमी अबेलेबल है उसके पास जाये। अब झुन्झुनूं से चल कर कोई आये, झुन्झुनूं इंटीरियर, मेहरादासी से चलकर एक आदमी आये, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर का दफ्तर नहीं मिलेगा, दफ्तर मिल जायेगा तो वह नहीं मिलेगा। आया, गया, वकील पैसे खा गया। वकील का मेहनताना लग गया। तो ऐसी चीजों को बहुत गहराई से देखने की जरूरत है कि एग्रीव्ड आर्डर के खिलाफ सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर के पास गया जाय या स्थानीय स्तर के ऊपर ही जिला कलक्टर को भी आप अथोराइज कर सकते हैं कि नहीं, वह सब बातें आप किसी लेबल के ऊपर विचार-विमर्श करेंगे तो आ जायेगी।

आप जो कानून लाये हैं वह स्वागत योग्य है, बुनियादी तौर पर हम इसका समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन कठिनाइयों की तरफ आपका ध्यान दिला दूं। अब आप देखिये, आपकी सरकारी रोड्स हैं, इस कानून के आने के बाद में कितना फायदा पड़ेगा, यह तो देखने की बात है कि लेकिन इतना बड़ा एनक्रोचमेंट है, सड़कों के ऊपर लोगों ने कब्जे कर लिये, कब्जा करके ही संतोष नहीं हुआ, कब्जा करते ही जा रहे हैं। यहां से हम जाते हैं झुन्झुनूं तो हम देखते हैं कि कई लोगों ने कब्जे कर रखें हैं, अपनी दुकानें बना रखी हैं, पत्थर डाल रखे हैं, पत्थरों के बाड़े बना रखे हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, उसका एक लड़का मरा, दूसरा मरणासन्न हुआ, जो खुद ओनर था वह भी सीरियसली इन्जर्ड हुआ, उसके बाद में भी हम देखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाय लेकिन मजाल है कि उस स्टेट हाइवे की जमीन को उसने खाली किया हो। खाली नहीं किया है। मैं शिवनाथ सिंह जी को कह रहा हूं कि देखिये, इस आदमी के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है, इसका बेटा मर गया, खुद मरणासन्न हो गया, दूसरा बेटा बाल-बाल बचा, फिर भी शेर का बेटा ऐसा है कि इस सड़क को दबा रखा है, इसको खाली नहीं किया है। तो यह ऐसा कानून आयेगा तो हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन इससे पहले आप कुछ ऐसा करिये ताकि इस पर विचार-विमर्श हो जाय।

आपने इसमें जिला कलक्टर को भी काफी जगह इन्वोल्वड किया है और आपके अधिकारियों को भी किया है। इसमें एक ही जिले का करिये, यह इतना बड़ा मामला नहीं है कि आप इनको जयपुर तक लाओ। डिसेंट्रलाइज करके आप ग्राम पंचायतों को इतने अधिकार दे रहे हैं और आप अपने अधिकार जयपुर में ला रहे हैं तो कृपया इस पर सोचिये। यही कहना था। किसी स्तर पर आप विचार-विमर्श करेंगे तो हम अधिक देख सकेंगे। मेरी मंशा यही थी कि इस पर बहुत सोच-समझ कर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है ताकि आगे कोई कठिनाई नहीं हो, जल्दी के अन्दर यह कानून पास नहीं हो। कानून तो पास होगा ही। यह इस दृष्टि से मैंने सुझाव दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्षजी, सर्वप्रथम तो आपके सर्व सम्मति से उपाध्यक्ष पद पर विराजमान होने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अलवर के लिए बहुत गर्व का विषय है।

श्री जुबेर खान : हमारे लिए तो खास तौर से गर्व का विषय है और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप दोनों तरफ देखते रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक तरफ ही देखेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह सिर्फ आपकी तरफ ही देखेंगे।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1995 पर मैंने यह प्रस्ताव दिया है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय। सैद्धांतिक रूप से तो मैं इस बात से सहमत हूं कि चाहे देर से ही लेकर आयीं लेकिन सरकार राजस्थान राजमार्ग विधेयक लेकर आयी। जब हम सड़कों पर आते-जाते हैं तो देखेंगे कि जिस तरह से अतिक्रमण होते जा रहे हैं, अगर जयपुर से दिल्ली ही जायें तो कुछ कस्बों की स्थिति तो यह है कि अगर बाई–पास भी बनाना चाहें तो मेरे ख्याल से आपके करोड़ों रुपये खर्च होंगे और हाईवेज की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। अचरोल ले लीजिये, चंदवाजी ले लीजिये, शाहपुरा ले लीजिये, किस तरह से अतिक्रमण हो रहे हैं और पावटा एवं कोटपूतली की तो हालत और खराब है। तो इस तरह का विधेयक आना अत्यन्त आवश्यक था। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि एक तो इसके खण्ड चार में कहा गया :–

"Appointment of Highway authorities.–The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint for the purpose of this Act or any of its provisions, any person or any authority to be a Highway Authority...

मैं यह पूछना चाहूंगा कि अगर इसमें हवाला दे देते, तो क्या मंत्रीजी इनके चुनाव क्षेत्र में जो इनके इलेक्शन एजेंट रहे हैं उनको बना देंगे कि कोई भी आदमी बन जायेगा। इसमें सरकार की क्या मंशा है, क्या लोकल एक्स. ई.एन. को बनाना चाहेंगे या अलग से इसका रिक्रूटमेंट करके बनाना चाहेंगे, सरकार की मंशा साफ होनी चाहिये थी क्योंकि इसके मार्फत तो ऐसे अधिकार ले रहे हैं कि :–

"Any person may be appointed." तो कोई भी ऐसे आदमी को अपाइंट कर दें जिसको हाइवे की कोई जानकारी न हो, सड़कों की कोई जानकारी न हो। एक बात तो यह कहना चाहूंगा।

दूसरा मेरा निवेदन है कि इस बिल के आने के बाद क्या स्थिति बनेगी, कई जगह स्थिति यह बनेगी, हाइवे अथोरिटी और लोकल बाडीज हैं चाहे सरपंच हो, चाहे नगरपालिका का चेयरमैन हो या चाहे कहीं-कहीं तहसीलदार भी हो, यह विरोधाभास होने का अंदेशा है क्योंकि तहसीलदार ने तो कहीं परमिशन दे दी कि आप यहां बना सकते हैं छोटी सड़कों पर, इनकी अथोरिटी कहेगी कि हमारे प्रोविजन के मुताबिक यहां नहीं बना सकते। यह लोग रोकेंगे, वह कोर्ट में जाकर स्टे भी ला सकता है। तो मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि

(श्री जुबेर खान)

यह जो एक विरोधाभास है या कंफिलक्ट की स्थिति आ सकती है ? कहीं-कहीं की नगरपालिका ने तो सेंक्शन दे रखी है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे ? इसमें यह भी कोई क्लीयर नहीं किया, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो आलरेडी एनक्रोचमेंट हुए पड़े हैं उनको किस आधार पर हटायेंगे ? खूबसूरत मकान बने हुए हैं, आप भी आते-जाते हैं सड़कों पर देखते होंगे, खूब अच्छे-अच्छे मार्केट बने हुए हैं और कहीं-कहीं तो धार्मिक स्थल भी बने हुए हैं। मैं यह नहीं समझ पाया हूं जो कि आलरेड़ी एनक्रोचमेंट हुआ पड़ा है उसको सरकार कैसे दूर करेगी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह तो है इसमें।

श्री जुबेर खान : आप समझा दीजिये, क्योंकि आप किस तरह से उनका मुआवजा निर्धारित करेंगे, किस तरह से हटायेंगे ?

एक मेरा यह कहना था, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो आपने बाउण्ड्री लाइन का यह किया है कि बाउण्ड्री लाइन का एरिया आप छोड़ेंगे। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है मंत्री महोदय, कि आप इसको अभी मत सोचिये। जब यह नेशनल हाई–वे बने थे या स्टेट हाई–वे बने थे तो कभी नहीं कल्पना की थी कि इनका इतना सेचुरेशन पाइंट आयेगा कि 5–5 किलोमीटर साइड देने के लिए जगह नहीं मिलेगी आप इनको दूरदृष्टि से रखिये चाहे आपको भी सौ मीटर ज्यादा दूर बढ़ाकर रखना पड़े क्योंकि आगे के बारे में सोचिये। विधेयक के आने के बाद में एक बार किसी ने मकान या दुकान बना ली तो आगे 20–25 साल के बाद आपको यह परेशानी होगी कि उनको किस तरह से हटाएं, क्योंकि प्रथम बार इस तरह का आप विधेयक यहां लेकर आये हैं इस सदन में और इस प्रान्त के लिए तो आप इतनी व्यवस्था रखिये कि कभी-कभी रास्ते में यह होता है कि ट्रक एक साइड में खड़ा हो गया तो साइड नहीं मिलती क्योंकि अगर ढ़ाबे शुरू हो जाते हैं, पार्किंग शुरू हो जाती है तो आप ऐसा प्रावधान रखें एकार्डिंग टू हाई–वे क्योंकि नेशनल हाई–वे तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अण्डर में आते हैं लेकिन यह तो आप प्रावधान कर सकते हैं कि हम कंन्स्ट्रक्शन या तामीर की इजाजत कितने सौ मीटर की दूरी पर देंगे या कितनी दूरी पर देंगे। क्या होता है कि लोग अपनी जो उनकी व्यक्तिगत लैण्ड होती है वहां दुकान का दरवाजा निकाल लेते हैं और जितनी भी सड़क की पार्किंग की जगह है, जो बाऊण्ड्री लाइन है उसी में खाट बिछी रहेंगी, उसी में उसका यूज होता है तो उसको हम रोक नहीं पाते हैं।

मेरा आपसे इस मौके पर यह भी निवेदन है कि आप इसकी भी व्यवस्था करें कि आगे आने वाले समय के लिए खास तौर से जैसे नये हाई–वेज बन रहे हैं, अभी भिवाड़ी से अलवर होता करौली की तरफ बन रहा है, उसमें तो आप पूरा प्रावधान लेकर बना रहे हैं लेकिन आगे आने वाले समय में जैसे ही सड़क बनती है, लोग दुकानें, वर्कशॉप खोलना शुरू कर देते हैं और जहां क्रांसिग होता है वहां तो एकदम बाजार के बाजार बनते जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में भी आप कोई न कोई व्यवस्था करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि स्पीड ब्रेकर्स की आप लोगों की कोई नीति है

(श्री जुबेर खान)

या नहीं है। जहां मर्जी आये एक्स. ईएन: ए. ईएन. वहां स्पीड ब्रेकर लगा देंगे। सुबह आये हैं जयपुर के लिए तो कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, शाम को गये तो पता नहीं एकदम से लगा, न तो वहां कोई निशान है, न कोई साइन है। इसके लिए आप पाबन्द करिये आपके जे. ईएन., ए.ईएन. को कि क्या नीति आपकी स्पीड ब्रेकर की होगी ? अगर बनाते हैं तो पी. डब्ल्यू.डी. के मार्फत बनें। लोग जहां गांव में होते हैं अपने आप बना लेते हैं, जहां बस अड्डा होता है और गांव दूर है तो जंगल में भी बना लेते हैं। इससे भारी कठिनाई आती है, आवागमन में तकलीफ होती है और कभी-कभी तो इतने ज्यादा ऊंचे बन जाते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि गाड़ियों में भी नुक्सान हो जाता है तो आप यह जो बिल लेकर आये हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे ओवरलेपिंग हैं, इन्टरकनेक्टेड हैं विद् अदर एजेंसी इसलिए मेरा यह कहना है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ स्पीकर्स से ऐसा लग रहा था मुझे क्योंकि आपको बधाई तो हमारे नेताओं ने दे दी। अब वापस बधाइयों का दौर चल रहा है पर जो बोलेंगे, आप यह मत समझ लेना कि हमारी तरफ से बधाई नहीं है। हम तो नेताओं के पीछे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेता महोदय ने बधाई दे दी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप गलतफहमी में मत रहना।

श्री उपाध्यक्ष : नही, मैं गलतफहमी में नहीं रहता हूं। श्री रामानारायण मीणा (अनुपस्थित)। श्री विष्णु मोदी (अनुपस्थित)।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो आपको बधाई दे दूं, माननीय मंत्रीजी को भी बधाई कि आप यह विधेयक लाये। इसमें हालांकि आपने काफी कुछ कवर करने की कोशिश की है पर बहुत-सी चीजें हैं जो रूल्स में आनी चाहिये थीं वह भी आप इस एक्ट में ले आये ताकि आप इतने बंध गये हैं कि आपकी रूल्स मेकिंग पावर बहुत ही समिति हो गयी है फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप पता नहीं रूल्स में ला पायेंगे या नहीं ला पायेंगे। उनको मैं यहां बताना चाहता हूं।

आज कई हाई-वेज पर पधारे हैं तो कुछ धार्मिक स्ट्रक्चर्स बन गये हैं, कहीं कुछ मजारें बन गयी हैं, कहीं हनुमानजी की स्थापना हो गयी है, उनकी बाबत क्या विचार करेंगे ? क्या उस अवरोध को कायम रखने का ही रखेंगे या उन्हें हटाने बाबत कोई कार्यवाही भी होगी ? इसके बाबत इस एक्ट में कहीं कोई चीज क्लीयर नहीं है। कब से बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, उनकी हिस्टोरिकल स्थिति क्या है ? इसके बारे में यह एक्ट कोई बिल्कुल क्लीयर नहीं हुआ।

माननीय श्री जुबेर खान जी ने कहा स्पीड ब्रेकर की एक भारी समस्या है। जहां कहीं एक्सीडेंट हुआ, पब्लिक इक्ट्ठी हो जाती

(श्री माधवसिंह दीवान)

है और वहां के एक्स. ई.एन., ए.ई.एन. या वहां के एस.डी.ओ. रातोंरात स्ट्रक्चर बनवा देते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कहीं तो 6 इंच ऊंचा, कहीं 8 इंच ऊंचा। कितने ही एक्सीडेंट हो जाते हैं और कितने ही डीजल और पेट्रोल का नुक्सान होता है उसका तो कोई पार ही नहीं। स्पीड ब्रेकर के बारे में भी आप क्या रूल्स बनाएंगे, रूल्स मेकिंग पावर में भी कोई स्पष्ट नहीं है कि आप वह किसके तहत यह चीज करेंगे।

उसी तरह से रेलवे क्रॉसिंग के बारे में कहीं पर तो 90 डिग्री पर रेलवे क्रॉसिंग करायी जाती है, कहीं पर 45 डिग्री पर और कहीं चढ़ाई में करा दी जाती है। उसके बाबत कितनी चौड़ाई रखेंगे। ट्रकें आपस में ऐसी फंस जाती हैं कई बार रेलवे क्रॉसिंग करते हुए भी आधा आधा घन्टे तक ट्रेफिक जाम, रेलवे फाटक खुलने के बाद भी रहता है। बिजली की लाइन जब क्रॉस करती है रोड को तो इतनी समस्या होती है कि जब लाइन क्रॉस कर रही होती है तो ट्रेफिक जाम कराते नहीं हैं, कहीं तार खींचे हुए होते हैं, कोई आदमी ट्रेफिक रोकता है, कहीं पर कितना हाइट किस तार का दिया जायेगा, नीचे वह जो वायरनेटिंग होती है सेफ्टी के लिए, किस ट्रक में की कितनी हाइट होगी। इसके बारे में भी कहीं कोई आज तक स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। जब आप पूरा एक्ट लाये हैं तो इसके बाबत में कोई चीज और क्लीयर करें। उसी प्रकार, ओवरब्रिज और अण्डरब्रिज रेलवे लाइन के लिए, अण्डरब्रिज जहां बनता है उसके बाबत एक-दो खम्भे खड़े करके एक रेलवे की पटरी लगा दी जाती है, कितनी हाइट है, कितनी हाइट नहीं है, कौन-सा ट्रक पास कर पाएगा, कौन-सा नहीं कर पाएगा, कौन से ट्रक का एक्सिल वेट ओवरब्रिज के ऊपर से जाने को अलाउड है, कितना हैवी ट्रक जाएगा। इसकी बाबत भी और फिर आते हैं आपके नाके, चुंगी नाका लग जाता है कहीं आपके सैल्स टैक्स का नाका लग जाता है, कहीं आपके पुलिस वाले जब चैकिंग करते हैं नाका लग जाता है तो स्पीड में आ रहा होता है उसको पता ही नहीं होता है आगे नाका लगा हुआ है, न उस पर कहीं कोई सेल्फ रिफ्लेक्टिंग लाइट होती है, कई बार तो टक्कर लगकर पूरा पोल टूट जाता है। कई बार ऐसा जबरदस्त मोड़ पर ड्रम खड़ा करके लगा दिये जाते हैं तो जब आप राजमार्ग की सुविधाओं को कर ही रहे हैं। इसकी बाबत भी कोई चीज स्पष्ट करेंगे। विदेशों में आपने देखा होगा, अब यहां भी कोशिश हो रही है कि हर किलोमीटर पर टेलिफोन बूथ लगे ताकि जहां कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, कोई गाड़ी खराब हो गयी हो तो नियरेस्ट टेलीफोन बूथ से उनका सम्पर्क किया जा सके। कितने बूथ कितनी दूरी पर लगेंगे, उसका क्या इण्डिकेशन होगा इसके बाबत भी अगर कोई स्पष्ट बात करें तो ठीक रहेगा। जो मकान सड़क के साइड में बनते हैं उनकी कुर्सी इतनी ऊंची ले ली जाती है कि उनकी एप्रोच करने के लिए वह 6, 7, 8, 10 फीड सड़क के अन्दर ढलान-सा चढ़ा देते हैं। अब उसको आप एनक्रोचमेंट मानेंगे या नहीं मानेंगे कि सड़क के ऊपर एक मकान की चढ़ाई के लिए 10 फीट उन्होंने घेर लिया और उसको चार फीट की चढ़ाई अपनी मोटर साइकिल चढ़ाने के लिए या गाड़ी चढ़ाने के लिए, वह जो सड़क के ऊपर चढ़ाई है उसको आप कौन-सी परिभाषा में लेंगे ? इसके बाबत भी

(श्री माधवसिंह दीवान)

थोड़ा स्पष्ट करने का कष्ट करें। मेरा एक साथी है उसने एक बार मेरे से कहा कि, साहब, अगर मेरे को अजमेर से लेकर जयपुर तक की रोड एडवरटाइजमेंट के लिए दे दी जाय तो मैं सारी सड़क का मेंटीनेंस फ्री आफ कास्ट करने को तैयार हूं। इतना इस एडवरटाइजमेंट बोर्ड का पैसा आगे आने वाले समय में मिलेगा। किस-किस व्यक्ति को आप कहां-कहां एडवरटाइज करने का अलाउ करेंगे, कहां-कहां, कितने-कितने एरिया में कौन कर पायेगा, कहां बोर्ड लगायेंगे, किस प्रकार आप कौन-सी रेट से करेंगे ? इसके सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट बात आप कराने का कष्ट करेंगे।

जो पेड़ सड़क की बाउण्ड्री में लगे हुए हैं उनका धनी-धोरी आज कोई नहीं है। फोरेस्ट डिपार्टमेंट लगा जाता है, बकरियों वाले उसको मरजी आये जब छांग लेते हैं और बकरियों को खिला देते हैं, कई पास-पड़ौस में रहने वाले झुग्गी-झौपड़ी वाले उसकी छाल निकालना शुरू कर देते हैं, रात में काट लेते हैं, कुछ छाल निकाल देते हैं ताकि वह सूख जाय। जो पेड़ सड़क की बाउंण्ड्री में लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा, उनकी हिफाजत कौन करेगा, उनकी मेंटीनेंस कौन करेगा और काटने वाले के खिलाफ पुलिस में एफ.आई. आर. दर्ज कौन करायेगा ? इसके बाबत भी कुछ चीजें स्पष्ट करना जरूरी है।

जब पाइप लाइन डाली जाती है या टेलीफोन लाइन डाली जाती है तो सड़कों को खोद करके उसमें से निकाल देते हैं। एक बार सड़क खुदी और फिर वह गयी सालों तक। जो पाइप लाइन डाली गयी, कहीं उसके पैसे म्युनिसिपैलिटी ने जमा करा दिये, कहीं पी.डबल्यू.डी. ने जमा कर दिये। जहां पाइप लाइन गयी है, वहां एक तरह से स्पीड ब्रेकर जैसा खड्डा सालों-सालों तक कर दिया जाता है। कौन परमिशन देगा, क्या चार्जेज होंगे और इस बाबत कौन क्लीयर करेगा।

एक यह कचरा डालने की परम्परा है। अपने यहां सड़कें कचरे के ड्रम बन गयी हैं। म्यूनिसिपैलिटी भी अपना कचरा लाकर सड़कों पर गिरा देती है और आम घरवालें तो कचरा डालना अपना कर्तव्य मानते हैं कि कचरा डालने की जगह सड़क होती है। कचरा डालकर के भी एक तरह से एन्क्रोचमेंट करने का प्रयास किया जाता है। सुन्दरता तो समाप्त होती ही है, परन्तु गंदगी भी होती है और एक्सीडेण्ट होने के खतरे भी बढ़ जाते हैं। राजमार्ग पर आप पूरा विचार करने जा रहे हैं तो सड़क पर कचरा नहीं डालें, इस सम्बन्ध में भी हो। माननीय श्री रामनारायणजी ने कहा कोई अपने पत्थर डाल देता है या कोई छाणे डाल देते हैं, कोई बजरी डाल जाता है और वह बरसों-बरसों तक पड़ी रहती है, सारी असुविधा करने के हिसाब से। इसी तरह से जो मकान साइड में बनेंगे, वे अपना गंदा पानी, नाली का पानी सड़क पर छोड़ देते हैं। पानी सड़कों पर आता है और सड़क तोड़ता है। जब प्रोविजन करने जा रहे हैं तो गंदा पानी किस एरिये तक आयेगा, नालियां कौन बनायेगा, साइड में ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान कौन रखेगा, इस बाबत की अगर स्पष्ट करें तो इसमें काफी चीजें आ जाएंगी। समय आ रहा है जब आपको सड़कें भी लोगों को लीज पर देनी पड़ सकती हैं प्राइवेट कम्पनीज सड़कें बनायेंगी, उसके अन्दर भी क्या प्रोविजन

(श्री माधवसिंह दीवान)

होगा। जब प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है तो प्राइवेट कम्पनीज जो सड़कें बनायेंगी उनके बाबत क्या विचार करेंगे ? आशा है, ऐसी सारी चीजें जो इसमें नहीं आयी हैं, अच्छा होता अगर इसमें और समय दिया जाता, और भी विचार हो सकता है मगर मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्रीजी ने इसके बाबत पूरा विचार किया होगा।

कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं और मरे हुए जानवर बीच में पड़े रहते हैं। उन मरे हुए जानवरों को कौन हटायेगा ? कोई प्रोविजन नहीं है। उस मरे हुए जानवर को बचाने में कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। चील और गिद्ध ही उठाते हैं। ट्रक उसके ऊपर चलने से उस मरे हुए जानवर की पिलाई होती रहती है। मरे हुए जानवर को हटाने का कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। कौन उसका जिम्मेदार है, मरा हुआ पड़ा ही रहेगा और एक्सीडेंट करवाता रहेगा। आशा है आप इसके बाबत कोई विचार करके जवाब देंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह (अनुपस्थित)। श्री ओम प्रकाश शर्मा (अनुपस्थित)। श्री शिवनाथ सिंह।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, राजमार्ग के सम्बन्ध में यह विधेयक हमारे सामने आया है। एक स्वागत योग्य कदम है। इनकी बहुत उपेक्षा अब तक होती आ रही है। हो सकता है इससे इस विधेयक के प्रावधान लागू हो जायेंगे तो कुछ सुधार होगा। इस विधेयक में राजमार्गों के सम्बन्ध में दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो अभी रखा गया कि एन्क्रोचमेंट नहीं हो, दूसरी बातें, कोई पत्थर नहीं डाले, ये सब बातें एक तरफ है। दूसरा पक्ष है कि राजमार्गों का सुधार कैसे हो। इस बिल में दूसरा पक्ष तो रखा गया है लेकिन राजमार्गों के सम्बन्ध में अपनी क्या नीति है। स्टेट-हाइवे, डिस्ट्रिक्ट हाइवे, विलेज हाइवे तक अपन चले गये हैं लेकिन आपके इस बिल में हमको कोई भी नीति स्पष्ट नहीं दिखायी दी। अब तक आपके कुछ कानून थे, रूल्स थे, विलेज रोड की चौड़ाई इतनी होगी, डिस्ट्रिक्ट रोड की चौड़ाई इतनी होगी। लेकिन जब एक एक्ट बन गया उसके बाद में आपके सब प्रावधान तो खतम हो गये। तो हमको इस बात के लिये सोचना पड़ेगा कि इनके इम्प्रेवमेंट के लिये, इनको बनाने के लिए कितनी दूर तक ही जमीन लेंगे, उसके बाद में कितनी दूरी तक हम लाइन रखेंगे। यदि माननीय मंत्रीजी आवश्यक समझें, इस बात का प्रावधान इसमें होना चाहिये था। आपने नहीं रखा, अनजाने में नहीं रखा या जानबूझकर नहीं रखा। यह जानबूझकर नहीं रखा तो हमें समझाएंगे कि उनकी यहां रखने की आवश्यकता नहीं थी और यदि अनजाने में नहीं रखा गया तो मेरे ख्याल से इसमें सुधार की आवश्यता है। इसी बात को लेकर मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए।

उपाध्यक्षजी, कुछ लेजिस्लेशन ऐसे होते हैं जिनको तुरन्त पास करना जरूरी होता है। उसमें भी हम संशोधन रखते हैं लेकिन इस आशा से रखते हैं कि बोलने के लिये बोल

(श्री शिवनाथ सिंह)

लेंगे और संशोधन या विधेयक पास होगा। लेकिन यह ऐसा विधेयक है जो आगे आने वाले कई सालों के लिए हमारे प्रदेश की सड़कों के सम्बन्ध में प्रभावी रहेगा। आवश्यकता इस बात की नहीं है कि आज ही सदन इसको पास करे। इस पर सोचा जा सकता है। माननीय सदस्यों ने कई सुझाव दिये हैं और भी सुझाव आ सकते हैं इसलिये अगर मंत्रीजी को कोई जिद नहीं हो और इसमें और भी सुधार करने की आवश्यकता आप समझें तो एक प्रवर समिति को इसके लिये सौंप सकते हैं। आगे आने वाले सैशन में जैसे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम सदन बहुत चलाना चाहते हैं जल्दी ही वे बुलायेंगे, 2–3 महीने के अन्दर। उस वक्त हम इसको पास कर देंगे। एक तो मेरा संवाल यह था।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्षजी, इसके कुछ प्रावधान हैं जो मुझे स्पष्ट नहीं लगते हैं। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि आपने डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन में आपने कलक्टर को डिफाइन किया है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कलक्टर कौन होता है, लेकिन आपने इस बिल के अन्दर डेफिनेशन में कलक्टर को डिफाइन करने की चेष्टा की है कलक्टर, जिले का कलक्टर। आप एक शब्द और लाये हैं सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर। आपके मन में यह होगा कि यह आपके विभाग का होगा। हम भी मानकर चलते हैं। लेकिन जैसे कलक्टर को डिफाइन करना आपने आवश्यक समझा, सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर को भी आपको डिफाइन करना चाहिये था कि पी.डबल्यू.डी. के सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर से मतलब होगा। वह आपने इसमें नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्षजी, आपने इसमें कोई प्रावधन रखा है हाईवे अथोरिटी अभी रामनारायणजी ने भी आशंका व्यक्त की। मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि अथोरिटी का स्वरूप क्या होगा। हम किस स्तर के अधिकारी को इस आथोरिटी में रखना चाहते हैं। यह स्पष्ट नहीं है। आपके कई प्रावधानों का मैं आगे उल्लेख करूंगा। उसमें मेरी मान्यता यह है कि कलक्टर से ऊंची श्रेणी का अधिकारी हाइवे–अथोरिटी में आपको रखना पड़ेगा। वह मैं इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूं कि हाइवे–अथोरिटी को आपने बहुत पावर्स दिये हैं और एक जगह यह प्रावधान भी रखा है कि अथोरिटी कलक्टर को डायरेक्ट करेगी। कलक्टर को डायरेक्शन देने वाला अधिकारी, मेरी बुद्धि से वह कलक्टर से ऊंचा अधिकारी होना चाहिये। आप कहें तो मैं पढ़ दूं इसको या आपको ध्यान होगा ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसका जवाब दूंगा कि क्या होगा कैसे होगा। ध्यान में आ गया।

श्री शिवनाथ सिंह : ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात है। यहां विषय जो मुझे अखरा, मैंने आपसे निवेदन किया।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसके बाद में आपने ओनर रखा है। आपने ओनर की डेफिनेशन दी है। वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं :–

Owner means :

"When used with reference to any premises, the persons who receives the rent of the said premises or who would be entitled to receive the rent thereof if the premises were let, and includes."

(श्री शिवनाथ सिंह)

यहां इन्कल्यूडिंग में इन्होंने नीचे और दिये हैं। तो ओनर वह होगा जो या तो रेंट रिसीव करता है या जिसको रेंट रिसीव करने का अधिकार है। लेकिन जिस प्रमिसेज रेंट रिसीव न करने का सवाल उठता है। यह आपके पेज नम्बर 3 में है। जिस प्रमिसेज का रेंट न रिसीव करता है न किसी को रिसीव करने की आशा है, उसका ओनर कौन होगा ? आपने आगे लिखा है कि रहने वाला भी ओनर माना जायेगा। वह माना जायेगा लेकिन मेरा मकान मैंने खाली छोड़ रखा है, न मैं रेंट पर दूंगा, न ही आज मुझे कोई रेंट मिल रहा है तो मैं आपकी इस ओनर की डेफिनेशन में नहीं आऊंगा। आप इसको और एग्जामिन करा लीजिए। इसमें आपका लेकूना है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह पांचवां देखिये।

श्री शिवनाथ सिंह : हां, पांचवां देख लिया मैंने। इसमें डेमिजेज तो हुआ है। जब डेमिजेज आपका हो और जो उसके लिये लायबल होगा, वह ओनर मानेंगे आप। लेकिन डेमिजेज मैं कहा करता हूं, मैंने तो अपना मकान वहां छोड़ रखा है। वह इसलिए इसमें नहीं आयेगा। मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा तो धर्म आपको संकेत करना है। उसके बाद में आप उसको ठीक समझें, मुझे कोई एतराज नहीं है और मेरे कहने से कुछ होगा भी नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगे और प्रोविजन है, मुझे समझ में नहीं आया, आपने पेज पांच पर लिखा है, रेस्ट्रिक्शन वाले में तो–

'Provided that having regard to the situation or the requirment of a highway or the condition of the local area through which a highway passes, it shall be lawful for the State Government;

(i) to fix different building line or control line or.'

यह अधिकार है आपको, कर दीजिये लेकिन नाट टू फिक्स बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन, क्यों, किसलिए ? (ii) Not to fix building line or control line; in respect of any highway or portions thereof. क्या इससे हम यह समझें कि आप कुछ बिल्डिंग आनर्स के लिये, कुछ लोकेलिटी के लिये पक्षपात करना चाहते हैं। आप लाइन कीजिये। आप सब जगह लाइन कर रहे हो तो यह एक्सेप्शन आपने किस कारण से दिया है, मुझे अब समझ में नहीं आया है। यह आपके पेज फाइव पर चैप्टर तीन पर है कि नोट टू फिक्स, यह गवर्नमेंट को अधिकार होगा कि न तो कंट्रोल लाइन फिक्स करेंगे और न बिल्डिंग लाइन फिक्स करेंगे तो हाईवे चल रहा है, सब जगह आपने कर दिया और एक टुकड़े में आप बिल्डिंग लाइन और दूसरी कंट्रोल लाइन फिक्स नहीं करेंगे। उसको सकड़ा कर देंगे। यह आपके चैप्टर तीन के बीच में है, 'बी' के प्रोविजो के नीचे है, सैकिण्ड प्रोविजो। इसलिये यह आपने क्यों रखा है ? यह मेरे समझ में नहीं आया।

दूसरा आपने एक अधिकार दिया है, हाइवे के आस-पास लोग बसते हैं उनके मकान हैं और वे मकान वाले उस हाइवे पर आने के अपने अधिकार रखते हैं। इस मामले में आप इतने सख्त हो गये कि इतने कानून बना

(श्री शिवनाथ सिंह)

सकते हैं कि उस मकान वाले का उस हाइवे के रास्ते पर आना मुश्किल हो जायेगा। इतने रेस्ट्रिक्शन आपने उसमें रखे हैं। मेरे ख्याल से साधारणतया काम चलता है। आप उसको डाइवर्ट कर देंगे, आप उसको रास्ते में आने के लिए पत्थर नहीं डालने देंगे। मिट्टी को हटाने नहीं देंगे, इतने पावर्स आपने उसमें लिए हैं। मेरे ख्याल से इन पावर्स से लोग तंग होंगे और उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है।

माननीय उपाध्यक्षजी, आपने प्रावधान रखा है कि किसी भी व्यक्ति की जमीन में जो राइट्स हैं उनको हम एक्सटिंग्विश करेंगे। बिल्कुल करेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसको आप कम्पनसेशन देंगे। कम्पनसेशन में आपने सैक्शन 17 में एक प्रोविजो डाला है सैक्शन–17– Provided that no such determination of compensation shall be made by the Collector under this sub section without the previous approval of the State Government. कम्पनसेशन देने का अधिकार आपने कलक्टर को दे दिया है और कलक्टर उसका कम्पनसेशन तय करके और पार्टी को चुकाये। आपने यहां कहा कि कम्पनसेशन कलक्टर क्या करेगा और अगली पार्टी और कहीं जाएगी तो उसके लिये स्टेट गवर्नमेंट की एप्रूवल जरूरी है या तो आपके जिले का कलक्टर सरकार का नौकर जो है उसको आपने डिटरमिन करने का अधिकार दे दिया है और डिटरमिन करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट की एप्रूवल की आप क्यों आवश्यकता समझते हैं ? मुझे यह समझ में नहीं आया है। सैक्शन 17 का यह प्रोविजन जो आपने रखा है, मेरे ख्याल से इस प्रोविजन को आपको डिलिट करना चाहिये और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, उल्टे लोगों के मन में आशंकाएं होंगी।

श्री रामनारायण चौधरी : Decision of the Collectior should be final.

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, सैक्शन 17, 20, 22, 24 और 28, यह सैल्फ-कन्ट्राडिक्टरी है। आपने कलक्टर को एक जगह रखा है कि कलक्टर द्वारा कम्पनसेशन तय करने के मामले में फाइनल होगा, उसमें कोई भी किसी को भी अधिकार नहीं है कि उसमें इन्टरफेयर करे। दूसरा सैक्शन आपने रखा है :–

If the objection to the amount of compensation the grounds on which...

दूसरा प्रोविजन आपने रखा है ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सैक्शन कौन-सा चल रहा है ?

श्री शिवनाथ सिंह : सैक्शन तो 17 है। 17, 20, 22, 24 सैल्फ कन्ट्राडिक्टरी है, मेरा आपसे यह निवेदन है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 17 तो पढ़ दिया, अब 20 पढ़ रहे हैं क्या ?

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, मैं अब 22 पढ़ रहा हूं।

The scope of the enquiry in every such proceeding shall be restricted to the consideration of the interests of persons affected by the objection.

(श्री शिवनाथ सिंह)

आपने क्या लिखा है, कम्पनसेशन कलक्टर तय करेगा और पार्टीज जो आपस में हैं, पार्टीज में झगड़ा हो गया तो कम्पनसेशन रिसीव करने का कौन अधिकारी है, उसके लिये आपने रखा है कि कलक्टर उसको तय करेगा और पार्टी चाहे तो सिविल कोर्ट में रेफर कर सकता है। सिविल कोर्ट को रेफर होने के बाद में आपने यह रेस्ट्रिक्ट किया है कि उसमें किस पार्टी को क़म्पनसेशन दिया जाय इसी मामले का तो आपके सिविल कोर्ट में फैसला मान्य होगा। जब आप यह रख रहे हो, दूसरा प्रोविजन आपने यह रखा है कि कलक्टर ने कम्पनसेशन कर दिया उसको सिविल कोर्ट रिवाइज्ड कर सकती है लेकिन वह रिवाइज्ड किया हुआ कम्पनसेशन है वह कोर्ट के द्वारा, कलक्टर ने जो कम्पनसेशन तय किया है उससे कम नहीं होगा। यह तो सही बात हुई। लेकिन आप इसमें यह कर रहे हो कि कोर्ट के पास इतना ही अधिकार है कि किस पार्टी को कम्पनसेशन दिया ज़ाय वह ही मामला तय किया जायेगा और कम्पनसेशन के अमाउण्ट को तय नहीं करेंगे। एक जगह तो आपने कर दिया कि सिविल कोर्ट का अधिकार है, सिविल कोर्ट का अधिकार है कि वह कम्पनसेशन तय करेगी लेकिन जो कलक्टर द्वारा तय कर दिया गया है उससे कम नहीं करेगी। इसमें आपने लिखा है, जो रेफरेंस कलक्टर करेगा उसमें सिविल कोर्ट सिर्फ यह तय करेगी कि किस पार्टी को कम्पनसेशन दिया जाय। यह दूसरा प्रोविजन है। तो यह आपके प्रोविजन हैं, यह सैल्फ-कंट्राडिक्टरी हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : Affected by the objection देखिये, कम्पनसेशन की क्वांटिटी बढ़ायी जा सकती है किन्तु किस पार्टी को करेगी वह इससे इफेक्ट होगा।

श्री शिवनाथ सिंह : तो इस सैक्शन का मतलब यही है कि, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आपके यह प्रोविजनस हैं ना ....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसमें राइट तय होगा कि मालिक कौन है। उसी को कम्पनसेशन तय होगा।

श्री शिवनाथ सिंह : अब आपने एक जगह एक प्रोविजन दिया है और मेरे ख्याल से वह बहुत ही हार्ड है। आपने कहा है कि आपके जो हाईवे बनेंगे उसके आसपास आपने फर्लांग लिखा था, मैं इस पर बोलने वाला था लेकिन आपने उसमें अमेंडमेंट करके मीटर लिख दिया। स्वागत है लेकिन एक फर्लांग के एरिया तक जो जमीन है, उसका बैटरमेंट चार्ज आप करेंगे। माननीय उपाध्यक्षजी, उस किसान की बात सोचें जिसके पास पांच बीघा जमीन थी। पांच बीघा जमीन में से तीन बीघा जमीन तो आपने हाइवे के नीचे ले ली और उसका बैटरमेंट भी चार्ज आप उससे करेंगे, फिर क्या रखा है आपने उसमें कि बैटरमेंट चार्ज यदि वे नहीं दे पाया तो आप उसकी जमीन ही ले लेंगे। इतना हार्ड, उसकी जमीन गयी उसकी आपको परवाह नहीं है। आप कहेंगे कि जमीन का हमने कम्पसनेशन दिया है लेकिन, माननीय उपाध्यक्षजी, आज जमीन की वास्तविक कीमत क्या है और उसका कम्पनसेशन सरकार क्या तय करती है, कोर्ट क्या तय करती है और उसको भी नहीं रखा। कलक्टर के कम्पनसेशन को सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। एक तरफ तो कम्पनसेशन का वह अधिकार है और उसके

(श्री शिवनाथ सिंह)

बाद में उसकी जमीन चली गयी। वह खाने-कमाने से बर्बाद हो गया लेकिन फिर भी उसका बैटरमेंट उससे आप और चार्ज करोगे और बैटरमेंट नहीं दे सकते हो तो आप इस जमीन को छोड़ दो, इस प्रकार का हार्ड प्रोविजन मेरे ख्याल से, हमने तो कहीं देखा नहीं है और आपको भी इस प्रोविजन को मेरे ख्याल से ठीक करना चाहिये, क्योंकि ....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कहां है, कौन-सा है ? बताइये।

श्री शिवनाथ सिंह : हां, बता रहा हूं। लेवी और बेटरमेंट चार्जेज, चैप्टर सिक्स, पढ़ देऊं पूरा ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्लॉज कौन-सा है ?

श्री शिवनाथ सिंह : नोटिस्ड ओनर्स और परसन इंट्रेस्टेड, यह उसका है, चैप्टर सिक्स का।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 42 ?

श्री शिवनाथ सिंह : हां, 44 है।

Increase in value and betterment charges :– The increase in value on account of the construction of such work shall be the amount by which the value of the land on the date of the completion of the proposed work is likely to exceed or has exceeded the value of the land on the date of the commencement of the said work and the betterment charges shall be one half of such increased in value. बैटरमेंट का आपने रख दिया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जमीन लेने का कहा है ?

श्री शिवनाथ सिंह : वह पढ़ रहा हूं ना।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री शिवनाथ सिंह : यह देखिये 47–Betterment charge to the first charge on land next to land revenue.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह उससे ले लिया जायेगा, यह थोड़ी कहा है।

श्री शिवनाथ सिंह : हां, यही है उसमें।

49 देख लीजिये आप।

Notwithstanding anything contained in section 48 the State Government may allow the owner of the land on which the betterment charges may be payable to relinquish the whole or any part of the land.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : No. Here it is 'he may'

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, आपने ऊपर लिख दिया है कि फर्स्ट चार्ज होगा बैटरमेंट का।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : But he may.

श्री शिवनाथ सिंह : हां, यही कह रहा हूं। उस जमीन पर बैटरमेंट चार्जेज हैं, वह फर्स्ट चार्ज होगा उस पर। तो आप बैटरमेंट चार्च लेंगे उससे और बैटरमेंट चार्ज वह नहीं दे पाया तो जमीन की रेलिंक्विश करो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : If he wants then.

श्री शिवनाथ सिंह : वही मैं कह रहा हूं और मैंने क्या कहा है ? कि बैटरमेंट चार्जेज देने कि हालत में वह नहीं है तो आप क्या करोगे ? उसको छोड़ दोगे ? बैटरमेंट चार्ज या तो देओ, नहीं देता हो तो उस जमीन के बदले में उस जमीन को सरेण्डर करो।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल में बहुत ऐसे प्रावधान हैं जिनको सोच-समझकर करने की जरूरत है और सोच-समझकर के करने की जरूरत होने के बाद मेरा फिर भी यह निवेदन है कि आप इसको एक सलेक्ट कमेटी को दे दीजिये, अगले सेशन से पहले-पहले इसको तैयार करके और फिर कर देंगे।

दूसरा, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने यह प्रोविजन कर रखा है कि हाइवे को डेमेज नहीं होना चाहिये। मैं भी मानता हूं डेमेज नहीं होना चाहिये लेकिन डेमेज किस प्रकार का ? कोई भी आदमी के अपने बैल के खुर से डेमेज नहीं होना चाहिये, उसकी गाड़ी चलने से डेमेज नहीं होना चाहिये और उसके लिए, यह मैं पढ़ देता हूं आप कहो तो लेकिन इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए कोई भी आदमी स्टेट हाइवे को नुकसान नहीं पहुंयायेगा और यदि नुकसान उसने पहुंचा दिया ....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नुकसान तो कोई खोदे, उसका मतलब है। बैल के खुर से ...

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, आप वर्ड देखो आपके कि अपने केटल से नुक्सान नहीं पहुंचाये, केटल खोदेगा क्या उसको ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ट्रैक्टर में वह जो लगा रहता है ...

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, केटल माने पशु, केटल का मतलब उसकी गाय, भैंस, उसकी गाड़ी, ट्रेक्टर नहीं कह रहा हूं मैं, उससे जो नुकसान होगा तो उसको आप 1000 रुपये जुर्माना कर देंगे और फिर आपने एक प्रोविजन रखा है कि गांव का हैडमैन, गांव का वाचमैन, गांव का नम्बरदार है उसकी ड्यूटी आपने रखी है कि कहीं भी नुकसान होता हो, कहीं भी ओफेन्स होता हो उसकी सूचना सरकार को दे और सरकार को नहीं दे, 1000 रुपये का जुर्माना देओ। आज वह व्यवस्था कहां है ? कहां आपका हैडमैन है, कहां गांव के नम्बरदार हैं ? किस हिसाब से आपने यह रखा, मुझे समझ में नहीं आता। जो व्यवस्था आज है नहीं, आपने लिखा है :–

Duties of village officials :– Every village headman, village watchman or other village official by whatever name called shall forthewith inform the nearest police station or the nearest Highway Authority or any officer duly authorised by the Highway Authorities whenever he becomes aware that any survey mark of any highway of any showing the building or control line determined in respect of a Highway has been destroyed, damages, removed displaced or otherwise tempered with or that any damage to any highway has been made.

(133)

(श्री शिवनाथ सिंह)

तो आज यह आपकी व्यवस्था है ही नहीं। हैडमैन नहीं है आपका, कोई भी नहीं है, उस हालत में किस पर ड्यूटी करना चाहोगे ? और उसकी ड्यूटी है और वह नहीं करता है तो आप तो फट कह दोगे कि ड्यूटी है कि ड्यूटी है आपकी, नहीं किया इसलिए उसको आपने यह बहुत बड़ा जुर्माना रखा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इसको एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क। (अनुपस्थित) श्री भीमसेन चौधरी। (अनुपस्थित) प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राजमार्ग विधेयक प्रभारी मंत्री के नाते मैं जो सदन में लाया हूं, मैं सभी माननीय सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस बिल को प्रवर समिति या जनमत जागृत करने के लिए भेजने की बात कहे हुए इस बात को जरूर कहा है कि इस बिल की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, बहुत देर से यह बिल लाया गया है, बहुत जल्दी इस बिल को लाना चाहिये था, इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल को लाने की प्रक्रिया के साथ मेरे साथ सहमति प्रकट की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाऊं, यह जो एक्ट है 2–7–1983 के अन्तर्गत राजस्थान के मंत्रिमंडल में इसको स्वीकृत किया और स्वीकृत करने के पश्चात् विधि विभाग ने इसको महामहिम राष्ट्रपति को स्वीकृत करने के लिए भारत के गृह मंत्रालय को भेजा। यानि 2–7–1983 को राजस्थान का जो मंत्रिमंडल था उसको भी यह बात लगती थी कि राजमार्ग पर इस प्रकार के बिल लाने की अत्यन्त आवश्यकता है। 25–8–1992 को विधि विभाग की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा स्वीकृत होकर हमको यह प्राप्त हुआ।

इस राजमार्ग विधेयक को इस प्रक्रिया में से गुजरने के बाद राजस्थान की विधान सभा में वर्तमान मंत्रिमंडल ने स्वीकृत कर के स्वीकृति के लिए भेजा। मुश्किल यह होती चली जा रही है कि इतना अधिक डिलेड बिल और शायद जिसकी चर्चा उस समय प्रारम्भ हुई होगी, सब स्तरों पर इस पर बराबर विचार किया गया होगा और इस कारण से जहां बात आ गयी है कि सलेक्ट कमेटी को दिया जाये या जनमत जागृत करने के लिए दिया जाय, कुछ आक्षेप की दृष्टि से और दृष्टि से उचित हो सकता है किन्तु एक वैल इनफार्म्ड केलकुलेटेड डिस्कशंस, विचार-विमर्श इतने वर्षों से लगातार विभिन्न स्तरों पर इस पर हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो इस बिल में प्रावधान किये गये, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर इन सारे राज्यों में कानून बने हुए हैं और यह सारा का सारा बिल महाराष्ट्र और हरियाणा के कानूनों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक यहां लाया गया है। एक सुविचारित मत को लिये हुए यह विधेयक है।

श्री रामनारायण चौधरी : नकल है उनकी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नकल भी होगी, मैं मानता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है कहने में। और 2–7–1983 को जिन्होंने बनाया होगा उन्होंने नकल ही ली होगी, मुझे कुछ कहना नहीं है। वह कौन होंगे नकल लेने वाले, मैं चर्चा नहीं करना चाहता। किन्तु मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से ....

श्री रामनारायण चौधरी : अपने में से ही होंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां।

इसलिए एक सूविचारित मत, एक लोंग थिंकिंग, लोंग प्रोसेस और बाकी के सारे प्रदेशों में चलने वाले और हमारी आवश्यकता, कि जिस आवश्यकता को इसको सलेक्ट कमेटी में सौंपने वाले बंधु और जनमत जागृत करने वाले माननीय सदस्यों ने गम्भीरता से प्रतिपादित किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं कहूं ....

श्री परसराम मदेरणा : यह लोंग थिंकिंग क्या ? कोई थिंकिंग लम्बी होती है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके जमाने से इस पर विचार चल रहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : लोंग ईयर्स थिंकिंग, आप यही फ्रेज प्रवोक करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह कह रहा हूं कि जितनी यहां पर शोर्ट थिंकिंग रखेंगे तो उसमें ज्यादा पैनीट्रेट कर सकेंगे। एक निवेदन तो यह है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : शोर्ट थिंकिंग तो ठीक शब्द नहीं है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, बहुत गड़बड़ हो जायेगी इससे तो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : Long thinking means serious thinking.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राजमार्ग विधेयक लाने का उद्देश्य यह है कि सड़कों का वर्गीकरण कर के उनका क्रमिक विकास कराया जाय और आप जानते हैं कि इन राजमार्ग के किनारे-किनारे जो रिब्बन डवलपमेंट हो रहा है उसके फलस्वरूप अतिक्रमण की प्रवृत्तियां पैदा होती जा रही हैं, उन पर अंकुश लगाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक माननीय सदस्य ने इस बात की चर्चा की है कि सड़कों पर अतिक्रमण हो रहे हैं, ढाबे बनाये जा रहे हैं, दुकानें बनायी जा रही हैं, फलस्वरूप आवागमन में अवरोध पैदा हो रहा है। अतिक्रमण भी आगे बढ़ता चला जा रहा है, सड़क का विकास भी अवरुद्ध हो रहा है।

मुश्किल यह है, 91 केवल ऐसा कानून है जिसके आधार पर हम उनको खाली कराने का प्रयत्न कर सकते हैं। प्रश्न खड़े हो रहे हैं, इसमें मुकदमेबाजी शुरू हो गयी है थोड़ी बहुत। और हमारा अधिकार कुछ नहीं है इसलिये इस विधेयक को सामने ध्यान में रखकर इस विधेयक को विधान सभा में लाने की प्रक्रिया की गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इसके प्रावधान जितने हैं, भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय .... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मंत्री जी, आप 91 में इनको बेदखल करेंगे क्या ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं बता रहा हूं कब करेंगे। 91 में, 95 है अब तो।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, इसमें करने नहीं जा रहे हैं आप। आपने उस कानून का हवाला दिया है कि जिसमें आप इनको इविक्ट करेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मिनट बिराजें। अभी बता देता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : 91 है ही नहीं इसमें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : लैट मी, 91 कब कह रहा हूं मैं। 91 की धारा में जो करने की बात पहले हुआ करती थी रेवेन्यू एक्ट में आज नहीं और एक बड़ी सीमित बात थी वह। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इसके जो प्रावधान हैं, भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय ने, विधि मंत्रालय ने इन सबको बारीकी से इस टर्म में देखा है जिस टर्म में 83 और 92 के बीच में आपने चर्चा की है और उनके द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं वह सारे के सारे इसमें संग्रहित किये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को राजस्थान सरकार के विधि विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्तर पर और जैसा मैंने कहा कि भारत सरकार के मंत्रालय के स्तर पर इस प्रकार की चर्चा हुई है। प्रधानता क्या-क्या दी हमने ? इसमें किस-किस बात की चर्चा की है ? राजमार्गों की घोषणा। कभी-कभी शब्द से बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है जैसे –उच्च राष्ट्रीय मार्ग हैं या स्टेट हाईवेज हैं। इतनी बात सीमित नहीं। ठीक कह रहे थे माननीय विधायक महोदय है कि हमने इसमें स्टेट हाईवेज, मुख्य जिला सड़क, अन्य जिला सड़क, ग्रामीण सड़क तक चर्चा की है। सवाल आया कि आपने इसमें बाउण्ड्रीज तय नहीं की। बिल्कुल ठीक है। बाउण्ड्रीज तय करेंगे हम रूल्स में। अभी भी प्रारम्भ में जो बाउण्ड्री तय की गयी हैं, वह मैं आपके सामने आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो रूल्स में इन कारपोरेट करेंगे ताकि वह भ्रम नहीं रहे कि आपने इसमें एक्ट तो बना दिया किन्तु आपने इनकी चौड़ाई का वर्णन नहीं किया।

अभी जो प्रीवेलेंट प्रेक्टिस है उस पर जो स्टेट हाईवेज हैं 45 मीटर तक सड़क की चौड़ाई की दृष्टि से हमने उसको लिया है। सिटी एरिया में 30 मीटर है। जो भवन रेखा है एक रेखा तो यह सड़क की है, उसके दोनों तरफ भवन सीमा रेखा है। 80 मीटर की परिवेश है आजकल। और नियंत्रण रेखा 150 मीटर की है। उसी तरह से मुख्य जिला सड़क 25 मीटर तो सामान्य गांवों में हमारे उसकी रोड बाउण्ड्री है, 20 मीटर शहर में है, कस्बों में 50 मीटर उसकी सीमा रेखा है और 100 मीटर नियंत्रण रेखा है। अन्य जिला सड़कों की 15 मीटर, 30 मीटर और 35 मीटर है। उसी प्रकार ग्रामीण सड़कों की 12 मीटर, 10 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर है।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे-जैसे सड़कें बन रही हैं। अगर इस अतिक्रमण को रोकना है तो मार्ग की बाउण्ड्री, भवन रेखा की बाउण्ड्री और नियंत्रण रेखा, इन तीनों के हिसाब से विचार

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

करना पड़ेगा। जिसका विस्तृत वर्णन इसमें किया है। हां, यह चौड़ाई इसमें अभी निश्चित नहीं की। रूल्स में करेंगे। एक्ट का विषय भी नहीं है। अभी जो कामन प्रेक्टिस चल रही है वह मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से बताना चाहता हूं।

उसी प्रकार इस राजमार्ग को प्रभावी करने के लिये चर्चा आयी। राजमार्ग अधिकारी की, यहां झुन्झुनूं से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने कहा कलक्टर से ऊपर की कैटेगिरी का होना चाहिये। तो फिर कलक्टर को कैसे प्रस्तुत करेगा वह। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स में इन-कोरपोरेट करेंगे हम। अगर स्टेट हाइवे होगी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर उसका राजमार्ग अधिकारी होगा, अगर सामान्य डिस्ट्रिक्टस होगी, ए.ईएन. होगा और ग्रामीण सड़क होगी जे.ईएन. होगा। क्योंकि वह जानता है, वह घूमता है, वह देखता है और इनके ऊपर रहता है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। और इसलिये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की चर्चा करने वाले माननीय, जैसा आपने कहा कि वह तो जयपुर में बैठता है। बात तो सच है। किन्तु यह सब बातें सामान्य रूप से आपसी चर्चा करके ही तय की जाएगी। अपील का तो बहुत कम विषयों आकर खड़ा होगा और इसीलिये ए. ईएन., जे.ईएन और एक्स.ईएन. को यह अधिकार देते हुए अपील का अधिकार कैटेगिरी का बड़ा व्यक्ति का होना चाहिये। इसलिये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हमने रखने की व्यवस्था की है जिसमें इसको डिफाइन किया है। किन्तु कम्पनसेशन का जो सवाल है .... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनको खाने को तो पहले ही मिलता है और उनको और मौका दे दिया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बहुत क्षमा-प्रार्थना करके जो रिएक्शन आप कर रहे हैं। यहां **It is a reflection on all the officers of the Construction Department.** यह ठीक नहीं है माननीय सदस्य। हो सकता है कुछ ऐसी मछलियां हो जो गंदा करती हो तालाब में। किन्तु उनका विषय लेकर राजस्थान के कंस्ट्रक्शन विभाग के प्रत्येक कर्मचारी के बारे में यह कहेंगे आप, किससे काम करवायेंगे आप ? कृपा करके आप जैसे जिम्मेदार सदस्य के द्वारा यह बात मुझे स्वीकार नहीं है। कहनी भी नहीं चाहिये यह बात।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके डिपार्टमेंट का नाम तो इसमें बहुत मशहूर है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां। मेरे डिपार्टमेंट की चर्चा करो चाहे। मैं तो चाहता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य, यह पुरानी बात है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं-नहीं, अभी की है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी की हो चाहे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी बहुत सुधार हुआ है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अभी एक अम्बर काण्ड वगैरह तो अभी हुआ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : बहुत सुधार हो गया है। आप मालूम करो डिपार्टमेंट में। यह 1990 से पहले वाली बात है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कटघरे में रखकर (व्यवधान) सुनिये, वह छोड़िये। कितना बड़ा अहित कर रहे हैं ··· (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आदत ठीक होते-होते समय लगेगा। जो आपने आदत बिगाड़ी है, उनको ठीक होने में समय लगेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य विचार कर लें।

श्री रामनारायण चौधरी : हर डाल पर + + + बैठा है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। उनका मैं कहूं, क्या होगा ?

श्री रामनारायण डूडी : मंत्रीजी, इतने जोर से बोलने से डिपार्टमेंट फेस नहीं होगा। काम करना पड़ेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं। हर डाल पर + + + की जो चर्चा कर रहे हैं आप, यह अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगी। रिफ्लक्शन हम पर भी आ जायेगा, अपने पर भी आ जायेगा। ऐसी बातें क्षमा करके न कहें।

श्री परसराम मदेरणा : एक ही + + + काफी है। गुलशन में फिजां लाने के लिए। यहां हर शाख पर + + + पर बैठा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह ठीक है। मैं प्रतिपक्ष की ··· (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हर शाख पर + + + बैठा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्रतिपक्ष के नेताजी से मेरी पूरी सहमति है। किन्तु फिर मैं, शेरगढ़ से आने वाले और मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य से इस विषय में विचार भेद रखता हूं और सचमुच वह भी मेरी इस बात पर विचार करेंगे तो उनको भी बात बहुत अंशों सही तक लगेगी।

श्री माधवसिंह दीवान : मंत्री महोदय, वह कमीशन वाली प्रणाली समाप्त हो गयी क्या ? तीन पर्सेंट ए.ईएन. के, तीन पर्सेंट एक्स.ईएन. के, दो-एक पर्सेंट ए.सी के।

श्री टीकमचन्द कान्त : आप भी इंजीनियर हो क्या ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने इसलिये कहा। इन इंजीनियर्स को लगाने के पीछे का प्रोविजन यह है ···(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह उन सड़कों को समझते हैं, नियंत्रण रेखा कहां है ? भवन सीमा रेखा कहां है ? वही इस बात को समझते हैं। कौनसी बात उसमें व्यवधान पैदा करेगी, इस बात की वह जानकारी रखते हैं। इसीलिये हम रूल्स में इसको स्पेसिफाई करेंगे कि ऐसे प्राधिकारी अधिकारी कौन रखने वालें, जिनका वर्णन मैंने किया है और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर उनके पीछे होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्याय तीन में ···

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय मंत्री महोदय, आप बताइये पहले एक्यावर करना चाहते हैं जमीन या ···(व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसमें है बिल में।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं-नहीं, वह तो है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक्वायर नहीं करना है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : तो आप उनको डिमार्केट कैसे करेंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बिराजें। आपने अगर बिल को पढ़ा हो तो इन सब रेखा के बनने के बाद... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पढ़ा है। आपने जो सोच फरमाया है न, वह मुझे समझ में नहीं आया। इसलिये मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इन रेखाओं के निश्चत होने के बाद जैसे तय किया गया है कि भवन रेखा और नियंत्रण रेखा के बीच में जो भी होंगे, वह आगे निर्माण कराने के लिये परमिशन लेंगे। हां, कभी अगर सड़क बढ़ाने का सवाल आया...

श्री रामनारायण चौधरी : अगर निर्माण गिर गया ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : गिर गया, जल गया तो बनाने में फिर लेंगे। जी हां, सच है यह बात। यह प्रावधान किया है हमने।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं और अगर सड़क को फोर लेनिंग करना होगा, लैण्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही होगी, उसका एक्ट यह नहीं है, उसमें बना हुआ आलरेडी। उसी तरह से होगा। लैंड एक्वीजिशन आफिसर तय करेगा, मार्केट रेट के हिसाब से तय करेगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मंत्री महोदय इसलिए मैंने जो विवरण आपसे मांगा कि अगर आप फोर लेन पर, सिक्स लेन पर या एट लेन पर पधारें तो मेरा सुझाव आपसे यह है कि पहले से ही जैसे ग्रीन बैल्ट होती है, ग्रीन बैल्ट एरियाज होते हैं तो अगर पहले से ही आपकी प्लानिंग ऐसी हो जाय तो लोग वहां पर भवन निर्माण करें ही नहीं। उस एरिया को छोड़कर पीछे ही मकान बनायें तो वह कोई इंडिकेशन हो जाए प्रीएम्पिटव इंडिकेशन।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक बार यह एक्ट आने के बाद, अधिकार मिल जाने के बाद निश्चित रूप से हमारे अधिकारियों को हम कहेंगे कि रूल्स में जिस चौड़ाई का प्रावधान किया गया है, जैसा आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे रोड बाउण्ड्री के छोटे-छोटे पत्थर लगे रहते हैं उसी प्रकार हम चाहेंगे कि रोड बाउण्ड्री के साथ-साथ भवन सीमा रेखा के पत्थर, कन्ट्रोल रेखा के पत्थर निश्चित रूप से लगा दिये जायं ताकि वहां के लोग सारे इस प्रकार का विचार करें कि आगे अगर हमको कोई कार्यवाही नयी करानी है, पुरानी करानी है, परमिशन लेनी है कुछ और करना है तो इस बात पर ध्यान रखेंगे। अभी तो कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद यह अधिकार आयेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अध्याय तीन में राज मार्ग में सीमाओं, भवन रेखा, नियंत्रण रेखा नियंत्रण की व्यवस्था की

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

गयी है। इस व्यवस्था के पीछे भावना यह है कि एक निश्चित सीमा तक भवन नहीं बनाये जा सकते। इससे जो निर्बाध निर्माण प्रक्रिया चलती है उस पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इसके प्रभावी होने के पश्चात एक निश्चित सीमा तक किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकेगा और यदि निर्माण किया जाता है तो प्राधिकारी द्वारा उसे रूकवाया जा सकेगा और हटाया भी जा सकेगा।

इस सम्बन्ध में यह भी प्रावधान किया हुआ है कि वर्तमान में जो भवन बने हुए हैं उनको नहीं हटाया जायेगा और यदि हटाने की आवश्यकता हुई तो नियमानुसार नोटिस देकर दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए, मुआवजा देकर ही ऐसी व्यवस्था की जायेगी। भवन रेखा और नियंत्रण रेखा के बीच निर्माण कार्य तो किया जा सकेगा, किन्तु उसके लिए राजमार्ग प्राधिकारी की अनुमति लेनी होगी। इसके लिए भी प्रावधान किया है। उसमें सबको सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाय इसलिए यह संभावना तो बिल्कुल नहीं रह जायेगी कि किसी भी भूमि या किसी का मकान अथवा किसी के निर्माण पर रोक लगा दी जायेगी। राजमार्ग के नक्शों के प्रकाशन के माध्यम से हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं इसमें जो कुछ कार्यवाही हो वह पारदर्शी हो और उसमें लोगों को अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर मिले।

जहां तक भूमि का अवाप्ति का प्रश्न है उसके लिए भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जायेगी और कोई अलग से इसमें व्यवस्था नहीं की गयी है। एक प्रश्न इसमें यह भी आ सकता है कि राजमार्ग प्राधिकारी जब किसी भवन ढांचा या अन्य सुविधा को अपनी योजना से प्रतिकूल पाने पर हटाने की व्यवस्था करेगा तो उस समय वह दूसरे पक्ष के हितों को संरक्षण न दे। इस अधिनियम में हमने इसीलिए व्यवस्था की है कि राजमार्ग प्राधिकारी को यह कार्य नहीं दिया जाकर जिला कलक्टर को इस कार्य के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसीलिए आपके मन में जो बात आ गयी उसके स्पष्टीकरण की दृष्टि से मैंने कहा है।

इस विधेयक में एक विशेष व्यवस्था इस बात को लेकर भी की गयी है कि राजमार्गों के निर्माण से आस पास के क्षेत्र की भूमि का मूल्य बढ़ जाता है। अब चर्चा की गयी बैटरमेंट लेवी की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जमीनों की कीमत बढ़ गयी नहर आने से। बैटरमेंट लेवी इम्पोज हो गई कीमत बढ़ गयी। गंगानगर में भी हुई, कोटा में भी हुई। किन्तु सरकार को लगा कि नहीं, कुछ स्थान पर वसूली हो गयी, माफ कर दीजिए कुछ जगह। बैटरमेंट लेवी का प्रावधान किया गया है, यह बात राच है कि इसमें से अधिकार तो ले लिया गया है किन्तु आखिर जन-आकांक्षाओं का विचार जरूर करते। बैटरमेंट लेवी कौनसी लगाना, कितनी लगाना और किस हिसाब से लगाना, कोई भी सरकार अपने आगे के भविष्य को देखकर कौनसा कदम उठाना है, यह एक राजनैतिक सवाल है। किन्तु यह बात तो सच है कि जब अच्छी सड़कें बनेंगी और इस क्षेत्र में आयेंगे तो उनका बैटरमेंट तो होगा ही। और इसीलिए इस प्रावधान को इस दृष्टि से करने के लिए, जैसा मैंने कहा वह प्रावधान कोई हमारे यहां

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

नहीं है। चार स्टेट्स में तो लागू है। महाराष्ट्र में विशेष व्यवस्था की गयी और सब प्रकार के डिपार्टमेंट से केन्द्र से इसकी सहमति बनने के बाद हमने इस प्रकार की है।

राजमार्ग पर अतिक्रमण होने के क्रम में हमने अध्याय चार में भी एक सुनिश्चित व्यवस्था की है। इसमें की गयी व्यवस्था से हमें आशा है अतिक्रमण की प्रवृत्ति कम होगी, अंकुश लगाया जा सकेगा। उनमें सब बातों का ध्यान रखा है जो सामान्य व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। उनके साथ किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार न हो जिससे नुकसान हो जाय, जिसकी आशंका माननीय श्री शिवनाथ सिंह जी ने की थी।

मैं आपके माध्यम से और बताना चाहता हूं, इसको सौंपने के पीछे जो कुछ तर्क और दिये गये हैं, सुपरिटेंडेंट की अपील का तो विचार मैंने बता दिया हाई–वे अथोरिटी कौन बनने वाली है, इसकी दृष्टि से बता दिया।

श्रीमन्, पाली से आने वाले माननीय विधायक ने कई विषयों की चर्चा की। बहुत ज्ञानवान हैं, उनके सुझाव बहुत उत्तम हैं किन्तु वह सुझाव इस बिल से सम्बन्धित नहीं हैं। वह तो साधारण से, रोड पालिसी क्या हो, इसका प्रावधान राजस्थान में भी किया हुआ है, केन्द्र में भी किया हुआ है। रेलवे क्रोसिंग का क्या बने, बिजली की लाइन व्यवस्था क्या हो, एडवरटाइजमेंट का उपयोग कैसा हो, पाइप लाइन से जोड़ दिया जाता है तो क्या हो, इस कानून से यह बात सम्बन्धित नहीं है। एक स्पेसिफाइड विषय को लेकर हम यह कानून लाये हैं निष्क्रमण और अतिक्रमण को रोकने के लिए, किन्तु इस बारे में इसी में चर्चा आ गयी स्पीड ब्रेकर्स की। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं सामान्य नियम यह है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं होना चाहिये किन्तु मैं क्या कर सकता हूं, जिस समय जिसका लड़का जाता है, वहां की पब्लिक इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि अपने आप ही स्पीड ब्रेकर खड़ा कर देती है हमको नहीं बोलती।

हमने कहा हुआ है उनको कि जैसे-जैसे वहां के लोगों के मन में शांति पैदा होती चली जाय एक महीने में राष्ट्रीय राजमार्गों पर से सारे स्पीड ब्रेकर खतम किये जायं। इसकी व्यवस्था भी चालू है किन्तु गांवों के अन्दर जहां स्कूल रहते हैं वहां तो स्पीड ब्रेकर बनाना आवश्यक है। पी.डब्ल्यू.डी. स्पीड ब्रेकर बनाती है तो अपने प्रावधानों के अनुसार ही बनाती है। हां, जहां एक्सीडेंट होने के बाद गांव वालों का चक्कर हो जाता है तो वहां की जन-भावनाओं को देखकर उस समय उनके मन की शान्ति को राहत पहुंचाने की दृष्टि से इस प्रकार का विचार करने की आवश्यकता है इसलिए इस बात का है।

मैं फिर आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को निवदेन करना चाहता हूं बहुत देर हो गयी है, मेरे भी मन में था कि प्रवर समिति को सौंप दूं, किन्तु छह महीने के बाद समय आएगा, रिपार्ट आएगी। क्षमा करके इस बार राजस्थान की धरती पर एक विशुद्ध योजना लेकर नेवर इन दी ड्रीम आफ राजस्थान छह सौ करोड़ रुपये का प्रावधान पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के लिए इस बार हुआ है। कभी ढाई-तीन सौ करोड़ से ज्यादा नहीं हुआ। छह सौ करोड़ का कैसे हुआ। डेढ़ सौ करोड़ तो डी. आर.डी.ए. में ...

श्री परसराम मदेरणा : इससे इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं पूरी बात कर लूं। डेढ़ सौ करोड़ रुपये का प्रावधान तो डी.आर.डी.ए. के साथ मिलकर सभी रोड्स पर सामान्य रूप से मिट्टी का काम हो जाय, गिट्टी टूट कर चली आये, लेवल की सड़क बन जाय। माननीय मुख्य मंत्री महोदय और विशेष कर श्री अनंग कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। डेढ़ सौ करोड़ रुपये का प्रावधान उन्होंने सेंक्शन कर दिया है हमारा। सड़कों के बेस वर्क को डी. आर.डी.ए. ही नहीं कई स्कीम के माध्यम से करेंगे। दो सौ पन्द्रह करोड़ रुपये की योजना हमारे प्लान की है। पचास करोड़ की नेशनल हाई–वे की योजना है। सौ करोड़ का रिपेयर वर्क है। यह सब मिलाकर पांच सौ करोड़ पहुंचता है और सौ करोड़ बिल्डिंग का है। इस परिमाण में मैंने तो कहा था विधान सभा में कि हम प्रत्येक पंचायत केन्द्र को आगामी दो वर्ष में किसी न किसी प्रकार की सड़क से जोड़ देंगे। किन्तु मैं आज सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जो विभाग के अधिकारियों के साथ मेरी बैठक हुई है, उन्होंने कहा मंत्री महोदय चिन्ता मत करो इसी वर्ष में हम प्रत्येक पंचायत केन्द्र को किसी न किसी सड़क से जोड़ देंगे। इस प्रकार की प्रभावी योजना लेकर पी.डब्ल्यू.डी. विभाग जब आया ... (व्यवधान) ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपका महकमा से भारी।

श्री शिवनाथ सिंह : मंत्री महोदय, डी. आर.डी.ए. का रुपया पचास प्रतिशत लैप्स करा दिया आपके विभाग ने।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ऐसी बात नहीं है, मैं बताऊंगा आपको।

श्री राजेन्द्र पारीक : विश्व बैंक का पैसा लैप्स हो गया इससे बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति और क्या हो सकती है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं जब इस प्रकार की प्रभावी रोड्स बनाने की योजना राजस्थान की धरती पर की है। अतिक्रमण तो रोकने ही होंगे। जल्दी से जल्दी प्रभावी कदम बढ़ाने होंगे। इसीलिए कानून लाया हूं। हमको अधिकार मिल जायं और सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने प्रवर समिति को सौंपने की बात की है या जनमत जानने के लिये बात की है, वह अपना प्रस्ताव वापस लेंगे और विभाग को अधिकार देंगे कि हम जल्दी से जल्दी इस योजना को कार्यान्वित कर सकें। धन्यवाद।

श्री परसराम मदेरणा : "कह रहा है आसमां यह सब फिजां कुछ भी नहीं" तोड़ मरोड़कर एक फिंजा बना दी हाउस के अन्दर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और वह यह है ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तीसरी रीडिंग पर पूछना।

श्री परसराम मदेरणा : तीसरी पर नहीं, पहली पर क्योंकि यह सलेक्ट कमेटी को रैफर करने वाला मैटर है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, 1983 में यह कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के

(श्री परसराम मदेरणा)

पास बिल आया। वहां पर कुछ लम्बा पड़ा रहा इसलिए इसका सोच लम्बा हो गया। फिर यह राष्ट्रपति के पास हो गया। राष्ट्रपति के यहां 304 वीक के अन्दर सैंक्शन मिली फिर मिनिस्टरी ऑफ लॉ एण्ड कम्पनी अफेयर्स ने इसको एग्जामिन किया Neither the company affairs ministry, nor the council of ministers, इस हाउस को रिप्लेस नहीं कर सकते।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : I agree with you.

श्री परसराम मदेरणा : यह है सोवरनिटि इस हाउस की और इसलिए हाउस इस पर विचार करता बैठकर के आपकी प्रायर सैंक्शन से या किसी कौंसिल के रिजोल्यूशन से। फिर दुबारा इस मंत्रिमंडल में आया। आपके कलेक्टिव विजडम से हाउस का जो कलेक्टिव विजडम है . . .

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बड़ा है।

श्री परसराम मदेरणा : वह बहुत सुप्रीम है और सुपर्ब है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिए दो दिन पहले दिया, इस पर सारे प्रस्ताव मांगे, सब वह तो कर लिया था मैंने।

श्री परसराम मदेरणा : हां, तो फिर यों कहो वहां लम्बा सोच हो गया वहां से इस बुक में चला गया। यह कुछ नहीं, फालतू बातें हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह भी हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1995 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1995 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ? जो पक्ष में हों हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य : हां,

श्री उपाध्यक्ष : जो विपक्ष में हो ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य : ना।

श्री उपाध्यक्ष : ना पक्ष जीता।

श्री परसराम मदेरणा : एज हैव इट।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नोज हैव इट। एक बार और पूछ लो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1995 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्री महोदय खण्ड दो में संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

खण्डशः विचार

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड दो में संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं :–

विधेयक के खण्ड 2 के उप-खण्ड (ठ) की मद (iv) में, शब्दों "फर्लांग और मील के पत्थर" के स्थान पर शब्द "मीटर और किलोमीटर के पत्थर" प्रतिस्थापित किये जाय।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, इतना लम्बा सोचना है कि फर्लांग और मील था उस वक्त यह बिल बना था। पड़ा रहा बस्ता खामोशी में और अब उठाकर ले आये और बहुत माइंड लगाया तो फिर क्यों डाला था ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिये डाला था कि आप डालें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 3, श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का खण्ड 3 इस प्रकार से है :– सड़कों, रास्तों या भूमियों की राजमार्ग के रूप में घोषणा। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी सड़क, रास्ते या भूमि को राजमार्ग घोषित कर सकेगी और उसको निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत कर सकेगी। इन्होंने इसमें पांच वर्गीकरण दिये हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़क, अन्य जिला सड़क या गांव सड़क। मेरा निवेदन यह है कि इस धारा से सरकार की मंशा क्या है। सरकार सड़कों का वर्गीकरण कर रही है अथवा राजमार्गों का वर्गीकरण कर रही है। यह तो इस धारा के पढ़ने से ही मतलब हल होता है कि सरकार राजस्थान के अन्दर पांच प्रकार की सड़कों का, रास्तों का, मार्गों का या भूमि का वर्गीकरण करना चाहती है। उसमें से कुछ सड़कों को तो वह राज्य राजमार्ग विशेष घोषणा करेगी, कुछ को राज्य राजमार्ग घोषित करेगीं, कुछ को मुख्य जिला सड़क कहेगी, कुछ को अन्य जिला सड़क कहेगी और कुछ को गांव सड़क कहेगी। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह पांचों क्या राजमार्ग कहलायेंगे ? क्या यह हाई–वेज कहलायेंगे ? अन्य सड़क, गांव सड़क अगर सबको आप हाई–वे डिक्लेयर करना चाहते हैं यह क्यों और किसलिये आप करना चाहते हैं ? या हाई–वे डिक्लेयर करने का मतलब यह हो जाता है आपको उसकी फिर सीमा निर्धारित करनी होगी राजमार्ग की। आपको उसकी भवन रेखा डिक्लेयर करनी पड़ेगी। फिर आपको उसकी नियंत्रण रेखा

(श्री हरिसिंह)

डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ग्रामों की सड़क के मैटर में जहां गांव की सड़क है वहां पर भवन रेखा, नियंत्रण रेखा, राज्य राजमार्ग की सीमा डिक्लेयर करना, मैं समझता हूं इस एक्ट की मंशा नहीं है। इस एक्ट की मंशा तो यह है कि किन्हीं गांव की सड़कों में से, किन्हीं मुख्य सड़कों में से, किन्हीं जिला सड़कों में से इसके आप एक हाई–वे डिक्लेयर करना चाहते हैं। उन हाई–वेज के ऊपर आप सब यह नियंत्रण रखेंगे। भवन रेखा बनायेंगे या नियंत्रण रेखा बनायेंगे तो बनते ही उसके बीच के रहने वाले लोगों को मकान बनाने की परमीशन आपकी हाई–वे अथोरिटी से लेनी पड़ेगी। उसमें मैंने संशोधन यह किया है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी सड़क रास्ते या भूमि को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत कर सकेगी तथा राजमार्ग की घोषणा कर सकेगी। इनमें से वर्गीकरण करिये आप रोड्स का। आप राजमार्ग के रूप में वर्गीकरण करिये, आप मुख्य जिला सड़क के रूप में वर्गीकृत करिये, आप अन्य जिला सड़क के रूप में उसका नाम रखिये और आप गांव सड़क उसका नाम रखिये। इनमें भी जिसको चाहें आप उसको राजमार्ग घोषित करें। आप उलटा चल रहे हैं। आप पहले राजमार्ग घोषित कर रहे हैं और राजमार्ग घोषित करने के बाद फिर आप उनका वर्गीकरण कर रहे हैं। मेरा इसमें अमेंडमेंट यह है कि पहले आप राजस्थान के अन्दर जितनी भी सड़कें हैं, जिनको आप वर्गीकृत करना चाहते हैं, अब तक भी है वर्गीकरण तो। अब तक भी राजस्थान के अन्दर गांव सड़क हैं, अन्य जिला सड़क हैं, सब तरह की सड़क हैं लेकिन आपको बजाय इसके कि रोड्स का क्लासीफिकेशन करें, भूमि का क्लासीफिकेशन करें, आप वेज का क्लासीफिकेशन करें, आपको सभी के लिये पूरे राजस्थान के अन्दर जो भी मार्ग हैं उन सबको हाई–वे डिक्लेयर करना चाहते हैं, ऐसा आपका मैं समझता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से जो सड़के राजकोष से बनी हैं, उनको राजमर्ग के हिसाब से कर रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब अतिक्रमण को हमको रोकना है तो अतिक्रमण को रोकने के लिये मैं आपकी जानकारी के लिये बताऊं। कि आप बीकानेर जाइये। नेशनल हाई–वे है यह। प्रथम पंक्ति में बैठने वाले आप भी इस बात से परिचित होंगे यह सड़क प्रारम्भ में फेमिन में बनी है, आज वह राष्ट्रीय राजमार्ग बन गयी। इसीलिए कौनसी कब डवलप हो जायेगी, किसकी आवश्यकता कम हो जायेगी और इसीलिए हाई–वे का जो परव्यू है वह अपना राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग उसके सन्दर्भ में नहीं। अतिक्रमण जिन-जिन पर हम रोकना चाहते हैं, हमने इस प्रकार के रास्ते जो कि विधेयक में राजमार्ग कहा गया है इसलिए राजमार्ग के वर्गीकरण की चर्चा इन पांच केटेगरीज में करके जैसा मैंने आपको कहा था। उसमें पहले जो रूट्स बने हुए हैं, इसकी जो नियंत्रण रेखा, भवन सीमा रेखा और सड़क रेखा है उसी प्रकार से सब में तय करेंगे। यह जहां करबे आयेंगे कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता तो वहां कुछ करना सम्भव नहीं है तो फिर निकालेंगे उसे बाईपास बनायेंगे।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

इसलिए अगर अतिक्रमण को प्रभावी रूप से रोकना है तो हमको इस प्रकार की सब सड़कों के ऊपर निश्चित रूप से इस प्रकार का प्रावधान करना होगा इसलिए वर्गीकरण किया है उसके बाद निश्चित उसमें प्रावधान करने की कोशिश करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, राजमार्ग का मतलब गवर्नमेण्ट मेंटेन करें उस सड़कों से नहीं है। राजमार्ग का मतलब है हाई–वे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यहां हाई–वे नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : और क्या है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह विधेयक जो हम लाये हैं राजमार्ग विधेयक क्योंकि इसका नोमिनक्लेचर है प्रचलित रूप से।

श्री परसराम मदेरणा : आप सैक्शन–3 को पढ़ें, हिन्दी का लिखा है राजमार्ग, इंग्लिश में है हाई–वे। हाई–वे की क्लासीफिकेशन आपने कर दी है इसलिए राजमार्ग का मतलब राज की सड़क से या पी.डब्ल्यू.डी. मेंटेन कर रही है इसका उससे कोई मतलब नहीं है इसका।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उससे तो मतलब नहीं है किन्तु मतलब यह है कि राजमार्ग आनली राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग स्टेट हाई–वेज। यह इस तरह से नहीं है, यह सम्भव नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : इसका मतलब हाई–वे है। गांव की सड़क है वह भी हाई–वे में आती है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी, हां। अभी, अब। इसके बाद ही है।

श्री परसराम मदेरणा : हाई–वे का मतलब है ग्रेवल गांव की भी हाई–वे है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी, हां।

श्री परसराम मदेरणा : ग्रेवल है वह भी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्योंकि आगे वह भी डामर की बनेगी कभी और उससे दुगनी बनेगी। यह तो करना ही पड़ेगा यदि अतिक्रमण को रोकना है तो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ऐसा कंफ्युज क्यों करते हो आप, चतुर्वेदी मार्ग रख दो।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बहुत ही विचारणीय है, मैं चतुर्वेदी जी से निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें। राजमार्ग की इसमें परिभाषा दी गयी है। ऐसा नहीं है कि राजमार्ग का मतलब डिस्क्रियेशनरी मैटर दे दिया गया हो। आप राजमार्ग की परिभाषा इसमें देखें। राजमार्ग से ऐसी कोई भी सड़क या रास्ता अभिप्रेत है जिस पर से होकर जाने का जनता को अधिकार है या उसकी पहुंच मंजूर है और जिसे धारा 3 के अधीन कोई राजमार्ग घोषित किया जाता है और इस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत यह 4–5 बातें लिखी हैं आपने। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस परिभाषा के हिसाब से तो राजस्थान भर की जितनी भी सड़कें हैं, they are all highways. और स्टेट हाई–वेज हो जायेंगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यरा, आज के बाद, कानून के बाद।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : वह मंशा आपके इस एक्ट में है नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वही मंशा है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : देखिये, आप और जिसे धारा 3 के अधीन कोई राजमार्ग घोषित किया जाता है फिर क्या जरूरत है आपको you declare it कि राजस्थान भर में जितनी भी सड़कें हैं चाहे गांव की सड़क है, चाहे कोई रास्ता है, चाहे कोई ग्रेवल रोड है, they will all be State highways. फिर यहां जिक्र करने की क्या जरूरत है। फिर आपको एक एक सड़क के बारे में नोटिफिकेशन निकालने की क्या जरूरत पेश आ रही है। एक स्वीपिंग प्रोवीजन कीजिये, बिल्कुल रख दीजिये राजस्थान के अन्दर जितनी भी सड़कें हैं जिनको पी.डब्ल्यू.डी. बनाएंगी वह सब राजमार्ग होंगे। फिर आप यह कर दीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यस, पी. डब्ल्यू.डी. बनायेगी। सड़क बनाती है कृषि उपज मण्डी भी सड़क बनाती है माइनिंग डिपार्टमेंट भी। मेरा निवेदन है कि जिस जिस के बारे में पी.डब्ल्यू. डी. को लगता रहेगा उन-उन सड़कों को हम इस नाते से कैटेगरी में लेते रहेंगे। इसके साथ यह भी बात सच है कि हमको लगेगा कि नहीं यह तो सामान्य सड़क है उसमें कोई आगे बढ़ने का प्रावधान नहीं है हम कहेंगे कि इसको हमने राजमार्ग घोषित नहीं किया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह भारत का नक्शा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपका तो कोई संशोधन नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मंत्री महोदय, मेरे पास यह भारत का भी नक्शा है और विश्व का भी नक्शा है। . . .

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : थर्ड स्टेज पर पढ़े, प्लीज थर्ड स्टेज पर बोलें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपने जो घोषणा की है उसका स्पष्टीकरण आपसे ही ले लूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : थर्ड स्टेज में देख लेना अभी तो खण्डशः विचार हो रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपने फरमा दिया कि सब सड़क हाई–वेज है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह नहीं कहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अभी आपने नेता महोदय से कहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह तो घोषित करेंगे हम।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ठीक है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : Every road can be...., उसकी घोषणा की जा सकती है आज नहीं है, घोषित करने के बाद . . .

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : श्रीमन्, मंत्रीजी प्रेस्टिज इश्यू नहीं बनाये। आप इस पर थोड़ा सोचिये। एक तरफ आपके मुख्य मंत्री और आप यह कह रहे हैं और हम लोग भी कहते थे जब उधर बैठते थे कि साहब, ट्यूरिज्म के प्रावधान देना है अब ट्यूरिज्म के लिए जब आप 5–5 साल पहले प्रोजेक्ट बेच रहे हैं और आपके लैण्ड फ्रूट्स आधारित उनके

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

अनाउंस कर रहे हो, मेरे पास एक इण्टरनेशनल मैप और इण्डिया के मैप में मोटर वेज लिखा हुआ है, मैन प्राइमरी रोड्स लिखी हुई है और ग्रेवल रोड्स भी लिखी हुई है। अभी प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने पूछा कि ग्रेवल रोड का क्या होगा। क्या हाई–वे डिक्लेयर करेंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां, जरुरत होगी तो करेंगे। यह क्या बात हुई।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : आपके इस नक्शे में हमारा गांव भी है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, वह समाप्त कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : थर्ड रीडिंग में इसका क्लेरिफिकेशन आप दे देवें।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। प्रश्न यह है खण्ड (3) में जो संशोधन श्री हरिसिंह (कुम्हेर) ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (3) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड (3) स्वीकार किया गया।

खण्ड 4, श्री हरिसिंह (कुम्हेर) संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : खण्ड (4) में मंत्री महोदय आप यह पढ़ें 'राजमार्ग अधिकारियों की नियुक्ति। राजमार्ग राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम या इसके किन्हीं भी उप बन्धों के प्रयोजनार्थ अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी को राज्य में के या किसी के भाग में के समस्त राजमार्गो के लिए या राज्य में के किसी भी विनिर्दिष्ट राजमार्ग या राजमार्गों के लिए राजमार्ग अधिकारी नियुक्त कर सकेंगे।" अब इस भाषा से कुछ मतलब निकलता है क्या ? आप उसमें यह देखें कि कितनी बार राज्य में के भाग में के राज्य में के, यह सब क्यों हो रहा है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं वकील नहीं हूं, किन्तु विधि विभाग से बात करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, उन्होंने कहा कि यह लिखना आवश्यक है विधि की दृष्टि से। इस बारे में, मैं का, के, के बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। यह उसी नाते से है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : लेकिन इसका मतलब समझना बड़ा मुश्किल है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां, यदि समझ है तो।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : है ना, आपने स्वय पढ़ा होगा।

श्री परसराम मदेरणा : कभी वह you cannot give this explanation in the House. आपको नहीं है तो आप समझकर आइये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जो विधिक बात है उसका...

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मंत्रीजी, मेरी बात सुनिये। जो चीफ जस्टिस थे Mr. Vanchoo was only a graduate. वह ला

(श्री परसराम मदेरणा)

ग्रेजुएट नहीं थे। He became the Chief Justice of the High Court of Judicature, Jodhpur; subsequently became the Chief Justice of India. इसलिए यह जरूरी नहीं है। आपके बाइलोजी थी या केमेस्ट्री थी, क्या थी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा कहना है, मैं फिर पढ़ रहा हूं इस बात को।...

श्री परसराम मदेरणा : कोई लेबोरेटरी में इधर-उधर...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : लेबोरेटरी नहीं है। खण्ड (4) में माननीय सदस्य ने विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन अभिव्यक्ति निर्विष्ट की जाने का सुझाव दिया है। प्राधिकारी की नियुति किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति करने की है उसको किसी विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किया जाय। इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। प्राधिकारी इस अधिनियम की सीमाओं के अन्तर्गत ही तो काम करेगा इसलिए किसी प्रकार की विनिर्दिष्ट शर्तों की आवश्यकता, अधिनियमों के ऊपर नियमों को रोपित करने का जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है वह विधिक रूप से उपयुक्त नहीं है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : वह आपने पढ़ दिया। चतुर्वेदी जी, एक मिनट, मेरी बात सुन लें वह तो होगा वही जो होना है। लेकिन आप देखिये, आप राजमार्ग प्राधिकारी की परिभाषा एक मिनट पढ़ लें। इसमें है राजमार्ग प्राधिकारी से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इस रूप में नियुक्त किया गया है या जिसे धारा 4 के अधीन ऐसे अधिकारी के कृत्य सौंपे गये हैं, यानी धारा 4 के कुछ कृत्य सौंपे जाने का प्रावधान इस परिभाषा में नहीं है। अब आप धारा–4 को पढ़ लीजिये इसमें अधिकार सौंपने का कोई प्रावधान है क्या ? आप पढ़ लीजिये, मैं पढ़ कर सुना देता हूं। राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में किन्हीं भी उप बन्धों के प्रयोजनार्थ अधिसूचन्ना में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी को राज्य में के या राज्य के किसी भाग में के समस्त राजमार्गों के लिए या राज्य में के किसी भी विनिर्दिष्ट राजमार्ग या राजमार्गों के लिए राजमार्ग अधिकारी नियुक्त कर सकेंगे। इसमें सौंपे जाने की कहीं कोई, आपकी जो परिभाषा है...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह तो रूल्स में सौपेंगे। मैंने उसका विशद विवरण करके बता दिया कि कौन-कौन अधिकारी है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : रूल्स में आप नहीं सौंप पाएंगे। इसीलिए मैंने यह अमेंडमेंट किया है। इसीलिए मैंने लिखा है कि आपके नोटिफिकेशन में प्रेस्क्राइब्ड शर्तें हैं, उनके अधीन आप करेंगे, तब आप रूल्स में करेंगे। आपने कहा कि रूल्स में कर देंगे। रूल्स में कैसे कर देंगे, जब आपके नियमों में शक्ति ही नहीं है। धारा 4(1) के बारे में आप फिर एक बार उनसे बात कर लें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सब बात पूरी कर ली है। मैं आपके संशोधन के बाद पूरी बात करके कह रहा हूं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : तब तो बात दूसरी है, वरना मैंने तो आपके पक्ष में अमेंडमेंट मूव किया है। आप नहीं चाहते हैं तो आप उसको रेज कर दें, सीधी-सी बात है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन श्री हरिसिंह (कुम्हेर) ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 5, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

खण्ड 6, श्री हरिसिंह (कुम्हेर) संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : किताब में आप भाषा पढ़ें। यह तो बहुत ही सरल हिन्दी है। श्री चतुर्वेदी जी आप पढ़ लीजिये "जहां कोई भी राजमार्ग इस अधिनियम के अधीन कोई राजमार्ग घोषित कर दिया गया हो"। अंग्रेजी इसको आप देख लें, सेक्शन 6, आप इंग्लिश पढ़े। ट्रांसलेशन करने वाले ने "ए" शब्द का ट्रांसलेशन किया है "कोई"। आप देखिये–

'(a) Where any highway has been declared to be a highway under this Act;' अब यह "ए" आया हुआ है, इसमें "ए" की हिन्दी "कोई" करनी है, इसलिए दो बार "कोई" आप लायें हैं। "जहां कोई भी राजमार्ग इस अधिनियम के अधीन कोई राजमार्ग घोषित कर दिया गया हो।" "कोई" शब्द आप निकाल दें तो अच्छा लगेगा, मतलब पूरा होगा, भाषा का दोष मिट जायेगा। आगे आपकी मर्जी है। एक तो मेरा अमेंडमेंट है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : चलिये आगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : दूसरा अमेंडमेंट देखिये। दूसरा अमेंडमेंट "ख" में है, "जहां किसी राजमार्ग का संनिर्माण या विकास हाथ में लिया गया हो।" वहां राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे राजमार्ग के सम्बन्ध में राजमार्ग सीमाएं, भवन रेखा और नियंत्रण रेखा नियत कर सकेंगी।" इसमें मैंने यह बढ़ाया है "और उसमें कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन कर सकेगी।" यानि आप एक बार डिक्लेयर कर देते हैं लाइन और भवन रेखा, नियंत्रण रेखा। अब कभी आवश्यकता इस बात की हो सकती है, जैसे आप स्वयं अभी कह रहे थे कि आगे चल करके स्टेट हाई–वेज बड़े होंगे, चौड़े करने पड़ेंगे। उस समय आपको उन रेखाओं को दूर ले जाना पड़ेगा। आप विलेज जोन की रेखा देख लीजिये, फिर आप विलेज जोन को मुख्य सड़क में ले आयेंगे, या कभी आप स्टेट हाई–वे को ले आयेंगे तो आपकी भवन रेखाओं में परिवर्तन-परिवर्द्धन करना पड़ेगा। अब "स–1" के अन्तर्गत आपको अधिकार नहीं है। डिक्लेयर तो कर सकते हैं लेकिन आफ्टर डिक्लेयर, यू कैन नॉट मोडिफाई देम, इसलिए मैंने इसमें यह अमेंडमेंट किया है आप उन रेखाओं में परिवर्तन और परिवर्द्धन भी कर सकेंगे। यह आपके पक्ष का है, आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप आगे बोलिये न, आगे खण्ड 6 में और सुझाव भी हैं, वह बोलिये न।

श्री परसराम मदेरणा : वह बोल रहे है ना।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इसके बाद 6 में ही इसका सब सेक्शन है। इसमें है कि "उप धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने के कम से कम साठ दिन पूर्व राज्य सरकार यह कथन करते हुए कि वह उप धारा (1) के निर्बंधनों के अनुसार अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करती है और उसमें ऐसी अधिसूचना के अधीन नियत की जाने के लिए प्रस्तावित राजमार्ग सीमा और भवन", अब यहां मैंने अमेंडमेंट किया है "प्रस्तावित राजमार्ग सीमा" के पश्चात् तथा अभिव्यक्ति "और भवन रेखा के बीच" के पूर्व अभिव्यक्ति" के अंदर तथा राजमार्ग सीमा" निविष्ट की जाय।" अब आप इसमें ऑब्जेक्शन इन्वाइट कर रहे हैं इसमें उन लोगों से ऑब्जेक्शन इन्वाइट करायें हैं, जो कि राजमार्ग से भवन रेखा के बीच में, जिनकी जमीन आती है या भवन रेखा और नियंत्रण रेखा के बीच में जिनकी जमीन आती है। मेरे कहने का मतलब है कि राजमार्ग सीमा के अन्दर जिनकी भूमि आती है, उनसे क्यों नहीं आप ऑब्जेक्शन इन्वाइट करते हैं, उनसे भी करने चाहिये। जमीन किसी की भी हो। इसलिए मैंने इसमें यह शब्द जोड़े हैं कि "राजमार्ग सीमा के अन्दर, फिर भवन रेखा और नियंत्रण रेखा के बीच में" आपकी जो लैंग्वेज है, एज इट इज रहेगी। यह मेरा अमेंडमेंट है, इस पर आप विचार कर लें। राजमार्ग सीमा के अंदर, जिनकी जमीन आती है, उनके इन्वाइट करें कि नहीं करें यह तो आपकी धारा 6(2) आपत्तियां इन्वाइट करने के लिए हैं।

इसके बाद आगे यह हाई अमेंडमेंट है। इसमें विधेयक के खण्ड 6 के उप खण्ड (2) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "भीतर-भीतर या गांव में" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "अधिसूचना के प्रकाशन" से पूर्व अभिव्यक्ति "या ऐसी तहसील और जिले के मुख्यालय पर" निविष्ट की जाय। इसमें आप ऑब्जेक्शन इन्वाइट करने के लिए कह रहे हैं। हम गांव में प्रकाशन करेंगे, गजट में प्रकाशन करेंगे और फिर गजट में और गांव के प्रकाशन, जो भी देर से हो, उसके 15 दिन के अन्दर-अन्दर लोग अपने आक्षेप पेश कर सकते हैं, अपने ऐतराज पेश कर सकते हैं। मैंने इसमें यह कहा है कि आप आगे चल करके भी यह जो निकाल रहे हैं या प्रकाशन कर रहे हैं, गांव में भी निकाल रहे हैं, तहसील में भी निकाल रहे हैं और जिला मुख्यालयों पर भी निकाल रहे हैं। इसलिए जो 15 दिन की सीमा है, वह गांव में, तहसील में या जिले में, जहां कहीं भी वह प्रकाशन हो, 15 दिन के अन्दर करें आप।

इसके बाद फिर मैंने जैसा पहले कहा, खण्ड 4 है। यदि आक्षेपों को या सुझावों को फाइल करने या उनकी सुनवाई के लिए उप धारा 2 द्वारा इंगित समय की समाप्ति के पूर्व कोई भी आक्षेप या सुझाव नहीं दिया गया हो। अब मैंने आपको इसमें निवेदन किया है कि सुझाव "फाइल" करने वाला शब्द मुझे बहुत बुरा लगता है, अखरता है। कम से कम हिन्दी का एक कानून बना रहे हैं, उसमें "फाइल" शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने इसमें कहा है कि "फाइल" की जगह आप "प्रस्तुत" कर दीजिये, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है ?

(श्री हरिसिंह)

आपके विधि विभाग के लिए क्या न्याय सम्मत बात होगी ? ऐसा आप कर लें। इसके बाद विधेयक के खण्ड 6 की उप खण्ड 5 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "विचार करने में" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विचार करने के पश्चात्" प्रतिस्थापित की जाय। अब आप पढ़िये इसको, 5 पढ़े आप। "आक्षेपों में या सुझावों पर विचार करने में उप धारा 1 के अधीन अधिसूचना जारी करने के प्रश्न पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और निश्चयात्मक होगा।" विचार करने में सरकार विनिश्चय अंतिम और निश्चयात्मक होगा। विचार करने में क्यों होगा, विचार करने के बाद जो निश्चय होगा, वह फाइनल होगा। इसलिए मैंने कहा है कि विचार करने में नहीं, "विचार करने में" के स्थान पर "करने के बाद" आपका जो विनिश्चय है, सरकार का विनिश्चय है, वह फाइनल होगा। ये लेखन की गलतियां हैं, जिनको मैंने आपको ठीक करने के लिए कहा है, भाषा को सुसंस्कृत करने के लिए कहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन हो, इसके लिए मैंने नहीं कहा है। आप विचार कर लें, आपका विधि विभाग अगर बिल्कुल अडिग नहीं है तो बात दूसरी है अन्यथा मेरे ये सुझाव आपको मान्य होने चाहिये। यही आपसे निवेदन करना था, धन्यवाद।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने खण्ड 6 में उनके कई उप-खण्डों में आपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं। मैंने इन सब का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है और इस बात की पूरी तरह चर्चा विधि विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग से की है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि खण्ड 6 के उप-खण्ड (1) के भाग में कोई शब्द को हटाने की जो चर्चा उन्होंने की है वह उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि 'कार्य' शब्द का अर्थ राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी मार्ग को घोषित कर दे। इस 'कोई' शब्द के हटा देने से राज्य सरकार की निर्णायक शक्ति पर नियंत्रण होगा और उस स्थिति में यह विवादास्पद हो जायेगा कि राज्य सरकार ने किसी विशिष्ट मार्ग को राजमार्ग क्यों घोषित किया तो उनको यह कहना चाहिए था अथवा नहीं। अतः 'कोई' शब्द आवश्यक है, यह हटाया नहीं जा सकता। मैं उसको रिजेक्ट करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक खण्ड 6 के उप-खण्ड (1) के भाग (ख) में माननीय सदस्य ने और उसमें कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन कर सकेंगे शब्द को निर्दिष्ट करने का सुझाव दिया है। इसकी आवश्यकता ही नहीं है। इसका अर्थ तो यह हो जायेगा कि नियंत्रण रेखा या भवन रेखा निर्धारित करते समय सरकार स्वयं अनिश्चितता की स्थिति में है। किसी राजमार्ग पर भवन रेखा या नियंत्रण रेखा सूचित करने के बाद ही तो प्रस्ताव किया जायेगा। अतः इसमें बार-बार फेरफार करना पड़े इसकी तो आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड 6 के उप-खण्ड (2) में प्रस्तावित राजमार्ग सीमा और भवन रेखा के बीच 'ए' अंदर और राजमार्ग और सीमा शब्द निर्दिष्ट करने का सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है। इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्य उद्देश्य राजमार्ग सीमा और भवन रेखा के बीच में तथा भवन

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

रेखा और नियंत्रण रेखा के बीच में भूमि का विर्निदिष्टिकरण और उनके विषय में अधिसूचना जारी करनी है। इसका प्रावधान तो विधेयक में पहले से ही शामिल है। मुख्य उद्देश्य सड़क सीमा, भवन निर्माण सीमा और नियंत्रण रेखा के बीच किसी प्रकार के भी निर्माण, अतिक्रमण को रोकना है और उसका उपयुक्त प्रावधान इसमें है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 6 के उप-खण्ड (2) में यह संशोधन का सुझाव दिया गया है कि अधिसूचना का प्रकाशन तहसील और जिला मुख्यालय पर भी किया जाये। उप-खण्ड (2) के अंत में इस प्रकार का प्रावधान पहले से ही किया हुआ है। अतः प्रस्तावित संशोधन सम्भवतः किये हुए प्रावधनों को पूरी तरह देखे बिना लाया गया प्रतीत होता है। विधेयक के खण्ड 6 के उप-खण्ड (4) में सुझाव 'फाइल' करने के स्थान पर प्रस्तुत करने का जो सुझाव दिया है मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। यहां 'फाइल' का मतलब प्रस्तुत करना नहीं है बल्कि 'फाइल' का मतलब नत्थी करना है। जिसका प्रयोग नहीं करना है। जिन आवेदनपत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं करना है और सीधे दफ्तर दाखिल कर देना है और प्रस्तुत करने का कोई अर्थ ही नहीं है। अतः इस सुझाव पर भी विचार नहीं किया जा सकता। खण्ड 6 के उप-खण्ड (5) में शब्द 'विचार करने' के स्थान पर 'विचार करने के पश्चात्' प्रतिस्थापित करने का ऐसा सुझाव है कि जो तारतम्य से परे है। आक्षेपों पर विचार करने के समय उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने का प्रश्न प्राधिकृत अधिकारी को ध्यान में रखना होगा। यह निर्णय के क्रम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। निर्णय के पश्चात् की नहीं है। अतः यह सुझाव भी विधेयक की भावना के प्रतिकूल है, जो मुझे अमान्य है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कोई संशोधन तो नहीं है लेकिन मैं खण्ड 6 (1) (क) को विलोपित करने का प्रस्ताव रखता हूं। It should be deleted. 6 (1) (क)। उसके कारण इस प्रकार हैं :– पहले मैं इंग्लिश में पढूंगा और उसके बाद में हिन्दी भी पढूंगा।

'Where any highway has been declared to be a highway...'

वहां बर्ड 'एनी' है या 'ए' है :– 'Where any highway has been declared to be a highway under this Act;'

'एनी' का तो ट्रांसलेशन 'कोई' है और 'टू बी ए हाई–वे' का भी 'कोई' कर दिया है। 'ए' हाई का मतलब है हाईवे और एनी हाइ–वे का मतलब है कोई हाई–वे। यहां वर्ड जो 'कोई' का ट्रांसलेशन किया है इसमें हमारे अधिकार सीमित हो जायेंगे। एक तो ड्राफ्टिंग की गलती 'बेड ड्राफ्ट' और फिर उसको करते हैं डिफेण्ड। यह ला डिपाटमेंट और आपके विधिवेत्ता, डिफेण्ड ही नहीं करते हैं आपको दे दिया लिखकर और आप यहां सत्यनारायण की कथा की तरह पढ़ रहे थे। हम समझकर आते थे। लिखा हुआ कुछ नहीं पढ़ते थे। हमको समझना पड़ता था कि किस लाइन में या किस सब-क्लाज़ में कहां अमेंडमेंट लाना है, लाल, हरी पीली पैंसिल से लिख देते थे कि यहां पर है। क्या मतलब है इसका ? आपने कहा मुझे विधि विभाग ने कहा है कि

(श्री परसराम मदेरणा)

अधिकार सीमित हो जायेंगे। तो कैसे सीमित हो जायेंगे ? आप ट्रांसलेशन करो ना– 'Where any highway has been declared to be a highway under this Act;.

जब कोई भी राजमार्ग इस अधिनियम के अधीन कोई राजमार्ग घोषित कर दिया जाये या कोई दोनों जगह कर दिया, यह 'ए' का ट्रांसलेशन भी 'कोई' और 'एनी' का ट्रांसलेशन भी 'कोई'।

This is a bad drafting. This should be deleted.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कोई शब्द या सारा ही डिलीटेड ?

श्री परसराम मदेरणा : जो इन्होंने कहा न कि विलोपित किया जाय। दूसरे वाला 'कोई' शब्द है। पहले वाला नहीं। 'ए' का जो 'कोई' किया है 'एनी' का तो 'कोई' ठीक है। माननीय सदस्य ने यह कहा है कि आपने दो दफा 'कोई' शब्द यूज़ किया है। तो जो सैकिण्ड 'कोई' है उसको आप विलोपित कीजिए। यह है अमेंडमेंट। और फिर उनके अमेंडमेंट को नहीं मानते हैं तो मेरा अमेंडमेंट यह है कि पूरे को ही डिलीट कर दीजिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पूरे को ही डिलीट कर दिया तो गड़बड़ी हो जायेगी साहब।

श्री परसराम मदेरणा : फिर इनकी बात मानिये। ला डिपार्टमेंट वाले भी आपको जो इण्टरप्रिटेशन दे रहे हैं वह गलत दे रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने ला डिपार्टमेंट और अपने विभाग की राय लेने का वहां जिक्र किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यहां पर ला डिपार्टमेंट और उनका विभाग राय दे सकता है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरी राय है यहां

श्री रामनारायण चौधरी : आपने तो कहा है ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने अपनी राय बनाने के लिए उनसे राय ली है।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं ले सकते हैं उनसे राय। यहां कोई विवाद होता है तो एडवोकेट जनरल को बुला सकते हैं, ला डिपार्टमेंट को नहीं बुला सकते हैं आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरी राय है। राय को बनाने के लिए मैंने दोनों विभागों से राय ली है।

श्री रामनारायण चौधरी : यहां पर राय नहीं ले सकते।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह क्या कह रहे हैं मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य Every body is not absolute.

श्री परसराम मदेरणा : आप ले सकते हैं। इसको डेफर करके ले सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति है। आप इस पर व्यवस्था दीजिए कि यहां पर मंत्री महोदय आफिसर्स गैलेरी में जाकर...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नहीं, इस विषय में नहीं ले रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : या उनसे चिट लेकर यहां यह नहीं कर सकते कि मेरे विधि विभाग की यह राय है। मेरे आफिसर्स कि यह राय है और अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरे अधिकार समिति हो जायेंगे। यह मंत्री महोदय ने कहा है। ऐसा वह नहीं कह सकते। यहां पर राय के लिए एडवोकेट जनरल को बुलाया जा सकता है और उनकी कानूनी राय को महत्व दिया जा सकता है लेकिन विभाग के और ला डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी का रेफरेंस मंत्री महोदय यहां पर देते हैं तो हमारी शक्ति को कम करते हैं। हम ला डिपार्टमेंट और उनके विभाग की राय से पाबंद नहीं हैं। हम पाबंद तो एडवोकेट जनरल की राय से भी नहीं हैं लेकिन हम उनको सुन सकते हैं। हमें उनको सुनने का अधिकार है। तो इस तरह का रेफरेंस माननीय मंत्री महोदय नहीं दे सकते।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रभारी मंत्री के नाते ही में खड़ा हूं। मेरा अपना दृष्टिकोण है, मेरी अपनी राय है और मेरा अपना स्पष्ट दृष्टिकोण है। उसकी परिपूरित करने के लिए मैं एब्सोल्यूट तो नहीं हूं पर एडवोकेट जनरल से भी राय ले सकते हैं, मैं ला डिपार्टमेंट से भी राय ले सकता हूं। मैं आपसे भी राय ले सकता हूं और मैं प्रतिपक्ष के नेता से भी राय ले सकता हूं अपनी राय बनाने के लिए। इसमें कहां तकलीफ है।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारे से ले सकते हैं। हम राय दे सकते हैं लेकिन ला डिपार्टमेंट यहां राय नहीं दे सकता। यहां सिर्फ एडवोकेट जनरल ही राय दे सकते हैं कानूनी। या आप दे सकते हैं या कोई भी सदन का सदस्य दे सकता है। ला डिपार्टमेंट और आपके विभाग के अधिकारियों की राय यहां नहीं चलेगी। यहां तो आपकी राय चलेगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरी राय है।

श्री रामनारायण चौधरी : तो फिर यहां यह कहें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरी राय, मेरी राय है, मेरी राय है। और क्या चाहिये आपको ?

श्री परसराम मदेरणा : वह 'कोई' वाले का क्या हुआ ? 'ए' और 'एनी' का जो ट्रांसलेशन है 'कोई' उसका क्या हुआ ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरी इसके साथ प्रस्तुति है। इसको रख रहा हूं आपके सामने रीज़न्स मैंने दे दिये हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अभी जो मंत्री जी ने कहा है अर्थ का अनर्थ हो जायेगा यहां एनविल पर एक्ट बन रहा है। मंत्री जी ने तो जो वहां से लिखा हुआ आया था वह पढ़ दिया। मंत्री जी, इसको फिर आप देखिए। (4) में आप देखिए मंत्रीजी आप ने 'फाइल' का मतलब निकाला है 'नत्थी' करना। अगर आप नत्थी करना मतलब निकालेंगे तो आने वाले कोर्स के अन्दर बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर पढ़े। 'यदि आक्षेपों या सुझावों की फाइल करने या उनकी सुनवाई के लिए उप धारा (2) द्वारा अनुज्ञात समय की समाप्ति के पूर्व कोई भी आक्षेप या सुझाव नहीं दिया गया हो अब यहां आप फाइल से मतलब निकाल लें नत्थी करना, मतलब रिजेक्ट करना। यहां प्रस्तुत करने से मतलब है। आप बिल्कुल

(श्री हरिसिंह)

अनर्थ कर रहे हैं। ला डिपार्टमेंट वालों के कहने से क्या होता है। फाइल करने का मतलब प्रस्तुत करना है। यहां पर नत्थी करने का मतलब कहां से आ जायेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरी आपके साथ सहमति है मैं 'कोई' वापस ले रहा हूं। आपको धन्यवाद देते हुए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इस फाइल को भी आप प्रस्तुत करिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फाइल तो नत्थी होने पर है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : वापस पढ़ें आप। फाइल करने का मतलब नत्थी करना नहीं है, फाइल का मतलब प्रस्तुत करना है। वापस देखें आप इसको आप उनसे पूछ लें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह ठीक है। I am satisfy now. इसमें तो केवल भाषा की दृष्टि से सवाल आया है। वरना इसमें भी सवाल यह है कि सारे तो राज मध्य मार्ग हैं (व्यवधान) सुन ही नहीं रहे हैं। इसलिए मैं तो इसको मान रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कानून बन रहा है । उपाध्यक्ष महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : मैं पढ़ रहा हूं क्लाज 6 (4)। आप कह रहे हैं फाइल का मतलब नत्थी करना है। फाइल का मतलब कंसाइनमेंट। रिकार्ड कंसाइनमेंट कर दो यहां जलेब चौक में हैं न ? यह मतलब ही नहीं है यहां मैं इंगलिश पढ़ रहा हूं–

'If, before the expiration of the time allowed by sub-section (2) for the filling or hearing of objections...'

आब्जेक्शन फाइल हो रहा है यह नत्थी किसको कर रहे हैं, कोई एफीडेविट है क्या ? ...filling or hearing of objection or suggestions.'

इसको मंत्री जी कह रहे हैं कि फाइलिंग का मतलब प्रस्तुत करना, इसका मतलब फाइल कर दिया जायं किसी कागज के साथ नत्थी कर दिया जाय। मेरी समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : खण्ड 6 (1) के उपखण्ड का कोई यह तो मैंने स्वीकार कर लिया, बाकी स्वीकार नहीं किया है।

श्री परसराम मदेरणा : वह फाइल वाला ? (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह मंजूर नहीं है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से कह रहा हूं कि क्लाज 6(4) में जो फाइलिंग आया हुआ है इसका मतलब प्रस्तुत करना है, यह कह रहे हैं उसका मतलब नत्थी करना है। नत्थी करने का मतलब नहीं है। दफ्तरदाखिल नहीं है। प्रस्तुत करना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फाइल करने से मतलब प्रस्तुत करने से है। फाइल जहां है उसके आगे ब्रेकिट में प्रस्तुत लगा दें।

श्री परसराम मदेरणा : यह कह रहे हैं, फाइल का मतलब नत्थी करना है। पिन लगाकर नत्थी करके यों रख दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फाइल करने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

का मतलब प्रस्तुत करना है, संलग्न करना है। यह नत्थी करना नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्री जी, भाभड़ा साहब का नम्बर आपसे ऊपर है, इनकी बात मानलो।

श्री रामनारायण चौधरी : यह सही बात है इसको एक बार डैफर कर दीजिए। आगे का ले लिया जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले वाला ठीक है चलने दीजिये। बाकी बाद में कर लेगी सरकार क्या फर्क पड़ता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फाइल शब्द ठीक है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 के उप खण्ड (1) में आगे वाला 'कोई' शब्द विलोपित करने के लिए जो संशोधन श्री हरिसिंह (कुम्हेर) ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) का संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 में जो अन्य संशोधन माननीय हरिसिंह जी (कुम्हेर) ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 7

खण्ड 7 में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 स्वीकार किया गया।

खण्ड 8

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) संशोधन प्रस्तुत करेंगे ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 स्वीकार किया गया।

खण्ड 9 से 12

खण्ड 9 से 12 में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 से 12 स्वीकार किये जाय ?

खण्ड 9 से 12 स्वीकार किये गये।

खण्ड 13

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैंने इसमें यह जोड़ा है। विधेयक के खण्ड 13 के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् नवीन परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि प्रवेश सूर्योदय के पश्चात् एवं सूर्यास्त से पूर्व किया जायेगा"।

यह इसलिए रखा है मैंने कि आपको धारा 13 में यह अधिकार दिये हैं कि आप किसी भी अपने अधिकारी को, किसी भी अपने सेवक को किसी भी जगह पर प्रवेश करने के लिए आपका जो आफिसर है वह अलाऊ कर सकता है। मैंने इसमें कहा है कि प्रवेश करें लेकिन जहां मकान के अन्दर प्रवेश करने का प्रश्न आता है वहां रात के समय प्रवेश करने का आपको अधिकार नहीं होगा। सी.पी.सी. के अन्दर और बड़े-बड़े कानूनों के अन्दर यही है कि रात में आप किसी के मकान में प्रवेश नहीं कर सकते। दिन में प्रवेश करिये आप। इसलिए मैंने इसमें यह जोड़ा है कि आप सूर्योदय के बाद में और सूर्यास्त से पहले प्रवेश करेंगे। यह बात मैंने इसमें लिखी, मैं समझता हूं कि चतुर्वेदीजी इसमें सहमत हो जायेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भावना प्रकट की, उससे सहमत हूं, किन्तु आप जानते हैं, आजकल अतिक्रमण नाम की चीज रात में ही होती है और इसलिए कभी यह जानकारी हो जाय कि रात का उपयोग करके कोई व्यक्ति अतिक्रमण करने आ रहा है तो उस विशेष स्थिति में यह अधिकार सरकार लेना चाहती है इसलिए रखा है मैंने।

श्री परसराम मदेरणा : यह आर्ग्युमेंट तो आपने जोरदार दिया। रात में क्या-क्या नहीं होता।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : और इसीलिए उसका चैकिंग भी रात में होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 13 में जो संशोधन श्री हरिसिंह (कुम्हेर) ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 13 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 13 स्वीकार किया गया।

खण्ड 14 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 14 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 14 स्वीकार किया गया।

खण्ड 15, श्री हरिसिंह (कुम्हेर) संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्यसूची में अंकित विधायी कार्य के क्रमांक तीन राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक,

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

1995 के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री परसराम मदेरणा : सदन का समय जब तक बढ़ाया गया है जब तक वे दोनों बिल, जिनका चीफ व्हिप ने उल्लेख किया है वे पारित नहीं हो जाते, ठीक है। एक तो चल रहा है। बाकी तो कल लिये जायेंगे। ये कह रहे हैं दो बिल जो अलग हैं, जिनका उल्लेख अभी किया है वे जब तक पारित नहीं हो जाये तब तक सदन का समय बढ़ाया जाय। यह तो अण्डर कंसीडरेशन है।

श्री शिवनाथ सिंह : कल बिजली का मामला है इसलिए वह आज रख लें। कल सिर्फ एक रख लें।

श्री परसराम मदेरणा : कल दोनों साथ ही आ जायेंगे।

खण्डशः विचार

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्षजी, खण्ड 15 में अमेंडमेंट मैंने यह दिया है कि यह खण्ड 15 किसी भी व्यक्ति के राइट को एक्वायर करने के सम्बन्ध में किसी की जमीन में जो उसकी मिल्कियत है या खातेदारी अधिकार, जो भी अधिकार हैं उनको आप एक्वायर कर रहे हैं, उनकी अवाप्ति कर रहे हैं, उनको निर्वासन कर रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति को आप नोटिस दे रहे हैं, गजट के हिसाब से, जनरल नोटिस दे रहे हैं, आप अखबार में साया कर नोटिस दे रहे हैं। हर कानून के अन्दर यह होता है, किसी व्यक्ति का जब अधिकार लेते हो उससे उसको पर्सनल नोटिस दिया जाता है, उसको व्यक्तिगत नोटिस दिया जाता है। यहां गांवों का प्रश्न है, गांव का व्यक्ति कब राजस्थान गजट पढ़ेगा ? गांव का व्यक्ति कब अखबार पढ़ेगा ? गांव के व्यक्ति की तो आपको वैयक्तिक नोटिस देना चाहिये, स्वयं का नोटिस देना चाहिये। इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट किया है कि ऐसे व्यक्ति के अधिकार लेने से पहले उसे आप वैयक्तिक नोटिस देंगे। जनरल नोटिस देंगे वह दूसरी बात है लेकिन पर्सनल नोटिस भी आप देंगे। यह अमेंडमेंट मैंने मूव किया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही वाजिब अमेंडमेंट है, यह आपको मान लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक बार ठीक से एक्सप्लेन करें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यदि किसी भी समय, राजमार्ग प्राधिकारी के निवेदन पर, राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि किसी राजमार्ग के प्रयोजनार्थ, किसी भी भूमि में किसी भी व्यक्ति के किसी भी अधिकार या हित को निर्वासित किया जाए और ऐसा निर्वासन भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में यथा विनिर्दिष्ट भूमि के अर्जन की कोटि में नहीं आता है तो राज्य सरकार कोई लोक नोटिस भूमि पर या उसके पास के किसी सुविधाजनक स्थान पर चिपकाकर या परिक्षेत्र में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनमें से एक हिन्दी भाषा में होगा, प्रकाशित

(श्री हरिसिंह)

करवाकर यह कथन करते हुए दिलायेगी कि राज्य सरकार उक्त भूमि में किसी भी अधिकार या हित को निर्वासित करने का आशय रखती है और कि निर्वासित किये जाने वाले ऐसे अधिकार या हित के लिए प्रतिकर के समस्त दावे कलक्टर को किये जा सकेंगे। आप किसी भी व्यक्ति के इस प्रकार के अधिकारों का आप निर्वासन कर रहे हैं जो कि लैण्ड एक्विजिशन एक्ट के तहत तो आप कर नहीं रहे हो, उसमें तो आता नहीं But still you are acquiring this right. उसको एक्विजिशन करने से पहले आपका कहना यह है कि हम हिन्दी के दो दैनिक पत्रों में या उस भूमि पर चस्पा करके आपसे वह अधिग्रहण कर लेंगे।

मेरा उसमें निवेदन यह है कि यह काम तो बाद में होते हैं, पहले किसी व्यक्ति को पर्सनल नोटिस दिया जाता है, जब वैयक्तिक नोटिस लेने से इन्कार करता है तब चस्पा किया जाता है, तब अखबार के अन्दर साया होता है। तो मैंने इसमें यही अमेंडमेंट मूव किया है कि ऐसे व्यक्ति के अधिकार निर्वासन से पहले आप उसे वैयक्तिक नोटिस देंगे और वैयक्तिक नोटिस के साथ-साथ चाहे आप उसको जमीन पर चिपका दें या अखबारों में करा दें। यह मेरा अमेंडमेंट है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात पर अपने इंजीनियरिंग विभाग को बहुत कठिनाइयां आ रही हैं। टाइटल किसका है। इस पर बहुत झगड़े हैं, विशेषकर ऐसी जगह पर और इसलिए जब यह सवाल खड़ा हुआ और नोटिस माना नहीं जाता, किसको देना उपयुक्त होगा यह पता नहीं होता इसलिए दो दैनिक अखबार, एक हिन्दी का, एक अंग्रेजी का, उस स्थान के नजदीक चिपकाकर घोषित करके, यह सब प्रावधान रखें हैं इसलिए मेरी इनके साथ सहमति नहीं है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं, आपकी सहमति तो नहीं है इसमें। आप इसमें पुनर्विचार करें। वह तो मान गया। देखिये, जमीन के मामले में रिकार्ड ऑफ राइट्स लेते हैं

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक्वायर जहां करेंगे, इस प्रकार की बात हो तो वह डालेंगे, इसमें बहुत कठिनाई पैदा हो रही है

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कोई कठिनाई नहीं है, जिस किसी की खातेदारी दर्ज है उस खातेदार को दे दीजिये।

(16.59)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह गलत भी नहीं है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : गलत कैसे नहीं है ? आप व्यक्तिगत नोटिस नहीं दे रहे हैं, किसी भी चपरासी से मिलकर कहीं चिपका लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह साथ-साथ दैनिक अखबार में छपेगा, क्लक्टर को.....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : गांवों में अखबार कौन पढ़ता है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : काम को जल्दी होने के लिए यह जरूरी है। यह सही है। इसमें तो आप

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 15 में जो संशोधन श्री हरिसिंह (कुम्हेर) ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 15 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 15 स्वीकार किया गया।

खण्ड 16 से 42, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 16 से 42 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 16 से 42 स्वीकार किये गये।

खण्ड 43, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, विधेयक के खण्ड 43 के परन्तुक में शब्द एक फर्लांग के स्थान पर "200 मीटर" प्रतिस्थापित किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : क्यों किया जाय ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आजकल फर्लांग कोई चीज ही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : यह जो वन फर्लांग है पहले वन फर्लांग और माइल था उसको आपने मीटर और किलोमीटर किया। तो यह कंसिक्वेंशल अमेंडमेंट दिखता है। पर मुझे यह बताइये कि 200 मीटर और एक फर्लांग में कौन-सा लम्बा है ? बराबर है या इसमें फर्क कितना है मीटर में ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फर्लांग थोड़ा छोटा है।

श्री परसराम मदेरणा : फर्लांग में कितने मीटर होते हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ऐसा है, एक मील में 1.4 किलोमीटर और। मील में 8 फर्लांग और 1 किलोमीटर में 200 मीटर के 5 टुकड़े, यह बराबर नीयरली आता है।

श्री परसराम मदेरणा : बराबर होता है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां, जी।

श्री परसराम मदेरणा : फर्लांग का मतलब 200 मीटर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी, हां, जी हां।

श्री परसराम मदेरणा : या उसमें कुछ अर्थमैटिक की गलती कर गये हो, मैथ्स के अध्यापक होकर गलती कर रहे हो ? पूरा 200 नहीं होता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : थोड़ा बहुत फर्क है, पूरा तो हो नहीं सकता है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : थोड़ा ही फर्क होता है।

श्री माधवसिंह दीवान : 200 मीटर करीब करीब।

श्री परसराम मदेरणा : करीब-करीब का नहीं है यहां पर, यह तो लॉ है, एग्जैक्ट पूछ रहा हूं मैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : संशोधन कर रहा हूं मैं, मैं इसको 500 मीटर भी कर सकता था (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : ज्यादा फर्क नहीं है थोड़ा ही फर्क है

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इतना ही फर्क है इसमें जितना आप में और इनमें है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 43 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 43 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 43 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 44 से 73 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खण्ड 44 से 73 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 44 से 73 तक स्वीकार किये गये।

खण्ड 1–अधिनियमन–सूत्र, नाम आदि– कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन–सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

अधिनियमन–सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1995 संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री सभापति : कोई बोलना चाहेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, वह संशोधित रूप में पारित करने की भाषा का प्रस्ताव प्रभारी मंत्रीजी ने इस बिल को पारित करने के सम्बन्ध में रखा है, प्रभारी मंत्रीजी यह बतायें कि आपने कौन-कौन से क्लाजेज में संशोधन किये हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक में है। सिर्फ एक है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान राजमार्ग, विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान राजमार्ग, विधेयक, 1995 संशोधित रूप में पारित किया गया।

(श्री सभापति)

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 1995–श्री अर्जुनसिंह देवड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 1995

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (राज्य मंत्री, पशुपालन) : सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा, शिवनाथसिंह, श्री रामनारायण चौधरी, श्री रामनारायण मीणा, श्री माधवसिंह दीवान, श्री लक्ष्मण सिंह, श्री ओम प्रकाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा विधेयक को जनमत जानने हेतु पारचालित करने का संशोधन प्रस्ताव पेश करेंगे। श्रीमती उजला अरोड़ा। (अनुपस्थित)। श्री शिवनाथसिंह।

विधेयक को जनमत जानने हेतु पारिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापतिजी, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप बाद में कर लेना, पारित पर आप (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह : थोड़ा संक्षेप में मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं अर्ज करूं आपको कि मैं मवेशियों में रहा हूं इसलिए वह पीड़ा कह रहा हूं और कोई दिक्कत नहीं है। माननीय सभापति जी (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक तो छोड़ा करो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : थर्ड रीडिंग में कह देना।

श्री शिवनाथ सिंह : थर्ड रीडिंग में नहीं बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापतिजी, राजस्थान गोवंशीय पशु **(वध का प्रतिषेध और** अस्थायी प्रव्रजन या **निर्यात का विनियमन)** विधेयक, 1995 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव **रखता हूं। यह विधेयक** अच्छा **है और इस सदन में इसके** सम्बन्ध में कई बार मांग उठी है। **सरकार** काफी कठिनाइयों **के बाद में अपना मन बना** पायी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मन तो पहले ही बन गया था।

श्री शिवनाथ सिंह : और उसमें कई बाधांए आपको आ सकती हैं, राष्ट्रपतिजी के पास आपको भेजना पड़ा, जरूरी था या नहीं था वह दूसरी बात है, अन्त में यह विधेयक हमारे सामने आ गया। माननीय सभापतिजी, इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं लेकिन इसमें ऐसे कई प्रावधान हैं उनकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय सभापतिजी, इसमें डेफिनेशन में आपने दिया है कि काम्पिटेंट अथोरिटी और काम्पिटेंट अथोरिटी आपने कलक्टर को किया है। काम्पिटेंट अथोरिटी के फंक्शंस क्या होंगे वह आपने इसके क्लाज 5 में दिये हैं और क्लाज 5 के अन्दर सिच्युएशंस को डील करता है कि इस प्रकार के पशुओं को प्रान्त से बाहर जाने के लिए रोका जाय और यदि बाहर भेजना आवश्यक हो, तो उसमें किस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस हों। माननीय सभापतिजी, इन्होंने एक बात रखी है कि राजस्थान में इस प्रकार के हालात हों कि अकाल पड़ जाय और पशुओं के चारे की समस्या हो जाय उस वक्त काम्पिटेंट अथोरिटी से परमिट लेकर, इजाजत लेकर इस पशुधन को प्रान्त से बाहर भेजा जा सकता है। यह बात समझ में आने वाली है। उसके बाद में क्लाजेज हैं, उनमें प्रावधान है कि पशुओं के, इस प्रकार के पशुओं को मेले में जाने के लिए, पड़ौसी राज्य का कोई आदमी खरीद के लिए आये खेती के लिए, दूध के लिए उसमें भी काम्पिटेंट अथोरिटी की परमिशन की आवश्यकता है। हमारे प्रान्त के ऐसे गांव है जो दूसरे प्रान्तों से बिल्कुल सटे हुए हैं, हरियाणा से सटे हुए हैं और प्रान्तों से सटे हुए हैं और वहां आपस में पशुओं का क्रय-विक्रय होता रहता है। इस बात के लिए आज हम सब चिन्तित है कि पशुवध के लिए हमारे प्रान्त से बाहर नहीं जायं। लेकिन घड़साना का मेला है, हरियाणा में है और हमारे यहां के पशु वहां पर बिकने जाते हैं और कुछ बिकते हैं और कुछ वापस आ जाते हैं। बार्डर एरिया के गांवों में आपस में खरीद-फरोख्त होती रहती है उनके लिए काम्पिटेंट अथोरिटी की परमिशन लेने की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि काम्पिटेंट अथोरिटी आपने रखा है कलक्टर को

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कलक्टर ही नहीं है, नीचे तक है।

श्री शिवनाथ सिंह : इसमें कहीं मैंने देखा नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नीचे तक है, हां, नीचे तक उसमें प्राधिकृत हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं अभी भी कहता हूं कि इसमें नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, इसी में है, पटवारी तक हो सकता है। आप देखिये। कलक्टर और रिप्रेजेंटटिव, दोनों है।

श्री शिवनाथ सिंह : मैंने पूरा पढ़ा है, इसका मैंने एक-एक शब्द पढ़ा है इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आपने वह प्रावधान नहीं दे रखा है इसलिए मेरा सब्मिशन यह है कि काम्पिटेंट अथोरिटी अलग-अलग सिच्युएशंस में अलग-अलग अधिकारियों को देना चाहिये। आज कलक्टर के सामने जाने के बाद यदि कोई एग्रीव्ड पार्टी हो, तो उसको कमिश्नर के यहां अपील करनी पड़ेगी। कमिश्नर के यहां अपील करने का मतलब, माननीय सभापतिजी, आप जानते हैं कि एक पशु मैं ले जाना चाहता हूं, बाहर बेचना चाहता हूं और उसकी परमिशन किसी कारण से नहीं मिली तो जयपुर आकर अपने डिविजनल

(श्री शिवनाथ सिंह)

कमिश्नर के यहां अपील करनी पड़ेगी आप उसके टाइम का अन्दाजा लगाइंये इसलिए मेरा सब्मिशन है, जैसा माननीय श्री भाभड़ा साहब कह रहे हैं कि आपने पटवारी तक अधिकार दिये हैं जो कि मुझे इसमें तो नहीं मिले है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : रूल्स में देंगे, इसमें अधिकार ले लिया है और रूल्स में देंगे निश्चित।

श्री शिवनाथ सिंह : यह कहो आप। इसलिए इस मामले को जितना सिम्प्लीफाई आप कर सको.....

श्री रामनारायण चौधरी : पटवारी रावण हो जायेगा।

श्री शिवनाथ सिंह : यह बात दूसरी है। इसलिए इन मामलों में......

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं, जहां गावों में बोर्डर एरिया में आये हैं, वह पटवारी ही...

श्री शिवनाथ सिंह : जो पशु समूह में बाहर जाते हों, उनके लिए आपको काम्पिटेंट अथोरिटी को परमिशन करना जरूरी है लेकिन इक्के-दुक्के पशु जो आपस में बेचे जाते हों, उनके लिए कोई काम्पिटेंट अथोरिटी की आवश्यकता नहीं हैं और जो पशु रखता है वह तो खरीद-फरोख्त करने वाला व्यापारी है और इसमें धंधे के लोग रहते हैं, वे करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा प्रोविजन जो आपने रखा है, स्पेशल परमिटस.....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक मिनट काम्पटेंट अथोरिटी की जो परिभाषा है, वह पढ़ लीजिये आप। परिभाषा में दिया है सारा–

"Competent authority" means Collector of a Distrcit and includes any other officer who may be authorised in this behalf by the State Government by notification in the official Gazette to exercise the powers and perform the functions of the Competent Authority under this Act or the rules made thereunder for such area or areas and for such period as may be specified in the notification."

इसलिए जो बार्डर विलेजेज हैं उसमें हम लोएस्ट कर देंगे। यहां रोज ही लेनदेन होता है।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं अर्ज कर रहा हूं। मैंने इस परिभाषा को पूरा पढ़ा है और परिभाषा को पढ़ने के बाद में ही यह आपको पाइंट आउट कर रहा हूं। आप कहते हैं, हम नीचे से कर देंगे, कोई एतराज नहीं है लेकिन आपने जो पढ़ा, उसका मतलब क्या मैं यह मानूं है कि काम्पिटेंट अथोरिटी कलक्टर और एनी अदर आफिसर, पटवारी को भी कलक्टर के समान मान लूं मैं ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : But he may be a 'competent authority'. Not just the Collector.

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, इसलिए मैं कहा रहा हूं, यह जो प्रोविजन आपने रखा है (व्यवधान) नहीं, उसमें अब कोई डिस्प्यूट नहीं

(श्री शिवनाथ सिंह)

है। आप कह रहे हैं कि हम नीचे तक ला देंगे, हमें कोई एतराज नहीं पड़ता। यहां रूल्स भी बनां लीजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : रूल्स में होगा इसलिए यह डैफिनेशन दी गयी है।

श्री शिवनाथ सिंह : दूसरी बात, आप क्लाज 7 देखिये। क्लाज 7 में अनधिकृत रूप से कोई मवेशी बाहर जाते हों, उनके सीजर का प्रावधान है और सीज करने के बाद में कहां रखेंगे ? आप किसी गौशाला में उनको सौपेंगे। कहीं गौशाला नहीं होगी तो किसे सौपेंगे आप ? उसको रखने के लिए और जब तक फैसला नहीं होगा, वे सुपुर्दवार के पास रहेंगे। कोई गौशाला नहीं है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं हो तो उस समय यह कितना व्यवहारिक है कि कहां रखेंगे आप उनको ? मेरा सबमिशन इसमें यह है कि जैसे अदर कमोडिटीज में होता है, सुपुर्द करने के लिए जहां भी सीजर होता है, उसका पहला काम तो यही है कि जिस आदमी के कब्जे से लिया गया, उससे सफिशियंट सिक्योरिटी लेकर उसके सुपुर्द किया जाय और यदि वह नहीं हो तो उसके बाद में किसी भी ऐसे आदमी को सुपुर्द किया जाय लेकिन उसमें खर्चे का या रख-रखाव का, कई तरह की समस्या है... (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नेक्स्ट बिल, जो आयोग का है। उसमें है यह प्रावधान। आयोग करेगा यह सारा कुछ।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं इस बिल के प्रावधान पर बोल रहा हूं। मुझे पता नहीं है कि सरकार के दिमाग में क्या है और कल क्या लायेंगे वह.....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह बिल भी आपके सामने आने वाला है।

श्री शिवनाथ सिंह : अभी आपने दिया है, मैंने पढ़ा ही नहीं, इसलिए कल उस बिल पर आप क्या लायेंगे, उसका आज मुझे पता नहीं। यदि आप रखेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा–

"9. Punishment for causing hurt.- (1) Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any bovine animal is said to cause hurt."

माननीय मंत्री महोदय कह सकते हैं कि मैं भी किसान हूं, मवेशी पालता हूं लेकिन यह मवेशी पालने वाला धंधा उनके नौकर-चाकर करते हैं। इसमें से ऐसे बहुत से माननीय सदस्य हैं जो मवेशियों के बहुत नजदीक में रहते हैं। आपने "बोडिली हर्ट" एक ऐसा शब्द लिख दिया जिससे हर किसान जिसके पास मवेशी है, वह जेल में जायेगा।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : कौनसा क्लाज है ?

श्री शिवनाथ सिंह : यह क्लाज नाइन, क्लाज 9 में, उसमें बोडिली पेन का आपने रख दिया कि किसी भी पशु को, बैल हम हांक रहे हैं हल चलाने के लिए। नहीं चलता है तो शोट की मारते हैं। गाय है, भैंस है, दूध नहीं देती हैं तो उनको फटकारते हैं बछड़ा है, नहीं मान रहा है, नहीं बंध रहा है, उसको हम शोट देकर काबू में करते हैं। जैसे

166

(श्री शिवनाथ सिंह)

ही उसको शोट की लगा दी, बोडिली पेन हो गया, हम तो जेल में चले गये। इसलिए....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसमें एक मिनट देखिये। सब-सेक्शन (2) में इसलिए "इण्टेंशन" वर्ड यूज किया है। इस तरह से काम में लेंगे, उसमें इण्टेंशन नहीं होगा। आप कोई चलाने के लिए मारते हैं तो वह इण्टेंशन नहीं होगा कि आप उसको हर्ट कर रहे हैं। यह सब-सेक्शन (2) पढ़ लीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती शशी दत्ता (राज्य मंत्री विधि) : इसमें आई.पी.सी. में प्रोविजन है साहब।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिए माननीय भाभड़ा साहब, सैकण्ड आपने रखा है ना

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सैकण्ड पूरा पढ़ लीजिये आप।

श्री शिवनाथ सिंह : सैकण्ड आपने रखा है। वह दूसरी चीज है। पहले आपने रखा है बोडिली पेन और दूसरा,–

"Whoever intentionally causes hurt to a bovine animal shall, on conviction, be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years and with fine...."

इसलिए यह बोडिली पेन जो आपने रखा है, वह बहुत खतरनाक होगा और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस मामले में कुअल्टी टू एनीमल एक्ट अपने पहले से मौजूद है और इस प्रकार के प्रावधान इसमें पहले से मौजूद है इसलिए इन प्रोविजनस को यहां रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूं

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं आपसे कह सकता हूं, आप देखिये सेक्शन 10 में, हर्ट क्या है, इसको बहुत डिफीइन किया है। किसको आप हर्ट मानते हैं तो इसको आप पढ़ लीजिये तो मालूम पड़ जायेगा कि केवल लाठी मारकर उसको चलाना, यह इसमें है नहीं.....

श्री शिवनाथ सिंह : ये दोनों सेक्शन अलग-अलग हैं। 9वां अलग है और अगला अलग है। उसमें तो कहीं मांस काट दिया, यह कर लिया, वह कर लिया। उसके लिए आपको पनिशमेंट हैवी है लेकिन यह जो सेक्शन 9 है, वह इंडिपेंडेंट है, इसमें कहीं नहीं है इसलिए इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुअल्टी टू एनीमल एक्ट अपने पहले से मौजूद है। उसके जो प्रोविजन हैं, वे सफिशियंट हैं और आपका जो मकसद था कि यहां राजस्थान से दुधारू पशु, गो-वंशीय दुधारू पशु बाहर कटने के नहीं जाये एक उद्देश्य था। उस उद्देश्य के लिए आप कितने ही सख्त से सख्त प्रावधान रखें, हमें एतराज नहीं है लेकिन उसको इतना विस्तार कर दें कि किसान अपने पशु को कैसे रख सकते हैं कैसे नहीं रख सकता है। जब आलरेडी आपके पास पहले से कुअल्टी टू एनीमल एक्ट है। इस प्रावधान को इस समय लाने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सेक्शन 14 और पढ़ लजिये आप, उसमें साफ लिखा है।

श्री माधवसिंह दीवान : पाइंट आफ आर्डर सर। इस बिल के प्रभारी मंत्रीजी मौजूद हैं तो माननीय उप मुख्य मंत्रीजी क्या ज्यादा काबिल समझते हैं अपने आपको या वे कम काबिल हैं ?

श्री सभापति : वे व्यस्त हैं। Please sit-down. This is no point-of-order.

श्री माधवसिंह दीवान : तो फिर आप उनको बोलने दें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप ही कह रहे थे कि कानून पर अपनी-अपनी राय देने में.....

श्री माधवसिंह दीवान : नहीं, जब प्रभारी मंत्रीजी हाउस में मौजूद हैं नहीं हो तब तो....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : प्रभारी मंत्रीजी ही करने वाले हैं। कानूनी बहस हो रही है (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। प्लीज सिट डाउन। कृपया समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदय, माननीय भाभड़ा साहब ने क्लाज 14 का उदाहरण दिया (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय भाभड़ा जी ने क्लाज 14 की बात कही। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्लाज 14 में प्रोटेक्शन उन अधिकारियों को है जो गुड फेथ में काम करते हैं। दूसरे नहीं है। आप इसको ठीक पढ़िये इसलिए ऐसी बात नहीं है। मैंने पूरा एक्ट पढ़ा है और पढ़ने के बाद ही निवेदन कर रहा हूं। क्लाज 14 सेव करता है किन लोगों को ? आपके अधिकारियों को

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पढ़ो आप।

श्री शिवनाथ सिंह : हां, मैंने पूरा पढ़ लिया है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक शब्द और है क्लाज 12 के सब-क्लाज (3) में, ड्राफ्टिंग मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। वहां एक वर्ड आपने लिखा है "फोर" मेरे ख्याल से "एज फोर एज" होना चाहिये। "एज फोर" आपने किया। उसको आप करेक्ट कीजिये, मुझे कोई एतराज नहीं है।

सभापति महोदय, इसके जो पीनल प्रोविजन्स हैं, बहुत कड़े हैं। इन पीनल प्रोविजन्स को वहां तक सीमित रखना चाहिये जहां दुधारू पशु को मारने के लिए बाहर भेजा जाता हो। बाकी इण्टरनल मामले हैं, उनके लिए इस प्रोविजन को नहीं रखना चाहिये। यह मेरा सबमिशन है।

श्री सभापति : रामनारायण जी चौधरी। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बड़ी मुश्किल से तो यह आ पाया है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी इच्छा है (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री रामनारायण मीणा। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। मैडम आप बैठें। सोरी, उजला जी, बैठिये आप। मैं आपका नाम पुकारूं। श्री रामनारायण मीणा। श्री माधवसिंह दीवान।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : मैं सिर्फ दो मिनट ही लूंगा।

श्री सभापति : प्लीज, प्लीज, को–आपरेट प्लीज (व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : माननीय मंत्री

(श्री माधवसिंह दीवान)

महोदय, आप यह बिल लाये हैं, यह तो आपने बहुत अच्छा किया है परन्तु और इसको....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री माधवसिंह दीवान : पास भी कर देंगे, परन्तु जो गांवों में परिस्थिति इस बिल के पास होने के बाद पैदा होगी। मैं अपनी बात कम से कम रिकार्ड पर तो ले आऊं ताकि आपको पता लगे कि गांवों में आप क्या करने जा रहे हैं। यह बिल 30–40 साल पहले आ गया होता तो परिस्थिति दूसरी थी। मेरे गांव में आज 5000 होलेस्टिन और जर्सी गायें हैं और उन जर्सी गायों के जो बछड़े होते हैं। उनका उपयोग किसी खेती में या गाड़ी में नहीं है। होगा असल में यह कि जब बछड़ा हो जायेगा और गाय दूध देना बन्द कर देगी तो किसान उस बछड़े को रखने को तैयार नहीं होगा, वह उसको पीटकर बाहर निकाल देगा

श्री सभापति : प्लीज, प्लीज। माननीय सदस्य, प्लीज को-आपरेट।

श्री माधवसिंह दीवान : और वह सड़क पर आ जायेगा। सड़क पर उसको कोई घास डालने वाला नहीं, कोई उसको चारा डालने वाला नहीं। हर साल (व्यवधान) आप बोल लें कृपया, मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। सुनना क्यों नहीं चाहते आप ? प्लीज हियर इट।

श्री माधवसिंह दीवान : हर साल अकेले मेरे गांव के अन्दर हजार बछड़े सड़क के ऊपर आएंगे और खेतों में नुकसान करेंगे। जब किसान उनको बाहर निकालने जायेगा, अगर किसी के लग गयी, कौन उन हजार बछड़ों को रखेगा, अगर उसके लग गयी, चोट लग गयी तो कोई न कोई, मेरी किसी से दुश्मनी है और मैंने जाकर रिपोर्ट लिखवा दी कि फलां आदमी ने उसको चोट लगा दी और आज एक-एक हजार सांड, 50-50 यह जो नील गायें हैं, रोहिड़े हैं, यह भी किसान को तंग किये हुए हैं। अगर यह हजार-हजार बछड़े गांवों में फिरने शुरू हों, कौन इनकी रखवाली करेगा, कौन इन को चारा डालेगा और किसान तबाह हो जायेगा। आज इसलिए मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आम हिन्दू की भावना गाय से लगी हुई पर वह देशी गाय से है। विदेशी नस्ल की गाय के ऊपर आपको इस बात पर संशोधन करना चाहिये कि विदेशी नस्ल की गाय के बछड़े अगर कहीं बाहर जा रहे हों, अपन नहीं चाहते कि अपने प्रांत में कुछ बिगड़े, पर उसके यहां से राजस्थान से एक्सपोर्ट के ऊपर कोई बेन नहीं होनी चाहिये। अन्यथा गांवों में जो आज शिड्यूल्ड कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, इस एक्ट का भी इतना भयंकर दुरुपयोग होगा कि आप और हम सब पछतायेंगे कि हमने और आप सबने मिलकर यह एक्ट पास किया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नरपतसिंह राजवी : आप यह चाहते हैं कि गांव में बछड़े कटते जायं ?

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मण सिंहजी। (अनुपस्थित)। ओम प्रकाश शर्मा। (अनुपस्थिति)। श्री जुबेर खान। (व्यवधान) आपका खत्म हो गया। आपको बोलना है ? जरूरी है ? आवश्यक है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं सुबह से यहां हाउस में बैठी हूं....

श्री सभापति : जुबेर खान जी, आप एक मिनट बैठें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं सुबह की हाउस में हूं, दो मिनट के लिए आवश्यक काम के लिए मैं गयी और आपने...

श्री सभापति : अब मुझे क्या पता था कि आप वहां गयी हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब ठीक है, अब तो आ गयी, अब मैंने इशारे में कह दिया....

श्री रामनारायण चौधरी : समझाओ भाभड़ा जी।

श्री शिवनाथ सिंह : समझाओं भाभड़ा। तिवाड़ीजी, समझाओ न।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। हां, माननीय जुबेर खान।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री जुबेर खान (राजगढ़) : सभापति महोदय, यहां राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 1995 आया है। जब कभी भी गोवध के मामले में इस सदन में या सदन से बाहर चिंता व्यक्त की है, मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने हमेशा यह चिंताव्यक्त की है कि गोवध रोका जाना चाहिये, गायों का प्रोटेक्शन होना चाहिये। मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत दिन से इस सदन में यह चिंता व्यक्त की जाती रही है। माननीय सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के हों या चाहे विपक्ष के हों कि तुरंत प्रभाव से इस तरह का बिल आना चाहिये जिससे कि गोवध का सार्थक रूप से, इफेक्टिव रूप से रोका जा सके। आज तक इसके सम्बन्ध में जो देरी की है उसका तो मुझे अफसोस है और यह जो बिल आज सरकार लेकर आयी है इसका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।

सभापति महोदय, गाय भारतीय संस्कृति से जुड़ी है और इस भारत में जो व्यक्ति रहता है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रांत का हो, वह भारतीय है इसलिए गाय हर भारतीय की आस्था से जुड़ी है। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि चाहे मैं मुसलमान से नाता रखता हूं लेकिन कभी कहीं कुरान में या हदीस में, इस्लाम में कहीं भी गोहत्या के लिए नहीं कहा गया है। जो कहीं कोई भी सैक्शन या कुछ एलीमेंट्स, चाहे किसी भी समुदाय के हों, अगर यह कहते हों कि मुसलमान से जुड़ा हुआ है, जिस तरह हिन्दू भाई इसकी रक्षा करना चाहते हैं इसका मान-सम्मान करना चाहते हैं, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं भी इसका मान-सम्मान करना चाहता हूं, इसमें आस्था रखना चाहता हूं। क्योंकि, सभापति महोदय, वह धर्म का सच्चा मानने वाला हो ही नहीं सकता जो दूसरे के धर्म के प्रति आदर नहीं कर सके, सम्मान नहीं कर सके। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं

श्री रतनलाल ताम्बी : राम-रहीम को एक मान।

श्री जुबेर खान : क्योंकि मेरे क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ है अलवर और भरतपुर जिला, वहां से गायों की काफी तस्करी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होती है। सभापति महोदय, मैं

170

(श्री जुबेर खान)

कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं कि हमारी सबकी मंशा यह है कि गोवध रुके, गोहत्या रूके और गौ माता का सम्मान हो, मान हो। और जब सदन इससे चिंतित है कि हम इसमें क्यों, अगर सत्ता पक्ष सिर्फ वह चाहता हो कि यह बिल आ जाय और पास हो जाय तो स्वागत है, मैं बैठ जाता हूं। लेकिन किस तरह से यह सार्थक हो, किस तरह से इसको ज्यादा उपयोगी रूप में हम लागू कर सकें, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, सैक्शन 6 में यह कहा गया है :–

"5. (1) No person shall export and casue to be exported any bovine animal himself or through his agent, servant or other person acting in his behalf from any place within the State to any place outside the State for the purposes of slaughter or with the knowledge that it may be or is likely to be slaughtered."

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी मंशा यह है कि किसी तरह से गाय इस तरह ऐसी जगह नहीं कोई लोग ले जाने चाहिये कि जहां इसकी हत्या की जाय, उसका वध किया जाय। सभापति जी, गायें पश्चिमी राजस्थान से, चाहे सूखा हो या कोई और चारे की कमी की वजह से लोग लेकर जाते हैं। इसमें तीन-चार कैटेगिरी के लोग इन्वोल्व होते हैं। एक तो वह जो वहां से गायों को बेचते हैं यह सोचकर कि वह तो मैं बेच रहा हूं दस-दस, बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस रुपये में, तो इनका क्या होगा। एक वह जो वहां से लेकर आते हैं, एक वह जो इस सब प्रकरण के लिए फाइनेंस करते हैं, वह एक जो इनको काटते हैं और एक वह जो इनके कटने के बाद हड्डी और चमड़े का व्यापार करते हैं। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान प्रांत में कम से कम यह है कि गाय का वध नहीं होता, गाय की हत्या नहीं होती। लेकिन हमारे पड़ौस के प्रांतों में यहां से ले जाकर क्योंकि सीमाएं ऐसी हैं खेत से खेत मिल रहा है जंगल से जंगल मिल रहे हैं, मालूम नहीं कब से लेकर चले जायं। इसमें सैक्शन 5 में यह प्रावधान रखा है कि भाई एक प्रांत से दूसरे प्रांत में नहीं जाय। सभापति महोदय, आप झुन्झुनूं ले लीजिये, अलवर ले लीजिये, भरतपुर ले लीजिये, इधर गुजरात से लगा हुआ सीमावर्ती एरिया ले लीजिये, जब हम गायों का मूवमेंट रोकते नहीं हैं, बोर्डर तक तो रोक नहीं पा रहे, मैं कहना चाहूंगा कि जंगल में रात को, सुबह को, शाम को, बरसात में कौन व्यक्ति बोर्डर पर बैठा रहेगा और पुलिस रात दिन बैठी रहेगी, क्योंकि खेत से खेत मिला हुआ है, तो कदम इधर गये और दूसरे प्रांत में चले गये, हम कुछ नहीं कर पायेंगे ? तो मेरा इसमें एक सुझाव है कि सरकार की ओर से यह व्यवस्था होनी चाहिये, चाहे इसको मेन्डेटरी न रखें, इसको वालियंटरिली रख दें कि जो कोई चाहे एस.डी.एम. हो, चाहे कलक्टर हो, चाहे जिलाधिकारी हो, एक-एक गाय तो जाती नहीं है वध के लिए, ग्रुप में जाती हैं, बीस जाती हैं, पच्चीस जाती, तीस जाती हैं, इनके मूवमेंट में जोधपुर से अलवर तक तो कम से कम कोई टोकने वाला हो कि यहां गायें कहां जा रही हैं। क्योंकि एक बार कहीं सीमा के करीब पहुंच गयीं, किसी गांव में रखने से आप रोक

(श्री जुबेर खान)

नहीं रहे, और रात को वहां चला कर ले गये तो भावना हमारी सब सदस्यों की है कि गोवध रुके, उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो पायेगी। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे रूल्स में यह बना लें कि इसका जब तक हम मूवमेंट नहीं रोकेंगे तब तक सही मायने में इसका वह हम नहीं कर पायेंगे। एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा यह निवेदन है कि गांवों में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, जैसा श्री माधव सिंहजी दीवान साहब ने कहा कि एट्रोसिटीज एक्ट अगेन्स्ट शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब का सैक्शन 3 है, हमारे सामने देखते हुए भी जो जमींदार ही एक-दूसरे के लड़के के खिलाफ लगा देते हैं। गांव में पशु रहते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं पूरे मान-सम्मान के साथ, कि गोवध के साथ कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिये। जो इसमें इन्वोल्व हैं, किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, उनको सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह से इसका सैक्शन 3 की तरह कहीं हम दुरुपयोग न करने लग जायं, एक-दूसरे से बदले की भावना के लिए और उसके लिए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि गांवों में जो लोग खेती करते हैं, चाहे वह कोई भी किसान हो, किसी भी जाति का हो, उसके खेत में कोई दूसरा आदमी नुकसान करता है तो उस पर भी मारने पर उतारू हो जाता है, तो पशु के लिए यह भी हो सकता है। अब मैं यह कहना चाहूंगा कि शहर में तो गायें फिरे सूनी और दुकानों पर खूब डण्डे बरसा लो तो कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हमें यह भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो गऊ या उससे सम्बन्धित जो भी बछड़ा है, गाय है, भैंस है, सांड है, इनको अगर कोई व्यक्ति नहीं रखने का, हम देखते हैं कि यह फिर रही है, आवारा फिरती है तो हमें यह भी प्रावधान करना पड़ेगा कि वालियंटरिली कोई व्यक्ति इनको वहां छोड़ना चाहे तो चाहे गौशालाओं को ज्यादा से ज्यादा हमारे यहां गठन होना चाहिये, अगर राज्य सरकार को धन का प्रावधान रखना पड़े तो वह भी करना होगा, सही मायने में तभी हम गऊ के प्रति सम्मान जाहिर कर पायेंगे और इसका जो गलत तरीके से वध होता है और दूसरे काम के लिए होता है इसको रोक पायेंगे। यह, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा।

एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा कि वह बिल आया, यह आना चाहिये और इसको सख्ती से लागू करना चाहिये ताकि हमारे समाज में गाय का जो एक मान है, सम्मान है, उसको हम कायम रख सकें।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरड़क।

माननीय प्रभारी मंत्रीजी। ..(व्यवधान). इसमें नहीं, थर्ड रीडिंग पर I will allow you. नहीं आज तो इसमें प्रस्ताव नहीं है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : सभापति महोदय, मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जिस भावना से इस सदन में इस बिल को लाने के लिए बात कही थी उसी भावना से आज सहयोग दिया और जिन माननीय सदस्यों ने इस बिल को जनमत जानने के

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

लिए और प्रवर समिति को सौंपने के लिए बात कही उसके बारे में मैं सभी माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि जहां तक गोवध का मामला है, मैंने इस मामले में....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेती हूं।

श्री सभापति : आप ले लीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं सदन की अनुमति चाहती हूं कि मुझे प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान करें।

श्री सभापति : आप बोलीं नहीं, प्लीज सिट डाउन।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : राजस्थान कतिपय पशु परीक्षण अधिनियम, 1950 जो आज से 46 वर्ष पूर्व में बना था उस समय भी ये नियम थे कि कोई भी व्यक्ति यदि गाय को या गौवशं के किसी भी बच्चे को या बैल को मारता है तो उसके प्रति 10 साल की सजा और 10 हजार तक जुर्माना था। लेकिन, सभापति महोदय, प्रायः यह देखा गया कि राजस्थान में तो नहीं लेकिन जो हमारे यहां गौवंश की जाति के हैं उनका यहां से बाहर ले जाकर, जैसा कि हमारे पड़ौसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वहां ले जाकर लोग इनको मारने लगे और इसी कारण से इस विधेयक को लाना यहां पर आवश्यक समझा गया। कई सालों से यहां की जनता को भी यही मांग भी कि इस पर रोक होनी चाहिये और माननीय सदस्यों ने भी इस विधान सभा में कई बार ऐसे अवसर आये कि पूरे जोर-शोर के साथ में उन्होंने इस बात को उठाया कि राजस्थान में किसी प्रकार से न तो गौवध होना चाहिये और जो गायें यहां से बाहर जाती हैं, यहां से जो निकासी बाहर हो रही है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, कई बार हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसी-ऐसी खबरें पढ़ने को मिलीं कि जिन्दी गायों को सिर्फ इसलिए मार देते हैं। कि उनकी खाल की कीमत अच्छी आये, गौमांस के लिए मार देते थे, तो इन सब चीजों को देखे हुए पिछली विधान सभा के सत्र में माननीय सदस्यों ने इस बात को उठाया और सरकार ने भी इस सम्बन्ध में जो भी गौसेवा समिति के अध्यक्ष थे, गौ रक्षा समिति के सदस्य थे उनकी माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। सभी से विचार लिये गये कि किस प्रकार से हम इस विधेयक को ला सकते हैं। सबसे राय लेकर इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया और प्रारूप तैयार करने के बाद में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा गया। और उन्होंने भी इसकी स्वीकृति दे दी इसलिए अब इसको राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किया गया।

आज माननीय सदस्यों ने जो कुछ बातें यहां उठायीं हैं इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि सर्वप्रथम माननीय सदस्य ने धारा के 5 के बारे में बात कही कि सक्षम अधिकारी के बारे में, माननीय सभापति महोदय, सक्षम अधिकारी हालांकि कलक्टर है लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि जहां पर कई मेले लगते हैं जिनमें हमारे पड़ौसी राज्यों के किसान भाई हैं यहां आकर बैल खरीदते हैं, ले जाते हैं तो ऐसे समय में जो वहां के मेला अधिकारी होंगे, डाक्टर होंगे उनके लिए

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

ऐसी व्यवस्था नियमों में रखी गयी है कि रूल्स बने तो उनको यह अधिकार दे दिये जायेंगे ताकि जो भी पशुपालक भाई हैं वे इससे परेशान नहीं हों।

इसी प्रकार से, एक बात और आयी कि जो भी लावारिश पशु घूमेंगे उनका क्या किया जायेगा। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन में यह निवेदन करना चाहूंगा कि कल इसी बारे में भी एक और विधेयक लाया जा रहा है जो गो सेवा आयोग होगा और जिसके तहत ऐसे जो भी पशु पकड़े जाएंगे, जो गौवध के लिए जो रहे होंगे, उन्हें उनको रोककर गौ सेवा आयोग के तहत ऐसे गौ संघों में रखा जाएगा ताकि उन्हें वहां रखा जा सके, उनको वहां पर कोई मारे नहीं माननीय सभापति महोदय, गाय या बैल कितने भी बूढ़े हो जायं लेकिन वे अनुपयोगी नहीं होते, क्योंकि उनके मल-मूत्र से काफी अच्छी खाद बनती है। इसलिए यह नहीं समझा जाय कि नहीं गाय या बैल बूढ़ा हो गया है। तो वह उपयुक्त नहीं है। यह बात भी गलत है।

(17-35)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 14 के बारे में जो बात कही गयी, जो सद्‌भावर्पूवक काम करेगा उसको इस धारा के अन्दर छूट दी जायेगी। अब मैं धारा 14 को पढ़कर सुना रहा हूं। उसमें यही लिखा हुआ है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्रीजी, गलत बोल रहे हैं आप।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : नहीं, नहीं।

श्री शिवनाथ सिंह : प्रोटेक्शन के लिए है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : "किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जायेंगी, जो इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्‌भावपूर्वक की जायं या की जाने के लिए आशवित हों।

इसका मतलब अधिकार नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल है।

श्री भंवर सिंह डांगावास (मेड़ता) : The general principle of law is this that there is no offence without criminal mensrea. Without criminal intention, there is no offence.

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : माननीय सदस्यों ने जनमत जानने के लिए और इसे प्रवर समिति को सौंपने की बात कही है।

श्री परसराम मदेरणा : 14 में प्लीज एक्सप्लेन एजे इलिसिटेड फर्दर, सैक्शन 14 में गुडफ़ेथ के लिए है। ये गुडफेथ के लिए जो आफिसर्स हैं उनके लिए है या जो दूसरे आदमी हैं उस गुडफेथ के जैसे मेरे अन्दर व्याप्त हो गया। मैंने यह सोचा मेरा बछड़ा गड़बड़ कर रहा है तो मैंने उसके कान काट दिये। मैंने गुडफेथ में काट दिये कि पकड़ोगे नहीं तो यह मारता है। ये गुडफेथ जो कह रहे हैं कि आप कार्यवाही करेंगे न, those who will undertake the proceeding against the offender, उनके लिए है यह तो।

श्री अध्यक्ष : अब बाद में बोला लेना। अभी तो रीडिंग बाकी है।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 1995 को जनमत जानने हेतु पारिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन का निर्यात का विनियमन) विधेयक, 1995 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन का निर्यात या विनियमन), विधेयक, 1995 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खंण्डशः विचार

खण्ड 2 प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड 2 के उपखण्ड (ड) के स्थान पर निम्न लिखित प्रतिस्थापित किया जाय अर्थात् (ड) वध से अभिप्रेत है किसी भी ढंग से और किसी भी प्रयोजन के लिए साशय मारना।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड दो में प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन किया उसको (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, कहां दिया हुआ है ?

श्री घनश्याम तिवाडी : पेज 2 पर देखिये।

श्री परसराम मदेरणा : पेज 2 नहीं, क्लाज दो। क्लाज 2 का कौन सा सब-सैक्शन है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : (ड) वध से अभिप्रेत है. ठीक है साहब, यह तो।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, उसमें संशोधन क्या है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : जान से मारना चाहते हो इसमें यह शब्द लाना चाहिये था। मारना या जान से मारना, ये दोनों शब्द आने चाहिये थे।

श्री शिवनाथ सिंह : पहले तो परपज था लिमिटेड। गाय को किसी भी परपज के लिए नहीं मारा जाय, विस्तार किया जाय, ठीक है।

श्री अध्यक्ष : स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 व 4 में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 व 4 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 व 4 स्वीकार किये गये।

श्री जुबेर खान जी संशोधन प्रस्तुत करेंगे, प्रभारी मंत्रीजी से उत्तर देंगे। वह हो गया अभी।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, पहले ही वह दिया था कि इसमें यही है कि आप यह प्रावधान नहीं रख रहे हैं कि ये गायें बोर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर....

श्री अध्यक्ष : जोधपुर से अलवर तक जायेंगी तो कैसे रोकेंगे ? बिराजें आप।

श्री जुबेर खान : वह वहां से निकलेंगी, आपका परपज सर्व नहीं होगा। मेरा यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–5 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड–5 स्वीकार किया गया।

खण्ड 6 से 17, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 से 17 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 से 17 स्वीकार किये गये।

खण्ड–एक, अधिनियमन–सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड– 1, अधिनियमन–सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड–एक, अधिनियमन–सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री अर्जुनसिंह जी देवड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वागत करती हूं, मेरा सबसे पहला नम्बर है।

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी को बोलने दें। आप बैठिये। आप बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूं और सरकार का अभिनन्दन करती हूं कि

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इतना आवश्यक हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ बिल यहां पास करने के लिये लाये हैं। होना तो यह चाहिये था कि यह बहुत पहले आ जाता....

श्री गोपीचन्द (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार का और पूरे सदन का आभार प्रकट करता हूं....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट आप इन्हें पूरा करने दें। पहले इन्हें बोलने दें, फिर आप बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, गाय हमारी भावना से जुड़ी है और मैं यह कहना चाहती हूं कि कहीं भी कोई कमी-खामी न रह जाय, इस प्रकार से इसको और देख लें। यह तो पास हो ही लेकिन गाय की सुरक्षा, सेवा और रक्षा के लिए जो आप बिल ला रहे हैं मैं उसका भी स्वागत करती हूं, धन्यवाद देती हूं, आभार व्यक्त करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीचन्दजी।

श्री गोपीचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस गौ-रक्षा बिल के पास होने पर हृदय से बहुत ही प्रफुल्लित हूं। माननीय सदस्यों ने जो अपनी भावनाएं इस बिल के साथ रखीं और सदन के सभी माननीय सदस्यों ने जिस तरीके से गाय के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट कीं, इस सबके लिए मैं आप सबका बहुत ऋणी हूं। आज यह गाय का बिल पास हुआ, राजस्थान के इतिहास में हमारी सरकार गो-रक्षक के रूप में लिखी जाएगी। राजस्थान के प्रजातंत्र के इतिहास में आज का दिन सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। राजस्थान का प्रत्येक नागरिक आज से इस सरकार के लिए अपनी शुभकामनाएं देगा। निश्चित रूप से आज ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वयं कृष्ण भगवान ने आकर के गौ-माता के लिए अपना रक्षा कवच प्रदान कर दिया। इस सबके लिए मैं सदन के अन्दर किन शब्दों से आभार प्रकट करूं, ऐसा कोई शब्द, ऐसी कोई भाषा मेरे पास नहीं है। इतना-सा जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अन्दर जो एक वर्ष से दस वर्ष तक की सजा रखी है उसको तीन वर्ष से दस वर्ष तक की किया जाय। जिससे वह नोन–अग्निजेबल और नोन-वेलेबल बन जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ दुबारा से मैं अपनी सरकार के प्रति और सदन के प्रति आभार प्रकट करता हूं। जय हिन्द, जय श्रीराम, जय कृष्ण, जय गो–माता।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जो गोवंशीय बिल रखा गया है। इन गो-रक्षा के लिए बिल पहले भी बना हुआ था ....

श्री गोपीचन्द : एक बात मेरे ध्यान में नहीं रही, उसको कहना चाहता हूं कि गो रक्षक तो हम बन गये लेकिन गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इसके लिए भी राजस्थान सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव पहुंचना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात है नहीं, अच्छा सजेशन है।

श्री अमराराम : यह कानून पहले बना हुआ था। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पशुपालन किसान की रीड की हड्डी है और

(श्री अमराराम)

किसान का गाय के साथ जो भावनात्मक जुड़ाव है उसके साथ में मैं समझता हूं कि यह बिला लाकर खिलवाड़ किया गया है। जहां हम यह कहते हैं कि हम गाय की रक्षा करेंगे, गाय कोई इसलिए आज ही नहीं आवारा हो गयी, पर आज से अनार्थिक हो गयी। वरना आप कहते हैं वध करने की बात लेकिन जो किसान अपने खेत में था घर में गाय पालता है, वह उसके लाठी भी मारने नहीं देता। वध करना तो दूर की बात है। जिसका दूध पीता है उसको लाठी तक नहीं मारने देता। लेकिन आज निश्चित रूप से जैसे श्री माधवसिंहजी ने कहा कि जो पशु चाहे भावनात्मक रूप से हम जुड़े हुए हैं। लेकिन आज अनार्थिक होने के कारण उनको छोड़ देते हैं। आज आपको पूरे राजस्थान में एक भी भैंस और भैंस का बच्चा, जिसको पाडी कहते हैं, नहीं मिलेगी लेकिन आपको गांव सैंकड़ों की संख्या में, राजस्थान के बहुत से हिस्सों में, गांवों में आवारा आपको मिल जाएंगी। जिनको किसान ने अनार्थिक होने के कारण छोड़ दिया। जैसे जर्सी गाय है, जर्सी गाय को बछिया को कोई नहीं छोड़ता और बछड़े को कोई रखता नहीं। राजस्थान के पशुपालक जो बड़ी संख्या में बछड़ों के रूप में, बैलों के रूप में बेचते हैं और हमारे प्रान्त से बाहर ले जाते हैं, यह बिल आने के बाद में जो ग्राहक हमारे राजस्थान में आते थे, उनके आने पर इसका असर होगा और किसान को निश्चित रूप से उनकी कम कीमत मिलेगी।

आप जहां तक कह रहे हैं कि हम इसकी रक्षा करेंगे, कल एक बिल भी आएगा लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो माननीय सदस्य उधर से बड़े धन्यवाद की बात कर रहे हैं। ये गौ-रक्षक हो जायं तो भारतीय जनता पार्टी के जितने सदस्य हैं उनको मैं अकेले मेरे जिले से सौ-सौ गाय देने के लिए तैयार हूं, अगर वे पालने के लिये तैयार हो। जब अकाल पड़ता है तो हजारों की संख्या में बगैर चारे के...(व्यवधान).. सुन लो। इस राजस्थान में हजारों गायें बगैर चारे के मर जाती हैं। हमारी सरकारी नहीं सोचती, गाय की बात तो छोड़ दीजिए, आदिवासी इलाके में हमारी माताएं, जो हमें जन्म देती है, भूख से मर जाती हैं, और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाती। आज आप सांड की बात करते हैं। गौ-शाला में रखने की बात करते हैं तो 5 हजार रुपये लाने की बात करते हैं और कोई गावं वाला 5 हजार रुपये जमा नहीं कराता है। इसीलिये नाकारा सांड भूख से तड़फ रहे हैं (व्यवधान) कहां की बात कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री अमराराम : उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी। के सदस्य पालना चाहें...

श्री रामप्रताप कासनियां : बिल ले आओ, वह व्यवस्था भी करेंगे।

श्री अमराराम : व्यवस्था, आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आज मुख्य मंत्रीजी फरमा रहे थे एग्री इण्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में, जिसमें 500 कर्मचारी हैं, उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते कहां राजस्थान के तीन करोड़ किसान हैं। अगर तीन करोड़ किसान अपने पशुओं का पालन नहीं कर सकते और राजस्थान की सरकार कर लेगी, अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल नाममुकिन है। क्योंकि अनार्थिक होने के कारण

(श्री अमराराम)

किसान ने उन गायों को छोड़ा है। मैं यह नहीं मानता कि वध किया जाय वध वह किसान नहीं करने देगा लेकिन वह अनार्थिक हो जाने के कारण जो आवारा हो गयी हैं उनकी व्यवस्था राजस्थान की सरकार किसी भी सूरत में नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी अगर कर ले और उसके कार्यकर्त्ता कर लें तो मुझे बड़ी खुशी है।

श्री अध्यक्ष : एक आप भी रख लेना तो सब मामला हो जाएगा। बिराजिये आप। श्री कंग साहब।

श्री अमराराम : अध्यक्ष महोदय, मैं तो पालता हूं, रखता भी हूं लेकिन जो यहां बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय कंग साहब, आपको कह रहा हूं।

श्री अमराराम : वह अगर गाय पालें तो निश्चित रूप से अकेले सीकर जिले के एक-एक गावं से सौ-सौ गायें मिल जाएंगी, अगर वे लेंना। केवल मात्र यह बिल लाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान की गाय के साथ भावनात्मक खिलवाड़ कर रही है इसके सिवाय उसकी सेवा करने का अर्थ नहीं है। दूसरा मुझे निवेदन करना है

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री कंग साहब।

श्री अमराराम : कि इसमें जो ग्यारहवां क्लॉज रखा गया है, जहां राजस्थान के किसी नागरिक की हत्या हो जाए और 302 का मुकदमा लग जाय, मूलजिम यह साबित करने के लिए बाध्य नहीं है लेकिन जिस तरह से हरिजन एट्रोसिटी का और हरे पेड़ को किसान के द्वारा काटने के एक्ट का दुरुपयोग हुआ है। ग्यारहवां क्लाज है यदि एक्ट लागू हो गया तो उसको खुद को निर्दोष सिद्ध करना होगा, जब राजस्थान के चार करोड़ लोगों के पशु पर अटेक किया और वह खतम हो गया, उसके मुलजिम को साबित करने की जरूरत नहीं है लेकिन झूठ-झूठ किसी भी व्यकित पर यह एक्ट लागू होने के बाद लागू कर दिया तो उसको कितना दुःख होगा। इसलिये ऐसे क्लाज को समय दिया। इसलिये ऐसे क्लॉज को ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। कंग साहब।

श्री अमराराम : प्रावधान रख दिया गया है। अपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जगतार सिंह (श्रीकरणपुर) : अध्यक्षजी, यह जो गायों के वध को रोकने के लिये कानून बनाया गया है मैं समझता हूं कि राजस्थान के हर आदमी की भावनाएं इसके साथ हैं और कोई भी राजस्थान का ऐसा नागरिक नहीं चाहता कि जिसको हम माता के रूप में पूजते हैं, उसको किसी प्रकार से कोई नुकसान हो। मैं समझता हूं कि जैसा भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य ने कहा कि कोई उनके पास गाय का ठेका नहीं हैं। गाय से उतना प्यार हमें भी है, उतना उनको है और गाय को हम भी उतना ही पूजते हैं जितना ये लोग पूजते हैं मगर सबसे बड़ा अन्तर गाय को पूजने का शहर और गांव का यह है कि शहर के लोग गाय का दूध पीते हैं और उसको सड़क पर छोड़ देते हैं। समय पर उसको चारा नहीं डालते। सारे दिन वह सब्जियां और किसानों की फसलें जो मार्केट में बिकने आती हैं उनको खाती हैं और शाम

(श्री जगतार सिंह)

को दूध निकालने का वक्त आ जाता है तो उस समय गाय को वे ले आते हैं।

हमारे राजस्थान स्टेट में बहुत–सी गौ-शालाएं हैं, किसानों से गौ-शालाओं का पैसा लिया जाता है, गौशाला के नाम से पैसा लिया जाता है मगर जो आवारा पशु शहरों से गांव में जाते हैं, रात को शहरों के आस-पास रहने वाले किसान कभी सो नहीं सकते। उनको सर्दी में अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती है और गायों के झुण्ड के झुण्ड जाकर इन गरीब किसानों की फसल खा जाते हैं। यह एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि कल भी एक बिल लाया जा रहा है कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाय। हम यह चाहते हैं कि जिस गाय को हम माता के रूप में एक तरफ पूजते हैं और उनके बछड़े, उनके सांड और जो पशु इस तरह से आवारा हैं, जो किसानों की फसलों को नुक्सान करते हैं, गौ-शाला के नाम से हमसे चन्दा लिया जाता है ऐसी गायों की सरकार व्यवस्था करे, उनको गौशाला में रखें। अगर कोई किसान गौशाला में पशु देने के लिये आता है तो उसको इन्कार कर दिया जाता है। आज हम देख रहे हैं कि गौशालाएं भी व्यापार का केन्द्र बनी हुई हैं दूध देने वाली जो गाय है, वह तो वहां से ली जाती है मगर जो पशु बीमार हैं, लंगड़ा है, या शहर में फिर रहा है, उसको कोई सम्भालने वाला नहीं है। इस तरह से एक तरफ तो, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि भैंस का भैंस का पाड़ा नहीं मिलेगा मगर गाय का बछड़ा या सांड या ऐसी गायें जो दूध नहीं देती हैं, वह झुंड के झुंड मिल जाएंगी तो हम यह चाहते हैं कि इनके बारे में जो इतनी सदन में चिन्ता व्यक्त की जा रही है, इसके लिए कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए ताकि गायों को हम पूरा चारा दे सकें, गायों की हम सुरक्षा कर सकें और यह ठीक है, कानून में ऐसा प्रोविजन किया है, मैं कहता हूं कि लायबिलिटी सब पर होनी चाहिये मगर जो गाय के मालिक हैं, उन पर लायबिलिटी होनी चाहिये।

हमारे यहां मैं आपको एक इंस्टांस का निवेदन करूं, परेड गावं है, जिसमें 70–70 पशु, किसानों के खेत में चले गये और उन छोड़े हुए पशुओं के एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमें हुए, वर्ग में संघर्ष पैदा हुआ, मार-कुटाई हुई और पुलिस में केस चले। ऐसी स्थिति में अपने को जो गाय को आवारा छोड़ता है, किसान को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर और जो गाय को नहीं सम्भालते हैं, गौशालाएं होते हुए भी, पैसे लेते हुए भी उन पर भी इसका अपने को बेन लगाना चाहिये। अब आपने देखा, होगा, कभी आप गेहूं खरीदने गये हों, अभी इसी सीजन में जाकर देखना, किसान का गेहूं खड़ा है और आवारा पशु आता है, दो किलो गेहूं खा जाता है, नरमा लेकर आये, मार्केट में बैलगाड़ी चल रही है और पीछे से गाय खा रही है, तो ऐसे समय में मान लीजिये, ऐसा कोई गरीब किसान हो, किसी के डण्डा मार दे तो यह कानून लागू हो गया, गाय को किसी तरह की चोट पहुंचाने की उसकी मंशा नहीं है, फिर भी कोई ऐसी बात हो जाए तो उस पर यह कानून लागू हो गया। अपन को इस तरह की व्यवस्था करनी है कि यह स्थिति नहीं आये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जगतार सिंह : मैं, माननीय अध्यक्षजी, अपके माध्यम से इस और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस स्थिति से बचने के लिए गाय को जो यह कानून लाया गया है, यह बहुत बढ़िया है और हम इसका समर्थन करते हैं, मगर इसमें कुछ हम यह चाहते हैं कि सरकारी पूरी व्यवस्था करे, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम। पहले एक मिनट।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय ध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए सबसे पहले ता मैं गुर्जर साहब का आभारी हूं जिन्होंने इस हाउस को अपना गर्म भाषण सुना कर और गऊ के प्रति जो प्रेम था वह पूरा जगाया। इसके साथ-साथ मैं सारे हाउस का भी धन्यवाद करता हूं और निवेदन करता हूं कि मैंने आपको कल भी जीरो आवर में और आज भी यह एक चिट दी थी। आपको ध्यान होगा, अध्यक्ष महोदय, परसों रात की बात है, छह गायें जो दस–दस किलो दूध देती थीं और एक सांड को हमारे श्रीगंगानगर के अन्दर, पुलिस लांइन के सामने किसी ने उनको कुछ खिला दिया। यह घटना पहली बार नहीं, कई बार हो चुकी है। हनुमानगढ़ के अन्दर, टी० वी० के अन्दर, नवभारत टाइम्स में भी कल आया, आप सबने पढ़ा होगा, इस तरह का धंधा करने वाला एक बहुत बड़ा गिरोह है, जो उनकी खालों का, हड्डियों का और मांस का धंधा करता है। इसलिये इन चीजों को, जो आप कानून बनाने जा रहे हैं उसमें पनिशमेंट का भी इस प्रकार से पुलिस ही मिलकर जब कोई काम करवायेगी तो उसमें भी आपको इस तरह से क्लॉज डालना चाहिये कि पुलिस का व्यक्ति या कोई भी अमुक व्यक्ति इस तरह के कार्य में लिप्त पाया जाएगा तो उसको सख्त सजा मिलेगी ताकि कोई दुबारा इस तरह का कार्य नहीं करे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रवणजी।

श्री राधेश्याम : मेरा यह भी सुझाव है कि गोशालाएं जितनी भी हैं, उनको आप, जैसे पाठशालाओं को अनुदान देते हैं, उसी तरह से आप गोशालाओं को भी पचास, साठ, सत्तर प्रतिशत अनुदान दीजिये ताकि और गोशालाएं खुलें और ज्यादा से ज्यादा पशुओं को रखें और उनका पालन कर सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणजी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो कानून लायी है, बहुत खुशी की बात है और साथ-साथ में जो यह जंगली गायें हैं, जो किसानों को बड़ा नुक्सान पहुंचाती हैं वह भी साथ ही आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नीलगाय का अलग है।

श्री श्रवण कुमार : हां, यह ध्यान रखना, क्योंकि नीलगायों का भी साथ ही जोड़ दिया जाएगा तो किसान तो खेत में रहेगा, फिर गांव में नहीं आ सकेगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री श्रवण कुमार : एक बात यह है कि गौशालाएं जितनी भी हैं, वे सेठों की हैं और एक गाय को वहां पर छोड़ने जाते हैं तो पांच सौ–हजार रुपये जमा करवाने पड़ते हैं। इसलिये सरकार को साथ-साथ में यह भी प्रबन्ध करना पड़ेगा, वरना 1988-89 में अकाल के टाइम इतनी गायें मरी थीं कि उसकी कोई

श्री श्रवण कुमार)

ीमा नहीं थी। इसलिये सरकार को साथ-साथ ोशाला का प्रबन्ध भी करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रतापजी। एक मिनट.

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : ध्यक्ष महोदय, गो-वंश की हत्या रोकने के ़ये (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठहरिये, मैं सबका बोल हा हूं।

श्री रामप्रताप कासनियां : सरकार यह ो बिल लायी है, यह बहुत ही बढ़िया है। ोग काफी वर्षों से इस बात का प्रयास कर हे थे कि गो-हत्या बन्द होनी चाहिये। यहां ाउस के अन्दर सबसे बड़ी चिन्ता जो जतायी यी है, वह यह है कि जो पशु दूध देने वाला हीं होगा, जो बेल काश्त करने के काबिल हीं होगा, इस तरह के पशुओं की क्या यवस्था होगी ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ाध्यम से निवेदन करना चाहूंगा अगर इस रह की कोई संस्थान का गठन पक्ष-विपक्ष ोनों मिलकर करे तो गोशाला के लिये लोग ाजस्थान के अन्दर इतना पैसा देने के लिये यार हैं, उनको विश्वास हो जाना चाहिये कि मारे पैसे का सदुपयोग होगा। लोगों को यह िश्वास नहीं है कि हम जो पैसा दे रहे हैं, सका सदुपयोग होगा या नहीं होगा अगर स तरह की व्यवस्था पक्ष और विपक्ष दोनों मलकर कर दें, तो गोवंशीय की रक्षा की जा ाकती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी।

श्री रामप्रताप कासनियां : इस तरह से ेवल वाहवाही लूटने से काम नहीं चलने वाला है यह श्रद्धा का विषय है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामप्रताप कासनियां : आप और हम भी श्रद्धा रखते हैं। गांव के लोग भी श्रद्धा रखते हैं, वे गेहूं देने के लिये तैयार है, चारा देने के लिये तैयार है। आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप (टोड़ाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही खुशी की बात है कि सदन में हमारा इतना एक महान कार्य हुआ, इसके लिये पूरा सदन आज खुश है और हम पक्ष और विपक्ष, दोनों ने इस बात की मांग की थी और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इसकी स्वीकृति दे दी। आज हमको इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी कि हमेशा से हमने हमारे धर्म के अन्दर और देश के अन्दर जिस चीज को महान माना और आज उसका बिल पास हुआ। इसके लिए अभी हमारे गोपीरामजी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख जायेगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का स्वर्ण अक्षर नहीं होगा वह सारे सदन का स्वर्ण अक्षर होगा

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छी बात है।

श्री रामस्वरूप : इसमें उतनी ही मेहनत हमने की थी आप जितने बोले थे उतना ही आपका सहयोग हमने भी किया था और हमारी तरफ से यह बात आयी थी कि गो हत्याबंद करायी जाय। इसलिए आप इस बात को नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने यह किया है, पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर यह कोशिश की है।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल ठीक कहा आपने।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा तो एक सुझाव है, कि हमारे श्री कृष्ण भगवान हुए थे, वह वहां के राजा थे और उन्होंने इसकी रक्षा के लिए क्या किया था, वह स्वयं वन में गऊ चराने जाया करते थे और स्वयं ने इस बात का एक उदाहरण पेश किया था कि इतने बड़े घर का होने के बाद भी, मैं इतना बड़ा राजा बनने जा रहा हूं अभी उससे पहले मैं गऊ चराने जाऊंगा और वह स्वयं गऊ चराने जाया करते थे। आज ठीक है, आपने कानून बना दिया लेकिन कानून बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि गऊ माता की हम को रक्षा करनी चाहिये। वास्तविक रक्षा गऊ माता की जब होगी, अध्यक्ष महोदय, जब उसको भूखे मरने से भी रोका जाएगा। खाली उसकी हत्या को रोक दिया आपने, लेकिन वह भूखी मरेगी तो वह भी एक हत्या होगी, वह उसकी आत्म हत्या होगी। इसलिए मैं आज सदन के मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस ऊ माता की रक्षा के लिए हम सब लोग जिम्मेदार बनें और यह नैतिक जिम्मेदारी लें, प्रत्येक आदमी, प्रत्येक देशवासी अपने घरों में गऊ माताएं रखें।

श्री अध्यक्ष : यह बात ठीक है।

श्री रामस्वरूप : जिस प्रकार पेड़ लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, कि पेड़ अनिवार्य है, पेड की रक्षा की जाय उसी प्रकार अनिवार्य कर दिया जाए। आज सब बात की कसम लें कि हम सब गऊ माता रखेंगे और गऊ माता की रक्षा के लिए....

श्री अध्यक्ष : श्री बद्री प्रसादजी गुरुजी। आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : और उसके पालन के लिए हम संकल्प लेंगे, जब तक यह संकल्प नहीं लेंगे तब तक इस कानून का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से पुनः निवेदन है कि इस पर जो महान कार्य सदन में हुआ है, उसके लिए हम सब धन्यावाद के पात्र हैं और उसकी रक्षा के लिए हम सब को ध्यान देना चाहिये और उसकी रक्षा करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : इसके साथ-साथ मेरा एक निवेदन और है। हमारी जो गोचर भूमि है उस पर गोचर भूमि को नष्ट किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। बद्री प्रसादजी।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार गोचर भूमि की रक्षा करे ताकि गायों की रक्षा हो सके। आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक पास होने जा रहा है यह राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा ही और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा।

आज इस राजस्थान विधान सभा ने 1967 में गोरक्षा के लिए दिल्ली में आन्दोलन करते जो लोग शहीद हुए थे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है इसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और सदन की भावना में अपनी भावना सम्मिलित करता हूं। जय हिन्द

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जी। मैं अभी सब को बुला रहा हूं, एक-एक माननीय सदस्य को।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान गोवंशीय पशु वध के निषेध के बारे में जो बिल विधेयक पारित होने जा रहा है, उसका मैं स्वागत करता हूं, किन्तु मेरा निवेदन करना यह है कि ऐसे गोपालक जो कि गाय माता के दूध का दोहन कर के, दूध का सेवन कर के सड़क पर निकाल देते हैं अगली बार तक दूध देने की स्थिति में 8 महीने, 9 महीने तक सड़क पर, उन गोपालकों के खिलाफ कोई भी कानूनन कार्यवाही नहीं की गयी है जो कि क्रूअल्टी टु एनीमल के अर्न्तगत भी ट्रीट होना चाहिये। मेरा निवेदन है कि ऐसे भारतीय सभ्यता के, संस्कृति के अक्षुण्ण धरोहर गोपालक जो कि भारी संख्या में बड़े-बड़े शहरों में सड़क, के सामने, सड़क के बीच में खूंटा गाड़ कर दूध निकालते और पीते हैं चार महीने, छह महीने और फिर अपनी गो माता को छोड़ देते हैं बड़े-बड़े शहरों कें बड़े-बड़े बाजारों के बीच में ट्राफिक कण्ट्रोल की स्थति से मुकाबला करने के लिए, जिन पर कार भी चढ़ती है, इस एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया है जिस के द्वारा ऐसे लोग जो गो माता को केवल दूध का दोहन करते हैं केवल उनके दूध का लाभ लेते हैं और जिनमें सेवा की भावना बिल्कुल नहीं है। उनके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस एक्ट में, यह पारित करने का तृतीय वाचन चल रहा है, ऐसी स्थति में मेरा निवेदन है कि

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री अमराराम जी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसमें यह भी संशोधन किया जाना चाहिये कि जो गोपालक क्रूरता के साथ गोवंश के साथ निमर्मता का व्यवहार करेगा उसके साथ कठोर कार्यवाही होगी, यह पैनल ओफेन्स भी इनसर्ट करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, गाय हमारी माता है। आज सदन ने गोवंश की रक्षा के लिए जो अधिनियम पास किया है उसके लिए पूरे सदन को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ चिकित्सा, राज्य मंत्री सरकार का धन्यवाद।

श्री अमराराम चौधरी : पूरे सदन को धन्यवाद, सरकार तो है ही उसके साथ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सरकार को तो मजबूर किया है गोपीचन्दजी गुर्जर ने, गोपी चन्द गुर्जर को धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : हरिसिंहजी को भी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, गाय, गुर्जर, गोचर, ग्वाला, इनका तो अनादि काल से मेल है।

श्री अध्यक्ष : उनका भगवान रखवाला है, बिराजिये आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : वह इसीलिए तो वह गुर्जर तड़फा ना।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय,

184

(श्री अमराराम चौधरी)

पश्चिमी राजस्थान में काश्तकारों का मेन इन्कम का जो सोर्स है वह दूध है और जितनी गायें पश्चिमी राजस्थान में है, या तो कुछ ब्रज में होगी या पश्चिमी राजस्थान में ही हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में हर तीसरे साल अकाल पड़ता है और जब कांग्रेस का राज था उस समय केन्द्र सरकार ने और यहां की सरकार ने गन्ना लेकर के हमारा जो पशुधन है, गोवंश है, इसको जीवित रखने के लिए लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किये। लेकिन उस समय जो हमारी स्वयं सेवी संस्थाएं थीं, जो लोग हमेशा गोवंश के बारे में दुहाई दे रहे थे वो इतने आगे नहीं आये। गांव में हम घुसते थे, ढ़ेर-के-ढ़ेर हड्डियों के लगे हुए हमें मिलते थे। लेकिन अब सदन ने जिस भावना से इस अधिनियम को पास किया है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकांश नगर-पालिका क्षेत्र के अन्दर हमारी गायें आवारा फिरती हैं, मार्केट में जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। उनकी देखभाल के लिए, माननीय नगरपालिका मंत्रीजी बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आवारा पशु हैं उनके लिए आप कुछ न कुछ प्रबन्ध करें, ऐसा आप निर्देश दें ताकि उनकी रक्षा हो सके नहीं तो छोटा बच्चा मार्केट में नहीं जा सकता। हम पूर्णिमा को, अमावस्या को, हमारी एक धार्मिक भावना है, उनको रजका डालते हैं, घास डालते हैं, कि जो आवारा पशु हैं जिनका कोई मालिक ही नहीं है उनको भी वह घास मिल जाय।

श्री अध्यक्ष : आप भी पाल लेना, अभी किशनारामजी बनायेंगे आपको।

श्री अमराराम चौधरी : नगरपालिका में विशेष तौर से यह प्रबन्ध किया जाय कि उन आवारा पशुओं के लिए...

श्री अध्यक्ष : आपको किशनारामजी से बात सुननी पड़ेगी अभी कि कितनी गायें पालते हैं, बिराजिये आप। कम से कम 100 हैं।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, गायें तो पश्चिमी राजस्थान में और सिणधरी में तो हजार-हजार, दो-दो हजार गायें जो हमारे....

श्री अध्यक्ष : 100–150 गायें किशनरामजी अकेले पाल रहे हैं, बिराजिये आप।

श्री अमराराम चौधरी : सिणधरी के अन्दर लोग पालते हैं और ऐसे में उन्होंने आज दिन तक कांकरेज ब्रीड को जीवित रखा है और सरकार ने भी समय-समय पर उन गोपालकों की मदद की है जिसके कारण से आज कांकरेज ब्रीड की नस्ल जीवित है। और खासतौर से बाड़मेर के अन्दर तो सारे लोगों का जीवन इन गायों पर ही निर्भर है। 100–100 गाय हैं, हमारे हरिसिंहजी के यहां भी 100 गायें होंगी। हेड़ की हेड़ रखते हैं वो गायों की, ऐसे नही हैं। तो जितने पश्चिमी राजस्थान में उनकी भावना है वह बहुत अच्छी है और आपने यह जो अधिनियम बनाया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम जी।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : आज जो गऊ वाला बिल है जिसको हमारी विधान सभा पास करने जा रही है, इसके लिए तो इन सबका स्वागत है। लेकिन इनके पीछे जो

(श्री किशनाराम नाई)

भावना आ रही है, आज भी मेरे पास 150 से ऊपर गाय है, जिनमें बछड़े–बछिड़यां और गाय शामिल हैं, और आज तक मैंने न तो बछड़ा बेचा है। न गाय बेची है, किसी को पालने के लिए जरूर दी है।

तो चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हम फील्ड में काम करते हैं तो हजारों कार्यकर्ता हमारे दल के साथ हैं, तो उनकी जो यह प्रेरणा दी जाय कि इनका मिसयूज नहीं हो, वह पालें। 5 या 10 हरेक आदमी का कर्तव्य है, वह रखे तो ऐसा कोई बदनीयती से काम नहीं होगा। उस तरह की जो भावना भारतीय जनता पार्टी की थी जिससे इन लोगों में, अपने विचार व्यक्त करने के लिए तो वह स्वतंत्र हैं, भावना यह भरनी चाहिये कि हरेक घर में 10 या 20 गाय होनी चाहिये और उनका पूरी तरह से पालन हो। वह मेरी एक भावना है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री डूडी जी।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज पूरे सदन के अन्दर एक बड़ी खुशी है कि जो हमेशा से राजस्थान के अन्दर गोवध हो रहा है और एक-दूसरे पर अपन आरोप–प्रत्यारोप भी लगाते थे। मैं जिस वर्ग से आ रहा हूं, किसान वर्ग से आ रहा हूं और मैं यह भी आपको बता दूं कि हमारे पूर्वजों के पास सौ-सौ गायें होती थीं।

अध्यक्ष महोदय, आज के दिन पचास गायें मुझे व्यक्तिशः पालने का भगवान ने मौका दिया है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आज जिस तरह की स्थिति गांवों के अंदर है, जो बिल लाये हैं, उसका तो मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज गांवों के अंदर आपके चारागाह नहीं हैं। इस पर गंभीर विचार करना पड़ेगा। आज जो लोग गो-सेवा करना चाहते हैं लेकिन पीने के लिए पानी व्यवस्था नहीं है, खेलियां नहीं हैं और इसके अलावा आवारा पशु भी हैं आज जो काश्तकार हैं उनका इस तरह का हो रहा है, यह मैं पिछले करीब चार साल से देख रहा हूं कि गांव के अंदर काश्तकारों गायों को चराने के लिए चारागाह न होने की वजह से दामाशाह के अंदर उनके सामने भारी दिक्कत होती है और हेड़ की हेड़ गायों को वह एक गांव से दूसरे गांवों की तरफ धकेलते रहते हैं। जब तक हम पुख्ता व्यवस्था नहीं करेंगे, चारागाह नहीं बनायंगे, उनके रहने के लिए बाड़ियां नहीं बनाएंगे और व्यक्तिगत जो लोग रखते हैं, उनसे नहीं, मगर जो आवारा पशु छोड़ देते हैं, आप इस कानून के अन्दर, मैं यह निवेदन कर रहा हूं जो लोग गायें रखते हैं उनको मालूम है आप नहीं जान सकते उन बातों को, केवल वाहवाही लेने से बात नहीं होती है। मैं यह जो निवेदन कर रहा हूं कि आवारा पशु जो छोड़ता है उनकी उतनी लायबिलिटी रहनी चाहिये और गांवों के अन्दर आप गोशालाएं खोलें, उनकी व्यवस्था करें। लूले-लंगड़े पशुओं के नाम पर करोड़ों रुपये, लाखों रुपये कमाते हैं। बछड़ों का नाम लिख देते हैं, गायों के आंकड़ें लिख देते हैं। उन लोगों को जब तक चैक नहीं करेंगे और पूरी व्यवस्था इसके लिये करें।

जो यह बिल लायें हैं, उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मदेरणा साहब।

(186)

श्री अध्यक्ष : श्री मदेरणा साहब। श्री मदेरण साहब कोई बात कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है और इसकी सेवंटी पर्सेण्ट जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अब यह ट्रेक्टर वगैरह दूसरे साधन हो गये पर पूरे राष्ट्र की खेती गौ-वंश के पशुओं से होती थी।

आज यहां पर कुछ माननीय सदस्य कह रह थे, यह बात सही है कि जो पीढ़ियों से और हजारों बरसों से जिनका एक आत्मीय सम्बन्ध गाय के साथ रहा है, वह किसान वर्ग का रहा है। उसमें "ग" वर्ड जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। उत्तरी भारत के अन्दर सबसे अच्छी नस्ल की गायें होती हैं। आज आप देख लीजिये बीकानेर, जोधपुर में कांक्रीज की ब्रीड को देख लीजिये। देश की सबसे अच्छी ब्रीड है। थारपारकर की ब्रीड को देख लीजिये। हिन्दुस्तान की दूसरी गौ-शालाओं में वह ब्रीड ले जाते हैं। अब धीरे-धीरे वह ब्रीड खतम होती जा रही है। राठी की ब्रीड को बीकानेर में देख लीजिये (व्यवधान) यह थारपारकर की मैंने बात कर ली। मैं राठी पर आया हूं। आपको मालूम नहीं कि गाय की पूंछ किधर होती है, बात कर रहे हो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको पता नहीं गाय के बारे में जितनी जानकारी मुझे है, वह आपको नहीं है नेता महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह निवेदन कर रहा था। आप रखते हो गाय, मुझे मालूम है। मेरे मकान पर अभी आप जाकर देख लो, चार गायें हैं और मेरे परिवार के दो भाइयों के पास में शायद सत्तर-अस्सी गायें होंगी।

काल-अकाल जब पड़ता है। इस सदन के माननीय सदस्य बहुत सही बात कह रहे थे। इस गो-रक्षा के लिए आज जो बहुत जोर-जोर से बातें करते हैं, कोई वहां पर उनको दाना नहीं डालता। अध्यक्ष महोदय, गाय की स्थिति इतनी खराब हो गयी थी 1967 के अंदर लगातार अकाल पड़ने से। चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य जानते होंगे और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य की कांस्टीटयूएंसी है। 1967 में गोडू और बजरबज्जू के अन्दर आठ साल से लगातार अकाल रहा और पशु धन बिल्कुल खतम हो गया था। मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मुझे यह बात नहीं कहनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्रता के साथ मैं इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि शायद हयूमन हिस्ट्री में यह पहली दफा यह हुआ होगा कि अकाल के वक्त में स्पेशल ट्रेन्स चली होंगी। उस वक्त मैं रिलीफ मिनिस्टर था। फलौदी से चली, पोकरण से चली, बालोतरा से चली, बीकानेर से चली और आपके बालोतरा और बायतू से चली और उनको मालवा पहुचाया गया।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न इस कानून के पास होने से गाय की रक्षा नहीं होने वाली है। उसको माता, वास्तव में अपनी माता "त्वमेव माता च पिता त्वमेव" माता भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि वह आपको जन्म देती है। दूध तो गटागट तीन-तीन गिलास कौल्ड फ्रिज में रखवाकर पी जाते हो, फिर उसकी कोई न सेवा है न मेवा है।

मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में जिस वक्त यह स्लाइट होने के

(श्री परसराम मदेरणा)

लिये गाय जा रही है, बहुत अच्छा कानून आया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। साथ में खास तौर से नगर से आने वाले माननीय सदस्य से भी मैं निवेदन करूंगा कि जितनी आप इस गाय के वध क अन्दर, गाय जहां एक्सपोर्ट्स हो रही है, उसकी पीड़ा है। हम भी कुछ गो-पालक हैं। हमारे में और आपमें फर्क इतना ही है कि इतिहास में एक दफा गोवर्धन पर्वत के पास भगवान कृष्ण ने गऊओं की रक्षा कर दी। इसलिये बहुत नजदीक आ गये। अदरवाइज गाय के तो हम ज्यादा नजदीक हैं। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं

श्री रामनारायण चौधरी : द्वारिका आपकी तरफ ही है न।

श्री परसराम मदेरणा : द्वारिका में जाते हैं लोग वहां पर पुण्य करने के लिए, कहीं स्वर्ग में पहुंच जाए। वहां दो तरह के आदमी जाते हैं। द्वारका में चुपचाप जाना चाहिये। भागकर जाएंगे तो उसको पुण्य होगा।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : यह है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : हां, यही तो है। कई लोग तो जाते हैं हिम्मत वाले, रामनारायण जी जैसे, जो द्वारका में गया कि नहीं गया। अपने परिवार से छिपकर जाना चाहिये। जो मुर्की-वुर्की कोई होती है, वह गिरवी रखकर भागता है। कई तो लगाते हैं छाप द्वारका में लोहे की और मेरे जैसा और राठौड़ जैसा कमजोर आदमी कुमकुम की छाप लगाकर वापस आ जाता है। इसलिये आज भी गांवों में अगर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं जहां पर अभी सोशल सैंक्शन ज्यादा है, अगर किसी आदमी की चोट से गाय मर जाती है तो मरी हुई गाय की पूंछ उसके गले में डालकर गंगाजी भेजा जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी : आज भी है।

श्री परसराम मदेरणा : अभी भी है। समझ में नहीं आता कि गो के प्रति लोगों की आस्था नहीं है पर या कोई नहीं समझते कि गाय हमारी रूरल इकानामी का मेन स्टेप है।

मैं यहां पर एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो बर्डन आफ प्रूफ रखा है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे।

क्योंकि माननीय मंत्री जी जानते हैं और आज पूनम चंद जी ने ठीक बात कही थी कि न कोई करोड़पति है, न कोई लखपति है, न कोई बड़े घराने के लोग हैं न राजा-महाराजा हैं। खेतसिंह जी अभी हैं नहीं, पच्चीस कोस पैदल चलकर के जोधपुर पढ़ने के लिए आते थे अगर वो सावड़ा रेलवे स्टेशन नहीं पकड़ते तो छब्बीस मील दूर थी। मैंने बीसियों दफा जब एम.ए और लॉ पास नहीं किया था पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरा गांव वहां से चालीस मील है मैं वहां से कभी ऊंट पर आता और कभी पैदल आना पड़ता। अब आप जाते हो ऊंट जो चलते हैं ऊंट ऐसा कमजोर जानवर है....

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : बाजरे की रोटी का क्या हुआ, साहब ?

श्री परसराम मदेरणा : बाजरे की रोटी जब बनती है जब बाजरा पूरा होता है (व्यवधान) अभी जब अकाल की बात कर रहा था जब तो बाजरे की घूघरी खिलाते, तो अब मैं आपको बाजरे की घूघरी खिलाऊंगा, रोटी नहीं खिलाऊंगा।

(188)

(श्री परसराम मदेरणा)

मैं यह कह रहा था कि बर्डन आफ प्रूफ उस पर डालते हैं। मैं ऊंट की मिसाल दे रहा हूं। ऊंट ऐसा कमजोर जानवर है कि एक दफा ठोकर खा जाता है तो वह टूट जाता है और टूटने के बाद आप चाहे कितना भी इलाज कराओ ऊंट कभी जिन्दा नहीं हुआ। अब प्रिवेंशन आफ एट्रोसिटज एक्ट के नीचे सेक्शन टेन को मैं पढ़ रहा था। मुझे मंत्री जी यह बताइये कि आपने ग्रवियस इंजरी के बारे में इमास्कुलशेन वर्ड यूज किया है What is the difference between the castration and emasculation ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हिन्दी में।

श्री परसराम मदेरणा : हिन्दी विन्दी तो मुझे कम ही आती है मैं तो दसवीं तक पढ़ा था। इन दोनों में क्या फर्क है ? दोनों अलग-अलग वर्ड आपने इमास्कुलेशन और केस्ट्रेशन दोनों अलग क्यों यूज किये हैं आपने ? नम्बर एक।

दूसरा, इसमें एक्सप्लेनेशन में सिक्स जो सब क्लाज है Any hurt that endangers life or which causes the sufferer severe bodily pain.

माननीय मंत्री जी मुझे यह बताइये कि सीवियर पेन भी होगा, आपके और मेरे होगा तो अपन तो चिल्लाने लग जायेंगे लेकिन अगर मवेशी के पेन हो गया है, तो वह तो अवल है। उसका मालूम कैसे होगा कि सीवियर पेन हो रहा है, तो कोई बारडिस्टिक है, बैरोमीटर है आपके पास में ?

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : एक्शन से पता लगेगा।

श्री परसराम मदेरणा : एक्शन से, यह डाक्टर है, यह आदमियों के डाक्टर हैं इसलिए एक्शन से इनको पता लग जाता है तो यह है साइकेट्रिस्ट तो सब चेहरा देखकर ही मालूम कर लेते हैं कि इसके पेन क्या है, इलाज क्या है। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस सेक्शन का दुरुपयोग होने की भी पासिबिलिटी है पनिशमेंट के मामले में। किसी के ऊपर नाराजगी हुई जैसे रात को कान तो काट दिया मैंने और कह दिया कि यह राठौड़ साहब ने काट दिया। बर्डन उसके ऊपर है, शहादत वहां कोई है नहीं कि तू बता तेरे खेत में मवेशी कान कटी हुई मिल गयी बता तू कि तैने नहीं काटी है और जो काटेगा उसको कोई देखने वाला है नहीं। इसलिए मैं यह कहा रहा था कि इसमें जो बर्डन आफ प्रूफ आपने रखा है, वह तो जो कम्पलेंट करता है, जिसकी मवेशी है उसके ऊपर बर्डन रहना चाहिये वह प्रूफ करे कि इसने यह आफेंस किया है और हर्ट किया है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इस सदन को काफी टाइम हो गया है। एक बिल और है। इसको अध्यक्ष महोदय, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो केस्ट्रेशन के बारे में बात बतायी तो जो बच्चे, सांड होते हैं उनका तो बधियाकरण नहीं करते हैं लेकिन जो बैलों के काम में लिए जाते हैं उनका बधियाकरण करते हैं

श्री परसराम मदेरणा : कोई भी आदमी मानलो उसको केस्ट्रेशन नहीं कराया तीन साल से पहले और वह अच्छी नस्ल का सांड नहीं है। गांवों में भी ऐसे सांड जो इन्होंने छोड़ दिये हैं। वह सुबह तिलक लगाकर छोड़ देते हैं, वह अच्छी नस्ल के नहीं होते हैं और वह पूरी प्रोजिनी को खराब कर देंगे उनका इमास्कुलेशन कौन करेगा ? यह बताइये आप। इसमें प्रोविजन ही नहीं रखा है आपने। (व्यवधान)...

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : माननीय विपक्ष के नेता ने जो बात बतायी, मैं उसके बारे में यही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई बड़ा जानवर है और वह उपयुक्त नहीं है उसका मालिक बधिकाकरण उसका करा देता है तो इसमें कोई कानूनी एतराज नहीं है सद्भावनापूर्वक वह कोई काम करता है तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा।

मैं विशेष तौर से माननीय विपक्ष के नेता महोदय और माननीय सभी सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने जो चिन्ता यहां पर दर्शायी कि इस एक्ट के लागू होने के बाद जो लावारिश पशु घूमेंगे उनके बारे में क्या किया जाएगा। गो सदनों का और गो शालाओं को राज्य सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी जाएंगी। यह बात सही है कि यह चिन्ता का विषय है और इसके लिए कल अलग से एक बिल यहां पर लाया जा रहा है और उसके तहत गोशालाओं और गोसदनों को ऐसा सक्षम किया जाएगा ताकि ऐसे जो भी लावारिश पशु हों वह उनमें रखे जायेंगे और उनके चारे की व्यवस्था की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषध और अस्थायी प्रव्रजन का निर्यात का विनियमन) विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया गया।.

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1995, श्रीमती शशि दत्ता प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1995

श्रीमती शशि दत्ता (राज्य मंत्री, विधि) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : जनमत जानने हेतु श्री शिवनाथ सिंह जी।

विधेयक को जनमत जानने हेतु पारिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन इसमें यह है कि आप यह बिल लायें हैं और बिल में आपने कहा है कि –

'The State Government shall constitute a fund to be called Advocates Welfare Ex-gratia Grants Fund.'

(श्री शिवनाथ सिंह)

गवर्नमेंट एक फण्ड क्रियेट करने जा रही है। मैं आपको एक किस्सा सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं। एक ठाकुर साहब के पास बैठे तो ठाकुर साहब ने कहा कि क्या चाहते हो, तो कहा कि एक तो इतना बड़ा कटोरा हो, भैंस का दूध हो, चीनी उसमें हो और यों मिलाके पियें तो चौधरी ने कहा कि ठाकुर साहब अपना क्या है इसमें कि आंगला ही आंगला है। तो, माननीय मंत्री महोदय, स्टेट गवर्नमेंट इसमें फण्ड क्रियेट करने जा रही है आपका इसमें अंगूठा–वंगूठा क्या है, कुछ नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इसमें एक पैसा देने का प्रावधान नहीं है। रुपया इकट्ठा होगा, एडवोकेट्स अपने यहां से अपनी जेब से पैसा जमा करायेंगे। क्लाइण्ट से लिया जाएगा

श्री भंवरलाल शर्मा : नो-नो।

श्री शिवनाथ सिंह : मान लो इसमें चार रुपये का स्टाम्प वकालतनामे पर लगे

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा है सैक्शन ट्वण्टी पढ़ लें आप।

श्री शिवनाथ सिंह : इतनी देर में तो मैं अपनी बात ही खतम कर लेता।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्लाइण्ट से एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। सैक्शन ट्वण्टी पढ लें आप।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी वकालतनामा पेश किया जाएगा उस पर चार रुपये का स्टाम्प लगाना पड़ेगा और वह चार रुपये का स्टाम्प वकील अपने पास से नहीं लगायेगा क्लाइण्ट की जेब से लगेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इस प्रकार का वेलफेयर फण्ड आप स्थापित करना चाहते हैं, तो इसमें स्टेट का कंट्रीब्यूशन भी कुछ होना चाहिये। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय के क्षेत्र में चार और बैंच दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं। जब तक बैंच और बार दोनों ही काम्पीटेंट नहीं होंगे तो न्यायपालिका को न्याय करने में कठिनाई आएगी। इसलिए एडवोकेट्स के लिए वेलफेयर होना चाहिये।

एक शब्द के लिए और मुझे एतराज है। आपने क्लाज–11 के लास्ट में "सी" में कहा:–

'(c) if a member to the fund dies at any time leaving behind dependents under hard circumstances.'

मैं मंत्री महोदया निवेदन करना चाहूंगा कि हार्ड सरकमस्टांसेंज यह शब्द लिखने की क्या आवश्यकता थी। एडवोकेट्स हैं, कोई मर जाता है आपका उसमें देने का प्रावधान है। हार्ड सरकमस्टांसेंज लिखने का मतलब उन वकीलों के प्रति अपमान है इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा ड्राफ्टिंग ठीक करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करूं कि गवर्नमेंट को इसमें अपनी तरफ से कुछ न कुछ देना चाहिये। बिना गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन के आप वाहवाही लेना चाहो तो कुछ नहीं है। अंगूठा अंगूठा आपका है।

श्री अध्यक्ष : श्री माधव सिंह दीवाना (अनुपस्थित) श्री लक्ष्मण सिंह जी। (अनुपस्थित) श्री ओमप्रकाश शर्मा । (अनुपस्थित)। श्रीमती

(श्री अध्यक्ष)

उजला अरोड़ा। (अनुपस्थित)। श्री विष्णु मोदी। (अनुपस्थित)। श्री जुबेर खान। (अनुपस्थित)।

श्री हरिसिंह (महुआ) अध्यक्ष महोदय, आप तो पारित कराओ। (व्यवधान)

श्रीमती शशि दत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अभी जो चिन्ता व्यक्त की कि इसके नाम से ही जो मैंने इसमें प्रस्ताव रखा है।

This is Advocates Welfare Act.

का संशोधित विधेयक हम 1995 पेश कर रहे हैं। इसमें माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की कि हम गवर्नमेंट एड भी इसमें दें। इनकी चिन्ता में मैं अपने आपको शामिल करती हूं लेकिन इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य को यह बात भी क्लियर कर देना चाहूंगी कि यह जो एक्ट है यह सिर्फ एडवोकेट्स के लिये है और जो आप इसमें व्यवस्था करना चाहते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : वह कर देंगे। (व्यवधान)

श्री परसराम भदेरणा : अध्यक्ष महोदय, हम प्रभारी मंत्रीजी के उत्तर से बहुत सेटिस्फाइड हैं और गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह बात रखी, इसके टाइटल को पढ़िये, अध्यक्ष महोदय The Rajasthan Advocates Welfare Fund (Amendment) Bill, 1995. न कोई हल्दी है, और न कोई फिटकरी है। एक पैसा सरकार नहीं दे रही है। वेलफेयर फण्ड खुद एडवोकेट्स का है। इसमें कुछ एनोमलीज आ गयी थीं, क्योंकि 1987 में यह पास हुआ था और व्यवहारिक नहीं था। इसको व्यवहारिक बनाने के लिए कुछ फिगर्स को इनक्रीज किया गया है। उनके पास में आज 50–60 लाख रुपये का यह फण्ड क्रियेट हो गया है। कई एडवोकेट्स को पेरेलेसिस हो गया है, कइयों को हार्ट की बीमारी है। दूसरे मामलों में लिमिट थी कि पांच हजार रुपये से ज्यादा नहीं दे सकते। इसलिये वह कांसीक्यूएशियल अमेंण्डमेंट हायर लिमिट फिक्स की है। मैं, अध्यक्ष महोदय, ऐसा मानता हूं इस पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इस बिल को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया गया।

(192)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक का पारण

श्रीमती शशि दत्ता, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय।

श्रीमती शशि दत्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1995 एवं राजस्थान गोसेवा आयोग विधेयक, 1995 को भी आज पारित करने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय दोनों विधेयक पारित होने तब बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय दोनों विधेयक पारित होने तक बढ़ाया गया।

प्रभारी मंत्री, श्री रघुवीर सिंह कौशल, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री रघुवीर सिंह कौशल (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया गया।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान गोसेवा आयोग विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

राजस्थान गोसेवा आयोग विधेयक, 1995

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : (पशुपालन राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान गोसेवा आयोग विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री लक्ष्मण सिंह : संशोधन तो आये नहीं। संशोधन दिये हैं।

श्री परसराम मरेदणा : यह तो इन्ट्रोड्यूज ही आज हुआ है।

श्री जुबेर खान : संशोधन दिये हुए हैं और हमारे पास संशोधन आये ही नहीं अभी तक।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है माननीय सचेतक महोदय ने आपसे पूछकर और यह राय व्यक्त की है उसमें क्योंकि सब बोल चुके हैं इसलिये आज इसको कर देते हैं। कल, क्योंकि बिजली...

श्री लक्ष्मण सिंह : एक बिल आ जायेगा।

श्री जुबेर खान : सचेतक महोदय, संशोधन नहीं है। आप ले नहीं सकते।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें चर्चा होगी और बड़ा टाइम लगेगा और दूसरा जो बिल इंट्रोड्यूज हुआ है उस बिल के अन्दर रूल रिलेक्स का था। मैंने आपसे भी निवेदन किया था कि इसमें रूल रिलेक्स कर दिया जाए एमोल्यूमेंट वाले में। इसमें रूल रिलेक्स करने की बात अगर आप सोचते हैं तो टाइम लग जाएगा और इसलिये एक ही बिल रहता है। मेरा निवेदन है आपसे कि वह बिल कल ले लिया जाय।

श्री शिवनाथ सिंह : हमने अपने संशोधन पेश किये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा।...(व्यवधान)..

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, हमने इसमें संशोधन पेश किये हैं, इसको कल ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष : इस बिल को कल ले लिया जाय, क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

(१९५)

(श्री अध्यक्ष)

बिल कल लिया जायेगा।

सदन की कार्यवाही दिनांक 5 मई, 1995 की प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18.40 बजे दिनांक 5 मई, 1995 को 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

(195)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 721 का विवरण

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि., जयपुर

शाखावार चल सम्पतियों का विवरण दिनांक 31.3.94 (रु. शाखा में)

परिशिष्ट 'क'

क्र.सं.	शाखा का नाम	स्टॉक		
		भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जे	कच्चा माल	तैयार माल
1.	मुख्यालय	–	–	–
2.	महाप्रबन्धक, (विपणन) जयपुर	–	–	0.43
3.	खण्डीय व्यवस्थापक (जयपुर डिवीजन)	–	–	39.27
4.	खण्डीय व्यवस्थापक (जोधपुर)	–	–	17.83
5.	उदयपुर	0.34	–	37.58
6.	भरतपुर	0.09	0.02	39.17
7.	अजमेर	–	–	19.19
8.	भीलवाड़ा	–	–	34.08
9.	चित्तौड़गढ़	–	0.01	19.31
10.	कोटा	–	0.01	28.56
11.	श्रीगंगानगर	–	–	62.45
12.	हनुमानगढ़	3.98	–	63.23
13.	बीकानेर	–	0.14	23.65
14.	अलवर	0.04	–	6.16
15.	सीकर	–	–	13.18
16.	उपादान	0.05	–	–
17.	कृषि उपकरण यंत्रालय	10.71	125.61	181.31
18.	मशीन डिवीजन	33.70	–	21.62
19.	बायो फर्टीलाइजर	2.13	0.61	0.22
20.	कम्पोस्ट प्लान्ट, जयपुर	0.10	–	–
21.	" " जोधपुर	0.10	–	0.25
	योग :	51.15	126.40	607.49

१९६

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड जयपुर
शाखावार अचल सम्पत्तियों का दिनांक 31-3-94 को लेखा मूल्य

	भूमि	भवन	संयंत्र/ एवं मशीनरी	विद्युत फिटिंग
मुख्यालय	275075	5,59,131	29,873	–
कृषि उपकरण यंत्रालय	13,800	5,52,395	4,43,114	–
मशीनशाखा, झोटवाड़ा	–	82,071	40,529	–
बॉयोफर्टीलाइर्जर शाखा	–	1,23,207	10,64,927	–
कम्पोस्ट संयंत्र, जयपुर	1,95,546	9,07,075	7,76,512	48,335
कम्पोस्ट संयंत्र जोधपुर	40,679	15,14,555	12,43,934	–
भीलवाड़ा शाखा	–	–	4,561	–
चित्तौड़गढ़ शाखा	–	22,362	–	–
श्रीगंगानगर शाखा	–	–	–	–
अजमेर शाखा	–	–	–	–
जोधपुर शाखा	16,010	2,54,726	3,967	–
अलवर शाखा	–	–	–	–
बीकानेर शाखा	–	–	–	–
कोटा शाखा	–	3,32,286	2,650	–
सीकर शाखा	–	–	–	–
हनुमानगढ़ शाखा	2,18,002	1,99,166	1,026	–
भरतपुर शाखा	–	–	841	–
इनपुटशाखा, जयपुर	–	39,604	2,500	–
शोरूम, जयपुर	50,494	1,28,269	141	–
उदयपुर शाखा	–	–	479	–
विपणन शाखा, जयपुर	–	–	–	–
योग :	8,09,606	47,28,847	36,15,054	48,335

ट्रैक्टर व अटेचमेंट	एल.डी. मशीन	फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	कैम्प के साजसमान	जिंग्स डाइंग एवं पेंटस
–	–	1,27,003	–	–
–	–	80,662	–	30,358
19,266	10,86,423	48,343	38,105	–
–	–	48,543	–	–
959	–	10,113	–	–
306	–	2,186	–	–
–	–	2,040	461	–
–	–	758	–	–
–	–	1,272	–	–
–	–	343	–	–
–	–	12,601	–	–
–	–	11,226	211	-
–	–	4,228	–	–
–	–	23,068	3,031	-
–	–	–	–	–
–	–	17,563	2,303	-
–	–	10,456	719	-
–6,680	–	41,259	–	–
–	–	13,801	–	–
–	–	6,287	162	-
–	–	10,850	530	-
27,211	10,86,423	4,72,602	45,522	30,358

(198)

प्रयोगशाला उपकरण	डीजल एवं कैरो-सीन ऑयलपम्प	वाहन	उपकरण	निर्माणधीन ऊंट गाडियां	पवन चक्कियां
–	–	1,95,056	–	–	–
–	–	1,25,222	25,120	2,133	25,128
45	–	65,258	27,935	–	–
17,597	–	–	–	–	–
403	–	–	–	–	–
–	–	–	268	–	–
–	–	–	2,441	–	–
–	–	319	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	2,133	1,554	–	–
–	–	–	783	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	215	3,895	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	13,741	–	–
–	–	–	795	–	–
–	–	–	1,216	–	–
–	–	–	1,296	–	–
–	–	–	308	–	–
–	–	–	–	–	–
18,045	13,500	3,88,837	79,352	2,133	25,128

सोलवेंट एक्सट्रेक्शन-फामुलेशन प्लान्ट	कीटनाशक प्लान्ट	निर्माणाधीन हैण्ड पम्प	निर्माणाधीन सोलर पम्प	निर्माणाधीन भवन
2,98,076	1,20,152	12,694	–	9,946
–	–	–	7,268	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	4,90,000
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
2,98,076	1,20,152	12,694	7,268	4,99,946

योग :– 1,23,29,089.00

परिशिष्ट-2

(समयभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

उद्योग विहार औद्योगिक क्षेत्र, श्रीगंगानगर में अग्निशमन केन्द्र

722. श्री राधेश्याम (श्रीगंगानगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर शहर से लगभग 10 कि. मी. की दूरी पर स्थापित उद्योग विहार नामक औद्योगिक क्षेत्र में पृथक से अग्निशमन केन्द्र स्थापित नहीं किया हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस औद्योगिक क्षेत्र में दो-तीन बार भयंकर अग्नि की दुर्घटनाएं हुई हैं और अग्निशमन केन्द्र शहर में होने के कारण आग पर काबू पाने में विलम्ब और कठिनाई हुई तथा अनावश्यक रूप से आर्थिक हानि उद्योगों को हुई ?

(3) क्या सरकार औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को अविलम्ब अग्नि शमन सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से पृथक से उद्योग विहार में एक अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि श्रीगंगानगर शहर से लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर स्थापित उद्योग विहार औद्योगिक क्षेत्र में अग्नि शमन केन्द्र स्थापित नहीं किया हुआ है।

(2) इस औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 1994-95 में तीन इकाइयों में अग्नि दुर्घटनाएं हुई। अग्नि शमन केन्द्र से उद्योग विहार में दमकल पहुंचने में मात्र 15 मिनट का समय लगा। अतः दमकल के देरी से पहुंचने के कारण उपरोक्त दुर्घटनाओं से उद्योगों को कोई अतिरिक्त हानि नहीं हुई।

(3) उद्योग विहार में पृथक से अग्नि शमन सेवा उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि नगर परिषद श्रीगंगानगर में पर्याप्त मात्रा में दमकलें उपलब्ध है व मात्र 15 मिनट के अन्तराल में अग्नि शमन केन्द्र से दमकल उपलब्ध हो जाती है।

तारांकित प्रश्न संख्या–723

(स्थगित)

आदिवासी विकास एवं प्रबन्धन सर्वेक्षण

724. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) एवं **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि वर्ष 1990-91 में आदिवासी उप योजना क्षेत्र में आदिवासी विकास एवं प्रबन्धन का सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

आदिवासी विकास एवं प्रबन्धन विषय पर वर्ष 1990-91 में शोध अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में मुख्यतः आदिवासी विकास एवं प्रबन्धन पर जनजाति विकास विभाग द्वारा अपनाई जा रही प्रबन्धन व्यवस्था का ही उल्लेख किया गया है। इस अध्ययन के सारांश की प्रति परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

राजस्थान में जनजाति विकास का प्रबंध

राजस्थान में जनजाति विकास के विविध कार्यक्रम चल रहे हैं। कर्मचारीतन्त्र उन्हें विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वित कर रहा है। लेकिन 45 वर्षों में विकास की प्रक्रिया जनजाति समाज को अब तक मुख्य धारा में नहीं ला पायी है। इसके लिये बहुत हद तक प्रबन्ध व्यवस्था उत्तरदायी कही जा सकती है। वैज्ञानिक प्रबन्ध के अभाव में क्रियान्विति की सफलता वर्तमान में संदेहास्पद रह सकती है। प्रबन्ध उद्देश्य पूर्ति एवं साधनों के अनुरूप है या नहीं यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यह अध्ययन इसी आधार पर आश्रित है।

अध्ययन विधि एवं क्षेत्र

प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों का प्रयोग सूचनाओं के संकलन एवं अध्ययन प्रतिवेदन लेखन में किया गया है। प्राथमिक तथ्यों को संकलन, प्रश्नावली, प्रश्न अनुसूची एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार पद्वति से किया गया है। द्वितीयक आंकड़ों का संकलन प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों एवं प्रकाशित सरकारी प्रतिवेदओं से किया गया है।

अध्ययन की उपलब्धियां

जनजाति विकास के लिये क्षेत्रीय गठन के आधार पर मोटे रूप से चार स्तरों एवं पक्षों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम बनाये गये हैं। ये चार प्रकार के कार्यक्रम इन्फ्रास्टक्चर के विकास, सामुदायिक लाभग्राही व्यक्तिगत लाभग्राही तथा नौकरी–अभिमुख प्रशिक्षण योजनाएं है। इसके अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता पर आधारित योजनाएं भी क्रियान्वित की गई है। इन योजनाओं के लिये चार स्रोतों से वित्तीय प्रबन्ध किया जाता है, जो राज्य योजना, केन्द्रीय योजना व केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संस्थागत वित्त है।

विश्लेषणों में यह स्पष्ट किया गया है कि योजना बनाते समय जनजाति समूहों की इथनिक विविधता को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये। जनजाति क्षेत्रों के लिये, निर्धारित नीतियों के अनुरूप योजना निर्माण की प्रक्रिया, जनजाति विकास की समस्याओं को ध्यान में रख कर ब्लॉक स्तर पर समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम एवं राज्य स्तर पर अन्य योजनाओं को बनाया है। वार्षिक योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया केन्द्रीय स्तर तक समान है।

जनजाति विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिये मोनिटरिंग एवं मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष योजनाओं का मूल्यांकन कर सुझावों के आधार पर क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिये अपेक्षित सुधार भी साथ ही साथ हो सकते हैं। इसके लिये लेखक ने दो विधियां सुझायी हैं। प्रथम, नियतकालिक प्रगति प्रतिवेदन एकं द्वितीय, क्षेत्र स्तर पर मानिटरिंग कम कोनकरेट मूल्यांकन। इस कार्य के लिये विभिन्न अभिकरण की सहायता ली जा सकती है। राजस्थान में मानिटरिंग की भूमिका का लाभ विभिन्न स्तरों–राज्य, कमिश्नर कार्यालय,

(202)

क्षेत्रीय, जिला एवं ब्लाक स्तर पर समय, धन एवं सफल क्रियान्वयन के सन्दर्भ में उठाया सकता है। मूल्यांकन कार्य आयुक्त विभाग में स्थित मूल्यांकन प्रकोष्ठ एवं जनर अनुसंधान संस्थान भी करता है।

जनजाति क्षेत्र के पिछड़ेपन और जनजाति संख्या को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा कार्यक्रमों को जनजाति संस्कृति, उसकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक प्रथाओं ने बहुत हद प्रभावित भी किया है। विकास की समस्याएं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तथा व्यक्ति से व्य- के बीच अलग-अलग रही हैं। अतः जनजाति विकास की प्रबन्ध के सन्दर्भ में अधिक उपय एवं प्रभावी बनाया जा सकता है।

अध्ययन के सुझाव

इस अध्ययन में लेखक ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, जिनको अगर स्वीकार कर लि जाये तो प्रबन्ध की उपयोगिता प्रभावी विकास के सन्दर्भ में देखी जा सकती है।

योजना प्रक्रिया को लाभग्राही-अभिमुख कार्यक्रम बनाने के लिये पुर्नसंगठित करने आवश्यकता है। वित्त एवं भौतिक सुविधाओं के लिये पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा चाहिये। भूमि, ऋण, बंधक मजदूरी, व्यापार, आबकारी, जंगल एवं मजदूरी आदि से सम्बन्धि शोषण को समाप्त करना चाहिये।

शिक्षा प्रसार को विकास के लिये मुख्य उपकरण बनाकर जनजाति बहुल क्षेत्र जनजाति परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने पर जोर देना चाहिये। ब्लाक एवं प्रोजेक्ट स्तर पर तकनीकी एवं प्रशासकीय संगठन को स्वीकार करना चाहिये। सा ही विकास खण्डों को पुर्नसंगठित कर छोटे खण्डों में जनजाति जनसंख्यात्मक परिस्थितियों क अनुरूप विकसित करना चाहिये और पंचायत समितियों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्य प्रतिशत के अनुरूप आरक्षण भी होना चाहिये जो क्षेत्रीय वास्तविकता को प्रदर्शित करे।

अध्ययन की प्रासंगिकता

इस अध्ययन की उपादेयता नीति निर्धारकों एवं क्रियान्वयन करने वालों के लिये ही है। प्रबन्ध व्यवस्था को वैज्ञानिक लेकिन मानवीय सन्दर्भ में विकसित एवं लागू करने पर ही जनजाति विकास कार्यक्रम सफल हो सकते हैं। अतः वैज्ञानिक लेकिन मानवीय प्रेरिप्रेक्ष्य में विकास कार्यक्रम को स्थानीय आवश्यकताओं एवं जनजाति समूह की सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुरूप किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है, के लिये इस प्रकार के अध्ययन आधार बनते हैं। अगर इसे गम्भीरता से लें तो इस उपेक्षित क्षेत्र को भी हमें सहज रूप से अपनाना चाहिये।

उपखण्ड क्षेत्र सलूम्बर के सहायक शक, कार्यालय को उपलब्ध सुविधाएं

725. **श्री फूलचन्द (सलूम्बर)** : क्या सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा :–

क्या यह सही है कि उपखण्ड क्षेत्र बर में सहायक निदेशक जन सम्पर्क का लय संचालित है ? यदि हां, तो इस लय को कौन-कौन सी सुविधाएं ब्ध कराई गयी हैं ? यदि नहीं, तो सरकार उक्त कार्यालय को कब तक क्या-क्या एं उपलब्ध करवा दी जायेंगी ? यदि तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। सलूम्बर में सहायक जन सम्पर्क गरी कार्यालय संचालित है। सहायक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय, सलूम्बर में ब्ध सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "क" पलब्ध है।

सहायक जन सम्पर्क अधिकारी कार्यालय, बर में उपलब्ध उपकरण एवं फर्नीचर की

	सामान की सूची	ज.ज.स.का. सलूम्बर
	ट्रांजिस्टर	1
	होर्न	1
	माइक	1
	यूनिट	1
	प्रोजेक्टर	1
	टाइप मशीन	1
	डुप्लीकेटिंग मशीन	1
8.	पर्दा फोटो फोन	2
9.	टी.वी.	1
10.	टू.इन.वन.	1
11.	कुर्सियां	14
12.	टेबिल	5
13.	अलमारी	3
14.	साइड रैक	2
15.	स्टूल लोहे के	2
16.	फिल्म रिवाइन्डर	1
17.	सिंलिग फैन	3
18.	स्टेपलाइजर	1
19.	स्पीकर	1
20.	माइक स्टेण्ड	1
21.	स्वीचबोर्ड	1
22.	पेट्रोमेक्स	1

पंचायत समिति निवाई एंव टोंक में प्राथमिक विद्यालय

726. **श्री बनवारी लाल बैरवा** (निवाई) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने प्राथमिक शालाएं खोलने के मानदण्डों के आधार पर पंचायत समिति निवाई व टोंक में प्राथमिक शालाएं खोल दीं हैं ? यदि नहीं; तो ऐसे कौन-कौन से ग्राम हैं जिनमें विद्यालय खोलना शेष हैं ? मानदण्डों की प्रति सहित सूची सदन की मेज रखें।

(2) इस सुविधा से वंचित गांवों में कब तक सरकार प्राथमिक शालाएं खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 में सामान्य क्षेत्र में 250 इससे अधिक तथा मरुस्थलीय व जनजातिय क्षेत्र में 150 व इससे अधिक की आबादी वाले विद्यालय विहीन ग्रामों में प्राथमिक शालाएं खोले जाने का मानदण्ड रखा गया था। जिसके आधार पर पंचायत समिति, निवाई एवं टोंक के ग्रामों में दण्डानुसार प्राथमिक विद्यालय खोल दिये गये हैं। अब उक्त मानदण्ड के अनुसार जिन ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोलना शेष रहा है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) वर्ष 1995-96 में बजट में 614 ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान रखा गया है, यदि यह ग्राम निर्धारित मापदण्ड में आवेंगे तो उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नियमानुसार प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का कार्यवाही की जावेगी।

पंचायत समिति निवाई

1. महासिंह पुरा ऊर्फ मंजुकडा
2. श्योपुर
3. सोभागपुरा
4. श्योसिंहपुरा उर्फ केरिया
5. बाढगोरकलां
6. बाढ, गौर खुर्द
7. दराब नगर
8. महाराज कंवरपुरा
9. नागलईसर
10. श्रीजगपुरा
11. राय दामोदरपुरा
12. लक्ष्मीदामोदरपुरा
13. बाढ रामपुरा

पंचायत समिति टोंक

1. इनायत गंज
2. अलीनगर (कठमाणा)
3. कमरीपुरा
4. रहीमपुरा (धोलाभाटा)
5. मो० नगर
6. इस्लामपुरा (गनौद)
7. अलिनाग (वामरोटिया)
8. ध्यातपुरा
9. बोरखण्डी खुर्द
10. अरनिया तिवाडी
11. अलीपुरा
12. अहमदनगर (हसनपुरा)
13. मीरगंज
14. देवपुरा
15. मीनगर
16. मो० पुरा (नयागांव)
17. धासडी
18. खैलीपुरा पापडी
19. रहमानदिया
20. मालियों की झोपडिया (डारडाहिन्द)
21. बैरवाओं की झोपड़िया (दक्षिण)
22. बीजलपुरा
23. ईशाकपुरा

विधान सभा क्षेत्र गंगरार के ग्रामों का विद्युतीकरण

727. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या गंगरार विधान सभा क्षेत्र के समस्त राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से राजस्व ग्राम अभी तक विद्युतीकरण से वंचित हैं ? ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों का कब तक विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, 1981 की जनगणनानुसार विधान सभा क्षेत्र गंगरार (पंचायत समिति गंगरार एवं राशमी) के समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण अभी नहीं किया गया है। पंचायत समिति राशमी में तीन व पंचायत समिति गंगरार में आठ ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष हैं। सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) शेष अविद्युतिकृत ग्रामों को योजना मद में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आबंटित वित्त एवं संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार ही आगामी वर्षों के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में शनैः शनैः सम्मिलित किया जा सकेगा। सभी ग्रामों का एक साथ विद्युतीकरण किया जाना सम्भव नहीं है।

पंचायत समिति गंगरार एवं राशमी के क्रमशः 94.9 व 96.43 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है, जबकि राजस्थान का विद्युतीकरण औसत 82.84 प्रतिशत है। इस प्रकार इन दोनों पंचायत समितियों का विद्युतीकरण स्तर औसत से काफी अच्छा है। पिछले कई वर्षों से विद्युत उत्पादन में काफी कम वृद्धि हुई है जबकि इसके मुकाबले मांग में काफी वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है प्रति उपभोक्ता को मिलने वाली बिजली में कमी आवे।

अकेले 2500 कुओं के प्रति वर्ष विद्युतीकरण से करीब 120 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं से करीब 200 मेगावाट का भार प्रति वर्ष बढ़ जाता है। मौजूदा समय में विस्तार से अधिक आवश्यकता सुदृढ़ीकरण की है ताकि राज्य के 42 लाख उपभोक्ताओं के मौजूदा सेवा स्तर में गिरावट न आ पावे।

विधान सभा के गंगरार (पंचायत समिति गंगरार एवं राशमी) में निम्न गांव अभी तक विद्युतीकरण से वंचित है :–

पंचायत समिति, राशमी :

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड संख्या
1.	चक अडाना नं. 1	21/1/70
2.	चक अडाना नं. 2	21/1/72
3.	जवाहरपुरा	21/1/73

पंचायत समिति, गंगरार :

1.	भोखमपुरा	21/2/64
2.	सोलंकियों का खेड़ा	21/2/56
3.	किशनपुरा	21/2/127
4.	नोला का खेड़ा	21/2/128
5.	चन्दनपुरा	21/2/20
6.	मेहताब सिंह का खेड़ा	21/2/14
7.	केवड़िया	21/2/93
8.	पीपलिया खुर्द	21/2/98

206

भीलवाड़ा-सूरत-अहमदाबाद हेतु निगम बस सेवा

728. श्री कालूलाल गूजर (मांडलगढ़) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा से सूरत, अहमदाबाद के लिए निगम की ओर से कोई डीलक्स व वातानुकूलित बसें चलायी जाती हैं ? यदि हां, तो कब-कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) डीलक्स, सेमीडीलक्स और वातानुकूलित बसें चलाने के मानदण्ड क्या हैं ?

(3) क्या भीलवाड़ा से जयपुर और जयपुर से भीलवाड़ा के लिए कोई डीलक्स बसें चलती हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी बसें व कब-कब चलती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या भीलवाड़ा जयपुर के मध्य डीलक्स, सेमीडीलक्स और वातानुकूलित बसें चलाने का निगम का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पर्याप्त यात्रीभार नहीं मिलने की संभावना के कारण डीलक्स या वातानूकुलित निगम बसों का संचालन इस मार्ग पर नहीं किया जा रहा है।

(2) सेवाएं चलाने हेतु पर्याप्त यात्रीभार मिलने का ही मानदण्ड है।

(3) व (4) जी हां। भीलवाड़ा व जयपुर के बीच संचालित डीलक्स बसों का विवरण परिशिष्ट–1 पर है। वर्तमान् में वातानुकूलित सेवा का मार्ग पर संचालित किये जाने का विचार नहीं है।

भीलवाड़ा से जयपुर मार्ग पर संचालित डीलक्स बसों की समय सारिणी

बस प्रारम्भ होने का स्थान	भीलवाड़ा पहुंच का समय (शुरू)	जयपुर पहुंच का समय
भीलवाड़ा	1045	1630
उदयपुर	1430	2000
चित्तौडगढ़	1100	1645
बांसवाड़ा	0030	0600
जयपुर	1,830	0000

वापसी सेवा जयपुर से प्रारम्भ होने का समय	भीलवाड़ा पहुंच का समय	सेवा समाप्त होने का स्थान
जयपुर	1745	2300 (भीलवाड़ा)
	1000	1530 (उदयपुर)
	12000	1745 (चित्तौडगढ़)
	1730	2300 (बांसवाड़ा)
	0000	0530 (उदयपुर)

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी नगर खण्ड उदयपुर का जांच प्रकरण

729. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि आन्तरिक जांच दल राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धक मण्डल, उदयपुर ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड उदयपुर के कार्यों की जांच दिनांक 1 जनवरी, 1978 से 30 अप्रेल, 1988 तक की अवधि की थी ? यदि हां, तो उक्त जांच में कितना गबन पाया गया तथा किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? जाचं रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां, उल्लेखिता अंतराल में रु. 663053.21 का गबन पाय गया। अब तक रु. 9658.23 की राशि वसूली की जा चुकी है।

इस प्रकरण में पर्यवेक्षीय लापरवाही हेतु प्रशासनिक जांच पूर्ण की जाकर सात सहायक अभियांताओं मुख्य अभियंता (मुख्यालय) के कार्यालय आदेश सं. स्वा/स्था०/69/जांप्र०/94-95/दिनांक 24-3-95 द्वारा दंडित किये गये हैं। जांच रिपोर्ट परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त श्री गोविंद सिंह पंवार, कनिष्ठ लिपिक को सम्बन्धित फौजदारी प्रकरण में सजा होने के बाद सेवा से हटा दिया गया। (आदेश दिनांक 4-9-93 परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है)।

बची हुई गबन की गयी राशि के सम्बन्ध में रिकवरी/अपलेखन की कार्यवाही की जानी अभी शेष है।

(जांच रिपोर्ट एवं आदेश की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आयुर्वेदिक औषधालय में औषधियों की उपलब्धता

730. **श्री अर्जुन दास मदान** (लाड़पुरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1990–91 से 1994–95 तक वर्षवार विभाग में कितने रुपयों की दवाइंयों बनी तथा वर्षवार कितने रुपयों की दवाइयों का वितरण रोगियों को किया गया ?

(2) क्या सरकार विभाग के औषधालयों में दवाइयों की उपलब्धता से सन्तुष्ट है ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो सरकार औषधालयों में दवाइयों की उपलब्धता में सुधार के लिये क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है ?

(3) क्या दवाइयों की कमी का रोगियों की संख्या पर असर पड़ा है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990–91 से 1994–95 तक वर्षवार विभागीय रसायनशालाओं द्वारा औषधियों बनाकर रोगियों को वितरित करने हेतु विभागीय औषधालयों/चिकित्सालयों को भेजी गयी जिसका विवरण परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(2) वित्तीय संसाधनों एवं निर्मित औषधियों की उपलब्धता के अनुसार औषधियां विभागीय औषधालयों/चिकित्सालयों को पूर्ति की जाती है। प्रचुर मात्रा में औषधियों की उपलब्धता हेतु विभाग प्रयासरत है। इस हेतु कच्ची औषधियां, जड़ी-बूटियों एवं अन्य घटक द्रव्यों के क्रय हेतु गत वर्ष 1994–95 में विभागीय बजट को बढ़ाकर दुगुना किया गया है तथा इस राशि को पूरा उपयोग भी कर लिया गया है। आवश्यकतानुसार रसायन शालाओं की क्षमता का पूर्ण उपयोग हो, इस हेतु औषध निर्माण के लिए एक वार्षिक निर्माण कार्य योजना तैयार की जा रही है जिससे अधिक एवं समय पर औषधियां निर्माण कर वितरित की जा सकेगी।

(3) जी नहीं।

वर्ष	औषध सप्लाई (राशि रुपयों में)
1990–91	81.64
1991–92	102.00
1992–93	173.78
1993–94	228.66
1994–95	232.28

कृषि उपज मण्डी समिति, बयाना की वार्षिक आय

731. **श्री मोतीलाल** (रूपवास) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बयाना कृषि उपज मंडी की कुल कितनी वार्षिक आय है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कृषि उपज मंडी की आय में चुंगी की चोरी हो रही है, जिससे मण्डी की वास्तविक आय का आंकलन नहीं हो पाता है ?

(3) क्या सरकार यहां हो रही चुंगी चोरी को रोकने के ठोस उपाय करने का विचार रखती है तथा इसमें लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों का पता लगाने के लिये कोई जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बयाना कृषि उपज मण्डी की वर्ष 1994–95 की वार्षिक आय 40,42,984/– रुपये है।

(2) जी, नहीं। मण्डी शुल्क की आय कर आंकलन मण्डी प्रांगण में विक्रय हेतु लाई गयी कृषि जिंसों के विक्रय के आधार पर किया जाता है।

(3) जी, हां। चुंगी चोरी के प्रकरण में जो कर्मचारी/अधिकारी लिप्त पाये जाते हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को स्वीकृत ऋण

732. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिल में वर्ष 1994–95 में कुल कितने शिक्षित बेरोजगारों को प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत ऋण में कितने बेरोजगारों को ऋण दिया गया ? बैंकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपीराम जाट)

(3) क्या यह सही है कि बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की सूचना डिस्पेच करके समय समय पर डाक में नहीं डाली जाती, अपितु बाद की तारीखों में डाली जाती है, जिसके फलस्वरूप बेरोजगारों को समय पर सूचना नहीं मिलती है और अवधि पार होने के कारण बैंक ऋण नहीं देता ? यदि हां, तो इन बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में वर्ष 1994–95 में प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल 659 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया। बैंकवार विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उपरोक्त ऋण स्वीकृत युवाओं में से मार्च 1995 तक 85 युवाओं को ऋण वितरण किया गया बैंकवार विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) यह बिन्दु बैंकों से सम्बन्धित है और राज्य सरकार का बैंकों पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना की बैंकवार प्रगति **वर्ष 1994-95**

क्र. सं.	बैंक का नाम	लक्ष्य	बैंकों को प्रेषित प्रार्थना पत्र	बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण	बैंकों द्वारा वितरित ऋण
1	2	3	4	5	6
1.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर।	160	513	157	09
2.	यू.को. बैंक	91	207	64	07
3.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	40	114	40	–
4.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	61	155	59	12
5.	बैंक ऑफ बडौदा	40	127	54	16
6.	पंजाब नेशनल बैंक	82	228	71	11
7.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	10	19	10	03
8.	सिडीकेट बैंक	07	15	07	02
9.	वैश्य बैंक	04	09	01	–
10.	इलाहबाद बैंक	16	52	16	04
11.	यूनियन बैंक	16	44	15	–
12.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स	19	37	07	03

(210)

1	2	3	4	5	6
13.	बैंक ऑफ राजस्थान	76	224	66	07
14.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	03	17	02	02
15.	बैंक ऑफ महाराष्ट्रा	03	09	02	02
16.	दैना बैंक	10	33	10	01
17.	इण्डियन बैंक	07	07	07	02
18.	केनरा बैंक	10	16	10	01
19.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	07	08	08	–
20.	स्टेट बैंक ऑफ सैराष्ट्रा	03	05	05	–
21.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	07	17	07	–
22.	विजया बैंक	07	19	07	–
23.	आन्ध्रा बैंक	03	11	03	–
24.	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	07	17	07	–
25.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	03	09	02	–
26.	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक	03	08	03	–
27.	बैंक ऑफ इण्डिया	28	86	16	03
28.	हैदराबाद बैंक	03	10	–	–
29.	कार्पोरेशन बैंक	03	10	02	–
30.	फेडरल बैंक	04	05	01	–
	टोटल :	733	2031	659	85

सेवा सहकारी समितियां, नागौर के व्यवस्थापकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

733. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर में कुल कितनी सेवा सहकारी समितियां हैं तथा उनमें कौन-कौन व्यवस्थापक हैं ? सूची सदन की मेज रखें।

(2) क्या उनमें किसी व्यवस्थापक के विरुद्ध कभी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध व इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) नागौर जिले में कितनी ऐसी ग्राम सेवा सहकारी समितियां है जिनको वर्ष 1991 से 1994 तक की अवधि में किस-किस वर्ष में ऋण राहत दी गयी। क्या यह भी सही है कि कुछ समितियां जिनका रिकार्ड ही उपलब्ध नहीं था, को भी ऋण राहत दी गयी ? यदि हां, तो किन-किन समितियों को कितनी-कितनी ऋण राशि की राहत दी गयी।

उत्तर

(1) जिला नागौर में कुल 284 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। उनमें कार्यरत व्यवस्थापकों की सूची परिशिष्ट "एक" पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। जिन व्यस्थापकों की विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "दो" पर उपलब्ध है।

(3) ऋण राहत योजना के तहत नागौर जिले की 280 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्यों को वर्ष 1991 में राहत दी गयी है। ऐसी किसी समिति को राहत नहीं दी गयी है जिसका कि रिकार्ड उपलब्ध न हो।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

एकीकृत परती विकास परियोजना, डूंगरपुर

734. **श्री शंकरलाल अहारी** (चौरासी) एवं **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

डूंगरपुर एकीकृत परती विकास परियोजना कब से प्रारम्भ की गई और इस योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय समग्र विकास हेतु भू-संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, पशुपालन एवं मत्स्य उत्पादन पर वर्ष 1994–95 में कितनी राशि व्यय की गई ? प्रत्येक मद में किस-किस गांव के कितने-कितने कृषकों को लाभान्वित किया गया ?

उत्तर

डूंगरपुर एकीकृत परती भूमि विकास परियोजना (पहल परियोजना) 3–11–91 से प्रारंभ की गयी। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय समग्र विकास हेतु वर्ष 94–95 में भू एवं जल संरक्षण पर 56.03 लाख रुपये, वानिकी (वृक्षारोपण सहित) पर 76.96 लाख रुपये एवं पशु पालन (मत्स्य सहित) पर 9.67 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। इन मदों में ग्रामवार लाभान्वित किये गये कृषकों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र पाली के आंगनबाड़ी केन्द्र

735. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र पाली के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये हैं एवं इनमें से कितने आंगनबाड़ी केन्द्र वर्तमान में चालू हैं व कितने केन्द्र बन्द कर दिये गये हैं ? पृथक्-पृथक् सूची मय विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से क्या-क्या कार्यक्रम चलाये जाते हैं एवं कितनी मात्रा में क्या-क्या पोषाहार निःशुल्क वितरित किया जाता है ? केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पाली में पाली शहरी परियोजना में 100 आंगनबाड़ी केन्द्र

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

एवं रोहट ग्रामीण परियोजना में 88 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। वर्तमान में 98 शहरी एवं 75 ग्रामीण कुल 173 आंगनबाड़ी केन्द्र चालू है। इनमें से शहरी क्षेत्र में 2 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5 आंगनबाड़ी केन्द्र बंद है। ग्रामीण क्षेत्र में 8 आंगनबाड़ी केन्द्र नये स्वीकृत किये गये हैं। जिन्हें अभी खोला जाना है। चालू एवं बंद आंगनबाड़ी केन्द्रों की पृथक्-पृथक् सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 0–6 वर्ष के बालकों तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच एवं सन्दर्भ सेवाएं, 3–6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, गर्भवती महिलाओं एवं 0–1 वर्ष आयु के बच्चों का टीकाकरण तथा महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा प्रदान की जाती है।

पाली विधान सभा क्षेत्र में परियोजनाओं के अन्तर्गत "केयर" संस्था से प्राप्त निःशुल्क दलिया (सी.एस.बी.) तथा तेल (एस. आईल) आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वितरित किया जाता है। सामान्य रूप से स्वस्थ बच्चों को 65 ग्राम दलिया तथा 8 ग्राम तेल एवं अति कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को 130 ग्राम दलिया व 16 ग्राम तेल प्रति दिन प्रति लाभान्वित उपलब्ध करवाया जाता है। निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रति केन्द्र प्रति दिन औसतन 5200 किलोग्राम दलिया तथा 640 ग्राम तेल की दर से पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है। केन्द्रों की सूची प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में संलग्न कर दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

माड़ा योजनान्तर्गत ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

736. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या माडा योजना में आने वाले गांवों में जहां जनसंख्या 200 तक है, प्राथमिक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी कब तक क्रियान्विति हो जायेगी ? यदि नहीं, तो फिर उन आदिवासी बालक-बालिकाओं के जिनके गांव के आस-पास 3–4 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं हैं, को अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बेगूं में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गयी है ? यदि हां, तो क्या सभी प्राथमिक विद्यालय खोल दिये गये ? यदि हां, तो कौन-कौन सा विद्यालय किस-किस तारीख से चालू किया गया ? यदि नहीं, तो यह विद्यालय कब तक आरम्भ हो जायेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि पहले से ही प्राथमिक विद्यालयों में आध्यापकों की कमी है ? क्या नये प्राथमिक विद्यालय खुलने से यह कमी और बढ़ गयी है ? यदि हां, तो इस कमी को सरकार कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जनजाति क्षेत्रों में वर्तमान मानदण्डों के अनुरूप 150 की आबादी पर

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

विद्यालय नहीं होने पर प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किया जाता है एवं सामान्य क्षेत्र में 250 की आबादी पर प्राथमिक विद्यालय नहीं होने पर प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किया जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बेगूं का पंचायत समिति बेगूं में आठ एवं पचायत समिति, भैसरोडगढ़ में आठ वर्ष 1994–95 में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई है जिन्हें उनके सामने अंकित तिथियों को खोल दिये गये हैं :–

क्र.सं.	पं. स. बेगूं	विद्यालय प्रारंभ करने की दिनांक
1.	तौरनिया	29-12-94
2.	किशोरपुरा	13-1-95
3.	गल्याबावडी	21-3-95
4.	बौरबावडी	8-3-95
5.	अमरतिया	11-3-95
6.	मेधनिवास	8-3-95
7.	लाड़पुरा	23-3-95
8.	निलाया	23-3-95

क्र.सं.	पं. सं भैसरोडगढ़	विद्यालय प्रारंभ करने की दिनांक
1.	भाडाकुडी	17-12-94
2.	लसाना	17-12-94
3.	किशोरपुरा	21-1-95
4.	उमरचा	3-1-95
5.	रूपपुरा	5-1-95
6.	केशरपुरा	17-1-95
7.	रावतपुरा	13-3-95
8.	हमेंरगज	11-3-95

(3) जी, नहीं। वर्ष 1994–95 में अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए उस वक्त की रिक्तियों के आधार पर पंचायत समिति, भैसरोड़गढ़ में 67 एवं बेगूं में 25 अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति हेतु, आबंटन किया गया। नये विद्यालय खुलने एवं कुछ नवनियुक्त अध्यापकों द्वारा ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने व उनके निजी जिले में या अन्यत्र चयन हो जाने से पुनः सेवा छोड़ देने से पंचायत समिति, बेगूं में 53 पद व भैसरोडगढ़ में 73 पद रिक्त है। इन्हें शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

डीग क्षेत्र (भरतपुर) के ग्रामों का विद्युतीकरण

737. **श्री गोपीचन्द** (नगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण का प्रतिवर्ष का लक्ष्य विद्युत मण्डल द्वारा पूरा नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) विद्युत मण्डल का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य था ? क्या लक्ष्य पूरा किया जा सका ?

(3) विद्युत मण्डल आगामी तीन वित्तीय वर्षों में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण करने का विचार रखता है ?

(4) भरतपुर जिले के डीग उपखण्ड में अब तक किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा आगामी वर्ष में किन ग्रामों का विद्युतीकरण करने का सरकार विचार रखती है ? ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपीचन्द)

(5) भरतपुर जिले के डीग उपखण्ड में ऐसे कौन-कौन से ग्राम हैं, जहां पर विद्युत मण्डल के रिकार्ड में तो विद्युतीकरण हो चुका है परन्तु वास्तविकता में नहीं हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। सामान्तया निर्धारित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के सापेक्ष विद्युतीकरण का लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया जाता है।

(2) पिछले तीन वर्षों में निर्धारित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 2250 ग्रामों के लक्ष्य के सापेक्ष 2247 ग्रामों को विद्युतीकरण घोषित किया गया है।

(3) आगामी वर्षों की योजना अभी तय नहीं की गई है। सभी गांवों का एक साथ विद्युतीकरण करना संभव नहीं है। संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार ही शनैः शनै गांवों का विद्युतीकरण किया जा सकेगा। विस्तार से अधिक आवश्यकता सुदृढ़ीकरण की है ताकि 42 लाख मौजूदा उपभोक्ताओं की सेवाओं में गिरावट न आने पावे। पिछले वर्षों में विद्युत उत्पादन में काफी कम वृद्धि हुई है जबकि इसके मुकाबले मांग में काफी अधिक वृद्धि हुई है। फलतः मांग और उपलब्धि का अन्तर बढ़ता जा रहा है। अकेले 25000 कुओं के प्रति वर्ष ऊर्जीकरण से करीब 120 मे.वा. बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। इस प्रकार अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं का करीब 200 मेगावाट का भार प्रति वर्ष बढ़ जाता है।

(4) भरतपुर जिले के डीग उपखण्ड में मार्च, 94 तक 389 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है (सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है) वर्ष 1995–96 का विद्युतीकरण कार्यक्रम अभी तय नहीं किया गया है। अतः फिलहाल बता पाना संभव नहीं है।

(5) भरतपुर जिले के डीग उपखण्ड में विद्युतीकृत घोषित ग्रामों में से ग्राम मालपुरा (ग्रामीण) व चक उमरा में कार्य पूरा नहीं हुआ तथा 95 ग्राम ऐसे है जिनमें ट्रांसफार्मर्स नहीं लगाया गया है। संलग्न सूची परिशिष्ट (अ) में इन्हें चिन्हित कर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा-खातोली वाया इटावा रोड पर संचालित अवैध वाहन

738. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कोटा से खातोली वाया इटावा रोड पर अवैध वाहन (बसें) चलती हैं ? यदि हां, तो किस-किस नम्बर की व किस-किस के नाम से, कितनी बसें ?

(2) क्या इन अवैध वाहनों के चलने से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अवैध वाहनों को रोककर उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

215

उत्तर

(1) व (2) चूंकि अवैध वाहनों का कोई निश्चित मार्ग व चलने का निश्चित समय नहीं होता अतः विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है। चैकिंग के दौरान मार्ग पर अवैध वाहन संचालन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। वर्ष 1994–95 में इस मार्ग पर चलने वाली 39 अवैध वाहनों के चालान बनाये जाकर 41,000/– रुपये जुर्माना राशि वसूल की गयी।

नगर निगम जयपुर के सफाई कर्मियों का प्रदूषण भत्ता

739. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को उनके वेतन का 10 प्रतिशत सीवरेज (प्रदूषण) भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो कब से तथा इसके क्या मानदण्ड निर्धारित कर रखें हैं ?

(2) क्या सरकार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मचारियों को भी उनके वेतन पर 10 प्रतिशत प्रदूषण भत्ता दिये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से एवं नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि मुख्य अभियंता द्वारा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी सचिव को अपने पत्र क्रमांक एफ/2/166 जन. स्वा. का क्रमांक 90/22208 दिनांक 13–3–1990 एवं पत्र क्रमांक 92/84092 दिनांक 13–3–1992 के द्वारा इन कर्मचारियों को भी प्रदूषण भत्ता दिये जाने के लिये लिखा था ? यदि हाँ तो अब तक सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मचारियों का भी सरकार स्वास्थ्य परीक्षण करवाती है ? यदि हां, तो इसके क्या मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं वर्ष 1979 से अब तक कितने लोगों का कितनी बार कब-कब स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार शेष रहे लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण वर्ष 1995–96 में कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर कर्मचारियों को 10 प्रतिशत सीवरेज भत्ता नहीं दिया जाता है। उपशासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के आदेश क्रम एफ–2 (मांग)/डीएलबी/89/1169 दिनांक 18.1.89 के आदेशानुसार सीवरेज गेंग में पदस्थपित सफाई कर्मचारियों को 30/– रुपये प्रति माह की दर से जोखिम भत्ता देय है।

(2) सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मचरियों को प्रदूषण भत्ता देने के प्रस्ताव पर नीतिमूलक आधार एवं संसाधनों को दृष्टिगत कर परीक्षण किया जा रहा है।

(3) जी हां। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मचारियों को प्रदूषण भत्ता देने के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

(4) अब तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया है एवं न ही मापदण्ड निर्धारित है।

(5) इस प्रकार स्वास्थ्य विभाग एवं श्रम विभाग की राय ली जाकर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(216)

निम्बाहेड़ा-छोटी सादड़ी क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

740. **श्री उदयलाल आंजना** (निम्बाहेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा–छोटी सादड़ी में वर्तमान में सभी श्रेणी के विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ? उक्त विद्यालयों में कहां-कहां तथा किस-किस श्रेणी के अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जावेंगे ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा–छोटी सादड़ी में 8 व्याख्याता एवं 5 तृतीय श्रेणी के अध्यापक के पद रिक्त हैं। सूची सदन के पटल पर रखी दी गयी है। व्याख्याताओं के रिक्त पद विभागीय चयन समिति एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें शीघ्र आयोजित की जायेगी। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नाम	विद्यालय	रिक्त पद		
		व्याख्याता	व० अध्या०	अध्यापक
1.	रासीमादि, कनैरा	2	–	–
2.	राबसीमावि, निम्बाहेडा	2	–	–
3.	" छोटी सादड़ी	4	–	–
4.	राब्राउप्रावि, छोटीसादड़ी	–	–	1
5.	राबप्रावि, निम्बाहेड़ा	–	–	2
6.	राउप्रावि, छोटीसादड़ी	–	–	2
		8	–	5

राजस्थान वित्त निगम, बून्दी द्वारा उद्योगों को ऋण स्वीकृति

741. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले एवं बूंदी नगर में राजस्थान वित्त निगम का कार्यालय है ? यदि हां, तो उक्त कार्यालय द्वारा वर्ष 1990–91 से 1994–95 तक प्रति वर्ष उद्योग लगाने हेतु कितना-कितना ऋण दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि बूंदी नगर के समीप कई उद्योगपति छोटे एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग लगाना चाहते हैं, जिनको पानीदार जमीन की आवश्यकता है और उद्योग विभाग भूमि उपलब्ध नहीं करा सका है ? यदि नहीं, तो रीको के पास 31 मार्च, 1995 तक ऐसी कितनी भूमि कहां-कहां उपलब्ध थी, जहां उद्योग लगाये जा सकते थे ?

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

(3) क्या यह सही है कि सरकार जिला बूंदी में उद्योग लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो अब तक कितनी भूमि उद्योग स्थापित करने के लिये उद्योग विभाग को आबंटित की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक भूमि उपलब्ध हो सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, बूंदी जिले में राज वित्त निगम की शाखा वर्ष 1980–81 से बूंदी शहर में कार्यरत है। वर्ष 1990–91 से 1994–95 तक बूंदी जिले में उद्योग लगाने हेतु स्वीकृत ऋणों का वर्षवार ब्यौरा निम्नप्रकार है :–

(राशि लाख रु० में)

	1990–91	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95 (लगभग)
ऋण स्वीकृति :	84.58		44.58	68.52	26.18
	58.78				
ऋण वितरण :	27.18	47.48	46.04	42.36	10.90

(2) बूंदी शहर के समीप रीको के पास जल आधारित उद्योगों के लिये आबंटन हेतु औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। नियम ने इस संबंध में बूंदी शहर के समीप औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिये ग्राम रामगंज (बासाजी) की 525 बीघा 16 बिस्वा निजी भूमि अर्जित करने हेतु प्रस्तावित की है। इसके अधिग्रहण की कार्यवाही विचाराधीन हैं।

(3) बूंदी जिले में 71.22 एकड़ भूमि अर्जित कर औद्योगिक क्षेत्र के स्थगित किये जा चुके हैं। इनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इसके अलावा ग्राम हट्टीपुरा की 74.22 एकड़ भूमि का औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। इस पर अल्प जल आवश्यकता आधारित उद्योग लग सकते हैं। रामगंज (बालाजी) की अवाप्तिधीन भूमि में प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है। इसकी अवाप्ति तत्परता से करायें जाने का प्रयास किया जा रहा है।

परिशिष्ट- ''अ''

जिला बूंदी में निगम द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण :-

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	अधिगृहित की गई भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकसित की गई भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	विक्रय योग्य क्षेत्रफल (एकड़ में) रु0	भूखण्ड जो नियोजित किये गये क्षेत्रफल (एकड़ में)		विशेष विवरण
1.	बी0 पी0 आर	9-22	9-22	4-26	82	4-26	
2.	बी0 एन0 आर0	18-00	18-00	12-17	40	12-17	
3.	बी0 सी0 आर0	23-20	23-20	8-62	18	8-62	
4.	गोविन्दपुर	64-14	—	26-81	64	26-81	उद्योग विभाग के निगम को हस्तांतरित क्षेत्र
5.	सुमेरगंजमण्डी	20-80	20-80	10-55	35	10-55	उपरोक्त

राजफैड द्वारा संचालित तेल मिलें

742. श्री भंवर सिंह डांगावास (मेड़ता) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजफैड की राज्य में कितनी तेल मिलें हैं।

(2) पिछले तीन वर्षों में इन्होंने कितना घाटा या नफा कमाया ?

(3) कृषि उपज मण्डियों से सरसों की उपज पिछले तीन सालों में किस-किस तिथि को आयी तथा राजफैड की शाखाओं ने सहकारी समिति के माध्यम से या कृषि उपज मण्डियों से किस तिथि को खरीदना प्रारम्भ किया।

(4) राजफैड की मेड़ता शहर की ऑयल मिल पर कितनी लागत आई है ?

(5) जब से मेड़ता तेल मिल ने तेल उत्पादन शुरू किया, लागत राशि का ब्याज (बैंक दर से) घटाने के बाद क्या लाभ हुआ ?

(6) राजफैड राजस्थान ने स्थापना से आज तक कितना लाभ या हानि अर्जित की है ?

उत्तर

(1) राजफैड की राज्य में वर्तमान में कोई तेल मिल नहीं है।

(2) चूंकि राजफैड की कोई तेल मिल नहीं है, अतः घाटे या नफे का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(3) कृषि उपज मण्डियों से सरसों की दैनिक आवक सम्बन्धी सूचना तैयार करना काफी श्रमसाध्य है। साथ ही अल्पविधि में 137 कृषि उपज मंडियों से तीन वर्ष की दैनिक आवक् की सूचना एकत्रित किया जाना संभव भी नहीं हैं। राजफैड की ओर से क्रय विक्रय स.स. ने कृषि उपज मण्डी में सरसों की खरीद निम्नानुसार प्रारम्भ की :–

रबी 1992–93 में 8-4-92 से
रबी 1993–94 में 1-4-93 से
रबी 1994–95 18-3-94 से

(4) राजफैड की मेड़ता में वर्तमान में कोई मिल नहीं है। जिसें तेल मिल की स्थापना राजफैड द्वारा प्रारंभ करायी गयी थी, वह 1-1-91 से तिलम संघ को स्थानान्तरित हो गई है। इस तेल मिल की स्थापना पर कुल 763.98 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

(5) मेड़ता स्थिति तिलम संघ की तेल मिल इकाई ने 1991–92 के उत्पादन प्रारम्भ किया। वर्षवार परिचालन, नकद तथा शुद्ध लाभ/हानि की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	परिचालन लाभ/हानि	नकद लाभ/हानि	शुद्ध लाभ/हानि (राशि लाखों में)
91–92	23.84	23.84	23.84
92–93	–83.76	–105.75	–129.54
93–94	–47.31	–108.56	–157.26
94–95 (अनुमानित राशि)	–1.35	–71.85	–122.85

(सहकारिता मंत्री)

(6) राजफैड ने अपनी स्थापना से लेकर 31-3-94 तक 1266.29 लाख रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वर्ष 94–95 में लेखे तैयार होने शेष हैं।

राजस संघ में प्रबंधकीय पदों पर आसीन अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यतायें

743. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस संघ की सेवाओं में प्रबंधकीय पद पर आसीन कितने ऐसे अधिकारी हैं जो उक्त पदों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते ?

(2) उक्त अधिकारियों की तकनीकी अक्षमता से संघ को व्यापार में जो हानि हुई है उसके लिये क्या कभी किसी को जिम्मेदारी सौंपी गयी ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें एवं नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार भविष्य में इस संबंध में कोई कारगार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) राजससंघ की सेवाओं में एक प्रबन्धक ऐसे अधिकारी हैं, जो कि अपने पद लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं।

(2) संघ की मौजूदा कार्यव्यवस्था इस प्रकार की है कि इसमें महत्वपूर्ण निर्णय कई स्तर पर विचार-विमर्श एवं विश्लेषण होने के पश्चात् लिए जाते हैं, अतः एक अधिकारी विशेष की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से कम योग्यता होने के कारण संघ को हानि का आंकलन किया जाना कठिन है।

(3) ऐसे एक अधिकारी जो अपने पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं अपने को मूल पद पर पदावनत किये जाने हेतु लिये गये निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 6–9–91 को स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण अभी तक इस अधिकारी को पदावनत नहीं किया गया है।

जिला परिषदों में कार्यरत मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन सचिव को उपलब्ध सुविधाएं

744. **श्री महेन्द्र कुमार मीणा** (सिकराय) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषदों में कार्यरत मुख्य अधिकारी व पदेन सचिव को घर पर एस.टी.डी दूरभाष व कार की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो वर्तमान में राज्य के कौन-कौन से जिलों में इन अधिकारियों को यह सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

(2) क्या उक्त पदाधिकारी को मुख्यालय छोड़ने व जिले तथा जिले के बाहर सरकारी वाहन व सरकारी व्यय पर दौरा करने के लिए जिला प्रमुख/अन्य किसी अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है ?

(3) क्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला प्रमुख की अनुमति के बिना जिला परिषद् की निजी आय से खर्चा कर सकता है ? यदि नहीं, तो ऐसा करने पर उक्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन सचिव, जिला परिषद को जिले के बाहर सरकारी वाहन एवं व्यय पर दौरा करने के लिए निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अनुमति लेना आवश्यक है।

(3) जिला परिषद की निजी आय से व्यय करने के लिए विभागीय पत्र क्रमांक एफ 951 (19) लेखा/68/2656 दिनांक 3-2-69 के द्वारा जिला परिषद की निजी आय से खर्चा करने की प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। जिसके अनुसार सचिव, जिला परिषद का यह दायित्व है कि वह निजी आय से जब कभी भी खर्चा करना चाहे तो जिला परिषद की निजी आय में कुल उपलब्ध राशि और उसमें से करार किये गये खर्चों की राशि को निकालने के बाद कितनी राशि उपलब्ध रहती है, से अवगत करावें।

इससे स्पष्ट है कि खर्चा करने से पूर्व जिला परिषद को समस्त वास्तविक स्थिति से मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराना चाहिए।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आहरण एवं वितरण अधिकारी की समस्त शक्तियां प्रदत्त हैं किन्तु कोई विशेष प्रकरण ध्यान में आने पर वह उसका भुगतान रोक सकता है जिसके लिए स्पष्ट कारण अंकित करना होगा।

पंचायत समितियों में शिक्षा प्रसार अधिकारियों के रिक्त पद

745. **श्री जयन्ति लाल कोली** (रेवदर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य की पंचायत समितियों में शिक्षा प्रसार अधिकारी के कितने पद स्वीकृत हैं एवं कार्यरत व रिक्त पदों की संख्या कितनी-कितनी है ?

(2) क्या उक्त रिक्त पदों को सरकार भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य की पंचायत समितियों में शिक्षा प्रसार अधिकारियों के कुल 565 पद स्वीकृत है वर्तमान में 228 शिक्षा प्रसार अधिकारी कार्यरत है शेष 337 पद शिक्षा प्रसार अधिकारियों के रिक्त है।

(2) जी, हां। शिक्षा प्रसार अधिकारियों के पद शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग, बीकानेर को लिखा गया है। शिक्षा विभाग ने अवगत कराया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से शिक्षा प्रसार अधिकारी पद के चयनित प्रत्याशी की सूची प्राप्त होने पर भेज दी जावेगी। विभाग की सूची प्राप्त होते ही पदस्थापन की कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र, खेड़ी

746. **श्री हरिनारायण बैरवा** (खण्डार) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, सवाईमाधोपुर यूजर्स कमेटी राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र खेड़ी

(222)

(श्री हरिनारायण बैरवा)

(खण्डार) के द्वारा विकास कार्य करवाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो ग्राम खेड़ी योजना में अब तक कितनी राशि खर्च हो चुकी है और विकास कार्य कितना हो चुका है तथा कितने कृषकों को इस योजना का लाभ मिला है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) यूजर्स कमेटी राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र खेड़ी (खण्डार) के क्षेत्र में अब तक कितने पेड़ व पौधे लग चुके हैं तथा अब तक इन पेड़ पौधों पर कितनी राशि खर्च हो चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र खेड़ी (खण्डार) की योजना को बन्द करने के बाद इसका लाभ किसानों को कितने वर्षों तक मिलता रहेगा ? विवरण सदन की मेज रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। जल ग्रहण क्षेत्र खेड़ी के विकास कार्य यूजर्स कमेटियों द्वारा करवाया जा रहा है। इस जल ग्रहण क्षेत्र में माह मार्च 1995 तक राशि रुपये 39.64 लाख व्यय कर 1030 हैक्टेयर भूमि उपचारित की जा चुकी अब तक 350 कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है।

(2) यूजर्स कमेटी द्वारा राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र खेड़ी में 53610 पेड़/पौधे लगाये है इन पर राशि रुपये 1.88 लाख व्यय किये गये हैं।

(3) लाभान्वित कृषक समुदाय द्वारा इस योजनान्तर्गत करवाये गये विकास कार्यों का नियमित रख रखाव करने का स्थिति में कृषकों को लाभ मिल सकेगा।

देवस्थान विभाग बीकानेर के निधि सेवा कर्मचारी

747. **श्री जितेन्द्र नीनामा** (घाटोल) एवं **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग बीकानेर में निधि सेवा के कर्मचारी विगत 10–12 वर्षों से कार्य कर रहे हैं फिर भी इन्हें अभी तक सरकार द्वारा नियमित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों वर्तमान में सरकार ने दो वर्ष तक दैनिक वेतन एवं अस्थायी तौर पर कार्य करने वाले अन्य विभागों के समस्त कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी माना गया है तो फिर देवस्थान बीकानेर के निधि कर्मचारियों को क्यों नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि देवस्थान बीकानेर के निधि कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के समान कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो इन्हें वेतन एवं अन्य भत्ते सरकार के कर्मचारियों के समान क्यों नहीं दिये जा रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग बीकानेर में कार्यरत निधि कर्मचारियों को निधि सेवा के कर्मचारी माना जाता है। यदि हां, तो क्या उक्त नियम का इन कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश में उल्लेख नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों व निधि नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या निधि कर्मचारियों को वर्तमान में देय वेतन एवं अन्य भत्ते वर्तमान महंगाई को देखते हुये उचित है ? इन कर्मचारियों को वर्तमान देय समस्त सुविधाओं का विवरण सदन को मेज पर रखें।

223

उत्तर

(1) जी, हां। इनकी नियुक्ति देवस्थान विभाग के निधि सेवा नियमों के अन्तर्गत होने से उनकी सेवाएं उन्हीं नियमों के अनुसार शासित होती है। जहां तक दो वर्ष तक की अवधि के दैनिक वेतन एवं अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी मानने का आदेश है। यह आदेश देवस्थान निधि कर्मचारियों पर प्रभावी नहीं होता।

(2) जी नहीं,

(3) जी, हां। इनके नियुक्ति आदेश में भी नियमों का उल्लेख किया जाता रहा है। फण्ड बजट व फण्ड सेवा नियम, 1959 की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। निधि कर्मचारियों को वेतन व अन्य भत्ते निधि (फण्ड बजट) नियमों के अनुसार ही दिये जाते हैं। निधि नियमों के नियम 9(1) में मंदिर की आय में से 25% एस्टेब्लिशेमेंट पर व्यय करने का प्रावधान है। उसी अनुसार वेतन व भत्ते दिये जाते हैं। कर्मचारियों को अन्य सुविधा फण्ड नियमानुसार ही दी जाती है। नियमों की प्रति सदन के पटल पर रखी दी गई है।

(नियमों की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तिलकनगर, बीकानेर क्षेत्र के नागरिकों द्वारा भूमि रूपान्तरण शुल्क की जमा राशि

748. **श्री किशनाराम नाई** (डूंगरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर शहर के वार्ड नं. 8 तिलक नगर के किन-किन व्यक्तियों द्वारा वर्ष 1990 से 1995 तक भूमि रूपान्तरण शुल्क जमा कराकर नगर न्यास, बीकानेर में फाइलें जमा कराई गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन्हें पट्टे जारी कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार इन्हें कब तक पट्टे जारी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) तिलक नगर क्षेत्र राजस्व ग्राम रिड़मलसर पुरोहितान एवं शहर कजाणी का भाग है। वर्ष 1990 से 1995 तक इस क्षेत्र में 46 व्यक्तियों द्वारा भूमि रूपान्तरण हेतु पत्रावलियों उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के कार्यालय में प्रस्तुत की गई तथा रूपान्तरण शुल्क भी स्वतः निर्धारण करके जमा करायी गयी हैं। सूची संलग्न हैं।

(2) वरिष्ठ नियोजक, बीकानेर एवं नगर सुधार न्यास, बीकानेर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुये है तथा कुछ प्रकरणों में भू-स्वामित्व सही नहीं होने से सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा इन्हें पट्टे जारी नहीं किये जा सके हैं।

परिशिष्ट "क"

बीकानेर शहर के वार्ड नम्बर 8 तिलक नगर में वर्ष 1990 से 1995 तक प्राप्त भूमि रूपान्तरण शुल्क जमा कराये गये प्रकरणों की सूची।

क्र.सं	वर्ष	नाम व्यक्ति	जमा कराई गई रूपांतरण राशि
1.	1990	श्री निरंजनसिंह	3080.00
2.	1991	" गजेन्द्रसिंह	6153.00

(224)

1	2	3	4
3.	1991	श्री बजरंगसिंह	3840.00
4.	1991	" बजरंगलाल	3908.00
5.	1991	" सचिन कुमार	2676.00
6.	1992	पुष्पा देवी	3204.00
7.	1992	श्री रविप्रकाश पाण्डें	4272.00
8.	1992	लाच्छू देवी जाखड़	8160.00
9.	1992	कुमारी पूजा जाखड़	8160.00
10.	1992	श्री नितिश कुमार गुप्ता	3336.00
11.	1992	" वेदसिंह	4223.00
12.	1992	" पालसिंह	10668.00
13.	1992	श्रीमती हरवीन्द्र कौर	10668.00
14.	1992	श्री संदीप कुमार पारीक	4572.00
15.	1992	" सुखदेव सहगल	4764.00
16.	1992	" मौ. अकबर	4806
17.	1992	" सुन्दरदास	4764.00
18.	1992	" गजानन्द	5580.00
19.	1992	नीलम	3204.00
20.	1992	श्री जयकुमार पारीक	4644.00
21.	1992	" मनीराम	4644.00
22.	1992	श्रीमती सोहनी देवी	4008.00
23.	1992	श्री जगदीश प्रसाद	4008.00
24.	1992	" सागर कंवर	6408.00
25.	1992	" अनन्त कुमार रावत	1872.00
26.	1992	" तोलाराम मारु	1608.00
27.	1992	" अमीर हसन	10116.00
28.	1992	" अरुण	6400.00
29.	1992	" संजयकुमार	5340.00
30.	1992	" सुरेश कुमार	3468.00
31.	1992	श्रीमती सरला	3360.00
32.	1993	श्रीमती विमला देवी	3204.00
33.	1993	श्रीमती मीजाज़ कंवर	5760.00

34.	1993	श्रीमती अनन्तकंवर	5760.00
35.	1993	श्री धर्मपाल चाहत	3204.00
36.	1993	" मोहन लाल मारु	1608.00
37.	1993	" मदनगोपाल राजपुरोहित	2664.00
38.	1993	श्रीमती यशोदा देवी	2664.00
39.	1993	श्रीमती सावत्री	2268.00
40.	1993	श्री ओमप्रकाश जोशी	1632.00
41.	1993	" चौरुलाल	3636.00
42.	1993	" मनोज कुमार कड़वासरा	3712.00
43.	1993	" संतु भार्गव	1650.00
44.	1993	" बैजनाथ पारीक	4632.00
45.	1993.	" धनपत राय	2676.00
46.	1993	" अनिल कुमार वोहरा	2275.00

पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद (चित्तौड़गढ़) के सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें

749. **श्री प्रभुराम गरासिया** (पिंडवाड़ा) एवं **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद के किन-किन सरपंचों के विरुद्ध अनियमितता के मामले पकड़े गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ भूतपूर्व सरपंचों के विरुद्ध अब भी कार्यवाही लंबित है ? इसके क्या कारण हैं और इनमें किन-किन कार्यों में अनियमितता के लिए कितनी राशि वसूल योग्य है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समिति प्रतापगढ़ में 5 पूर्व सरपंचों एवं पंचायत समिति अरनोद के 21 पूर्व सरपंचों के विरुद्ध अनियमितता के मामले पकड़े गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

फागी (जयपुर) कस्बे की पेयजल व्यवस्था

750. **श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा** (फागी) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र फागी के फागी कस्बे में पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

(2) फागी कस्बे में वर्तमान में प्रतिदिन कितने घण्टे पेयजल आपूर्ति की जा रही है ?

(3) क्या गर्मियों के लिये उक्त कस्बे के पेयजल आपूर्ति के लिए विभाग के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) वर्तमान में, ग्राम फागी हेतु भू-जल स्रोतों में जल आवक क्षमता में कमी होने के कारण उत्पादन कम होने के कारण विभागीय मापदण्डों से कम आपूर्ति की जा रही है।

(2) लगभग एक घन्टे प्रतिदिन।

(3) आवश्यकतानुसार जल आपूर्ति बनाये रखने के पूर्ण प्रयास किये जायेंगे। इस ग्राम की पेयजल समस्या के समाधान हेतु एक संवर्धन योजना प्रस्तावित है, जिसे तकनीकी रूप से उचित पाने के बाद प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। बाद स्वीकृति संसाधनों को दृष्टिगत कर चरणबद्ध तरीके से योजना का किया जायेगा।

ग्राम अंगारी (थानागाजी) क्षेत्र की नल योजना

751. **श्री रमाकान्त** (थानागाजी) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम अंगारी तहसील थानागाजी में एक अर्से से पाइप लाइन बिछाई हुई परन्तु नल योजना का अभी तक क्रियान्विति नहीं हुई है ?

(2) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इसकी क्रियान्विति कब तक की जायेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम अंगारी में वित्तीय वर्ष 88–89 में 1480 मीटर पाइप लाइन डाली गयी थी परन्तु जल स्रोतों की आवक क्षमता कम होने के कारण समस्त पाइप लाइन का उपयोग पूर्ण क्षमता से नहीं हो सका। अब इसमें से 400 मीटर पाइप लाइन चालू कर दी गई है। वर्तमान में योजना पर उपलब्ध खुले कुंए से तथा पीएसपी द्वारा प्रतिदिन 2 घन्टे पानी वितरित किया जा रहा है।

(2) (1) के उपरोक्तानुसार।

पाइप लाइन की पूर्ण क्षमता हेतु इस योजना के संवर्धन के प्रस्ताव बनाये जाने प्रस्तावित हैं। तकनीकी औचित्यता तथा धन उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार योजना स्वीकृत कर क्रियान्वित की जा सकेगी।

कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डावा (झुंझुनूं) द्वारा वसूल मण्डी टैक्स

752. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कस्बा मण्डावा (झुंझुनूं) में कृषि उपज मण्डी टैक्स वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो दो वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी द्वारा वसूल किये गये टैक्स का उपयोग विकास एवं सुधार कार्यों में किया जाता है ? यदि हां, तो कस्बा मण्डावा में गत दो वर्षों में क्या-क्या विकास एवं सुधार कार्य किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मंडी समिति द्वारा कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाता है बल्कि मंडी शुल्क वसूल किया जाता है। गत दो वर्षों में प्राप्त मंडी शुल्क का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	वर्ष	मंडी शुल्क (रुपयों में)
1.	1993–94	1,85675.90
2.	1994–95	1,86,182.26

(2) कृषि उपज मंडी समिति द्वारा वसूल किए गए मंडी शुल्क का व्यय विकास एवं सुधार कार्यों के अतिरिक्त संस्थापन एवं अन्य कार्यों पर भी किया जाता है। गत दो वर्षों में मण्डावा में कोई विकास कार्य नहीं कराया जा सका।

जिला चित्तौड़गढ़ की वन श्रमिक सहकारी समितियां

753. **श्री भीमराज मीणा** (आसपुर) एवं **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील में बारावरदा, चिकलाड, ऊठेल तथा बगडावत आदि वन सहकारी समितियों का गठन किया गया था ? यदि हां, तो इनके कौन-कौन पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के सदस्य थे ? प्रत्येक वन श्रमिक सहकारी समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन वन श्रमिक सहकारी समितियों का सरकार एवं सहकारिता विभाग ने समय-समय पर ऑडिट करवाया था एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किये गये थे ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध कितनी वित्तीय अनियमितताएं पाई गयी ? समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ऑडिट रिपोर्ट एवं निरीक्षण के आधार पर किन किन व्यक्तियों को दोषी पाया गया तथा वे समिति के किन पदों पर पदासीन थे और इनके विरुद्ध वसूली की क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी, हां। प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों सदस्यों की सूची परिशिष्ट–अ पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। ऑडिट के आधार पर पायी गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की समितिवार सूची परिशिष्ट–ब पर उपलब्ध है।

(3) ऑडिट रिर्पोट में जो अनियमितताएं बतलाई गई है उनमें स्पष्ट उत्तरदायित्व तय नहीं किया गया था। अतः वसूली की कार्यवाही करने से पूर्व अधिनियम की धारा 70 की जांच आवश्यक है। जिसके लिये सहायक रजिस्ट्रार को निर्देश दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मुख्य अभियन्ता कार्यालय, श्री राम मन्दिर, जयपुर के दूरभाष पर व्यय

754. **डा. हरिसिंह** (फुलेरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के श्री राम मन्दिर, जयपुर स्थित मुख्य अभियंता

(डॉ० हरिसिंह)

कार्यालय के चार टेलिफोन क्रमशः 310362, 310363, 310464, तथा 310235 का बिल माह मई, 1994 एवं जुलाई, 1994 का कितना-कितना आया ?

(2) क्या यह सही है कि 04 जुलाई, 1994 को जारी किये गये बिल उक्त चारों टेलिफोन के करीब 06 लाख 42 हजार से भी अधिक के आये हैं ? यदि हां, तो उक्त चारों टेलिफोनों के कम्प्यूटराइज्ड डिटेल बिल सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त चारों टेलिफोनों से विगत एक वर्ष में सैकड़ों अन्तर्राष्ट्रीय काल किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस देश में और किस-किस नम्बर पर किये गये तथा यह अन्तर्राष्ट्रीय काल किसने किये हैं ?

उत्तर

(1) यह कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के श्री राम मन्दिर, जयपुर स्थित मुख्य अभियन्ता कार्यालय के निम्न चार टेलीफोन नम्बरों के माह मई, 94 व जुलाई, 94 में जो बिल आये उसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	टेलीफोन नम्बर	माह मई, 94 की राशि	माह जुलाई, 94 की राशि
1.	310362	1,10,823.00	1,85,178.00
2.	310363	1,27,683.00	89,210.00
3.	310464	53,188.00	2,36,655.00
4.	310235	59,492.00	1,31,760.00
		3,51,186.00	6,42,803.00

(2) उक्त चारों टेलीफोन के दूर संचार विभाग से प्राप्त कम्प्यूटराईज डिटेल की छाया प्रतियां प्रपत्र "अ" व "अ–1" संलग्न है।

(3) उक्त चारों टेलीफोनों की लाइनों के उपरोकत बिलों की संलग्न छाया प्रतियों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त अन्तर्राष्ट्रीय काल कैसे और किसने किये हैं इस सम्बन्ध में विद्युत मण्डल ने टेलीफोन विभग के उच्चधिकारियों को अपने स्तर पर जांच करने के लिये निवेदन किया है, क्योंकि इस टेलीफोन के उपयोग करने वाले रा० विद्युत मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों से पूछने पर सभी ने उक्त काल करने से इंकार किया है। यह जानकारी में आया है कि दूरसंचार विभाग अपनी विजीलेन्स शाखा से इस बारे में जांच करवा रहा है। साथ ही विद्युत मण्डल ने अपने निदेशक (सुरक्षा एवं सर्तकता) को इस प्रकरण को विस्तृत जांच हेतु निर्देशित किया है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला जोधपुर के विद्यालयों के पुस्तकालय

755. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(1) जोधपुर जिले की कौन-कौन सी स्कूलों में कब-कब से पुस्तकालय चल रहे हैं ?

(2) विभाग की पुस्तकालयों में किताबों को खरीदने एवं रखने के क्या-क्या आधार हैं ?

(3) पांच वर्षों में किस-किस स्कूल में कितने-कितने छात्रों को पुस्तकें दी गई ?

(4) किस-किस स्कूल में पुस्तकालयाध्यक्षों के किस-किस श्रेणी के पद, किन-किन आधारों पर स्वीकृत हैं ? इनमें से कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं ? उन्हें कब तक भर दिया जायेगा ? उक्त पदों के रिक्त रहने के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले की निम्न विद्यालयों में पुस्तकालय संचालित है :–

1. रा.सी.मा.वि. 32
2. रा.मा.वि. 109

जब से विद्यालय क्रमोन्नत हुए तभी से पुस्तकालय चल रहे हैं।

(2) राजकीय समस्त प्रकार के विद्यालयों में विद्यालय के पुस्तकालयों हेतु पुस्तकें खरीदने हेतु संस्था प्रधान के द्वारा सत्र के प्रारम्भ में एक पुस्तक चयन समिति का गठन किया जाता है, समिति के द्वारा चयनित पुस्तकें क्रय की जाती है जिसमें सभी कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें, सन्दर्भ पुस्तकें अन्य पुस्तकें आदि प्राथमिकता के आधार पर क्रय की जाती है। प्रत्येक रासीमावि एवं रामावि को प्रतिवर्ष पुस्तकें क्रय करने हेतु लगभग 1000 से 2500 रु. तक बजट आबंटित किया जाता है। पुस्तकें स्थानीय निधि से भी क्रय की जाती है। पुस्तकों को रखने के लिए व्यवस्था (अलमारी आदि) तथा पुस्तकों को संख्या बजट की राशि के आबंटन तथा पुस्तकालय पर निर्भर करती है।

(3) जोधपुर जिले में गत पांच वर्षों में छात्रों को पुस्तक वितरण किये जाने की सूचना संकलित की जा रही है, प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(4) जोधपुर जिले के विद्यालयों में 2 प्रथम श्रेणी, 34 द्वितीय श्रेणी एवं 101 द्वितीय श्रेणी के पुस्तकालय अध्यक्ष के पद स्वीकृत है जिनके विरुद्ध वर्तमान में 2 प्रथम श्रेणी, 32 द्वितीय श्रेणी, तथा 100 तृतीय श्रेणी के पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यरत है। केवल मात्र 2 दि.वे.श्रे. तथा। ति.वे.श्रे. पुस्तकालयाध्यक्ष का पद रिक्त है। रिक्त पदो को भरने कार्यवाही ही प्रक्रियाधीन है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के परीक्षा केन्द्र

756. **श्री हीरालाल विश्नोई** (सांचौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा पूर्व में स्वीकृत परीक्षा केन्द्र डूंगरी व झाब को वर्तमान परीक्षा सत्र में बंद कर के सांचौर के साथ क्यों जोड़ा गया ?

(2) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की सुविधा वापस लिया जाना उनके हितों व विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं है ?

(3) क्या सरकार आगामी परीक्षाओं के लिए उक्त परीक्षा केन्द्रों को पुनः खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) परीक्षा केन्द्र डूंगरी को जिला शिक्षा अधिकारी, जालौर ने अति-संवेदनशील होने के कारण बंद करने का सुझाव दिया था, अतः यहां के सैकण्डरी कक्षा के छात्रों को केरिया केन्द्र पर एवं सीनियर सैकण्डरी के छात्रों को सांचौर केन्द्र पर पंजीकृत किया गया। झाब केन्द्र पर सन् 1994 की परीक्षा के लिए मात्र 54 छात्र पंजीकृत होने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर सन् 1994 की परीक्षाओं से केन्द्र नहीं रखा गया। यहां के छात्रों को सांचौर केन्द्र पर पंजीकृत किया गया।

(2) जी नहीं। स्थिति को प्रश्न के भाग–1 के उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है।

(3) डूंगरी व झाब में पुनः परीक्षा केन्द्र खोलने के संबंध में आवेदन पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को प्राप्त होने पर परीक्षा केन्द्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र समिति द्वारा गुणावगुण के आधार पर समुचित निर्णय लिया जायेगा।

अल्प-सूचना प्रश्न

मेवाड़ काम्पलेक्स योजना

10. **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मेवाड काम्पलेक्स के नाम से विभाग द्वारा कोई प्लान बनाया गया था ? यदि हां, तो क्या इसे केन्द्र सरकार ने भी स्वीकार किया था ?

(2) इन योजनाओं के अनुसार अब तक क्या-क्या कार्य कराया गया है तथा प्रत्येक कार्य हेतु प्रत्येक योजना पर कितना रुपया खर्च किया गया है ?

(3) क्या माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा चावण्ड योजना के लिये विशेष अनुदान देने की घोषणा की गई है ? एवं राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्री कर्पूर चन्दजी कुलिश तथा एक होटल व्यवसायी द्वारा भी चावण्ड के विकास के लिये कितना कितना रुपया देने की घोषण की गई है ?

(4) यदि हां, तो किसके माध्यम से खर्च किया जायेगा और इसके लिये क्या योजना बनाई गई है ? क्या इसके लिये श्री प्रताप स्मारक चावण्ड से कुछ प्रतिनिधियों को लिया गया है ?

(5) क्या पर्यटन विभाग किसी विशेषज्ञों की समिति बनाकर इस कार्य को पूर्ण करने का विचार रखता है ?

उत्तर

(1) जी, हां। महाराणा प्रताप के जीवन से सम्बद्ध प्रमुख स्थलों के विकास हेतु मेवाड़ काम्पलेक्स योजना बनायी गयी है। इस योजना की क्रियान्वति चरणबद्ध योजना से उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुये की जावेगी। इसके लिए केन्द्र सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु भी प्रस्ताव प्रेषित किये हुए है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्य/व्यय का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) जी, हां। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 25.00 लाख रुपये चावण्ड के विकास के लिए देने की घोषणा की है। कुछ स्थानीय

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

संस्थाओं व व्यक्तियों ने भी इस प्रयोजनार्थ राशि भेंट करने की घोषणा की है।

(4) इस सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है।

(5) जी, हां।

परिशिष्ट-क

विषय :- मेवाड़ काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	व्यय की गई राशि (लाख रुपये में)
1.	गोगुन्दा में केफेटरिया का निर्माण	5.39
2.	रक्त तलाई में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही	पूर्ण अवार्डानुसार
3.	चेतक समाधि में विकास कार्य हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही विचाराधीन	पूर्ण अवार्डानुसार
4.	बादशाह बाग में विकास कार्य हेतु भूमि अवाप्ति हेतु	1.91
5.	चावण्ड में विकास कार्य हेतु एवं भूमि अवाप्ति के लिए	3.83
6.	गोगुन्दा में विकास एवं लेण्ड स्क्रेप	14.62

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 1072 का विवरण
कार्यालय नगर पालिका नैनवां जिला-बूंदी (राजस्थान)

नेहरू रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1990 से अब तक वैतनिक मद में प्राप्त राशि 4,67,253/– में से कुल राशि 2,08,240/– रुपये व्यय किये गये है, जिसकी सूची वर्ष वार एवं कार्य के नाम सहित निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	वर्ष	कार्य का नाम	व्यय राशि	वि.वि.
1.	1990.91	वार्ड नं. 9 में फर्सी पटान कार्य करवाया	15080/–	
2.		वार्ड नं. 10 में पटान कार्य	12300/–	
3.		वार्ड नं. 1 बस स्टेण्ड के पास मिट्टी खुदाई कार्य	7000/–	
4.		सब्जी मण्डी का निर्माण कार्य	81178/–	भुगतान 91–92 में
			1,15,558/–	
5.	1991–92	वार्ड नं. 2 में तेजाजी की गली में फर्सी पटान कार्य	8649/–	

1	2	3	4	5
6.		नाली निम्राण कार्य खातीयों के मोहल्ले से अम्बेडकर चोराहे तक	29325/–	
7.		वार्ड नं. 5 हरिजन बस्ती में 10 लेट्रिनों का निर्माण कार्य करवाया	21894/–	
8.		पेशाबघरों का निर्माण पथिक विश्राम गृह के पास	4000/–	
			63868/–	
9.	1992–93	इस वर्ष में कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया गया।		
10.	1993–94	नाला निर्माण कार्य वार्ड नं. 7 में कल्याण जी माली के मकान से मोरी तक	10609/–	
11.		वार्ड नं. 5 में डा. भीम राव अम्बेडरक स्टेच्यू स्थल व फैन्सी कार्य का निर्माण करवाया।	16969/–	
			27578/–	
12.	1994–95	वार्ड नं. 6 में नाली निर्माण कार्य करवाया	1236/–	
		महायोग :–	2,08,240/–	

हस्ताक्षर
अधिभाषी अधिकारी,
नगर पालिका नैनवां

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1.	टोडापाल से चोथमाता सम्पर्क सड़क	0.55	0.43	0.60	प्रगति पर
2.	गढपोल से खानपोल सम्पर्क सड़क	0.55	0.43	0.33	प्रगति पर

हस्ताक्षर
अतिरिक्त कलक्टर (विकास)
बून्दी

2253

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 1073 का विवरण

नगरपालिका जहाजपुर (भीलवाडा) में निर्धारित पदों के अनुसार एवं स्वीकृत पदों का विवरण वर्ष 1994–95

क्र. सं.	नाम पद	पैटर्न पदों के अनुसार निर्धारित पदों की संख्या	स्वीकृत पद	कार्यरत कर्मचारी की संख्या	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6
1.	अधिशासी अधिकारी	1	1	1	–
2.	सहायक राजस्व निरीक्षक	1	1	1	–
3.	नाकेदार	3	3	3	–
4.	सब नाकेदार	5	5	5	–
5.	नाकागार्ड	4	4	4	–
6.	सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	–	1
7.	पैरोकार	1	1	1	–
8.	ड्राफ्टमैन क्रम सर्वेयर	1	1	–	1
9.	लाइनमैन	1	1	–	1
10.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	–	1
11.	वरिष्ठ लिपिक	2	1	1	1
12.	कनिष्ठ लिपिक	4	2	2	2
13.	जमादार	2	1	1	–
14.	चौकीदार	1	1	1	–
15.	चपरासी	4	3	3	–
16.	प्याऊ मैन	1	1	1	–
17.	भिश्ती	2	1	1	–
18.	माली, बागवान	5	5	–	–
19.	ड्राइवर	1	1	–	–
20.	सफाई कर्मचारी	60	30	30	30

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 1074 का विवरण

नगरपालिका, जहाजपुर में वर्ष 1991–92 से वर्ष 1993–94 तक हुए स्वागत समारोह एवं उद्घाटन समारोहों के वित्तीय खर्चों का विवरण

क्र.सं.	नाम	दिनांक	प्रयोजन उद्घाटन किसके द्वारा	राशि	खर्च का विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	सेलादाता स्कूल भवन का उद्घाटन कार्य	7-9-91	जिलाधीश महोदय	201	बैण्ड व्यवस्था
2.	बोरानी स्कूल	6-9-91	" " "	201	" "
3.	बोरानी स्कूल, सेलादाता	6-9-91	" " "	500	अल्पहार
4.	भगता की झोंपडी स्कूल	10-10-91	श्रीमान निदेशक महोदय	1010	भोजन व्यवस्था
5.	" " " "	12-10-91	" " "	250	फोटू व्यवस्था
6.	सेलादाता स्कूल भवन शुभारम्भ	6-3-91	जिलाधीश महोदय	792	फोटू
7.	" " "	6-3-91	" " "	800	वीडियो केसिट
8.	भगता की झोंपड़ी विद्यालय भवन	12-01-91	श्रीमान निदेशक महोदय	701	" "
9	" " "	" "	" " "		"

10	सेलादाता स्कूल भवन उद्घाटन	6-9-91	जिलाधीश महोदय	2217	टैण्ड व्यवस्था
11	भगता की झोंपडी स्कूल का शुभारंभ	12-10-91	निदेशक महोदय	1315	टैण्ड व्यवस्था
12.	सेलादाता बोराणी भवन शिलान्यास	5-9-91	जिलाधीश महोदय	1622	भोजन व्यवस्था
13	भगता की झोंपडी	12-10-91	निदेशक महोदय	320	पत्थर व अल्पहार
14	कल्याणपुरा स्कूल भवन का उद्घाटन	4-8-92	स्वायत्त शासन मंत्री महोदय	2766	भोजन
15.	लाला का बाडा स्कूल भवन, पांचा का बाडा राधी का बाडा	10-1-93	जिलाधीश महोदय	465	बैण्ड
16.	अस्पताल, लाल काबाडा पांचा का बाडा	11-3-93	" " "	1751	वीडियो कैसेट व फोटू
17	लाला का बाडापांचा का बडा	18-3-91	" " "	250	पत्थर लिखाई
18.	पांचा का बाडा	18-1-93	जिलाधीश महोदय	1498	टैण्ट व्यवस्था
19.	लाला का बाडा	" " "	" " " "	1085	" "
20.	राधी का बाडा	" " "	" " " "	914	" "
21.	राधी का बाडा, पांचा का बाडा, लाला का बाडा	" " "	" " " "	720	अल्पाहार

235

1	2	3	4	5	6
22.	कल्याणपुरा शाला का भावन उद्घाटन	6-8-92	मंत्री महोदय	175	माइक व्यवस्था
23.	" " " "		" "	700	बैण्ड व्यवस्था
24.	लाला का बाडा, पांचा का बाडा, बोरानी, राधी का बाडा	4-6-94 5-6-94	जिलाधीश महोदय	2990	पत्थर, रोबर
25.	राम किशोर मीणा खाद्य मंत्री	14-1-92	मंत्री महोदय	735	भोजन व्यवस्था
26.	बोराणो विद्यालय उद्घाटन	10-6-92	मंत्री महोदय	251	बैण्ड व्यवस्था
27.	" " " "	" "	" "	215	माइक व्यवस्था
28.	" " " "	" "	" "	401	स्वागतगीत व्यवस्था
29.	" " " "	" "	" "	1045	कपडा बैनर
30.	" " " "	" "	" "	550	पत्थर, लिखाई माला
31.	" " " "	6-7-92	" "	1651	वीडियो कैसेट, फोटू
32.	" " " "	10-7-92	" "	247	पम्पलैट
33.	कल्याणपुरा	4-8-92	" "	5448	माइक, टैण्ट
34.	लाला का बाडा	29-12-92	" "	975	पैंटिग, स्टाफ मिठाई
35.	लाला का बाडा	" "	" "	485	जीप किराया, माला
36.	पांचा का बाडा	5-6-94	सांसद शिवचरण जिलाधीश	700	माला, माइक किराया
37.	" "	4-5-94	" "	3322	माइक, टैण्ट, कुर्सियां, दरवाजा

ह0

नगरपालिका, जहाजपुर की बोर्ड मीटिंग दि. 25-7-93 का प्रस्ताव संख्या-4

(४) गत बोर्ड की बैठक से इस बैठक तक किये गये कार्य व खर्चे का अनुमोदन :-

अनुमोदन :– यह प्रस्ताव श्री दुर्गालाल माली द्वारा रखा गया। इस पर अधिशासी अधिकारी द्वारा दिनांक 2-12-92 से 26-5-93 तक हुए खर्चे को पत्रावलियां व वाउचर पेश किये गये जिस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खर्चे व तामोर इजाज़त की पत्रावलियों का सर्व–सम्मिति से अनुमोदन किया गया।

ह०
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका, जहाजपुर

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 1076 की सूची

वर्ष १९८४ में विज्ञापित पदों की सूची :-

क्र.सं.	पद नाम	क्र.सं.	पद नाम
1	2	1.	2
1.	राजस्व निरीक्षक	20.	लाइन मैन
2.	सहायक राजस्व निरीक्षक	21.	हैल्पर–I
3.	असेसर	22.	स्वास्थ्य निरीक्षक, ग्रेड–I
4.	नाकेदार	23.	स्वास्थ्य निरीक्षक ग्रेड–II
5.	सब-नाकेदार	24.	सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक
6.	कनिष्ठ लिपिक	25.	वैक्सीनेटर
7.	ड्राफट्समैन	26.	वैद्य
8.	ड्राफट्समैन-कम-सर्वेयर	27.	उप–वैद्य
9.	सर्वेयर	28.	नर्स–ग्रेड–III
10.	इन्जिनियर सर्बोडिनेट	29.	कम्पाउण्डर–ग्रेड–III
11.	पम्प ड्राइवर (बागायत)	30.	पैरोकार ग्रेड–I
12.	गजधर	31.	उद्यान निरीक्षक
13.	मिस्त्री	32.	ड्राइवर
14.	रोशनी निरीक्षक	33.	लेखाकार–ग्रेड–II
15.	सहायक रोशनी निरीक्षक	34.	स्टेनो–टाइपिस्ट
16.	सहायक अग्नि शमन अधिकारी	35.	स्टेनोग्राफर–ग्रेड–II
17.	फायरमैन	36.	पुस्तकालयाध्यक्ष
18.	फिटर	37.	मैकेनिक
19.	पम्प ड्राईवर (वाटर वर्क्स)		

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 1086 का विवरण.

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	लुहारी	168	2047
2.	जाटौली	178	1012
2.	**करीम पुरैनी क्षेत्रीय योजना में निम्न गांव सम्मिलित हैं।**		
1.	करीमपुर	83	1432
2.	पबैना	86	809
3.	बसबेडा	87	1027
4.	पुरैनी	88	1218
5.	जाखी	89	768
6.	अमरारा	94	1337
3.	**क्षेत्रीय योजना बरानी खेडा में निम्न गांव सम्मलित हैं।**		
1.	खेरा	199	1465
2.	भगपुरा	200	606
3.	सुरानी	201	613
4.	मिरजापुर	202	1048
5.	शहजपुर	203	217
6.	भीमरी	204	782
7.	रजौरा	205	1475
8.	नगला भगत	206	469
4.	**क्षेत्रीय जलयोजना बरेह मोरी व पथरोला खुर्द में निम्न गावं सम्मिलित हैं।**		
1.	बरेहमोरी	176	1448
2.	पथरोला खुर्द	178	321
3.	सिंधावली	188	1013
5.	**क्षेत्रीय जलयोजना भमरोली साहनपुर में निम्नलिखित गांव सम्मिलित हैं :-**		
1.	भमरोली	221	741
2.	तिधरा	223	610
3.	साहनपुर	224	378

परिशिष्ट ''क''

परिशिष्ट-8

अतांरिकत प्रश्न संख्या 1087 का विवरण

हैण्डपम्प 1-4-94 से 30-6-94 तक स्वीकृत एवं लगे हैण्ड पम्पों की संख्या

ग्रामीण क्षेत्र	स्वीकृत	कमिसन्ड
एस सी/एस टी	4	4
मजरा/ढाणी	4	4
सामान्य	20	20
शहरी क्षेत्र	28	26
	7	7
	35	36
1-7-94 से 31-3-95		
एससी/एसटी	5	5
मजरा/ढाणी	2	2
30 जिला 30 काम	13	1
	30	8

कार्य का नाम	स्वीकृत	निर्मित
कन्टीजेन्सी	2	2
30 जिला 30 काम	4	—

विवरण

1-7-94 से 31-3-95 तक स्वीकृत एवं कमीशन्ड हैण्डपम्प ग्रामीण धौलपुर

एससी/एसटी	कोड नं.	मजरा/ढाणी	कोड नं.	30 जिला 30 काम
1. पुरानी छावनी	194 1 नं	घडी लज्जा 1. नं. 14 (पुरा घडी लज्जा)		कोलाहरी 27 हायर से. स्कूल नं. 1
2. पंचगांव	95 1 नं.	नुपहेरा	1 नं. (पुरादाऊजी)	
3. विश्नोदा	287 1 नं.			
4. करीमो	21 1 नं.			
5. तिहरी	55 1 नं.			
	5 नं.	2 नं.	1 नं.	

1-4-94 से 30-6-94 ग्रामीण धेलपुर स्वीकृत/कमीशन्ड

एससी/एसटी गांव का नाम	मजरा ढाणी कोड नं.	है. प. न.	गांव का नाम	सामान्य है.प.न.	गांव का नाम	कोड नं.	है.प.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. सैपऊ	24	1 नं.	सरानी (अब्दुलपुर)	1 नं.	सहरोल	213	1 नं.
2. सरानी	251	1 नं.	विश्नोदा (नकटपुर)	1 नं.	तोर	157	1 नं.

241

1	2	3	4	5	6	7	8
3. विमरी	–	1 नं.	धीमढी (फैटपुरा)	1 नं.	इन्डोली	152	1 नं.
4. सरकनखेड़ा	–	1 नं.	विपरपुर (कृपा का पुरा)	1 नं.	विरोधा	155	1 नं.
		4		4 नं.	बरा	78	1 नं.
					दुवाटी	104	1 नं.
					बीरपुर	101	2 नं.
					तसईनीम	101	1 नं.
					गरतापुरा		1 नं.
					टेहरी		1 नं.
					कुरेदा	36	1 नं.
					कुकरामाकरा	10	1 नं.
					विछिया	218	1 नं.
					मोरोली	217	1 नं.
					भेसेना	18	1 नं.
					लुहारी	168	1 नं.
					जाटोली	170	1 नं.
					कासिम्पुर	–	1 नं.
					लिगरी	–	1 नं.
							20 नं0

नलकूप 1-4-94 से 30-6-94 स्वीकृत एवं कमीशण्ड भीषड आकस्मिक योजना

स्वीकृत

1. विरोधाकमीशण्ड
2. धोलपुरा (शहर) कमीशण्ड

नलकूप – स्वीकृत (30 जिला 30 काम) 1-7-94 से 31-3-95

स्थान	नम्बर
1. राजकीय महाविद्यालय, धोलपुर	1 नं.
2. इटाय पाड़ा पुराना शहर	1 नं.
3. सागर पाड़ा	1 नं.
4. जिरोलीपरा	1 नं.

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 1089 का विवरण

परिशिष्ट '' क''

वर्ष 1944-95 में फागी तहसील में लगे हैण्डपम्पों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	जनसंख्या 1991	स्थापित हैण्डपम्पों की संख्या
1.	माधोराजपुरा	115	4498	1
2.	सुलतानिया	38	1172	1
3.	जुडिदा भोजपुरा	33	1032	1
4.	फागी	64	9095	1
5.	भोजपुरा	62	1157	1
6.	मोहनपुरा पृथ्वीसिंह	59	895	1
7.	नारीखेड़ा	67	212	1
8.	नरेड़ा	60	1617	1
9.	निमेड़ा	84	3222	1
10.	चकवाड़ा	37	2118	1
11.	ठला	61	1615	1
12.	मुकन्दपुरा (मोहरा की ढाणी)	166	796	1
13.	भानपुरा (मालियों की ढाणी)	161	650	1
			कुल :–	13

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभांवित ग्राम	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृति दिनांक	अनुमानित लागत	विशेष विवरण
1.	क्षेत्रीय योजना नारीखेड़ा	नारीखेड़ा	नारेड़ा	एफ–2/अनुजा./निगम/सम्बल/पेयजल 94-95/41791 दिनांक 27-3-95	5.35 लाख	
2.	क्षत्रीय योजना समेलिया धवालिया	समेलिया धवालिया	समेलिया	" "	6.61 लाख	
3.	" विस्तार योजना प्रेमपुरा	प्रेमपुरा	दोसरा	6/जे0पी0आर0/डी0डी0आई0/23-195	1.57	
4.	" विस्तार योजना मदनपुरा	मदनपुरा	रोटवाड़ा	7/जे0पी0आर0/डी0डी0आई0/23-1-95	3.09	

२४५

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 1099 का विवरण

(1) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में वर्ष 1980-81, 1981-82 एवं 1994-9 में श्रेणीवार स्वीकृत पदों का विवरण

क्र.सं.	नाम पद	31-3-81	31-3-82	31-3-9
1.	प्रबन्ध संचालक	1	1	1
2.	महाप्रबन्धक	1	1	1
3.	प्रबन्धक	7	7	4
4.	क्षेत्रीय प्रबन्धक	6	6	10
5.	उप-प्रबन्धक	34	34	36
6.	सहायक प्रबन्धक	58	58	57
7.	स्टेनों	4	4	4
8.	लिपिक कम टाईपिस्ट	64	64	64
9.	ड्राफ्टमेन	1	1	1
10.	ड्राईवर	9	9	12
11.	च. श्रे० कर्मचारी	35	35	39
12.	फर्राश	1	1	1
	योग :–	221	221	230

रा. रा. स. भू. वि. बैंक लि0; जयपुर में पदवार/श्रेणीवार कार्यरत अनु. जाति/अनु. जन जाति के अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण

क्र.सं.	पद	अनु. जाति/ अनु. जाति के कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी		रोस्टर प्रणाली के अनुसार जो संख्या होनी चाहिए	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
1.	प्रबन्ध संचालक	1	–	–	–
2.	महा प्रबन्धक	–	–	–	–
3.	प्रबन्धक	–	–	–	–
4.	क्षेत्रीय प्रबन्धक	2	1	2	1
5.	उप प्रबन्धक	1	–	2	1
6.	सहायक प्रबन्धक	–	–	3	2
7.	स्टेनो/लिपिक कम टाईपिस्ट	6	3	6	3
8.	वाहन चालक	1	–	3	1
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6	2	6	3
10.	फर्राश	1	–	1	–

248

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 1100 का विवरण

सहकारी क्षेत्र में स्थापित दाल मिलों संबंधी सूचनाएं

क्र-सं-	स्थान	स्वामित्व वाली संस्था का नाम	स्थापना का वर्ष (सहकारी वर्ष)	स्थापना लागत (भवन भूमि एवं मशीनरी पर)	रुपये लाखों में वर्ष जब 2 चली
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जयपुर	जयपुर सह. क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	1974-75	1.18	1975-76 से 1988-89 एवं 1991-92
2.	कुम्हेर	कुम्हेर „ „ „ (1991-92 से संस्था अवसायन में है)	1984-85	5.56	1985-86 केवल
3.	सूरतगढ़	सूरतगढ़ क्रय विक्रय सह- समिति लि-	1981-82	7.67	1982-84 1983-84, 1987-88 एवं 1991-92
4.	केकड़ी	केकड़ी „ „ „	1963-64	0.33	1964-65 से 1989-90 तक
5.	कोटा	कोटा „ „ „	1978-79	4.06	1978-79 से 1988-89 तक
6.	अंता	अंता „ „ „	1979-80	3.99	1979-80 से 1989-90

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 1104 का प्रपत्र

प्रपत्र "अ"

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के स्टोर मैन्युअल 5.5 का उद्धरण :-

" In principle the Central Stores shall be maintained as a buffer stock stores to cater to the emergent requirements (unforseen demands) and gurad against late deliveries of material alraedy ordered and allocated to Circle Stores. The quantities to be ordered and maintained in buffer stock for the above purpose shall however, be decided by the Chief Engineer on the basis of the recommendation of the Controller of Stores as also the availability of funds".

सूची "ब"

250

जनवरी, 1994 से 15 मार्च, 1995 तक सहायक भण्डार नियंत्रक,
नागौर द्वारा भण्डार नियंत्रक, जयपुर से प्राप्त किये गये पावर/वितरण ट्रांसफार्मर्स का वितरण

क्र.सं.	क्षमता	प्राप्ति की दिनांक	तादात	भण्डार प्राप्ति बीजक नं. एवं दिनांक	गेट पास नं. व दिनांक	
1	2	3	4	5	6	
पावर ट्रांसफार्मर्स						
1.	3.15 एम; वी. ए.	3-1-94	1	827/3-1-94	3472/9	31-12-93
	,,	31-1-94	1	939/31-1-94	3227/17	29-1-94
	,,	5-2-94	1	961/5-2-94	3553/2	2-2-94
	,,	18-2-94	1	1017/18-2-94	3293/6	16-2-94
	,,	21-2-94	1	1020/21-2-94	3299/2	17-2-94
	,,	18-4-94	1	33/18-4-94	3288/2	15-4-94
	,,	5-7-94	1	260/5-7-94	12603/14	2-6-94
	,,	3-10-94	1	662/3-10-94	14161/23	3-9-94
	,,	6-10-94	1	686/6-10-94	14167/22	5-10-94
	,,	17-10-94	1	708/17-10-94	10873/18	15-10-94
		योग :–	10 नग.			

वितरण ट्रांसफार्मर्स

1.	25 के. वी. ए.	7-11-94	2	800/7-11-94	10154/11	3-11-94
2.	40 ,,	29-10-94	16	773/29-10-94	10158/20	27-10-94
	,, ,,	7-11-94	4	800/7-11-94	10154/11	3-11-94
	,, ,,	14-11-94	20	826/14-11-94	10166/9	11-11-94
	,, ,,	21-11-94	20	879/22-11-94	10174/1	21-11-94
		योग :–	60 नग.			
3-	63 ,,	17-9-94	7	594/17-9-94	14169/21	16-9-94
	,, ,,	29-10-94	3	773/29-10-94	10158/20	27-10-94
	,, ,,	7-11-94	2	800/7-11-94	10154/11	3-11-94
		योग :–	12 नग.			
4-	160 ,,	24-10-94	2	744/24-10-94	50153/17	21-10-94
		योग :–	2 नग.			

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 1116 की सूची

विधान सभा क्षेत्र	सं. समिति	क्र.सं.	ग्राम का नाम जहां प्राथमिक-शाला नहीं खोली गयी है।	जनसंख्या	विधान सभा क्षेत्र	पं. समिति	क्र.सं.	ग्राम का नाम जहां प्राथमिक शाला नहीं खोली गयी है।	जन संख्या
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
घाटोल	घाटोल	1.	मदनपुरा	242	घाटोल	पीपलखूंट	1.	बीलाखे	197
		2.	वान्दूकाबाला	195			2.	वानक	195
		3.	इकबालाटाडा	162			3.	कुण्डली पाड़ा	157
		4.	सन्तु का पादरी	164			4.	रेटिया	163
		5.	सुवावानरू	162			5.	सूरजपुरा	237
		6.	बीकाकीनाल	172			6.	नेगरिया	195
		7.	काडापाड़ा बोरखीखार	300			7.	महुडीखेड़ा	245
		8.	महुवालापात बाडमुन	350			8.	झुबा	203

9.	कमलीयामुहड़ा	350	9.	पीपलीपाडा	192
10.	धबेनापाड़ा झखानिया	300	10.	मोजल	163
11.	योतीया सेड़ी (मोदर)	300	11.	मड	247
12.	शकरपुरा (उदयपुर)	350	12.	हिम्मतो केरिहरबर	163
13.	उपरलापाड़ा (खेड़ा)	300	13.	रावतपुरा	155
14.	छतरीपाड़ा (खेड़ा)	350	14.	कटारो का खेड़ा	233
15.	धाटीबडला धाटोल	350	15.	बसलापाड़ा	150
16.	तलाईपाड़ा (हाखेरिया)	350	16.	नालापाड़ा	160
17.	नई बस्ती (कुवनिया)	300	17.	माण्डवझेर	400

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		18.	पुनर्वास बस्ती (ईसरवाड़ा)	200			18.	उम्बाडा	350
		19.	जामबुड़ी (बाडगना)	300			19.	लेवापाडा	300
		20.	डूडापाडा मोरडीउपली	300			20.	ललाई पाडा	550
		21.	टोपी यादगरी (खेखा)	300			21.	मेला	300
		22.	जेछोर सेवावास	380			22.	छामनपाडा	400
		23.	कलाउतापाड़ा (ब्रिजोर)	325			23.	खोरापाड़ा	300
		24.	हाडीयावाड़ा (बोरदा)	325			24.	पुंजपुरा	150
		25.	घटिगाल (देलवाड़ा)	360			25.	कडबलिया	150
		26.	ओडवाला (रूजिया)	300			26.	बोरापाड़ा	175
							27.	जीबपापाड़ा	200

255

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 1118 का विवरण

जयपुर नगर परिषद सीमा में अवधि पार पुराने मोडल की वाहनों की सूची।

क्र.सं.	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या व मोडल
1	2	3
1	श्री मदन लाल	आर.एस.एल. 5756 मो. 60
2.	श्रीमती देवकी बाई	आर.एस.एल. 5897 मो. 66
3.	श्री इनामुद्दीन	आर.आर.एल 3336 मो. 69
4.	श्री रामेश्वर प्रसाद	आर.एस.एल 6006 मो. 66
5.	श्री रघुवीर सिंह	आर.एस.एल 6451 मो. 66
6.	श्री नूर अहमद	आर.आर.एल. 9674 मो. 69
7.	श्री सलीमुद्दीन	आर.आर.एल. 5762 मो. 69
8.	श्री अब्दुल वहीद	आर.जे.एल. 7972 मो. 67
9.	श्री दिनेश चन्द	आर.जे.एल. 7388 मो. 68
10.	श्री कैलाश चन्द	आर.आर.एल. 1147 मो. 69
11.	श्री महेन्द्र सिंह	आर.एस.एल. 4565 मो. 66
12.	श्री जगदीश सिंह	आर. आर. एल. 948 मो. 69
13.	श्रीमती दुर्गा देवी	आर.एस.एल. 57861 मो. 66
14.	श्री मदन लाल	आर.आरएल. 9146 मो. 69
15.	श्री रामचन्दर	आर.एस.एल. 5571 मो. 66
16.	श्री मोहम्मद इस्लाम	आर.एस.एल 6070 मो. 66
17.	श्री कृष्ण मल	आर.आर.एल. 2135 मो. 69
18.	श्री वली मोहम्मद	आर.एस.एल. 7775 मो. 67
19.	श्रीमती भगवती देवी	आर.एस.एल. 8356 मो. 67
20.	श्री गंगाराम	आर.एस.क्यू. 3434 मो. 61
21.	श्री सलीम	आर.आर.एल. 2473 मो. 69
22.	श्री प्रभु दयाल	आर.आर.एल. 2213 मो. 69
23.	श्री सजनदास	आर.जे.पी. 967 मो. 66
24.	श्री गुलाब चन्द	आर.एस.क्यू. 3809 मो. 61
25.	श्री अलादीन	आर.एस.एल 6008. मो. 66

1	2	
26.	श्री राधेश्याम	आर.एस.एल. 5791 मो. 6
27.	श्री मोहनलाल	आर.आर.एल. 2683 मो. 6
28.	श्री दयाल सिंह	आर.आर.एल 2724 मो. 6
29.	श्री देवेन्द्र कुमार	आर.आर.एल. 2983 मो. 6
30.	श्रीमती लोक बाई	आर.आर.एल. 3309 मो. 6
31.	श्री मिरचू मल	आर.आर.एल. 4464 मो. 6
32.	श्री छोटूलाल	आर.आर.एल.2979 मो. 6
33.	श्री जमालुद्दीन	आर.आर.एल. 5334 मो. 6
34.	श्री अब्दुल वहीद	आर.आर.एल. 5304 मो. 6
35.	श्री मोहम्मद इस्माईल	आर.एस.एम. 458 मो. 7
36.	श्री बुन्दू खां	आर.एस.एम. 1083 मो. 7
37.	श्री अब्दुल वहीद	आर.आर.एल. 4946 मो. 6
38.	श्री अब्दुल हाफीज	आर.आर.एल. 3994 मो. 6
39.	श्री विनय कुमार	आर.आर.एल. 9428 मो. 6
40.	श्री जान मोहम्मद	आर.एस.एम. 208 मो. 7
41.	श्री अशोक कुमार	आर.एस.एल. 8119 मो. 6
42.	श्री छीतर मल	आर.एस.एम. 6700 मो. 6
43.	श्री सत्य नारायण	आर.एस.एल. 664 मो. 6
44.	श्री शंकर दास	आर.आर.एल. 8383 मो. 6
45.	श्री जुगल किशोर	आर.एस.एम. 4156 मो. 7
46.	श्री अरविन्द कुमार	आर.एस.एम. 2983 मो. 7

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 1123 की सूची

राजस्थान सरकार के संरक्षित स्मारकों की सूची

जिला-कोटा

क्रमांक	स्मारक/वस्तु/स्थान का नाम	स्थान	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	बॉस थूडी मंदिर	बॉसथूडी	
2.	किला	नाहरगढ	

1	2	3	4
3.	प्राचीन मंदिर	खण्डेला	
4.	किला	केलवारा	
5.	शिव मंदिर	नूरपुर	
6.	शिव मंदिर	हरीपुरा	
7.	शिव मंदिर	नागदा	
8.	सूर्य मंदिर	बूढ़ातीत	
9.	मंदिर	घुपन	
10.	मंदिर	वितालस	
11.	मंदिर	बढ़ोरा	
12.	शक्ति सागर तालाब	मौठपुर	
13.	मंदिर समूह	सहरोद	
14.	मंदिर समूह	घूनपुर	
15.	माता का मंदिर	बड़ाखेडा	
16.	बद्रीनाथ तथा पार्श्वनाथ मंदिर समूह	अवान	
17.	मंदिर समूह	कनवास	
18.	शहर पनाह	दाराह	
19.	बड़ी तालाब तथा जग मंदिर	कोटा	
20.	केसर खां तथा डोकर खां का कब्रे	कोटा	
21.	गपड नाथ	रतककार	
22.	गुफा व चट्टानों पर उत्कीर्ण शैल चित्र	आलनियां	
23.	आसलपुर के ध्वासॉपशेष	आसलपुर	
24.	प्राचीन मंदिरों के ध्वंसावपेष	रेलवाना	
25.	प्राचीन स्थल	अगर	
26.	प्राचीन स्थल, कैलवाना	कैलवाना	
27.	प्राचीन स्थल, धुलेट	धुलेट	
28.	प्राचीन प्रतिमाएं तथा कला साम्रगी की विद्यारत्न भटनागर के स्थान पर	कोटा	
29.	महादेव तथा गणपति की प्रतिमाएँ	कोटा.	

राजस्थान के संरक्षित स्थानों सूची

जिला - बारां

क्रमांक	स्मारक/स्थान/वस्तु का नाम	स्थान	विशेष विवरण
1.	शिव मंदिर अथवा भण्डदेवरा	रामगढ़	
2.	किला	"	
3.	हिन्दू मंदिर	बारां	
4.	कृष्ण विलास की प्रतिमाएँ	कृष्ण विलास की बारां	
5.	मस्जिद	शाहाबाद	
6.	बादल महल	"	
7.	किला	"	
8.	मंदिर समूह	जिला बारां	

राजस्थान के संरक्षित स्मारकों की सूची

जिला - झालावाड़

क्रमांक	स्मारक का नाम/वस्तु/स्थान का नाम	स्थान	विशेष विवरण
1.	पद्मनाभि मंदिर	झालरापाटन	
2.	प्राचीन स्थल, गंगधार	गंगधार	
3.	किला	गागरोन	
4.	दरगाह मीठे साहब	गागरोन	

राजस्थान के स्मारकों की सूची

जिला - बूंदी

क्रमांक	स्मारक/वस्तु/स्थान का नाम	स्थान	विशेष विवरण
1.	शिव मंदिर	कोंवलजी	
2.	हमीर का शिलालेख	"	

(259)

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या 1125 की सूची

परिशिष्ट-क

वरिष्ठ प्रबन्धकों की सूची

1. श्री अजय सक्सैना
2. श्री अनिल मलिक
3. श्री बी० के० शर्मा
4. श्री आई० ए० खान
5. श्री जे० पी० माथुर
6. श्री जे० पी० पाठक
7. श्री एन० एल० शर्मा
8. श्री एन० एल० वर्मा
9. श्री पृथ्वी सिंह
10. श्री आर० सी० माथुर
11. श्री आर० के० फौजदार
12. श्री रणवीर सिंह
13. श्री एस० के० गोस्वामी
14. श्री एस० एस० चौधरी
15. श्री सोभाग सिंह
16. श्री यादवेन्द्र सिंह

प्रबन्धकों की सूची

1	2	1	2
1.	श्री बी० एम० शर्मा	15.	श्री ओ० पी० ईशरवाल
2.	श्री भूपेन्द्र भारद्वाज	16.	श्री प्रदीप बोहरा
3.	श्री डी० के० विश्नोई	17.	श्रीमती प्रमीला शर्मा
4.	श्री ई० जोनसन	18.	श्री प्रमोद शर्मा
5.	श्री जी० सी० माथुर	19.	श्री प्रताप सिंह भाटी
6.	श्री जी० एल० मीणा	20.	श्री रघुवेन्द्र दयाल
7.	श्री गुणनिधि	21.	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड
8.	श्री जे० के० सोनी	22.	श्री रवि गोस्वामी
9.	श्री श्री के० पी० सिंह	23.	श्री एस० पी० सिंह वेदी
10.	श्रीमती कनिज भट्टी	24.	श्री सागर मल गुप्ता
11.	श्री करण सिंह	25.	श्री सज्जन सिंह
12.	श्री कुम्भा राम	26.	श्री संजीव शर्मा
13.	श्री मानसिंह	27.	श्री सरनाम सिंह
14.	श्री मुकेश सक्सैना	28	श्री सतवेन्द्र सिंह

(260)

1	2	1	2
29.	श्री शंकर सिंह	33.	श्री उम्मेद सिंह
30.	श्री सान्ता व्यास	34.	श्री विक्रम सिंह
31.	श्री शिवदान सिंह	35.	श्री विरेन्द्र सिंह भाटी
32.	श्री सुन्दर सिंह		